खण्ड–483, अंक–7
मंगलवार, 07 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(26 फरवरी, 2013 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

–: 0 :–

## (अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | 1-6 |
| - प्रश्नोत्तर ... ... ... | 7-62 |
| -आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... ... | 62-63 |
| -नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 63-64 |
| -वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की कतिपय सड़कों एवं जल निकासी हेतु नाले एवं नालियों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 65 |
| -उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का वरिष्ठता के आधार पर विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 65-66 |
| -जनपद जौनपुर में जनवरी माह में पड़ी कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर तथा ओले-पानी से किसानों की फसल की हुई बर्बादी की क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 66 |
| -जनपद मेरठ के चार वार्डों को तहसील सरधना से बदलकर तहसील मेरठ सदर में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 67 |
| -जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण के कतिपय क्षेत्रों को थाना भावनपुर से हटाकर थाना मेडिकल से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 67 |
| -विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत दोहरी घाट सहायक मुख्य नहर से निकल कर नरांव से गुजरने वाली नहर के सामने का भाग क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 67 |
| -जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर से सैदपुर सादत मार्ग पर ग्राम सभा हिरान्दपुर के सामने गंगा नदी पर बने पुल का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 68 |
| -जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व ग्रामों को सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए चार नवीन क्षेत्र पंचायतों को सृजन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 68-69 |
| -जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के नौगावां एवं परसिया आदि इलाकों में लगे लकड़ी के विद्युत खम्भों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 69 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| -जनपद शाहजहांपुर में रोजा बल्लिया के रामापुर बरकतपुर तक 1 किमी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 69-70 |
| -जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के कतिपय ग्रामों में बाढ़ की विभीषिका से बचाये जाने के लिए पिचिंग अथवा बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 70 |
| -जनपद फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 70-71 |
| -जनपद रामपुर की तहसील सलारपुर स्वार में वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 71 |
| -जनपद बरेली के पुराना शहर में जगतपुर पुलिस चौकी के निकट सरकारी चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 71 |
| -कानपुर महानगर स्थित विश्व बैंक बर्रा के सेक्टर जे0 एवं के0 में विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 72 |
| -जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र के रूदौली अन्तर्गत भेलसर बाबा बाजार इन्हौना मार्ग के विशेष मरम्मत तथा चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 72 |
| -औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ... ... ... | 73 |
| -डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 के बजट में धन का प्राविधान होने के बावजूद प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... | 73-77 |
| -उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 77 |
| -राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 6220/32-3-2012-109-2008 टी0 सी0, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 (सदन के पटल पर रखी गई) ... | 77 |
| -उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की नियम समिति (2012-2013) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... ... ... | 78 |
| -जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत आगरा जलेसर रोड से बांधनू-रूपधनूं गढ़ी खंगर होते हुए आगरा जलेसर रोड को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री राम प्रकाश सिंह चौहान आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... | 78 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| -जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर शहरी क्षेत्र स्थित इस्माइल नगर (मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र) का सम्पूर्ण विकास (सड़क, नाली, मार्ग प्रकाश) कराये जाने विषयक श्री सज्जन अली आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ... ... | 78 |
| -जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर कस्बा मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री श्याम दीक्षित आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ... ... | 78 |
| -जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के यमुनापार स्थित शहरी क्षेत्र में फाउन्ड्री नगर में राधा नगर से विद्या निकेतन होते हुए बीनापुरम-गणेश नगर-संजीव नगर से शोभा नगर होते हुए विद्यापुरम तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र शर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ... ... | 78-79 |
| -जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत नगला चतुरा एवं सिकन्दरपुर के किनारे यमुना नदी पर पुल का निर्णाण कराये जाने विषयक चौ0 हरी सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... ... ... | 79 |
| -जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र में मण्डी समिति (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 2) से नगला बिहारी तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री समीम अहमद आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ... ... | 79 |
| -जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र में कछपुरा मेहताब बाग तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरी मोहन आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... | 79 |
| -उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)... | 79-80 |
| -कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... ... | 80-94 |
| -वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ... | 94-147 |
| -नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 147-150 |
| -बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भारी बारिश, ओला-वृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 150-152 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| -जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत अमवां ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ... ... | 152-154 |
| -जनपद सीतापुर स्थित दुलारी देवी राधेश्याम डिग्री कालेज बरई जलालपुर की मान्यता सम्बन्धी पत्रावली शासन में काफी दिनों से लम्बित होने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ... ... ... | 154 |
| -जनपद कुशीनगर की खड्डा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आई0पी0एल0 शुगर मिल द्वारा कमजोर किसानों की पर्ची रोक कर गन्ना माफियाओं को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 154-156 |
| -जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम तिराह से 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ... | 156 |
| -जनपद वाराणसी स्थित बी0एच0यू0 हास्पिटल में हिमोफीलिया रोगियों की प्राण रक्षक दवा (फैक्टर 8 व 9) न उपलब्ध कराये जाने से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ... | 156 |
| -जनपद हमीरपुर के थाना सिसोलर के ग्राम गठा में दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... | 156-157 |
| -बरेली महानगर घोषित होने के उपरान्त भी बिजली, पानी, सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ... ... ... | 157 |
| -बहराइच स्थित जरवल रोड से नेपालगंज रोड की सड़क पर पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ... ... | 157 |
| -पीलीभीत स्थित पंचायत विलसण्डा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 158-159 |
| -नत्थियां ... ... ... | 160-174 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सोलहवीं विधान सभा

**मंगलवार, दिनांक, 26 फरवरी, 2013**

**(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)**

## उपस्थित सदस्य-329

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
31. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अविनाश, कुशवाहा श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
35. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराजनगर
41. आशीष यादव, श्री — बदायूं
42. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
43. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
44. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
45. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
46. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
47. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
48. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
49. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
50. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
51. उदयराज, श्री — उन्नाव
52. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
54. उमाशंकर, श्री — बलिया

55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. ओमकार सिंह, श्री बदायूँ
57. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
58. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
59. काजिम अली खां उर्फ रामपुर
नवेद मियां, नवाब
60. काली चरन सुमन, श्री आगरा
61. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
62. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
63. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. केशव प्रसाद,(कुशवाहा) कौशाम्बी
मौर्य, श्री
66. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
67. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
68. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
69. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
70. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
71. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी
महराजनगर
72. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा इलाहाबाद
पाण्डेय, श्री
73. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
74. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
75. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
76. गोमती यादव, श्री लखनऊ
77. गोरख पासवान, श्री बलिया
78. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
79. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
90. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
81. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
82. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
83. जगपाल, श्री सहारनपुर
84. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
85. जफर आलम, श्री अलीगढ़
86. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
87. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
88. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
89. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
90. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
91. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
92. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास
नगर (भदोही)
93. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
94. जीतेन्द्र कुमार बस्ती
उर्फ नन्दू चौधरी, श्री
95. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
96. तेज नारायण पाण्डेय फैजाबाद
उर्फ पवन पाण्डेय, श्री
97. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
98. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
99. त्रिलोकी राम, श्री अलीगढ़
100. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
101. दलजीत सिंह, श्री बांदा
101. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
104. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
105. दीपनारायण सिंह झांसी
(दीपक यादव),श्री
106. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
107. देवनरायन उर्फ
जी0 एम0 सिंह, श्री महराजगंज
108. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
109. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
110. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
111. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
112. धर्मराज, श्री बाराबंकी
113. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशीलनगर

114. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
115. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
116. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
119. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
120. नारद राय, श्री बलिया
121. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
122. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
123. नीरज (कुशवाहा) मौर्य,श्री शाहजहांपुर
124. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
125. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
126. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
127. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
128. पीतमराम, श्री पीलीभीत
129. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
130. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
131. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
132. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
133. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
134. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
135. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
136. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
137. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
138. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
139. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
140. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
141. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
142. ''फसीहा मंजर'' ''(गजाला लारी)'', सुश्री देवरिया
143. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
144. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
145. बदलू खां, श्री उन्नाव
146. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
147. बाबू खां, श्री हरदोई
148. बाबूलाल, श्री गोण्डा
149. बावन सिंह, श्री गोण्डा
150. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
151. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
152. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
153. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
154. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
155. बैजनाथ, श्री मऊ
156. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
157. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
158. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
159. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
160. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
161. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
162. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
163. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
164. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर(भदोही)
165. मनबोध, श्री देवरिया
166. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
167. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
168. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
169. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
170. महबूब अली, श्री जे0पी0 नगर
171. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
172. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
173. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
174. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0 नगर

175. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
176. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
177. मानपाल सिंह, श्री काशीरामनगर
178. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
179. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
180. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
181. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
182. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
183. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
184. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
185. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
186. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
187. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
188. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
189. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
190. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
191. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
192. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
193. मौहम्मद युसुफ अंसारी,श्री मुरादाबाद
194. यासर शाह, श्री बहराइच
195. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
196. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
197. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
198. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
199. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
200. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
201. रणजीत सुमन, श्री एटा
202. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
203. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
204. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
205. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
206. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
207. रवि शर्मा, श्री झांसी
208. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
209. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
210. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
211. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
212. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
213. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
214. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
215. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
216. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
217. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
218. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
219. राजेश अग्रवाल, श्री गोरखपुर
220. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
221. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
222. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
223. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
224. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
225. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
226. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
227. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
228. राम करन आर्य, श्री बस्ती
229. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
230. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
231. रामगोविन्द, श्री बलिया
232. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
233. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद

234. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
235. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
236. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
237. राम मगन, श्री बाराबंकी
238. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
239. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
240. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
241. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
242. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
243. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
244. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
245. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
246. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
247. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
248. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
249. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
250. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीरनगर
251. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
252. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
253. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
254. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
255. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
256. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
257. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
258. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
259. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
260. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
261. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
262. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
263. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
264. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
265. विजय सिंह, श्री रामपुर
266. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रूखाबाद
267. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
268. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
269. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
270. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
271. वीरपाल राठी, श्री बागपत
272. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
273. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
274. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
275. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
276. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
277. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
278. शाकिर अली, श्री देवरिया
279. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
280. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
281. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
282. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
283. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
284. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
285. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
286. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
287. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
288. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणासी
289. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
290. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
291. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
292. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
293. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ

294. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
295. संजय कपूर, श्री रामपुर
296. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
297. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
298. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
299. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
300. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
301. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
302. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
303. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
304. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
305. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
306. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
307. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
308. सियाराम सागर, डा0 बरेली
309. सीमा, श्रीमती जौनपुर
310. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
311. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
312. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
313. सुधाकर, श्री मऊ
314. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
315. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
316. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
317. सुब्बाराम, श्री गाजीपुर
318. सभाष पासी, श्री गाजीपुर
319. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
320. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
321. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
323. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
324. सल्तान बेग, श्री बरेली
325. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
326. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
327. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
328. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
329. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
330. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

**नोट** :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

## [ 11.00 बजे ] प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के आर्थिक संकट के समाधान की योजना

**1-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन क्षमता तथा विघुत वितरण व्यवस्था पर पड़ रहा है ? यदि हां, तो आर्थिक संकट के समाधान की सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन आर्थिक संकट से गुजर रहा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन क्षमता तथा विद्युत वितरण व्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

जी हां।

विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कम्पनियों को आर्थिक संकट से निकालने के लिये भारत सरकार द्वारा एक वित्तीय पुनर्गठन योजना दिनांक 08-10-2012 को स्वीकृत की है। इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29-01-2013 को सैद्धांतिक सहमति भेज दी गयी है। योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2012 को बकाया बैंक ऋण रु0 17737 करोड़ तथा 60 दिन से ऊपर अवधि के विद्युत क्रय के बकाये रु0 14558 करोड़ की धनराशि में से कुल रु0 29931 करोड़ की पुनर्गठन योजना में अर्ह है। इस धनराशि का 50 प्रतिशत रु0 14965 करोड़ राज्य सरकार द्वारा ग्रहण करके बैंकों के पक्ष में शासकीय बॉण्ड जारी किये जायेंगे। इन बॉण्ड का व्याज सहित पुनर्भुगतान राज्य सरकार करेगी। अवशेष दायित्व रु0 14965 करोड़ का निस्तारण वितरण कम्पनियों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर किया जायेगा जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जानी होगी :-

1-विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा बैकों की सहमति से एक वित्तीय पुनर्गठन योजना तैयार की जायेगी जिस पर राज्य सरकार एवं उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2-राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को पूर्व में दिये गये ऋण एवं ब्याज रु0 1719 करोड़ को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जायेगा अथवा ऋण के भुगतान की अवधि बढ़ायी जाये।

3-लाइन हानियों में कमी एवं वसूली बढ़ा कर तथा बिजली की दरों में वृद्धि करके अगले 05 वर्षों में औसत आपूर्ति लागत तथा औसत प्रति यूनिट राजस्व प्राप्ति का अंतर समाप्त करना होगा।

4- वितरण कम्पनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बिजली की दरें पुनरीक्षण करने के लिये विद्युत नियामक आयोग को याचिका दाखिल की जायेगी।

5- ईंधन लागत समायोजन की व्यवस्था लागू की जायेगी।

6-यदि वित्तीय पुनर्गठन योजना में दिखाये गये घाटे से अधिक घाटा होता है तो अंतर की धनराशि की प्रतिपूर्ति अंशपूंजी अथवा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

7-विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा कृषि आपूर्ति अथवा अनुदान आधारित अन्य आपूर्ति की भरपाई फीडर/ट्रांसफार्मर पर आधारित मीटर रीडिंग के आधार पर की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान का भुगतान अग्रिम के रूप में किया जायेगा तथा टैरिफ अनुमोदन के समय अनुमन्य अनुदान को वार्षिक राजस्व आवश्यकता से घटाकर टैरिफ का निर्धारण किया जाये।

8-वित्तीय पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

**इस योजना को लागू करने से निम्न लाभ होंगे :-**

1-05 वर्ष की अवधि में विद्युत आपूर्ति की औसत लागत तथा प्रति यूनिट औसत वसूली का अंतर समाप्त हो जाने से वितरण कम्पनियों में घाटे की स्थिति समाप्त हो जायेगी।

2-प्रत्येक वर्ष टैरिफ रिवीजन करने का प्राविधान होने के कारण आपूर्ति लागत एवं बिजली की दरों में सामंजस्य रखना संभव हो सकेगा।

3-विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान के आधार पर कम दरों पर बिजली आपूर्ति करने के कारण होने वाली क्षति की वसूली हो सकेगी।

4-जब तक औसत आपूर्ति लागत एवं औसत वसूली प्रति यूनिट बराबर नहीं होती तब तक अगले पांच वर्ष की अवधि में बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय पुनर्गठन योजना के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

इस योजना को लागू करने से वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा तथा विद्युत उत्पादन एवं पारेषण कम्पनी को उनकी बिलों का भुगतान करना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

जिनको उत्तर देना है उनको पहले बुला लीजिए। जिन्होंने तैयारी की होगी वह नहीं आए, कभी-कभी मंत्री जी लेट हो जाते हैं और लेट होना स्वाभाविक भी है ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी समय से पहले आ गए यह उनका बड़प्पन है।

श्री अखिलेश यादव-

मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष-

विद्युत मंत्री तो मुख्य मंत्री जी हैं। यह अपनी सुविधा के लिए उन्हें अधिकृत किए हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आपकी परेशानी भी समझता हूँ और उनकी परेशानी भी समझता हूँ मैं प्रश्न किए देता हूँ। (हँसी)

मान्यवर, उत्तर बहुत बड़ा हैं। समाधान कैसे करने जा रहे हैं ? उसका उल्लेख इन्होंने किया है। केन्द्र सरकार की नीति और उसकी स्वीकृति, प्रदेश सरकार द्वारा और किस प्रकार से विद्युत परिषद् को सहायता करने की योजना है, उसका उल्लेख किया है ? इसमें एक बात निहित है और वह हो जाती तो अच्छा रहता। यह नुकसान में क्यों है आखिर ? यह नहीं आया है। यह पहले सरकार का वर्जन आ जाए, सरकार ने केवल यह कहा कि 31 हजार करोड़ का नुकसान है। 31 हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करने जा रही है ? सरकार उसका अनुदान दे रही है। अंशपूँजी में जो कर्जा दिया है उसको परिवर्तित कर रहीं है सब्सिडी भी दे रही है और बैंकों से, मान्यवर दो भाग इसके हैं, एक भाग वह है, जहाँ हम गारन्टी देंगे प्रदेश सरकार के रूप में और दूसरा भाग वह है जहां कारपोरेशन अपने आप पैसे का बन्दोबस्त स्वयं करेगा विभिन्न बैंको से एप्रोच करके, यह दोनों बाते हैं लेकिन जब तक कारण न आए कि विद्युत परिषद् इतने बड़े नुकसान में क्यों है क्योंकि मा0 अध्यक्ष जी यह काम पहले भी हो चुके हैं। 2003-2004 में 17000 करोड़ के करीब अनुदान दिया गया है और 2009 में भी सब्सिडी दी गई। अगर सब्सिड़ी और अनुदान से मामला हल हो गया होता तो यह दिक्कत न आती। 12 हजार 270 करोड़ का कर्जा इनका पहले माफ किया गया। दो हजार करोड़ की सब्सिडी दी, 2009 में यह दी, सब्सिडी देने से और कर्जा माफ कर देने से विद्युत परिषद् काम नहीं कर पाएगीं। जब तक हम कारणों पर नहीं जाएंगे। किन कारणों से नुकसान है उन कारणों को दूर करने की क्या योजना है ? यह सवाल है मेरा।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता हुकुम सिंह जी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिजली का संकट, बिजली न उपलब्ध होना और तमाम जो संकट आते हैं, जब बिजली उपलब्ध नहीं होती है तब। अभी वह समय और मौसम नहीं है जब ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं। बिजली विभाग में बहुत बड़ा संकट पैदा करके गई है पुरानी सरकार, जो पाँच साल रही है।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

आज के दिन जब मैं सदन में बोल रहा हूँ स्थिति ऐसी है जो संकट आया है उसकी वजह से एन0टी0पी0 का पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। जो प्राइवेट बिजली बना रहे हैं उनका पैसा नहीं दे पा रही है और कारण यही है कि हम बिजली मंहगी खरीद रहे हैं और उसको उपलब्ध करा रहे हैं सस्ता, तो जो गैप है सरकार के ऊपर, वह गैप आता जा रहा है और उस गैप के पीछे इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है। जो 29 हजार करोड़ का था और इसमें सही फैसले नहीं लिए गए और लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, तमाम चीजों को नहीं सुधारा गया तो यह घाटा बढ़ता चला जायेगा और स्थिति ऐसी भी आ सकती है, अगर सुधार नहीं आया तो सरकार पैसा नहीं दे पायेगी तो 29 हजार करोड़ का कर्जा तो दे गयी पुरानी सरकार और जब से समाजवादी सरकार आई है, हम लोगों ने लगातार फैसले लेना

शुरू किया है कि कैसे इसमें सुधार आए। मान लीजिए, लखनऊ राजधानी है, इसमें डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा का घाटा है और जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि कारण क्या है ? कारण डिस्ट्रीब्यूशन है और वितरण में जो लॉस है, वह बहुत बड़े पैमाने पर है, ट्रांसमिशन में लॉस है, इसको सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। जो वेस्टर्न यू0पी0 है, वहाँ पर काम शुरू कर दिया है, फीडर का, डेढ़ हजार करोड़ का काम शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से बजट भाषण में भी मैं बोलूँगा, नए सब-स्टेशन बनेंगे। समय से बिजली दे सकें और बिना रुकावट के बिजली दे सकें। इस ओर सरकार कदम उठा रही है। लगातार काम करने पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, ट्रान्समिशन लॉस है और जो चोरी है और विभाग में जो गड़बड़ियाँ उन पर रोकथाम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे अधिकारियों पर लगातार कार्यवाही चल रही है। सुधार आयेगा और जो संकट बना है, उससे उबरना पड़ेगा। इसका हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है और केन्द्र सरकार से जो सुविधा मिल रही है। सरकार उसका लाभ उठा रही है, जिससे बिजली के संकट से हम लोग बाहर निकल सकें। यदि बिजली की व्यवस्था ठीक हो गयी तो जो भी हमारी योजनाएँ हैं, उससे कई गुना ज्यादा लाभ हमें मिलेगा और किसान की खुशहाली भी इसी से है। समय पर हम लोग बिजली दे दें, बिना रुकावट के दे दें। किसान को पता हो कि इतने घण्टे बिजली हम देंगे और इस समय से इस समय तक बिजली देंगे तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जाने में हम लोग कामयाब होंगे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कारणों का उल्लेख किया, कुछ कारण रह गए। कुछ और भी ज्यादा कारण हैं, शायद वह आपके सामने नहीं आए। मेरे पास जो सूचना है, जो देनदारी बिजली बोर्ड की है, वह केवल 29 हजार करोड़ रुपये की नहीं है, यह 53 हजार करोड़ के करीब है, यह फीगर मैं निकाल करके लाया हूँ। मान्यवर, इसके अलावा जो स्थिति हमारे यहाँ है प्रदेश में, सारे देश के औसत से कम बिजली हमें मिल रही है। अगर मैं किसानों की बात करूँ या गाँव की बात करूँ या व्यक्ति की बात करूँ, 348 केडब्लूएच प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, बिजली की जबकि देश का औसत 729 का है। वहाँ भी हम लोग मात खा गए और इसके अलावा मान्यवर, जो गाँव में स्थिति है, गाँव की हमारी 28 प्रतिशत जनसंख्या ही बिजली के प्रकाश का आनन्द ले रही है, जबकि देश का औसत 60 प्रतिशत है। इसके अलावा जो कारण आपने बताये, वह आप दूर कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएँ हैं कि उन्हें करने में आप सफल हों। एक सबसे बड़ा कारण यह है, मान्यवर, स्टोर हमारा अरबों रुपये का है, ट्रान्सफार्मर भेजे जाते हैं और सामान भेजा जाता है, क्या आप इस बात को दूर कर पायेंगे, आपका जो हेड क्वार्टर बना हुआ है, बड़ी इमारत है, जिस पर शक्ति भवन लिखा हुआ है, वहाँ का 12 से 15 प्रतिशत का कमीशन है। जब अकेले वहाँ पर 15 परसेण्ट कमीशन चला जायेगा तो आप लॉस के कारण ढूँढते रहिए, पूरा नहीं हो पायेंगे। उसके बाद आपका स्टोर आता है, फिर नीचे वाले अधिकारी आते हैं, 25 प्रतिशत कमीशन है। यदि 25 प्रतिशत कमीशन जायेगा और उसकी रुकावट नहीं होगी तो आप कितने भी प्रयास लाइन लॉसेस को दूर करने के कर लें, हम धरातल पर नहीं आ पायेंगे। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुझाव भी हैं, मान्यवर, सबकी जानकारी में है जो ट्रांसफार्मर आते हैं, 100 का ट्रांन्सफार्मर होगा और अन्दर 63 का होगा, अन्दर

100 का लोड वह संभाल नहीं पायेगा, लगते ही वह जल जायेगा। 250 का होगा, अन्दर 100 का होगा, जाते ही जलेगा, जब यह स्थिति है चाहे वह गाँव में जा रहे हैं या शहरों में जा रहे हैं, दो दिन भी नहीं चलते तो इससे हमारा अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है ? इसमें मेरा सुझाव है, यदि आप कर सकें तो कर दीजिए। थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन आप क्यों नहीं कराते हैं ? जितना भी सामान हमारा आता है, बजाय हमारे विभाग के अधिकारी उसकी जाँच करें,। तीसरी पार्टी को आप लगायें, भले ही हमें उनको पैसा देना पड़े, उनसे आप जाँच करायें। यह देख लें कि माल अधोमानक तो नहीं है। हमारी मांग के अनुरूप है या नहीं। रेलवे यह कर रही है। उन्होंने राइट को यह काम दिया हुआ है। उनको खर्चा देते हैं। आज उन लोगों का नुकसान काफी कम हो गया है। हमारा नहीं हो पाया है। हम लोग गाँव से आते हैं। माननीय विधायक देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर आज लगा है कल जल रहा है कल लगा है परसों जल रहा है। मान्यवर, एक अधिकारी ने कोशिश की थी ट्रांसफार्मर लाबी इतनी मजबूत है उसको भी हटा दिया। तो अधिकारी के बस की यह बात तो है नहीं। यह नीतिगत मामला है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें मजबूती के साथ निर्णय लें कि केवल अधिकारियों के आधार पर इसका निरीक्षण नहीं होगा जितना माल खरीदा जाएगा या जितना माल रिप्लेस होगा उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की क्या आप कोई योजना बनायेंगे ?

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हम लोग सत्र में थे और जब बात बिजली की हुयी थी तो माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि हमारी सरकार ने सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि जिस क्वालिटी के ट्रांसफार्मर होने चाहिए उस क्वालिटी के ट्रांसफार्मर नहीं हैं। कुछ बातों से हम लोग सहमत हैं कि जो कैपिसिटी थी मान लीजिए ट्रांसफार्मर में होना चाहिए कापर या उसमें पर्याप्त तेल अच्छी क्वालिटी का तेल होना चाहिए तो जब उसके अन्दर तेल और कॉपर नहीं होगा और ट्रांसफार्मर के जो स्पेसिफिकेशन हैं उन स्पेसिफिकेशन के साथ तेल नहीं होगा तो यह स्थिति आएगी कि ट्रांसफार्मर फुंक जाएगा। मुझे याद है मैंने कुछ जिलों का पता करवाया था कि कितने जिलों में ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं। तो पाया गया कि गोरखपुर में ही एक महीने में 1200 ट्रांसफार्मर फुंक गये हैं। लखनऊ में भी संख्या बड़ी थी। अभी तो मौसम सर्दी का है तो उतना लोड नहीं है। जब से गैस महंगी हो गयी है तो कुछ लोग हीटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके कारण भी लोड बढ़ रहा है। ट्रांसफार्मर और अच्छे हों। अच्छे ट्रांसफार्मर की खरीद होगी। जो बिन्दु आपने उठाया कि कुछ चलता था तो चलने वाले हमारे सामने बैठे हैं। इसलिए बिजली पर वह नहीं बोल रहे हैं कि बिजली विभाग को अगर सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो इनकी सरकार ने बर्बाद किया है। शुरुआत अच्छे की कर देते तो हम लोग और बेहतर करते चले जाते लेकिन जिस हालत में मिली उसमें हम लोग और सुधार ला रहे है। अच्छे ट्रांसफार्मर भी खरीदेंगे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी अगर करना होगा तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सरकार करेगी और कुछ जगह थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर भी रही है। आगरा का सवाल उठा था कि आगरा का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए तो वहाँ पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो रहा है। ट्रांसर्फामर अच्छे खरीदेंगे, स्पेसिफिकेशन के होंगे, अच्छी क्वालिटी के होगें और जो भी कारण मा0 हुकुम सिंह जी ने बतायें कि इतना कमीशन चलता है हमारी जानकारी में तो नहीं है अगर कोई दे आया होगा तो वह आपसे जरूर मिला होगा उसे हमारी तरफ भी भेज दो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आलोचना के लिए आलोचना नहीं करता। मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने इस बात को समझा। लेकिन एक इशारा आपने किया कि वह कमीशन दे आया होगा और हमसे मिला होगा। दरअसल आप लोग आमने-सामने बैठे हुए हैं। वह आपसे मिला या इनसे मिला हमें जानकारी नहीं है। हम तो काफी दिन से यहाँ बैठे हुए है। मेरा सवाल यह है कि एक पक्ष तो आ गया कि कमीशनखोरी को बंद करने का प्रयास होगा दूसरा पक्ष यह है कि जो बड़े बकायेदार हैं जिनके कद आर्थिक राजनैतिक रूप से बहुत ऊँचे हैं। उनसे वसूली न होकर छोटे बकायेदारों पर तो आपकी पुलिस और आपका विभाग भी हावी है। मैंने पहले यह प्रश्न उठाया था कि करोड़ों-करोड़ों रुपये के बकायेदार हैं और वह बकायेदार हमेशा सत्तापक्ष में ही होते हैं पहले यहाँ थे अब वहाँ चले गये। अब जब इधर चले गये तो इनका दबाव बनना शुरू हो गया। पहले यहाँ दबाव था तो किसी की कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक करोड़ से ऊपर के प्रदेश में जितने बकायेदार हैं उनकी सूची बनवाकर क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी ? कि अगर कोई केस पेण्डिंग है तो उसकी पूरी पैरवी की जाय और अगर नहीं पेण्डिंग है तो उन लोगें से वसूला जाय बजाय किसानों, मजदूरों से, उनके ऊपर तो 500 रुपये, 700 रुपये, 5000, 10000 रुपये के ऊपर दबाव बनता है। जो एक करोड़ या इससे ऊपर के बकायेदार हैं, उनसे सरकार प्राथमिकता के आधार पर वसूली की कार्यवाही करेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष, महोदय, आर्थिक संकट से तभी बाहर निकलेंगे, जब बकायेदारों का पैसा सरकार तक पहुँच जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से बहुत छोटा सा प्रश्न करूँगा कि मई, 2007 तक विद्युत उत्पादन कितना था और 15 मार्च, 2012 तक यानी जब आप शपथ लिये उसके बाद, आपका कुल कितना विद्युत उत्पादन था, उत्तर प्रदेश में और मई, 2007 में कितना था, दोनों का अन्तर बता दें ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह जो प्रश्न किया है मा0 नेता विरोधी दल ने, यह इससे सम्बन्धित नहीं है, लेकिन मा0 सदस्य को यह लग रहा होगा कि जो उत्पादन बढ़ा है इन वर्षों में इनकी सरकार की देन है। लैन्कों का कारखाना जो बिजली का लगा, वह समाजवादी सरकार में लगा रिलायन्स का जो लगा वह समाजवादी सरकार में लगा और कोजेनरेशन से जो भी बिजली उत्पादन बढ़ा वह भी समाजवादी सरकार में बढ़ा। अगर आपकी सरकार में कोई बिजली बनाने का कारखाना लग गया हो और बिजली उत्पादन कर रहा हो, वह मुझे बता दो आप।

# नत्थी 'ख'

## तारांकित प्रश्न

### प्रदेश के कृषकों को वैट मुक्त डीजल उपलब्ध कराने की मांग

*1-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को कृषि हेतु डीजल खरीदते समय वैट मुक्त डीजल उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री फरीद महफूज किदवई)-

जी नहीं।

राज्य की वित्तीय आवश्यकता एवं सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत डीजल पर कर की दर युक्तिसंगत रूप से निर्धारित की गई है।

(मा0 मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ने पर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई अनुपूरक नहीं, अब मैंने तारांकित प्रश्न संख्या-01 को ले लिया है। अब आप बैठ जाये। मैं खुद आपके क्षेत्र से लौट कर आया हूँ, मुझे पता है। मा0 सदस्य आपका सवाल नहीं स्वीकार है, इसलिए उसका उत्तर नहीं मिलेगा, आप बैठिये। इनका लिखा नहीं जायेगा। जब यह प्रश्न स्वीकार नहीं है, तो आप बैठ जाए। आप अपना सवाल लगा दीजिएगा, उसका उत्तर आ जायेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, विधायक निधि से और सांसद निधि से जो ट्रांसफार्मर खरीदने की बात थी,

श्री अध्यक्ष-

आप इसके लिए वही सी0डी0ओ0 से बात करियेगा, यहाँ पर नहीं, अब आप बैठिये। अब आप विधान सभा को डिस्टर्ब न करें। मा0 नेता कांग्रेस पार्टी आप इनको समझायें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, बहुत जरूरी प्रश्न है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के मना करने के बावजूद भी मा0 सदस्य, अपनी बात कहते रहे, लेकिन माईक आफ होने के कारण उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं दी।)

श्री अध्यक्ष-

नहीं जरूरी है, आप बैठिये। आप नहीं बैठेंगे, तो फिर हम कार्यवाही शुरू करेंगे। यह क्या सवाल है कि विधायक निधि से खरीदेंगे, आप बैठिये। मैं जानता हूँ, आपकी विधायक निधि, अभी मैं

परसों आपके क्षेत्र में था, घूम कर आया हूँ, आप बैठिये। मा0 नेता कांग्रेस आपको अपने मा0 सदस्य को, जब इससे सवाल नहीं बनता है, तो ऐसे लोगों को आपको कम से कम समझा कर रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

संस्थागत वित्त मंत्री जी आप तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर पढ़ दें।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने उत्तर पढ़ दिया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 उपेन्द्र तिवारी जी, आप अनुपूरक पूछिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, शोर में उत्तर सुनाई नहीं दिया, इसलिए उत्तर हम लोग दोबारा सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास कापी होगी, उसे पढ़ लें, मा0 मंत्री जी उसी को पढ़ेगें, जो आपके पास उत्तर है, इसलिए इसको क्यों बार-बार पढ़ा रहे हैं। आप जब अनुपूरक पूछेंगे, तब मा0 मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, क्या सरकार प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को डीजल पर टैक्स में छूट या सब्सिडी कार्ड देने पर विचार करेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, जो बजट पेश हुआ है उसमें सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले किसान है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों को प्राथमिकता देंगे। बजट भाषण पहले पन्ने से किसानों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। कार्य से प्रदर्शित हो रहा है लेकिन काम से नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब डीजल का मूल्य बढ़ा था तो पड़ोसी सरकार बिहार ने डीजल में प्रति लीटर किसानों के लिए जोत बही के आधार पर प्रति लीटर 15 रुपये सब्सिडी देने का काम बिहार सरकार किसानों के लिए किया था, 15 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दी थी और जो बही के आधार पर किसानों के खातों में पैसा पहुँच गया था तो हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या जो किसानों की हितैषी सरकार है, क्या सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों को डीजल पर टैक्स में या सब्सिडी कार्ड बना करके कुछ इस तरीके की छूट देगी ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हो गया सवाल आ गया।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि चाहे अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो।

श्री अध्यक्ष-

अरे, आपने सवाल कर लिया। अब उत्तर आने दो न, उसमें भाषण नहीं होता है, अनुपूरक पूछा जाता है। मा0 मंत्री जी, इनका कहना है कि क्या बिहार की तरह आप अपने यहाँ भी करेंगे।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, इस समय भी पूरे देश में 13 से ज्यादा ऐसे प्रदेश हैं, जहाँ से हमारी दरें कम हैं। छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, राजस्थान, गोवा, झारखण्ड, उड़ीसा, इनमें आज भी हमसे ज्यादा दरें हैं।

(कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप लोग उत्तर सुनिए, संयमित रहिए।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, दिल्ली में 12.5 प्रतिशत है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुकाबले में खेती कम होती है। बाकी 2009 से डीजल की दरें लगातार बढ़ती गई हैं लेकिन हमने अपनी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। मान्यवर, इसलिए हमारे जो संसाधन हैं, उनमें किसी भी किस्म की कमी सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसमें सब उत्तर आ गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

जो न आया हो, वह आप पूछ लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूँ और आपको भी लगेगा कि नहीं आया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि डीजल का उपयोग कृषि कार्य के लिए भी होता है और उद्योगों के लिए भी होता है। उद्योगों पर वैट 5 परेसण्ट है और कृषि कार्यों पर वैट 17.23 परसेण्ट है। पहले उद्योगों पर वैट 21 परसेण्ट था। सरकार ने उद्योगों में लगने वाले डीजल का वैट 21 परसेण्ट से घटा करके 5 परसेण्ट कर दिया और कृषि पर नहीं घटाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण था कि उद्योग-धन्धों में जो डीजल प्रयोग होता था, उसके वैट में 21 परसेण्ट से कमी करके 5 परसेण्ट कर दी गई और 16 परसेण्ट घटाया गया है ? क्या कारण है कि यह सरकार कृषि जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए डीजल पर वैट नहीं हटाना चाहती है। मेरा सवाल स्पेशफिक है।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, इस समय जो हमें राजस्व प्राप्त हो रहा है वह डीजल से लगभग 13 परसेण्ट है। जो हमारा टोटल राजस्व आ रहा है, उसमें सिर्फ डीजल के जरिये ही 13 परसेण्ट आ रहा है यानी कि डीजल के लिये 1/8 भाग है तो मान्यवर, ऐसे में कोई कमी इस समय जो हमारे वित्तीय संसाधन हैं और जो हमारी आवश्यकताएँ हैं उसमें कोई कमी सम्भव नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, सवाल कहीं और का है, जवाब कहीं और का है। मेरा प्रश्न बहुत साफ है।

श्री अध्यक्ष-

आपने सवाल किया कि उद्योग धन्धों में 21 परसेण्ट लगता था, 16 माफ करके 5 कर दिया गया तो क्या कृषि पर भी किया जाएगा, उन्होंने कहा कि मेरी आय का स्रोत यह है और यह हमारे राजस्व का 13 परसेण्ट है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आपके मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह तर्कसंगत नहीं है। उद्योग धंधों पर जो डीजल पर वैट घटाया गया उसके दो आधार दिए गए, सिर्फ दो आधार दिए गए। 2008 में घटाया गया

इनके शासन काल में नहीं घटाया गया। आधार यह दिया गया कि एक इससे उत्पादन की लागत बढ़ती जायेगी और दूसरा यह कि प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कम है। इस नाते मजबूरी है। सवाल यह है कि जो डीजल हम कृषि में प्रयोग करते हैं, वह भी तो कॉस्ट है वह भी तो खेती की लागत बढ़ा रही है। आखिर 60 प्रतिशत नागरिक जो डीजल का उपयोग कर रहे हैं। हम इनके उत्पादन को महँगा करके सारी महँगाई को देश में बढ़ा रहे हैं। उद्योग धंधों की लागत को तो हमने बढ़ा दिया आखिर हम क्यों नहीं चाहते हैं कि कृषि की लागत बढ़े। हम कृषि के क्षेत्र में डीजल को सस्ता करके उसकी लागत को क्यों नहीं कम करना चाहते ? सरकार यह जवाब दे।

श्री फरीद महफूज किदवई-

जैसा मैंने बताया कि जो इस समय हमारे वित्तीय संसाधन हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कमी संभव नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सीधा सवाल किया गया और आपने क्या कहा, कम से कम तैयारी तो कर लेते। सवाल यह है कि आपने उद्योगों पर तो लगा दिया 16 प्रतिशत और खेती पर वैट घटाने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ कारण हो तो इसका। वो जो आप बता रहे हैं, वह हमने सुन लिया है मान्यवर, बस अब इसका कारण बता दें।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बता दिया हमारी राजस्व की आय 13 प्रतिशत इससे होती है,

श्री हुकुम सिंह-

आर्थिक संकट जो भी है तब भी आता। उन पर अगर न घटाते तो आपकी आय बढ़ती। आपने आय कम किया आपने घटा दिया। किसानों पर क्यों नहीं घटा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं। हो गया है अब आपका जवाब आ गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जवाब तो दिला दीजिए। मान्यवर, अगर इस सवाल का जवाब इस तरह का आएगा 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है उत्तर प्रदेश में। हम तो बैठ जाएंगे, जब आपका आदेश होगा, लेकिन यह बैठने का सवाल नहीं है यह सवाल मौलिक है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ है। या तो आप साफ उत्तर दें वरना हमारा यहाँ बैठना बेकार हो जाएगा। मान्यवर, साफ उत्तर दें, यह कोई संसाधनों वाला मामला तो है नहीं संसाधनों वाला मामला तो उद्योगों के साथ जुड़ा था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी आप वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं, कोई पद तो आपसे बाकी नहीं रहा है, अब मंत्री जी ने कह दिया कि मेरी आय का स्रोत 13 प्रतिशत इसी से है, हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम यह कर सकें। इतना सफिसिंएट है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता, दूसरी सरकार ने यह बढ़ाया था जिसको खेती में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यह तो किसानों की सरकार कहते हैं। किसानों

की सरकार आई है यह कहते हैं तो इस विरोधाभास को कम करना चाहिए था। खत्म करना चाहिए था। हम इनसे यह उम्मीद करते थे, बढ़ाया पहले की सरकार ने, उद्योगों पर कम किया उन्होंने, खेती पर नहीं घटाया, खेती से उनका कोई लेना-देना था नहीं आपका लेना-देना है। कम से कम आप यही कर दें कि उस पर विचार कर लेंगे हम। कम से कम कुछ तो कहा जाए मान्यवर।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जवाब तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

अगर वह जवाब देना चाहते हैं तो दें, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

इतना महँगा करेंगे अनाज उत्तर प्रदेश में। हम 40 प्रतिशत गेहूँ पैदा करते हैं, 40 प्रतिशत गन्ना पैदा करते हैं। 42 परसेन्ट आलू पैदा करते हैं। सब कुछ महँगा कर देंगे, सस्ता तो करना चाहिए। अगर उद्योगों के लिए सस्ता दिया है तो उसको भी सस्ता करना चाहिए। मा0 मंत्री जी, कम से कम इतना आश्वासन दें कि हम विचार करेंगे। अध्यक्ष जी आप कह दीजिए आप ही मना करेंगे तब तो हो गया, उन्हीं को मना करने दीजिए।

(भाजपा के कई मा0 सदस्य के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बैठ जाएं। मा0 उपेन्द्र तिवारी जी आप बैठ जाएं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मा0 हुकुम सिंह जी हमारे वरिष्ठतम सदस्यों में से और वह अच्छी तरह जानते हैं कि सपा सरकार में वैट के सिलसिले में क्या नीति रखी है ? गत सरकारों में वैट लागू न करने वाली सरकारों में समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार ही रही है, व्यापारियों का मामला हो या किसानों का। व्यापारियों के बारे में हमेशा यह कहा जाता रहा है कि ये समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं होते हैं, किसके होते हैं इससे कोई मतलब नहीं लेकिन आम तौर पर यह कहा जाता रहा है। इसके बावजूद व्यापारियों को जितनी ज्यादा-से-ज्यादा वैट के सम्बन्ध में, संसेक्स के मामले में, उनके सम्मान के मामले में जितनी राहत सरकार देती रही, उसके गवाह आप भी हैं। डीजल पर वैट का किसानों के लिए कम न होना। मान्यवर, और अधिक कम न होना या समाप्त होना, यह प्रश्न जरूर बहस का हो सकता है, लेकिन आप सरकार में रह चुके हैं, आपको सरकार की मजबूरियों का अंदाजा है कि सरकार के आमदनी के स्रोत क्या होते हैं ? सरकार किसानों के लिए, उनके बच्चों के लिए उनके शिक्षा के लिए, उनके खुशहाली के लिए, उनके साथ कोई हादसा हो जाय, तो उसमें मदद के लिए उसका इस्तेमाल किस तरह से करती है इसका आपको अंदाजा है। यह सरकारी खजाना आसमान से तो नहीं आयेगा, कहीं से न कहीं से तो खजाना आयेगा ही। आपका सवाल सोचने के काबिल है। आज सरकार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि फौरी तौर पर कोई राहत दे सके इसकी सम्भावना कम है। यह किसानों की हितैसी सरकार है और जाहिर तौर पर इस तरफ जो माननीय सदस्यगण बैठे हैं वह किसानों के सहयोग से ही चुनकर बैठे हैं और यहां आये हैं। जितने सदस्य यहां पर इधर बैठे हैं जिनका बहुमत है वह किसनों के सहयोग से चुनकर आये हैं। यह किसानों की सरकार है और उनके बारे में जितना अच्छा सोचा जा सकेगा, सोचा जायेगा।

## प्रदेश में संचयन भू-गर्भ जल रिचार्ज एवं जल संचय की योजना के निर्देश

*2-श्री मनीष असीजा-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आने वाली वर्षा ऋतु में प्रदेश की सभी छोटी बड़ी नदियों के बढ़े हुए जल स्तर को इससे सटे हुए खादर/दरें/रिंवाइंस में ''जल संचय'' कर प्रदेश के घटते भू-गर्भ जल स्तर सुधार हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

आने वाली वर्षा ऋतु में प्रदेश की सभी छोटी बड़ी नदियों के बढ़े हुए जल स्तर को इससे सटे हुए खादर/दर्रे/रिंवाइस में ''जल संचय'' करने के कोई पृथक योजना विचाराधीन नहीं है। किन्तु घटते भूजल स्तर में सुधार हेतु प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के अनुसार वर्षा जल संचयन एवं भूजल सम्वर्धन की समेकित कार्य योजनाएँ तैयार कर उसे लागू करने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में प्रदेश के 36 जनपदों में अवस्थित 108 संकटग्रस्त विकास खण्डों (जिनमें 76 अतिदोहित एवं 32 क्रिटिकल विकास खण्ड सम्मिलित हैं में गिरते भूजल स्तर की समस्या के निदान व भूजल उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश दिनांक 06 जून, 2012 द्वारा उक्त विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन, भू-गर्भ जल रिचार्ज एवं जल संरक्षण की योजना तैयार कर कियान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, नदियों के किनारे जो सटे हुए खादर/दर्रे/रिवाइंस हैं वह प्रकृति की सौगात हैं। जे0बी0सी0 से या मनरेगा योजना अन्तर्गत खुदाई का कार्य किया जाता है, तो वह रिवाइंस में स्वतः पानी/मिट्टी चली जाती है। मान्यवर वहां पर प्रत्येक वर्ष जब बारिश के पानी से नदियों का जल-स्तर बढ़ता है तो वह रिवाइंस में स्वतः चला जाता है। इस प्रकार वर्षा जल-संचयन प्राकृतिक चीज है। कच्चे या आधे कच्चे चेक डेम को चैनलाइज्ड करके पानी का संचयन कर सकते हैं। जो वर्षा का पानी होता है, जो पानी रिवांइस में जायेगा वह लौटकर नहीं आयेगा, चाहे वह एक मीटर का हो या दो मीटर का हो, मान्यवर, चेकडेम और जगह भी बन सकता है और उससे वर्षा-जल का संचयन हो सकता है। मान्यवर, उत्तर में बताया गया है कि वर्तमान में प्रदेश के 36 जनपदों में अवस्थित 108 संकटग्रस्त विकास खण्डों (जिनमें 76 अतिदोहित एवं 32 क्रिटिकल विकास खण्ड सम्मिलित हैं) में गिरते भू-जल स्तर की समस्या के निदान व भू-जल उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मान्यवर इसमें मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश का भी उल्लेख किया गया है। इस शासनादेश के क्रम में पिछले लगभग एक वर्ष से आप विभाग को सम्भाल रहे हैं, कितने जिलों से इस प्रकार की योजना तैयार होकर आयी है या उन पर काम चल रहा है ?

श्री राज किशोर सिंह-

मान्यवर, एक जल-संचयन की नीति बनाई गयी है। आगामी कैबिनेट मीटिंग में उस पर विचार होने की सम्भावना है। जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि उनकी जनपद की भौगोलिक

स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, आप प्रोजेक्ट तैयार करके शासन को उपलब्ध करायें। उस प्रोजेक्ट से यह पता चल जायेगा कि उनके यहां क्या दिक्कतें हैं फिर स्टीमेट के अनुसार उस पर कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, इस नीति के अनुसार जहाँ भी जरूरी होगा हम कार्यवाही करेंगे।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितने जनपदों से यह योजना बनकर आयी है। अगर नहीं आयी है तो यह चिंता का विषय है कि यह प्रोजेक्ट बनकर क्यों नहीं आ रहे हैं ? जब कि आपकी समग्र नीति है और शासनादेश भी 18.02.2013 को लागू हो गया है। नीतियां लागू हो रही हैं लेकिन धरातल पर यह काम नहीं हो पा रहा है मैं इसमें आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री राज किशोर सिंह -

मान्यवर, 31 मार्च, 2013 तक सारे प्रोजेक्ट बनकर यहाँ आ जायेंगे, जो नीतियां हमारी बनी हैं उसके बाद हम इसका कम्पलायन्स करेंगे।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, 2012 का जो शासनादेश है मैं उसके नाते पूछ रहा हूँ।

श्री राज किशोर सिंह-

वह आप पुराने शासनादेश की बात न करें अभी शासनादेश विभाग ने जो अपने स्तर से जारी किया है।

(श्री मनीष असीजा के अपने स्थान पर खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बैठ जायं पहले जवाब तो आ जाय।

श्री राज किशोर सिंह-

पहले आप बैठें तो।

मान्यवर, अभी जो हमने नई नीति बनाई है हम पुरानी नीति की बात नहीं कर रहे है। अभी जो नई नीति बनाई है जिसका कैबिनेट डिसीजन हुआ है उसके बारे में जिलाधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक सारे जगहों से इसके प्रोजेक्ट बनकर आ जायें।

**प्रदेश में कृषि उपकरणों को वैट मुक्त किये जाने की मांग**

*3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने तथा किसानों की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या सरकार कृषि उपकरणों पर से वैट समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-एक (कर मुक्त वस्तुओं की सूची) के क्रम संख्या 1 की प्रविष्ट में कृषि उपकरण करमुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या 3 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री मुकेश श्रीवास्तव जी नहीं हैं मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

**प्रदेश में गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को रोकने की कारगर नीति**

*4-श्री सतीश महाना-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु सरकार कोई स्थायी एवं कारगर नीति बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हाँ, प्रदेश में गिरते हुए भूगर्भ जल स्तर की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु ''समग्र नीति'' तैयार की गयी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूजल संसाधनों के समेकित विकास एवं विवेकयुक्त उपयोग के साथ प्रभावी प्रबन्धन व संरक्षण किया जाना है।

समग्र भूजल नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है:-

* समग्र भूजल प्रबन्धन के उद्देश्य से एक्यूफर मैंपिग एवं एक्यूफर प्रबन्धन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रदेश में प्राथमिकता पर लागू किया जायेगा।
* भूजल दोहन में प्रभावी कमी लाने के उद्देश्य से जल उपयोग की कुशल तकनीकों (स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप प्रणाली) को वृहद स्तर पर प्रोत्साहित किया जायेगा।
* संकटग्रस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रिचार्ज की समग्र और समेकित कार्य योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित की जायेगी।
* रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के प्राविधानों को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु प्रवर्तन एवं अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था लागू की जायेगी।
* शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल दोहन के नियन्त्रण एवं संरक्षण के लिए पृथक व्यवहारिक एवं स्वीकार्य विनियमन प्रक्रिया के निर्धारण पर विचार किया जायेगा।
* प्रदेश में दक्ष 'भूजल सूचना प्रणाली' विकसित की जायेगी।
* नवीनतम शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में सेण्टर आफ एक्सेलेन्स के रूप में 'भूजल शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना पर विचार किया जायेगा।
* प्रत्येक जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की 'जल प्रबन्धन योजना' तैयार की जायेगी।
* जन जागरूकता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत से पंचायत तथा शहरों में स्कूल से स्कूल तक जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे।
* नीति के नियमित अनुश्रवण व समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 'समग्र भूजल नीति अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति'' का गठन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या-2 जिसका उत्तर अभी माननीय असीजा जी पूछ रहे थे और प्रश्न संख्या-4 जिस पर आपने कृपापूर्वक मुझे अनुमति दी है। मान्यवर, प्रश्न संख्या-2 में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया ''बढ़े हुए जल स्तर को इससे सटे हुए खादर/दर्रे/रिवांइस में 'जल संचय' करने की कोई पृथक योजना विचाराधीन नहीं है'' एक मान्यवर, यह उत्तर आया दूसरा उत्तर मान्यवर, एक प्रश्न बदलते ही उत्तर चेंज हो गया और इसमें कहा गया कि भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति तैयार की जा रही है। एक में है कि कोई योजना ही नहीं है और दूसरे में है कि तैयार की जा रही है। मान्यवर, दोनों उत्तर आपके सामने है और आपके पास है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार इतनी गम्भीर है कि एक में कह रही है कि कोई योजना नहीं है जल संचयन करने का और एक में कह रहा हूँ कि इसकी नीति है, दोनों बात अलग-अलग है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यह जो सरफेस वाटर है जिसको संचयित करके, जो ग्राउण्ड वाटर है उसको बनाये रखने के लिए या उसका लेबिल ऊपर करने के लिए, मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके ऊपर समय-समय पर सरकार भी चिन्तित होती रही है और इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक में यह आदेश दिया गया है कि जितनें भी यह तालाब और पोखरे है इनके ऊपर से अवैध कब्जे हटाकर इनका अनुरक्षण किया जाय, इनका संरक्षण किया जाय और साथ ही साथ सरफेस वाटर को बनाये रखने के लिए कुछ बैराज बनाये जैसे गंगा बैराज कानपुर में बना। इस तरह से बैराज बनाने की भी योजना है। मैं दो प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूँ। जिसके लिये सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिये कि तालाबों के ऊपर से अतिक्रमण हटाकर, सफाई करके उनका अनुरक्षण करें, उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और दूसरा प्रश्न, क्या बहते हुए पानी को रोककर जल संचयन करके बैराज बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राज किशोर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो जो आपने कहा समग्र नीति के बारे में कि एक में हमने कुछ जवाब दिया और दूसरे में कुछ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने कहा कि समग्र नीति हम बना रहे हैं, अभी हमारी कैबिनेट डिसीजन हुयी है, वह इसमें आया है। नं0-2, आपने कहा कि जो बंजर की जमीनें हैं, तालाब पोखरें जो हैं, लोगों के पट्टे हैं अथवा लोगों के कब्जे में हैं, उसको खाली कराने की सरकार की कोई योजना है तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके निर्देश पहले से ही दिये जा चुके हैं कि उन तालाबों पर जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाकर उस पर चाहे लघु सिंचाई विभाग हो, ग्राम्य विकास विभाग या जो भी विभाग उन ताल पोखरों का सुन्दरीकरण या जल संचयन की योजना करते हैं, उन विभागों से इस काम को करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। तमाम जगहों पर अतिक्रमण से खाली भी कराये गये हैं और तमाम कार्य विभागों के माध्यम से हुये भी हैं। हमारी जो अभी नीति बन रही है, लघु सिंचाई विभाग की, यह नीति जिस दिन कम्पलीट हो जायेगी, जो ताल-पोखरे खाली कराये गये हैं, उस दिन हम इसके संबंध में कार्य योजना बनाकर जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं जो कार्य योजना बनकर आयेगी, उस पर हम पैसा देगें और कार्य कराये जायेंगे।

बैराज के लिये हमने कहा कि समग्र नीति हमारी बन रही है, उस समग्र नीति में चाहे वह बैराज हो, चाहें वह दर्रे हों।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सरकार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यह कोई विषय नहीं है कि पहले कुछ था ही नहीं। मान्यवर, सरकार एक व्यक्ति नहीं होता, सरकार सरकार होती है और सरकार एक कंटीनिवस चलने वाला प्रासेस है। अधिकारी भी वही होते हैं, काम करने वाले। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक क्या हुआ ?

श्री राज किशोर सिंह-

हमने कहा कि 31 मार्च तक जिलाधिकारी की रिपोर्ट आ जायेगी और आप जानते हैं कि कैबिनेट में माननीय मुख्य मंत्री जी और सारे मंत्रियों ने इस पर अपनी चिन्ता जताई है, इसलिये यह नीति बनाई गई है। वह नीति बनाकर जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये, अब आपकी जो तकलीफ है, जो आपकी चिन्ता है उस पर जल्द से जल्द आपकी चिन्ता को दूर करने का काम किया जायेगा।

**प्रदेश में बी0 एड0 बेरोजगारों को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने का निर्णय**

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

प्रदेश के ऐसे बी0एड0 अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी है, को प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु शासनादेश सं0-3348/79-5-2012-14(10)/2010, दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 निर्गत किया है, जिसके क्रम में ई- आवेदन-पत्र आमंत्रित करके काउन्सिलिंग की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, परन्तु इस सम्बन्ध में योजित विशेष अपीलों में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा काउन्सिलिंग की प्रक्रिया सम्प्रति स्थगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे सवाल करना चाहता हूँ। मान्यवर, यह प्रश्न प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ प्रश्न है एक तरफ तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3-4 लाख पद रिक्त हैं, कक्षा-1 से लेकर कक्षा-8 तक के। दूसरी तरफ 4 लाख बेरोजगार बी0एड0 सड़कों पर घूम रहे हैं। पिछली सरकार से लगातार मैं यह देख रहा हूँ कि यह 72,825 की फीगर हवा में तैर रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो सवाल पूछना चाहता हूँ कि यह जो बी0एड0 बेरोजगार हैं, जितने पद खाली हैं, प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या

माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि सभी बी0एड0 बेरोजगारों को उन खाली पदों पर नियुक्त करके शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाये और दूसरी ओर जो आपने बताया कि न्यायालय में स्टेट है उस स्टे को समाप्त कराने के लिए मान्यवर, इस सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और क्या आगे की योजना है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बी0एड0 डिग्रीधारक के लिए केवल इस बार छूट मांगी गई थी और इस बार ही केन्द्र सरकार से छूट मिली है। बी0एड0 डिग्रीधारकों की नियुक्ति के लिए 72 हजार 825 प्रशिक्षु अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। हमने कट-ऑफ जारी कर दिया था और काउन्सिलिंग प्रारम्भ कर दी थी लेकिन माननीय न्यायालय में कुछ लोग गये और माननीय न्यायालय ने काउन्सिलिंग को स्थगित रखा है,, 27 तारीख को डेट है, जो न्यायालय जवाब चाहता है वह सारा हम लोगों ने दाखिल करा दिया है और हमकों विश्वास है कि 27 तारीख को माननीय न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में हो जायेगा।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्या है अब तो समाप्त हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, दूसरा इनका क्वैश्चन यह था कि पिछली सरकार से यह प्रक्रिया चली आ रही है तो मान्यवर, इसमें हमारा दोष नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि एक तरफ विद्यालयों में पद खाली हैं और दूसरी तरफ मान्यवर, बी0एड0 बेरोजगार उपलब्ध हैं और केवल बात की गई है 72 हजार 825 की, हमारा उद्देश्य यह है कि जो बाकी बी0एड0 बेरोजगार हैं उन लोगों के समायोजन की योजना माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने पहले ही उत्तर में माननीय सदस्य को अवगत करा दिया था कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 जब से लागू हो गया है तब से यह शर्त हो गई है कि बिना टी0ई0टी0 परीक्षा पास किये कोई अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूल में या जूनियर हाईस्कूल में अध्यापक नहीं हो सकता है। हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी से पत्र लिखवा करके काफी मेहनत की है। हमारे प्रयासों के कारण जो सत्र हम भर्ती प्रक्रिया का चला रहे हैं केवल उसके लिए छूट मिली है बी0एड0 डिग्रीधारकों के लिए। जिसका हमने 97 सौ 70 पहले विज्ञापित कर दिया था। 72 हजार 825 उसके बाद विज्ञापित किया, जिसकी हमने काउन्सिलिंग प्रारम्भ करा दी थी। यह प्रक्रिया जब हमारी पूरी हो जायेगी तो 41 हजार 780 और हम शारीरिक शिक्षक, कृषि शिक्षक,

कला शिक्षक की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी का पूरा प्रयास है कि शिक्षकों की कमी न रहे।

## प्रदेश में अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन में शुल्क हेतु प्राप्त धनराशि वापस करने की मांग

*6-श्री सुरेश राणा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अध्यापकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नवम्बर, 2012 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन-पत्र के साथ शुल्क के रूप में रुपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट भी लगाया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और शुल्क के रूप में सरकार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में उसका शुल्क अभ्यर्थियों को सरकार वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्रदेश में अध्यापकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नवम्बर, 2012 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन-पत्र के साथ सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रु0 500/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा रु0 200/-के बैंक ड्राफ्ट संलग्न किये गये थे, जबकि विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया गया था। कुल 78,06,317 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा शुल्क के रूप में कुल धनराशि रु0 48,28,38,720/- प्राप्त हुयी थी।

जी हाँ।

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-2639/ 79-5-2012-14 (10)/10, दिनांक 31-8-2012 तथा शासन के पत्र संख्या-3356/79-5-2012-14(10)/10 दिनांक 7-12-2012 के क्रम में शुल्क वापस करने हेतु जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं एवं तदनुसार जनपदों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मान्यवर, यह प्रश्न इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि 78 लाख लोगों ने आवेदन किया है। 78 लाख लोग आवेदन करें यह इस बात की ओर इशारा करना है कि प्रदेश में बेरोजगारों का आलम क्या है ? 78 लाख लोगों ने आवेदन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, हालांकि पहले भी प्रश्न में आया था कि कुछ कारण होगा, कुछ बिन्दुओं पर रोक लगायी होगी। सरकार इसमें क्या प्रयास कर रही है बेरोजगोरी को ध्यान में रखते हुए और हमारी उन बालिकाओं, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की संख्या बहुत है और अध्यापक नहीं हैं। क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय में

अपना मजबूत पक्ष रखेगी जिससे शीध्रता से भर्ती हो सके और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो बेरोजगारों द्वारा 500-500 रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट जमा कराया गया था। उत्तर में लिखा गया है कि जनपदों में भेज दिया गया है और जिलाधिकारी के माध्यम से जनपद कार्यवाही कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब तक वह बैंक ड्रॉफ्ट की धनराशि बच्चों को वापस हो जायेगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न दूसरा है कि जिन लोगों ने आवेदन किया था और आवेदन-पत्र के साथ शुल्क जमा किया था उनका शुल्क वापस होगा या नहीं होगा ? मैंने प्रश्न के लिखित उत्तर में कह दिया था कि धनराशि की वापसी की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को सूचना है और वह अपने-अपने जनपद में कार्यवाही कर रहे हैं और धनराशि वापस हो जायेगी। अब बात रही कि भर्ती कैसे होगी ? तो भर्ती तो हम कर ही रहे हैं। यह पहली सरकार है, अभी एक साल इस सरकार को नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बेरोजगारी भत्ता बाँटना प्रारम्भ किया था तो उसी समय कहा था कि हम बेरोजगारों को केवल बेरोजगारी भत्ता ही नहीं बाँटेगे, हम रोजगार भी देंगे। अध्यक्ष जी, इसी के क्रम में गवर्नमेंट स्कूलों में 25 हजार सी0टी0 ग्रेड के अध्यापकों की नियुक्ति मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में हुआ और मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों 9770 अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है कुछ बाकी है। 72,825 अध्यापकों की नियुक्ति हम फिर करने जा रहे हैं। 41,700 कुछ अभी हम करेंगें। एक साल भी नहीं बीता कि वर्तमान सरकार सवा लाख लोगों को आज तक नौकरी दे चुकी है और आगे भी ऐसे ही हमारा प्रयास मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में होगा। हम बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए कृत-संकल्प हैं।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है वहाँ शिक्षा अनुदेशकों का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हुआ है। उसकी क्या रणनीति है और उसमें योग्यता के लिए कुछ मापदण्ड तय किये गये हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, शिक्षा अनुदेशकों का काम दूसरा है, साक्षरता के लिए उनकी नियुक्ति की जा रही है। जो लोग अब तक भी साक्षर नहीं हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो उनको साक्षर बनाने के लिए अनुदेशकों की भर्ती की जा रही है।

## प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोले जाने की कार्य योजना

*7-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में बीमारी की रोकथाम के लिए इलाज की समुचित व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उपलब्ध बजट एवं मानक के अनुसार नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं। निकटतस्थ विभागीय पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों एवं 'द' श्रेणी औषधालयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की बीमारी की रोकथाम एवं इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल जुलाई, अगस्त में आगरा में पशुओं में बीमारियाँ बहुत तेजी से फैली और करीब एक हजार पशुओं की मृत्यु उस बीमारी से हुई। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस साल 2013 में कुछ नये पशु चिकित्सालय उत्तर प्रदेश में खोल रहे हैं या खोलने पर विचार करेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादातर पशुओं की बीमारी आप भी जानते हैं कि जो पशु हाट होते है वहीं से फैलने का काम करती है। जब पशु वहाँ पर दूर-दूर से बिकने आते हैं वहीं से बीमारियाँ तेजी से क्षेत्र में फैलती हैं। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसी पशु हाटों पर जहाँ पशुओं के क्रय-विक्रय का काम होता है वहाँ पर कोई चिकित्सालय खोलकर, वहाँ जैसे ही बीमारी का पता चले उसके इलाज के संबंध में कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री राज किशोर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कृषि आयोग, भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार ही 2000 तक, पाँच हजार पशु संख्या पर पशु चिकित्सालय स्थापित करने की संस्तुति है। इसके साथ-साथ वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध सीमित आर्थिक संसाधनों के माध्यम से विभाग द्वारा 1500 कौटिल्य पशुधन संख्या एवं 0.9 कि0मी0 दूरी पर उपलब्ध बजट के सापेक्ष पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं। माननीय विधायक जी ने जो अभी कहा है, वहाँ पर कोई बिन्दु अंकित किया है.....

इसमें आपका प्रस्ताव भी, जनप्रतिनिधियों का प्रस्ताव भी सम्मिलित है। कहीं अगर इस तरीके की आवश्यकता आएगी तो सरकार विचार करेगी और पशु चिकित्सालय खोलेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि टीकाकरण की योजना आदमी के लिए मुफ्त की जाती है और पशुओं के टीकाकरण या चिकित्सा के लिए पैसा लिया जा रहा है क्या सरकार की कोई योजना है कि पशुओं का टीकाकरण और पशुओं का इलाज मुफ्त किया जायेगा। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री राज किशोर सिंह-

अध्यक्ष जी जैसा कि आप जानते हैं कि टीकाकरण की व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। कुछ चीजों में जो चिकित्सक गाँव में टीकाकरण करने जाते हैं उसमे दो रुपये लेते हैं। उन दो रुपयों को माफ करने के लिए हम समझते हैं कि यह सब जगह की समस्या है हमारे इलाके की भी समस्या है पिछली सरकार के पास यह प्रस्ताव कई बार गया लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगा क्योंकि आप जानते हैं कि गांव

में जो गाय पाव भर या डेढ़ पाव दूध देती है किसी के पास तीस-तीस, चालीस-चालीस और पचास-पचास गायें है वह गरीब आदमी हैं और गाँव में टीकाकरण के लिए जब डाक्टर जाता है तो उस गरीब आदमी से चालीस गाय के हिसाब से 80 रुपये हुआ तो वह टीका नहीं लगवाता है। जब गाय उसकी वर्ण स्थिति में आ जाती है तब वह पैसा खर्च करता है उसके पहले नहीं खर्च करता है। इस पर सरकार विचार करेगी और किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है यह आपको विश्वास दिलाते हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ प्रश्न करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह तो दिया कि विचार करेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जिला योजना की बैठक में हमारे सभी साथी विधायकों द्वारा पशु चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव हम लोगों ने भेज रखें है क्या सरकार उन प्रस्तावों के संदर्भ में प्रदेश में नए पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ?

श्री राज किशोर सिंह-

मैंने पहले ही कहा कि क्षेत्रीय आवश्यकता और माननीय जनप्रतिनिधियों, पशुपालकों की मांग के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारियों से मानक के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त कर आधार नवीन चिकित्सालय पशु सेवा केन्द्र खोलने एवं स्थापना की जाती है। जो नियम में है अगर उस नियम के तहत आपके प्रस्ताव आएंगे तो उस पर गम्भीरता से विचार होगा।

श्री शमशेरबहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

जो पशु चिकित्सक है तो जहाँ इनकी पढ़ाई हो रही है तो पशु चिकित्सक बहुत कम संख्या में निकल रहे है क्या उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है। बैठ जायें। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

(श्री विजय कुमार दूबे के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

दूबे जी बैठ जायें। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ। बहुत समय है आप शिक्षा के बजट पर बोल लीजिए।

श्री विजय कुमार दूबे-

सारे अस्पताल खाली है डाक्टर है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

सारे प्रश्नों के उत्तर आ गए है। आप बैठ जायं आपका कुछ लिखा नहीं जाएगा।

## प्रदेश के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों हेतु निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था

*8-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब एवं वंचित वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने हेतु 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिलाये जाने का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और अब तक की प्रगति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट कर परिभाषित किया जा चुका है।

अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को विनिर्दिष्ट करने के साथ-साथ असहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उक्त बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया के निर्धारण का शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर 2012 द्वारा जारी किया जा चुका है।

यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2013-14 से लागू की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी सरकार का कहना है कि दिनांक 30 नवम्बर, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट कर परिभाषित किया जा चुका है। तो एक तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो इसको परिभाषित किया गया है अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग यह दो क्राइटेरिया है। तो इसको जरा आपने परिभाषित कैसे किया है और कौन-कौन इसके लिये अर्ह माने जायें यह भी आप बताने की कृपा करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(1) (ग) के अनुसार असहायतित विद्यालयों में कक्षा 1 में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को उस कक्षा की कुल सीट संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देने और उनकी कक्षा 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क प्रदान करने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा-7 में व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु उर्पयुक्त अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह के बालक की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चे को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर 2012 द्वारा अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निम्नवत् विनिर्दिष्ट किया गया है। ऐसे माता पिता या अभिभावक जो एच0आई0वी0 अथवा कैंसर से पीड़ित है, का बालक अथवा ऐसा बालक जो अनाथ है, भी अलाभित समूह का बालक होगा। ऐसे माता पिता या अभिभावक, जिनकी वार्षिक आय रुपये

एक लाख से अधिक नहीं है, का बालक दुर्बल वर्ग का बालक होगा। परन्तु यह कि विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ माता-पिता/अभिभावक, जिनकी आय रुपये 35000/-प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, के बालकों/प्रतिपाल्यों को प्रथम वरीयता दी जायेगी। उसके उपरान्त यदि प्रवेश की सीट तब भी रिक्त रह जाती है तो रूपये 35000/- से अधिक की वार्षिक आय वाले माता-पिता/अभिभावक के वार्षिक आय के आरोही क्रम में तैयार की गयी सूची के अनुसार बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को असहायतित विद्यालयों की 1 कक्षा में कक्षा की कुल सीट संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या 3087(1)/79-5-2012-29/09टीसी- दिनांक 03 दिसम्बर 2012 जारी किया गया है इस शासनादेश द्वारा निम्नवत् व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था शैक्षिक-सत्र 2013-14 से लागू की जायेगी। सत्र प्रारम्भ होने के 2 माह पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। आवेदन-पत्र का प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से सुलभ कराया जायेगा। साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारी बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर भी प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन-पत्र के प्रारूप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ अलाभित समूह के श्रेणी के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र दुर्बल वर्ग श्रेणी के लिये वार्षिक आय प्रमाण-पत्र तथा निःशक्त, एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चे हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र, निराश्रित बेघर बच्चे श्रेणी हेतु तहसीलदार का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन को आस-पास में रहने का प्रमाण स्वरूप साक्ष्य लगाना आवश्यक होगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो अर्हता उसके विषय में बहुत विस्तार से बता दिया मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चे को जो 25 प्रतिशत आरक्षण के तहत ही मान लिया गया है कि उनको प्रवेश देना है, वह अनिवार्य होगा तो उनका स्वार्थ टकरायेगा। क्योंकि उनकी फीस अधिक होगी तो क्या सरकार जो उनकी फीस होगी उसकी भरपाई करने वाली है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन् हमने तो पहले ही उत्तर में कहा है कि जो ऐसे बच्चों के एडमीशन होंगे उसके फीस की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे जो गरीब बच्चे होंगे, कमजोर परिवार के बच्चे होंगे उनकी आबादी कम होगी, उनकी पहुँच भी कम होगी तो क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी मेकेनिज्म डेवलेप की है कि ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से वहाँ प्रवेश मिल जाय। क्योंकि प्रतिपूर्ति तो सरकार करेगी लेकिन क्राइटेरिया कुछ और होगी। तो उसके तहत ही एडमीशन देना चाहते है। कई बार तो माता पिता का इन्टरव्यू भी लेते है तो ऐसे बच्चों के माता पिता उनके

क्राइटेरिया में आ जाय, नहीं आ पाये फिर भी उनको देना है और उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी ? तो क्या इसको इंश्योर करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसे वर्ग के बच्चों को हर हालत में वहां एडमीशन मिल जाएगा ताकि वह दूसरे बच्चों के समकक्ष शिक्षा प्राप्त कर और समाज में वह खड़े हो सकें सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इसके लिए जो सारे जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी है, विद्यालय के प्रधानाचार्य है, जिलाधिकारी है, सबको इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है इसके बावजूद भी मैं मा0 सदस्यों से आह्वान करता हूँ कि अगर इसके बावजूद भी ऐसे बच्चें जो उस श्रेणी में है और कोई स्कूल एडमीशन लेने में आनाकानी करता है तो मा0 सदस्यों का भी सहयोग हो, अगर कोई ऐसा करता है, कोई एडमीशन नहीं होता है तो उस स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा प्राविधान किया गया है कि इस नियम के तहत पहले सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों की सीट भर ली जाएगी उसके बाद ही असहायतित विद्यालयों के आवेदन-पत्र स्वीकार किए जाएंगे या फिर तीनों विद्यालयों के, चाहे सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो या जो असहायतित हों, तीनों के विज्ञापन एक साथ निकाले जाएंगे। क्योंकि यह मंशा फैल रही है कि सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों की सीट भर जाएगी तभी हम असहायतित विद्यालयों को बाध्य कर सकते है क्योंकि महानगरों में इसका बहुत बड़ा महत्व है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह इसलिए बनाया गया कि जूनियर हाईस्कूल तक बिल्कुल फ्री है शिक्षा, कापी किताब भी है, ड्रेस भी है और भोजन भी है लेकिन अगर स्कूल दूर है, पास में पब्लिक स्कूल है चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, तो उन बच्चों को जिन्हें दूर जाने में कठिनाई है तो नजदीक के स्कूल में इन बच्चों को इन्हें अपने यहां भर्ती करना पड़ेगा। जो हमारे स्कूल में नहीं जा सकते उनके लिए यह व्यवस्था है। हमारा स्कूल दूर है और उस स्कूल के पास इस तरह के बच्चे है तो छात्र संख्या के हिसाब से 25 प्रतिशत बच्चों को एडमीशन देना पड़ेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से एक अनुपूरक यह बन रहा है कि उन्होंने कहा है कि इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा कि जो सरकारी स्कूलों में एडमीशन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि वह दूरी पर हैं, उनके नजदीक अगर असहायतित प्राइवेट स्कूल है तब उनको वहां एडमीशन मिलेगा। यह क्या विसंगति है, मान्यवर, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर यह विसंगति नहीं है इसलिए नियम बनाया गया है। जो बच्चे हमारे स्कूल में दूरी के कारण नहीं जा पाते हैं तो उनको पब्लिक स्कूल में नाम लिखवाना है। चाहे तो सभी लिखवा लें उनको पूरी छूट दी जाएगी और उनकी रक्षा की जाएगी।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी जो आपका, मा0 सदस्य के उत्तर में प्रति उत्तर आया, आपने कहा कि जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत विद्यालय है उनको वहां एडमीशन देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे अभिभावक है जो आज की तारीख में अपने बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में एडमीशन नहीं कराते है वह चाहे उनकी माली हालत खस्ता हो, तब भी वह प्राइवेट स्कूलों में कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते है प्राइमरी स्कूल में वह पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 25 प्रतिशत प्राइवेट स्कूल बच्चों को ले सकते है। ऐसे अभिभावकों के लिए आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को भेजना नहीं चाहते है वह अच्छे अभिभावक नहीं है। वह अच्छे एम0एल0ए0 अच्छे मास्टर नहीं होंगे जो अपने लड़के को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजेंगे। जो अच्छे एम0एल0ए0 और अच्छे मास्टर होंगे वह अपने लड़कों को प्राथमिक स्कूल में भेजेगा और जो जानबूझकर उस स्कूल में नहीं भेजेगा उसको छूट नहीं दी जाएगी।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बात कहीं है, इस सदन में ही तमाम ऐसे माननीय सदस्य है जो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं भेजते है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अच्छे अभिभावक नहीं हैं। हर अभिभावक यह चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ और हमारे घर के लड़के भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े है, आपके भी लड़के पढ़े होंगे, जिनके नहीं पढ़े है, वही खड़े हो रहे है।

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, अब आप बैठिए।

## अतारांकित प्रश्न

### प्रदेश के अदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास

1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नक्सल प्रभावित गांवों को चिन्हित कर क्षेत्र में पेयजल, सड़कें, बिजली तथा शिक्षा आदि मूलभूत सुविधाओं का विकास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

जी नहीं।

---

नोट :- तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और चन्दौली नक्सल प्रभावित जनपद हैं, जिनमें पेयजल सड़कें बिजली तथा शिक्षा आदि मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के लिये सरकार कटिबद्ध है। सम्बन्धित विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास कार्य के विवरण निम्नवत् है :-

**ग्राम्य विकास विभाग**

1-पेयजल-

नक्सल प्रभावित जनपदों के गांवों में भारत सरकार के मानकानुसार इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से भी जलापूर्ति की जा रही है।

2-ग्रामीण सड़क-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत उक्त जनपदों में भारत सरकार के मानकानुसार 2001 की जनगणना के आधार पर जिन बसावटों की जनसंख्या-500 तक है, उन्हें संतृप्त किया जा चुका है और 250 जनसंख्या वाली बसावटों को संतृप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

लोक निर्माण विभाग-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों तथा लघु सेतुओं के लिये रु0 10.00 करोड़ का पृथक से बजट प्राविधान किया गया है। उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो तथा लघु सेतुओं के नये कार्य कराये जायेंगे।

ऊर्जा विभाग-

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु समेकित कार्य योजना (इन्टीग्रेटेड एक्शन प्लान) के अन्तर्गत विकास की योजना चलायी जा रही है, जिसमें प्रदेश के उक्त नक्सल प्रभावित जनपद भी सम्मिलित है। योजना के अन्तर्गत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011-12 में जनपद-सोनभद्र में बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु रु0 691.22 लाख प्रदान किये गये तथा कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2012-13 में जनपद-चन्दौली एवं मिर्जापुर के लिये क्रमशः रु0 289.53 लाख तथा रु0 1069.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा कार्य प्रगति पर है।

**शिक्षा**

1-बेसिक शिक्षा विभाग-

नक्सल प्रभावित जनपदों में वर्ष 2011-12 व 2012-13 में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत प्रमुख कार्यक्रम :-

**जनपद-मिर्जापुर**

| क्रम-संख्या | विवरण | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2012-13 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राथमिक विद्यालय | 127 | - |
| 2 | उच्च प्राथमिक विद्यालय | 05 | - |
| 3 | अतिरिक्त कक्षा-कक्ष | 1060 | 424 |
| 4 | विद्यालयों में विद्युतीकरण | 119 | 100 |

**जनपद-सोनभद्र**

| क्रम-संख्या | विवरण | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2012-13 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राथमिक विद्यालय | 499 | - |
| 2 | उच्च प्राथमिक विद्यालय | 30 | - |
| 3 | अतिरिक्त कक्षा-कक्ष | 1000 | 333 |
| 4 | विद्यालयों में विद्युतीकरण | 91 | 100 |

**जनपद-चन्दौली**

| क्रम-संख्या | विवरण | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2012-13 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राथमिक विद्यालय | 15 | - |
| 2 | उच्च प्राथमिक विद्यालय | 06 | - |
| 3 | अतिरिक्त कक्षा-कक्ष | 721 | 40 |
| 4 | विद्यालयों में विद्युतीकरण | - | 138 |

**2-माध्यमिक शिक्षा विभाग**

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष 2009-10 में जनपद चन्दौली में 02 व जनपद-सोनभद्र में 03 नवीन राजकीय हाईस्कूल, वर्ष 2010-11 में जनपद चन्दौली में 12 व जनपद-सोनभद्र में 14 नवीन राजकीय हाईस्कूल तथा वर्ष 2011-12 में जनपद-चन्दौली में 06 व जनपद-सोनभद्र में 04 नवीन राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना की गयी है।

**3-उच्च शिक्षा विभाग-**

प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत 12वीं योजना में भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल दर वाले 36 जनपदों में नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 33 प्रतिशत एवं 67 प्रतिशत वित्त पोषण के अन्तर्गत की जा रही है। उक्त 36 जनपदों में नक्सल प्रभावित जनपद-सोनभद्र भी सम्मिलित है। जनपद सोनभद्र के असेवित विकास खण्ड-नगवा के अन्तर्गत ग्राम-पौनीकला में चिन्हित भूमि पर राजकीय महाविद्यालय के स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में शासकीय/अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय की संख्या एवं उसमें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

2-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शासकीय/अनुदामित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं एवं इनमें से कितने स्कूलों के भवन जर्जर है तथा पेयजल, शौचालय व

चहारदीवारी की सुविधा नहीं है ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण, पेयजल, शौचालय तथा चहारदीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

अशासकीय/अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में विषयगत निर्माण कार्यों की कोई शासकीय योजना वर्तमान में प्रचलित नहीं है।

**प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा की राशि में बढ़ोत्तरी**

3-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों को मिलने वाली दुर्घटना बीमा राशि जो वर्तमान में रु0 4.00 लाख है, को बढ़ाकर रु0 6.00 लाख किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर लागू जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा की धनराशि रु0 4.00 लाख से बढ़ाकर रु0 5.00 लाख किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अनेको ग्रामों में खारे पानी की समस्या के निराकरण के उपाय**

4-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अकोला, घड़ी हरदयाल, सहारा, नानपुर, पचगाई खेड़ा, कुण्डौल, खाल खलौला, मनकेड़ा, सिकन्दरपुर आदि गांवों में खारे पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार की मीठे पेयजल उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हाँ।

उल्लिखित ग्रामों में मिनी नलकूप बोर कराकर टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट एवं पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सोनभद्र के गांव कुसुम्हा को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाये जाने की मांग**

5-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के मुख्यालय से लगभग 75 कि0मी0 की दूरी पर स्थित तीन हजार से अधिक आबादी वाले कुसुम्हा गांव में हैण्ड पम्प का फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से ''फ्लोरोसिस'' के प्रकोप से लगभग 500 लोग जिनमें बच्चे, बूढ़े और

जवान सभी कुपोषण और हाथ पैर से विकलांगता के शिकार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-सोनभद्र में फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की जानकरी प्राप्त कर उन बस्तियों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में फ्लोराइड रिमूवल प्लान्ट लगाये जा रहे हैं। लोगों में कुपोषण और हाथ पैर से विकलांगता की जानकरी संज्ञान में नहीं आई है।

राजस्व ग्राम कुसुम्हा के अन्तर्गत आने वाली 02 बस्ती कुसुम्हा खास एवं गम्भीरपुर में क्रमशः 24 एवं 15 अर्थात 39 हैण्डपम्पों पर फ्लोराइड रिमूवल प्लान्ट लगाकर ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम भोलनापुर में खारे पानी की समस्या का निराकरण**

6-श्रीमती सीमा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम मोलनापुर के खारे पानी की समस्या के निदान हेतु जनहित में वहां पर इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प अथवा पानी की टंकी की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम-मोलनापुर में निर्धारित मानक के अनुसार इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा उक्त हैण्डपम्पों से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सीतापुर के परियोजना कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन भुगतान किये जाने की मांग**

7-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बाल विकास मंत्री एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के परियोजना कार्यालय के कर्मचारियों का जुलाई, 2012 से माह अक्टूबर, 2012 तक का वेतन भुगतान न किये जाने का क्या कारण है एवं उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद सीतापुर के परियोजना कार्यालय के कर्मचारियों का माह जुलाई 2012 से अक्टूबर, 2012 तक का भुगतान कर दिया गया है किन्तु जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीतापुर के निरीक्षण दिनांक 09-08-12, 20-10-12 एवं 26-10-12 को अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोका गया है।

निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निर्णय लेने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीतापुर को निर्देशित कर दिया गया है।

**ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प लगवाये जाने का लक्ष्य**

8-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 343/अड़तीस-5-12-67एम/0788 के तहत जनपद पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में कितने इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

शासनादेश संख्या 343/अड़तीस-5-12-67सम/07 टीसी-1, दिनांक 04-05-2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रति विकास खण्ड 50 नग नये तथा 50 नग रि-बोर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत आने वाले 03 विकास खण्डों क्रमशः बीसलपुर, बिलसडा एवं बरखेड़ा (आंशिक) में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | विकास खण्ड | लक्ष्य | |
|---|---|---|---|
| | | नये | रि-बोर |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बीसलपुर | 50 | 50 |
| 2 | बिलसंडा | 50 | 50 |
| 3 | बरखेड़ा (आंशिक) | 19 | 19 |
| | कुल योग | 119 | 119 |

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में अन्य प्रदेशों की भांति टायर एवं डीजल पर वैट दर समान करने की मांग**

9-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य प्रदेशों की भांति टायर एवं डीजल आदि पर उत्तर प्रदेश में भी वैट की दर अन्य पड़ोसी राज्यों के समान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत टायर एवं डीजल आदि पर उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर की दरें युक्तिसंगत रूप से निर्धारित की

गयी हैं। टायर पर वैट की दर अधिकांश पड़ोसी राज्यों के समतुल्य हैं। कुछ पड़ोसी राज्यों में डीजल पर वैट की दरें उत्तर प्रदेश से अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में विधायक निधि में बढ़ोत्तरी**

10-श्री सतीश महाना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण सामग्री के बढ़ते हुये मूल्यों एवं सरकार की विकास हेतु प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विधान सभा क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में शासनादेश दिनांक 29-11-2012 द्वारा किये गये कतिपय संशोधनों के साथा ही विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को प्रति वर्ष आवंटित की जा रही धनराशि रु0 125.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2012-13 से बढ़ाकर रु0 150.00 लाख किया जा चुका है।

इस प्रकार भवन निर्माण सामग्री के बढ़ते हुये मूल्यों एवं सरकार की विकास हेतु प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि में बढ़ात्तरी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम को अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाये जाने की मांग**

11-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम को उच्चीकृत करके अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वात्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्या)-

जी नहीं।

जनपद मेरठ में निर्मित कैलाश प्रकाश स्टेडियम लगभग 16.00 एकड़ भूमि पर निर्मित है। उक्त स्टेडियम में पूर्व से ही पैवेलियन, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, जिम्नेजियम हाल, कुश्ती हाल, सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट, ओलम्पिक साइज तरणताल, छात्रावास, बाक्सिंग एवं वेटलिफ्टिंग हाल निर्मित हैं। मुख्य मैदान के अन्तर्गत 400 मी0 ट्रैक, क्रिकेट ग्राउण्ड, हाकी ग्राउण्ड, फुटबाल ग्राउण्ड, वालीबाल तथा शूटिंग रेंज की सुविधा उपलब्ध है।

**जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर चालू कराये जाने की मांग**

12-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में भू-जल स्तर नीचे जाने के कारण 70 प्रतिशत से अधिक हैण्डपम्प पानी देना बन्द कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से लगभग 30 प्रतिशत हैण्डपम्प भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पानी देना बन्द कर दिये है।

जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र सिराथू के अन्तर्गत आने वाले 02 विकास खण्डों क्रमशः सिराथू एवं कड़ा में उपर्युक्त 30 प्रतिशत हैण्डपम्प में से वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 50-50 हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाएगें। अवशेष हैण्डपम्पों के लिए लक्ष्य का निर्धारण अगले वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में 19 मई, 2012 से आज तक तालाबों के सौन्दर्यीकरण का कार्य**

13-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के उत्तर के क्रम में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 मई, 2012 से आज तक तालाब के सौन्दर्यीकरण का कितना कार्य हुआ और कितना शेष है ? क्या यह सत्य है कि माह जुलाई, 2012 के बाद आज तक कार्य पूर्णतः रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रुके हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

19 मई, 2012 से आज तक 18.25 प्रतिशत कार्य कराया गया है। कुल 38.25 प्रतिशत कार्य हो चुका है 61.75 प्रतिशत कार्य अवशेष है।

जी हाँ, जलभराव के कारण अस्थायी रूप से कार्य स्थगित है। तालाब में पानी सूखने के पश्चात् कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में पंजीकृत एवं निष्क्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का विवरण**

14-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश कितनी मत्स्य जीवी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं तथा उसमें से कितनी समितियां सक्रिय है और कितनी समितियां निष्क्रिय हैं ? क्या निष्क्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को सक्रिय करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कुल 1031 सहकारी समितियाँ पंजीकृत है, जिसमें से 741 सहकारी समितियाँ सक्रिय है तथा 290 सहकारी समितियाँ निष्क्रिय है।

वर्तमान में कोई कार्ययोजना नहीं है।

**जनपद लखीमपुर खीरी के स्कूलों में बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने की मांग**

15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचाचित कितने स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार उक्त स्कूलों को ऊर्जाकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

2078 स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जी हां।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

16-श्री रोशन लाल वर्मा-

[1 ले सोमवार के अता0प्र0स0-48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के हथनी कुण्ड बैराज पावर हाउस पर हाई स्कूल में शिक्षण कार्य शुरू कराये जाने की मांग**

17-श्री महावीर सिंह राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत हथनी कुण्ड बैराज पावर हाउस पर हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के छात्रों हेतु भवन हैं किन्तु क्लास नहीं चलती ? क्या सरकार क्षेत्रीय छात्रों की शिक्षण सम्बन्धी समस्या को ध्यान में रखते हुए उक्त विद्यालय भवनों में शिक्षण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, हथनी कुण्ड बैराज पावर हाउस पर जो भवन है उसमें स्थित विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 से हाईस्कूल स्तर तक वित्तविहिन मान्यता प्राप्त है और उसमें कक्षाएं चलती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नही उठता।

**जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफराबाद राजकीय महिला कालेज की स्थापना कराये जाने की मांग**

18-श्री महावीर सिंह राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत सबसे बड़े विकास खण्ड मुजफराबाद में एक भी राजकीय महिला कालेज न होने के कारण क्षेत्रीय छात्राओं को अध्ययन हेतु अत्यधिक कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार

विकास खण्ड मुजफराबाद में राजकीय महिला कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विकास खण्ड मुजफराबाद में 02 राजकीय हाई स्कूल, 08 अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज तथा 11 मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से भभूल सिंह राणा कन्या इण्टर कालेज जिवाला एवं दिव्या सरस्वती कन्या हाई स्कूल बाबेल बुजुर्ग 02 बालिका विद्यालय तथा अन्य विद्यालय सह शिक्षा संस्थान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

विकास खण्ड मुजफराबाद में पर्याप्त संख्या में विद्यालय संचालित है।

19-श्री महावीर सिंह राणा-

[पहले सोमवार के अता0प्र0स0-69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

20-श्री काली चरन सुमन-

[दिनांक 20-02-2013 को अता0प्र0स0-93 द्वारा उत्तरित]

**जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण के प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवरी व पेयजल व्यवस्था कराये जाने की मांग**

21-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल व पेयजल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल व पेयजल की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हाँ।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के 45 प्राथमिक विद्यालयों एवं 29 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी तथा 21 प्राथमिक विद्यालय व 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शामली सदर में खराब पड़े इण्डिया मार्का-II को चालू कराये जाने की मांग**

22-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली सदर में दिनांक 30 सितम्बर, 2012 तक लगे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों में से कितने वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तथा कितने

खराब पड़े हैं ? क्या सरकार खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक/रि-बोर कराकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र-शामली सदर में आंशिक रूप से विकास खण्ड-कांधला तथा शामली के ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं।

विकास खण्ड-कांधला एवं शामली के ग्रामीण क्षेत्र में 30 सितम्बर, 2012 तक कुल 3755 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 360 नग हैण्डपम्प स्थाई रूप से (रि-बोर योग्य) खराब हैं। अस्थाई रूप से (सामान्य मरम्मत) खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाता है।

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 50 हैण्डपम्प रिबोर कराये जाएगें। अवशेष हैण्डपम्पों के लिए लक्ष्य का निर्धारण अगले वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के क्षतिग्रस्त दरगाह मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग**

23-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ की विधान सभा क्षेत्र मधुवन के अन्तर्गत अमिला से दरगाह मार्ग जो कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी गयी सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के अन्तर्गत ''अमिला से दरगाह'' (लम्बाई 11.90 कि0मी0) मार्ग का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-7 में वर्ष 2010 में कराया गया है तथा वर्तमान में अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार अनुरक्षणाधीन है। मार्ग के कुछ स्थानों पर पैच हो गये थे, जिसे सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

**जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ब्लाकों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग**

24-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी व ब्लाक पसगवां में कुल कितने इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-मोहम्मदी में 96 नग व विकास खण्ड-पसगवाँ में 176 नग हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (रि-बोर योग्य) हैं।

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 50 हैण्डपम्प रिबोर कराये जाएगें। अवशेष हैण्डपम्पों के लिए लक्ष्य का निर्धारण अगले वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखीमपुर खीरी में मनरेगा के कार्यों का चेक द्वारा भुगतान**

25-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक मनरेगा के अन्तर्गत किन-किन विभागों द्वारा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा न करके मस्टर रोल भरकर अनियमित रूप से किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

अगस्त, 2008 के बाद से सभी भुगतान चेक द्वारा किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम कोहड़ाखुर्द में आई0टी0आई0 का भवन निर्माण का कार्य**

26-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत ग्राम कोंहड़ाखुर्द में आई0टी0आई0 बड़हलगंज का भवन निर्माण कार्य जो अभी चल रहा है, उसकी कक्षायें भी इसी सत्र से शुरू होनी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कालेज में शिक्षण कार्य कब तक आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

जनपद गोरखपुर के बड़हलगंज में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वित्तीय वर्ष 2005-2006 में की गयी थी एवं भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। प्रदेश में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के बाद उसके स्वयं के भवन निर्माण होने तक प्रशिक्षण कार्य अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जाता है तथा भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षण कार्य स्वयं के नये भवन में संचालित किया जाता है। वर्तमान में इस संस्थान के 04 व्यवसायों में

प्रशिक्षण का कार्य अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगावा-गोरखपुर में चल रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू को नया विकास खण्ड बनाये जाने की मांग**

27-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में कड़ा और सिराथू विकास खण्डों की जनता की आबादी व दूरी को देखते हुए एक नया विकास खण्ड बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

वर्तमान में सड़क, यातायात एवं संचार के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रशासनिक इकाइयों द्वारा पहले की तुलना में अधिक आबादी एवं दूर के क्षेत्रों तक सुगमता से प्रशासनिक सेवायें उपलब्ध कराना सम्भव हुआ है।

**जनपद गाजियाबाद के राजकीय कन्या इण्टर कालेज, विजय नगर में छात्राओं हेतु फर्नीचर की व्यवस्था**

28-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, विजय नगर, गाजियाबाद में 3500 छात्राओं के सापेक्ष केवल 2000 ही फर्नीचर उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष छात्राओं हेतु फर्नीचर की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, अपितु राजकीय कन्या इण्टर कालेज, विजय नगर, गाजियाबाद में लगभग 1200 छात्राओं हेतु फर्नीचर की कमी है।

जी हां।

उक्त प्रयोजन हेतु रु0 1.74 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है जिसके उपभोग का लक्ष्य दिनांक 31-3-2013 तक रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में सरकारी इण्टर कालेज बनवाये जाने की मांग**

29-श्री सुरेश बंसल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में लड़कों के लिए कोई इण्टरमीडिएट कालेज न होने से छात्रों को अध्यापन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक सरकारी इण्टर कालेज बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में लड़कों के लिये 05 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 07 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज संचालित हैं। लड़कों के प्रवेश के लिये पर्याप्त इण्टरमीडिएट कालेज होने के कारण कोई कठिनाई नहीं होती है। विभागीय मानकों के अनुरूप नवीन इण्टरमीडिएट कालेज की आवश्यकता नहीं है।

**जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के अनेकों ग्रामों में पेयजल समस्या का निराकरण**

30-श्रीमती सीमा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा मुंगराबादशाहपुर के ग्राम मुडांव, मोलनापुर, गरियांव, चंवरिया, पियारेपुर, कपूरपुर, करकोली में पेयजल का संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दूर करने के लिये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। उक्त सभी ग्राम निर्धारित मानक के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प से संतृप्त हैं।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद पीलीभीत में प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को पूर्ण कराये जाने की मांग**

31-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत हुए हैं और क्या उनका निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में वर्ष 2011-12 में एक मार्ग-मुझाकलां रोड से रुद्रपुर (लम्बाई 1.80 कि0मी0) स्वीकृत हुआ है। उक्त मार्ग अभी निर्माणाधीन है।

अनुबन्ध के अनुसार उक्त मार्ग दिनांक 06.11.2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

**जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम प्रधान द्वारा शासकीय धन के दुरुपयोग पर कार्यवाही**

32-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज के शिकायतकर्ता वृजीसकदर पुत्र मोल्हू, नसीम हैदर पुत्र सवीहुल हसन, नफीस पुत्र मो0 इस्लाम आदि ग्राम तिलगड़िया बुजुर्ग के ग्राम प्रधान एवं तकनीकी सहायक द्वारा वित्तीय वर्ष

2010-11 में जल निकासी हेतु नाला खुदाई/निर्माण कार्य न कराकर शासकीय धनराशि निकाले जाने विषयक शिकायती पत्र ग्राम विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को स्पीड पोस्ट संख्या ई0यू0 1142181471 एन0, दिनांक 28-2-12 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक जांच कराये जाने के पश्चात् क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हाँ।

जांच में दोषी पाये गये ग्राम पंचायत तिलगड़िया बुजुर्ग की ग्राम प्रधान श्रीमती अकाबुन्निशा से मु0 21040.00 रुपया, श्रीमती उषा दूबे, ग्राम विकास अधिकारी (महिला) से 10000.00 रुपया, श्री सईद अहमद, ग्राम विकास अधिकारी से 11040.00 रुपया तथा इफ्तेखार मेंहदी रिजवी, तकनीकी सहायक से 11040.00 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

33-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने कारण निरस्त]

**जनपद सोनभद्र के जुगैल के मुर्गीडा टोले में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराये जाने की मांग**

34-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में जुगैल के मुर्गीडा टोले के निवासी दूषित पानी पीने से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टोले में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। जनपद-सोनभद्र में जुगैल के मुर्गीडाड टोले में दूषित पानी पीने के संक्रमण की चपेट में आ रहे लोगों की जानकारी संज्ञान में नहीं आयी है परन्तु बस्ती का पानी फ्लोराइड प्रभावित है।

उक्त टोले में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के जल परीक्षणोपरान्त फ्लोराइड प्रभावित हैण्डपम्पों के जल को पीने योग्य नहीं है घोषित कर दिया गया है तथा इसके निराकरण हेतु कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त कार्य योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में तैयार कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन में पशु चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की तैनाती की मांग**

35-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के चक्की मुसाडोही पशु अस्पताल में पशु चिकित्सक न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अपने पशुओं के इलाज हेतु अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार चक्की मुसाडोही पशु अस्पताल में पशु चिकित्साधिकारी की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

निकटस्थ पशु चिकित्सालय, मधुवन के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को चक्की मुसाडोही पशु अस्पताल में अशंकालिक रूप से पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तैनात किया गया है।

**जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा के प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनवाने जाने की मांग**

36-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा के प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो विकास खण्ड सरदार नगर, ब्रह्मापुर, पिपराइच के अन्तर्गत किन.किन प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

वर्ष 2012-13 में जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के 12 प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी बनाने की योजना है।

विकास खण्ड सरदार नगर, ब्रह्मपुर तथा पिपराइच के निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने की योजना है:-

| विकास खण्ड | प्राथमिक विद्यालय का नाम | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| सरदार नगर | 1 | प्राथमिक विद्यालय विशुनपुरा-II |
| | 2 | प्राथमिक विद्यालय भौवापार-I |
| | 3 | प्राथमिक विद्यालय भौवापार-II |
| | 4 | प्राथमिक विद्यालय डुमरी खुर्द |
| | 5 | प्राथमिक विद्यालय बैकुण्ठपुर |
| ब्रह्मपुर | 1 | प्राथमिक विद्यालय भैसही नरेश |
| | 2 | प्राथमिक विद्यालय महुअरकोल |
| | 3 | प्राथमिक विद्यालय कटसीकरा |
| पिपराइच | 1 | प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुर |
| | 2 | प्राथमिक विद्यालय चिलबिलवा |
| | 3 | प्राथमिक विद्यालय उनौला दोयम |
| | 4 | प्राथमिक विद्यालय रिठिया |

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के कतिपय विकास खण्ड में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग**

37-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर, पिपराइच में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब है ? क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में वर्तमान में स्थाई रूप से (रि-बोर योग्य) 72 नग तथा अस्थाई रूप से (साधारण मरम्मत योग्य) 485 नग कुल 557 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प खराब हैं तथा विकास खण्ड पिपराइच में स्थाई रूप से (रिबोर योग्य) 23 नग तथा अस्थाई रूप से (साधारण मरम्मत योग्य) 125 नग कुल 148 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प खराब हैं।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 50 हैण्डपम्प रि-बोर कराये जायेंगे। अवशेष हैण्डपम्पों के लिए लक्ष्य का निर्धारण अगले वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा में पात्रता के अनुसार इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिये जाने की मांग**

38-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा चौरीचौरा में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में स्थायी पात्रता सूची के आधार पर ऐसे कितने नाम हैं, जिन्हें अभी तक इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है ? क्या सरकार पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गोरखपुर के विधान सभा चौरी-चौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड सरदार नगर, ब्रम्हपुर एवं पिपराइच में सभी ग्राम पंचायतों में बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची में कोई भी पात्र व्यक्ति इन्दिरा आवास हेतु अवशेष नहीं है।

विकास खण्ड खारोबार के 6 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायतों में बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची में कोई भी पात्र व्यक्ति इन्दिरा आवास हेतु अवशेष नहीं है। ग्राम पंचायत झंगहा में 39 व्यक्ति इन्दिरा आवास हेतु पात्र हैं, जिन्हें आवास नहीं दिया गया है। जिन्हें नियमानुसार आगामी वर्षों में इन्दिरा आवास का आवंटन किया जायेगा।

जी हां। उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा में पानी की पाइप डालने से क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग**

39-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सहारा पानी की टंकी से सप्लाई हेतु पाइप लाइन डालने के कारण गांव के समस्त खड़न्जे, सी0सी0 रोड क्षतिग्रस्त हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। पाइप लाइन बिछाने हेतु लगभग 600 मीटर सी0सी0 रोड काटी गई है। काटी गई सी0सी0 रोड को बना दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कराये जाने की मांग**

40-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा में तकनीकी शिक्षा हेतु संस्थान न होने से क्षेत्रीय छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

जनपद गोरखपुर में 09 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 17 निजी औद्योगक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। अतः पूरे जनपद में राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पर्याप्त संख्या है। विधान सभावार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां योजनान्तर्गत सभी छात्राओं को योजना का लाभ दिये जाने की मांग**

41-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के 'पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां' योजनान्तर्गत कितनी बालिकाओं के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार वर्ष 2012 में 10वीं पास सभी छात्राओं को इस योजना का लाभ प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

योजनान्तर्गत कुल 5,10,950 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है।

योजना के संचालन हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 18.10.2012 में निर्धारित मानक एवं शर्तों तथा जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अनेकों ग्रामों में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग**

42-श्री बब्बन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-मढ़िया, बहादुरपुर, सतपोखरी, शाहपुर, दुलहीपुर, अमोधपुर ग्राम सभाओं में नाला न होने के कारण गांवों में जल जमाव की समस्या होने के कारण संक्रामक रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा बरसात के दिनों में यहां के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्राम सभाओं में जल निकासी हेतु नाला निर्माण करवारेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नियामताबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा मढ़िया, बहादुरपुर, सतपोखरी, शाहपुर, दुलहीपुर एवं अमोघपुर में ग्राम पंचायतों में नाला न होने के कारण बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है।

पक्का नाला निर्माण हेतु अनुमानतः रु0 2.50 करोड़ की आवश्यकता है, किन्तु वर्तमान में उक्त कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्यवाही**

43-श्री काली चरन सुमन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हाँ।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में 31 क्षेत्र (बस्तियों) प्राथमिक विद्यालय से तथा 01 क्षेत्र (बस्ती) उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित है। प्राथमिक विद्यालय से असेवित 31 क्षेत्रों (बस्ती) में

31 प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित 01 क्षेत्र (बस्ती) में 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रस्ताव रखा गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव की ग्राम सभा लखनौर में विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने की मांग**

44-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या बेसिक क्षिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डॉव के ग्राम सभा लखनौर में वर्ष 1967 से राजकीय कन्या जू0हा0 स्कूल एक प्राइवेट भवन में चल रहा है, जबकि विद्यालय के नाम चार एकड़ भूमि आवंटित है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण न हो पाने का क्या कारण है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं। वर्ष 1967 से प्राइवेट भवन में संचालित उक्त विद्यालय जुलाई, 2010 से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय लखनऊ के तीन अतिरिक्त कक्ष में संचालित है। विद्यालय हेतु आवंटित 04 एकड़ जमीन में भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान/धनराशि स्वीकृत नहीं है।

**जनपद मऊ के ब्लाक बड़गाँव के ग्राम बोझी अतरसवां मार्ग से करनपुर बस्ती तक क्षतिग्रस्त सड़क का लेपन कार्य कराये जाने की मांग**

45-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक बड़गांव के अन्तर्गत ग्राम बोझी अतरसवां मार्ग से खोनाचवंर अनु0 बस्ती होते हुए राजभर बस्ती तक (लगभग 1.5 कि0मी0) तथा बोझी बड़गाँव मार्ग से कानपुर अनु0 बस्ती तक (लगभग 2 कि0मी0) की क्षतिग्रस्त सड़क पर लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रश्नगत मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित नहीं है। अतः उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों पर लेपन का कार्य ग्राम विकास विभाग द्वारा कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई के कुलदीप कुमार पुत्र स्व0 रामरतन, सहा0 अध्यापक के मृतक आश्रित को नौकरी दिये जाने की मांग**

46-श्री बृजेश कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुलदीप कुमार पुत्र स्व0 रामरतन (सहा0 अध्यापक) नि0 ग्राम पूरनमऊ नेकपुर वि0खं0 मल्लावां, जिला हरदोई को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक रावत मा0 संसद सदस्य (लोक सभा) के पत्र दिनांक

7-6-2011 पर प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा को आदेश तथा श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, राज्य मंत्री, लोक निर्माण एवं सिंचाई का पत्र संख्या 345/वी0आई0पी0/रा0मं0/लोक निर्माण एवं सिंचाई/2012, दिनांक 31-5-2012 तथा श्री राम खिलाड़ी यादव, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 31-7-2012 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हाँ।

मृतक आश्रित श्री कुलदीप कुमार के पिता स्व0 रामरतन, सहायक अध्यापक की मृत्यु दिनांक 14-7-2000 को हुई थी और मृतक आश्रित द्वारा अपने सेवायोजन हेतु दिनांक 26-8-2006 को आवेदन-पत्र दिया गया, जो कालबाधित है तथा शासनादेश सं0 5193/15-5-2000-400(222)/99, दिनांक 4-9-2000 में निर्धारित समय सीमा 05 वर्ष के अन्तर्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अवयस्कता के अतिरिक्त शिथिलीकरण हेतु कोई ठोस आधार नहीं बताया गया। अतः श्री कुलदीप कुमार को मृतक आश्रित के रूप में समायोजित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में मुस्लिम-ए-उर्दू के शिक्षकों को नियमित करने का निर्णय

47-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुस्लिम-ए-उर्दू के हजारों शिक्षकों को नियमित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मोअल्लिन-ए-उर्दू उपाधिकारी शिक्षकों को शासनादेश सं0-1732/15-5-2002-400 (38)/2002, दिनांक 24-4-2002 एवं शासनादेश दिनांक 4-9-2000 के द्वारा प्रशिक्षित वेतनमान तथा अन्य लाभ दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है।

इन समस्त अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें बेसिक शिक्षा परिषद में चालू रखना उनके संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 4-9-2000 की व्यवस्था के अनुसार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर अवलम्बित होगी।

उक्तवत्।

## जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड भनवापुर के ग्राम तेतरी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान कराये जाने की मांग

48-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड भनवापुर के ग्राम तेतरी में जाब कार्ड धारकों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण खण्ड-प्रथम सिद्धार्थनगर द्वारा शाहपुर-सिंगारजोत मार्ग पर मई व जून, 2011 में पटरी निर्माण का कार्य कराया

गया था ? यदि हां, तो किन-किन मजदूरों को मजदूरी उनके खाते में कब भेजी गई ? यदि नहीं, तो मजदूरी न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में नियुक्त उर्दू अप्रशिक्षित अध्यापकों को नेशनल वरिष्ठता प्रदान करने की मांग**

49-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1994-95 में नियुक्त उर्दू अप्रशिक्षित अध्यापको को नेशनल वरिष्ठता प्रदान किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 1994-95 में नियुक्त अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों के संबंध में शासनादेश सं0 1732/15-5-2002-400(38)-2002, दिनांक 24-4-2002 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापक जिनके सेवानिवृत्त में 02 वर्ष शेष रह गये है अथवा उनकी अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा हो गयी हो, को प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में तैनात कर दिया जाये।

इन समस्त अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें बेसिक शिक्षा परिषद में चालू रखना उनके संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 4-9-2000 की व्यवस्था के अनुसार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर अवलंबित होगी।

**प्रदेश में अप्रशिक्षित मृतक आश्रित शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य से मुक्त किये जाने की मांग**

50-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 31-12-1999 तक पांच वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले अप्रशिक्षित मृतक आश्रित शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया है, हाँ, यदि तो क्या ऐसे अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को भी प्रशिक्षण कार्य से मुक्त किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां। किन्तु शासनादेश संख्या 77/15-11-2000-1499(8)77 दिनांक 01 फरवरी, 2000 द्वारा इसे संशोधित किया गया है कि मृतक आश्रितों के रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियुक्ति के पांच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाये। किन्तु यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों वश उक्त के अनुसार प्रशिक्षण संभव न

हुआ तो उन्हें पांच वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त तुरन्त ही बी0टी0सी0 प्रशिक्षण वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था उक्त के बाद यथाशीघ्र सुनिश्चित कर ली जाय।

जी नहीं ।

उर्दू अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए शासनादेश सं0 1732/15-5-2002-400(38)-2002, दिनांक 24 अप्रैल, 2002 द्वारा उपराक्त शासनादेश दिनांक 01-2-2000 की व्यवस्था लागू की गयी है।

**प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में आपूर्ति किये जाने वाले पोषाहार की आपूर्ति की जाँच**

51-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों ओर महिलाओं में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बंटने वाले पुष्टाहार की आपूर्ति के पूर्व क्या उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाती है ? क्या यह सत्य है कि बहुधा वितरित होने वाले पुष्टाहार में कीड़े आदि पाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या अधोमानक पुष्टाहार आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं पर महिलाओं, बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति करायी जाती है। पोषाहार आपूर्ति से पूर्व उत्पादन इकाई से पोषाहार के नमूने प्राप्त कर इसकी जांच एन ए बी एल (नेशनल एकीडियेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कलिब्रशन लेवोरेटरीज) जो भारत सरकार विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय से अनुमोदित है, से करायी जाती है। इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा भी प्रत्येक बैच के पोषाहार नमूनों की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती है।

यदा-कदा अधोमानक पोषाहार की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

परीक्षण कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा दोषी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

पोषाहार की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर आपूर्तिकर्ताओं को दण्डित किये जाने की व्यवस्था है। जिसके अनुसार सम्बन्धित बैच के अनुपूरक पुष्टाहार के कुल मूल्य के दो प्रतिशत धनराशि की कटौती किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिट कालेजों में स्टाफ की नियुक्ति कर संचालित कराये जाने की मांग**

52-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद से अब तक हाई स्कूल एवं इण्टरमीडियट परीक्षार्थियों की संख्या में कई गुना की वृद्धि के सापेक्ष

मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण बोर्ड का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद फिरोजाबाद के स्व0 सफदर अली को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर स्मारक बनाने व आश्रितों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग**

53-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 सफदर अली वकील (बागी) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करने तथा उनकी याद में स्मारक बनवाने एवं उनके आश्रित सैयद शवी उल हसन नकवी, निवासी 944, दर्जी गली कटरा मीरा, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को अनुमन्य सभी सुविधाएं प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-10-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कारवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

प्रकरण में वस्तुस्थित से माननीय सदस्य, विधान सभा को अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 60 जेड (2)/छ-2013-01ए0क्यू0/2013 दिनांक 20 फरवरी, 2013 के द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित गावों को विकसित करने हेतु गत वर्ष से स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों में अनिमियतता के विरुद्ध कार्यवाही**

54-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित 77 गावों को समग्र रूप से विकसित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग 30 करोड़ रुपये अवमुक्त किये गये थे क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि में से सिर्फ 9 करोड़ ही खर्च हो सके हैं और कराये गये विकास कार्यों की माह अक्टूबर, 2012 में कराई गयी जांच में उक्त कार्य मानक और गुणवत्ता के विपरीति पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष धनराशि से समयान्तर्गत अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण कराने एवं जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 30.00 करोड़ नहीं बल्कि मात्र रु0 20.00 करोड़ की धनराशि दिनांक 17-1-2013 में अवमुक्त की गयी हैं।

जनपद मिर्जापुर के 77 ग्राम नहीं बल्कि 107 नक्सल प्रभावित ग्रामों को समग्र रूप से विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रु0 30.00 करोड़ की धनराशि दिनांक 28 फरवरी, 2012 को अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष जनपद स्तर से प्रेषित रु0 2913.80 लाख की कार्य योजना दिनांक 10 मई, 2012 स्वीकृत की जा चुकी है।

माह अक्टूबर, 2012 तक स्वीकृत कार्यों पर रु0 1355.26 लाख खर्च हुआ है। माह अक्टूबर, 2012 में ऐसी कोई जांच नहीं कराई गई है, जिसमें कार्य मानक और गुणवत्ता के विपरीत पाया गया हो।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी**

55-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर में वर्ष 2012 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कितने आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इसके सापेक्ष कितने आवास बनाने का प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक, बलिया को भेजा गया था ? क्या सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवास दिया गया ? यदि नहीं, तो कितने अभ्यर्थी वंचित रहे और किन कारणों से नहीं दिये गये ? क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर वंचितो को वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवास देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड चिलकहर में 818 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारी, चिलकहर द्वारा 735 आवास बनाने का प्रस्ताव परियोजना निदेशक, बलिया को भेजा गया था।

खण्ड विकास अधिकारी, चिलकहर वर्ष 2011-12 में प्रस्तावित सभी 735 पात्र लाभार्थियों को आवास बनाये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग**

56-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़के निर्माण हेतु स्वीकृत हैं तथा इन

सड़कों पर कितना निर्माण कार्य हुआ है तथा इन पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या स्वीकृत सड़कों का कार्य आज भी अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरे कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-2 से फेज-10 के मध्य कुल 36 सड़कें निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत 36 मार्गों में से 33 मार्ग पूर्ण हैं।

फेज-9 (वर्ष 2011-2012) में स्वीकृत 1 मार्ग निर्माणाधीन है तथा फेज-10 (वर्ष 2012-2013) में स्वीकृत 2 मार्गों के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति में है।

निर्मित 33 सम्पर्क मार्गों पर कुल रु0 24,22,46,651.00 व्यय किये गये हैं जबकि फेज-9 के निर्माणाधीन मार्ग पर अभी कोई व्यय नहीं हुआ है।

फेजवार स्वीकृत निर्मित एवं निर्माणाधीन मार्गों की सूची संलग्न है, जिसमें प्रत्येक मार्ग की लम्बाई कार्य पूर्ण होने की तिथि, स्वीकृत लागत तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण दिया गया है (संलग्नक-अ)[†]।

फेज-9 (वर्ष 2011-2012) में स्वीकृत 1 कार्य निर्माणाधीन है तथा अनुबन्धानुसार दिनांक 28-08-2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त फेज-10 (वर्ष 2012-13) में स्वीकृत 2 मार्गों के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति में है।

जी हां।

फेज-9 में स्वीकृत 1 निर्माणाधीन मार्ग अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 28-08-2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। फेज-10 में स्वीकृत 2 मार्गों को अनुबन्ध गठन होने के उपरान्त उक्त तिथि से 12 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

57-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब है ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड सरदार नगर में वर्तमान में 36 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प स्थाई रूप (रि-बोर योग्य) से खराब हैं तथा 161 नग अस्थाई रूप (सामान्य मरम्मत योग्य) खराब है।

---

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-160-163 पर)

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 50 हैण्डपम्प रि-बोर कराये जायेंगे। अवशेष हैण्डपम्पों के लिए लक्ष्य का निर्धारण अगले वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में पेयजल की व्यवस्था**

58-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज नैनाना घाट ग्वालियर रोड, आगरा में पेयजल की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज में पेयजल हेतु व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

पेयजल की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा के ग्राम कलवारी में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से कराये जाने की मांग**

59-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम कलवारी में स्थापित पानी की टंकी से सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है एवं जगह-जगह पाइप लाइन लीकेज है ? यदि हां, तो क्या सरकार लीकेज पाईप व पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। गांव में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद में आर्सेनिक युक्त पानी की सप्लाई कराये जाने की मांग**

60-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद में जल में आर्सेनिक होने के कारण जल प्रदूषित हो गया है ? जिसको पीने से क्षेत्र की जनता को

कई गम्भीर बीमारियों का सामना करना पड रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु ओवर हेड टैंक बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हाँ। जनपद चन्दौली के नियामताबाद विकास खण्ड के 08 ग्रामों के 38 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के जल नमूनों में आर्सेनिक की मात्रा मानक से अधिक पाई गयी है।

पेयजल के सेवन से गम्भीर बीमारियों के उत्पन्न होने सम्बंधी कोई सूचना संज्ञान में नहीं आई है।

आर्सेनिक से प्रभावित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों को पेयजल हेतु प्रतिबन्धित कर उनके स्थान पर अतिरिक्त गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन करा दिया गया गया है, जिनके द्वारा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

उक्त के अतिरिक्त उक्त सभी ग्राम सूजाबाद ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना से भी आच्छादित हैं और इनमें ओवर हेड टैंक के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

61-श्री बब्बन सिंह चौहान-

[दूसरे बुधवार के अतारांकित प्र0सं0 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद चन्दौली व मऊ के ब्लाक फतेहपुर मण्डॉव में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

62-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली, जिला मऊ के ब्लाक फतेहपुर मण्डॉव के अन्तर्गत नन्दौर चट्टी से काठतराव तक पी0एम0 जी0एस0वाई0 की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डॉव के अन्तर्गत नन्दौर चट्टी से काठतरॉव तक किसी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद गोरखपुर के विधान सभा चौरीचौरा में बच्चों में हो रहे कुपोषण को रोकने की योजना सम्बन्धी जानकारी

63-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या बाल विकास सेवा पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा में कुल कितने बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं एवं कितने बच्चे कुपोषण होने की स्थिति से गुजर रहे हैं ? क्या सरकार बच्चों में हो रहे कुपोषण को रोकने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना सरदारनगर एवं ब्रह्मपुर पूरी तरह से तथा खोराबार एवं पिपराइच आंशिक रूप से सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं में कुल लगभग 38 हजार बच्चों का वजन लेते हुए ग्रोथ चार्ट तैयार किया गया है, जिसके सापेक्ष लगभग 12 हजार बच्चे कुपोषित पाये गये हैं। इनमें से 41 बच्चे अतिकुपोषित श्रेणी में आते हैं।

कुपोषण के प्रभावी रोकथाम के लिए आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत अनुपूरक पुष्टाहार दिये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से प्रतिरक्षण/टीकाकरण आदि कराया जाता है। कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट न्यूट्रिशन मिशन के गठन पर अलग से विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के विधान सभा चौरीचौरा में विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराये जाने की मांग**

64-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा में कुल कितने शासकीय/अनुदानित प्राथमिक विद्यालय हैं एवं इनमें से कितने भवन जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हैं तथा उनमें पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी की सुविधा नहीं है ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कराकर शौचालयों एवं पेयजल की व्यवस्था करायेगीं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में 03 विकास खण्ड पिपराइच, ब्रह्मपुर तथा सरदारनगर सम्मिलित हैं। इस विधान सभा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित शासकीय व अनुदानित विद्यालयों की संख्या शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ब्लाक बड़हलगंज के गांव सीधेगौर में बन्द पड़े पशु चिकित्सालयों को चालू कराये जाने की मांग**

65-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के तहसील गोला अन्तर्गत ब्लाक बड़हल के सीधेगौर गांव में निर्मित पशु अस्पताल पशु डाक्टर के अभाव में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त बन्द पड़े पशु अस्पताल को क्रियाशील बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी नहीं। पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

**जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय विकास खण्डों में भवन विहीन विद्यालयों के भवन बनाये जाने की मांग**

66-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक क्षिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर, मोहम्मदी व पसगवां में कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं शिक्षा मित्र के द्वारा संचालित हैं कितने-कितने विद्यालय भवन विहीन हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करते हुए भवन विहीन विद्यालयों के भवन बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड ईसानगर, मोहम्मदी व पसगवाँ में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। एकल शिक्षक एवं शिक्षा मित्र के द्वारा संचालित विद्यालयों की सूची संलग्न है†। शिक्षकों की कमी के कारण कतिपय विद्यालय शिक्षा मित्रों/अन्य विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अवश्य संचालित किये जा रहे हैं। कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं है।

अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है। कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी में कतिपय पेयजल योजना द्वारा आपूर्ति कराये जाने की मांग**

67-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी में राया खुर्द पेयजल योजना तथा कांशीराम विहार पेयजल योजना में पाइप लाइन मानक के अनुरूप नहीं डाले जाने के कारण, उक्त पानी की टंकियों से पानी की आपूर्ति अभी तक प्रारम्भ नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के पाइप लाइन डलवाकर पेयजल सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। जनपद फिरोजाबाद में राया खुर्द नाम की कोई पेयजल योजना नहीं है बल्कि टापा खुर्द पेयजल योजना के अन्तर्गत कांशीराम विहार नाम की बस्ती सम्मिलित है। उक्त योजना में पाइप लाइन मानक के अनुरूप डाली गयी है उक्त योजना संचालन एवं रख-रखाव हेतु नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद को हस्तान्तरित कर दी गयी है।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-164-174 पर)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद में कतिपय अधूरे पड़े हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग**

68-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2011-12 में लगाये गये 1704 नवीन हैण्डपम्पों में से रामपाल सिंह पुत्र चुन्नी लाल लखनई, ब्लाक टूण्डला छोटे लाल पुत्र राम स्वरूप, लखनई, ब्लाक टूण्डला, दिवाकर बस्ती लखनई, ब्लाक टूण्डला, जाटव बस्ती बादशाह गढ़ी, कोट की जाटव बस्ती, रामगढ़ आरिफ के पास जारवई, ब्लाक नारखी जाटव बस्ती कुबेर गढ़ी, ब्लाक नारखी, पृथ्वी सिंह प्रजापति शाहपुर, ब्लाक नारखी तथा खुशी राम प्रजापति शाहपुर ब्लाक नारखी के हैण्डपम्पों के अधिष्ठान का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2011-12 के 1704 नवीन इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की सूची में श्री रामपाल जाटव के नाम से एक इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प की सूची के क्रमांक 50 पर अंकित है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिष्ठापित करा दिया जायेगा। अवशेष नाम उक्त सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद में कतिपय पेयजल योजना की पाइप लाइन बदलवा कर जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग**

69-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अधिकरियों की लापरवाही के कारण ठेकेदार द्वारा पाइप लाइन मानक के अनुरूप न डालनें के कारण गणी मक्ती पेयजल योजना, ब्लाक टण्डूला, विजय गणी पेयजल योजना, ब्लाक टण्डूला, नगला धीरी पेयजल योजना, नगला सिंधी पेयजल योजना, डौरी पेयजल योजना, ब्लाक नारखी, पिपरौली पेयजल योजना, ब्लाक नारखी, डोरसा पेयजल योजना, ब्लाक नारखी, नगलर बलू पेयजल योजना, ब्लाक नारखी, मिलिक पेयजल योजना, ब्लाक नारखी, जरौली पेयजल योजना ब्लाक फिरोजाबाद में जलापूर्ति नही हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं में डाली गई पाइप लाइन बदलवाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। जनपद फिरोजाबाद की इन सभी पाइप पेयजल योजनाओं में पाइप मानक के अनुरूप डाला गया है। इनमें से दो योजनाएं क्रमशः भीकनपुर तथा नियामतपुर (न0 सिंधी) पेयजल योजनाएं चालू कर ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गयी हैं। इनका संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम

पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। अवशेष 05 योजनाएं क्रमश आलमपुर, नारखी डोरसा, धीरपुरा, कायथा एवं जरौली निर्माणाधीन हैं, जिनमें प्रश्नगत मजरे भी सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार

**जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा की ग्राम सभा गजाई कोल में पानी की टंकी से सुचारू रूप से जलापूर्ति**

70-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा के अन्तर्गत ग्राम सभा गजाई कोल में निर्मित पानी की टंकी बंद पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। ग्राम सभा गजाई कोल में निर्मित पानी की टंकी के माध्यम से ग्रामीणों को सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करने की मांग**

71-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेद्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की प्रदेश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है ? यदि हां, तो उसका ब्यारा क्या है एवं सरकार इसे कब लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न-65 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

(श्री राजेश त्रिपाठी तथा कुछ अन्य सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री राजेश त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इतना उत्तर आ गया है, अब क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, प्रश्न से ही जुड़ा हुआ मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज के अतारांकित प्रश्न सं0-65 पर माननीय पशुधन मंत्री का जवाब आया है, मैं जानता हूँ कि इसके लिए अधिकारी दोषी हैं, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है। मैंने पूछा था कि जनपद गोरखपुर के तहसील गोला अन्तर्गत

ब्लाक बड़हलगंज के सीधेगौर गाँव में नवनिर्मित पशु चिकित्सालय डाक्टर के अभाव में बन्द पड़ा है। जवाब आया है, जी, नहीं और वहाँ पर पशु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। जबकि सच्चाई यह है, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी स्वयं अपने किसी अधिकारी से पता करा लें, वीडियोग्राफी करा लें, उस अस्पताल में ताला बन्द है और जवाब आया है कि वहाँ इलाज चल रहा है। ऐसा जवाब सम्बन्धित अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को भ्रम में रख कर बनाया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपको लगे कि यह उत्तर तथ्य से परे है तो नियमावली और नियमों में प्राविधान है, उसके अन्तर्गत आप लिख कर हमारे आफिस को भेजेंगे, उसमें पूछताछ हो जायेगी अब आप बैठिए।

अभी प्रश्न प्रहर तो है लेकिन कोई प्रश्न अवशेष नहीं है।

## [12.13 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-02-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 16 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की-वाराणसी कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की कतिपय सड़कों एवं जल निकास हेतु नाले एवं नालियों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की-उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का वरिष्ठता के आधार पर विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की-जनपद जौनपुर में जनवरी माह में पड़ी कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर तथा ओले-पानी से किसानों की फसल की हुई बर्बादी की क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की-जनपद मेरठ के चार वार्डों को तहसील सरधना से बदलकर तहसील मेरठ सदर में किये जाने के सम्बन्ध में।

पाँचवीं सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण के कतिपय क्षेत्रों को थाना भावनपुर से हटाकर थाना मेडिकल से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

छठवीं सूचना श्री उमा शंकर सिंह की-विधान सभा क्षेत्र रसड़ा बलिया अन्तर्गत दोहरी घाट सहायक मुख्य नहर से निकलकर नरांव से गुजरने वाली नहर के सामने का भाग क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री सुभाष पासी की-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में सैदपुर-सादत मार्ग पर ग्राम सभा हिरान्दपुर के सामने गांगी नदी पर बने पुल का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की-जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व ग्रामों को सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये चार नवीन क्षेत्र पंचायतों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

नौवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद की-जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में छज्जू नगला से करवल नदी तक नाले की खुदाई किये जाने के सम्बन्ध में-अनुपस्थित हैं।

दसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की-जनपद लखनऊ की सबनम सहकारी आवास समिति द्वारा जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

ग्यारहवी सूचना श्री विजय कुमार दुबे की- जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के नौगावां एवं परसिया आदि इलाकों में लगे लकड़ी के विद्युत खम्भों को बदले जाने के सम्बन्ध में है। (उपस्थित हैं)

बारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की-जनपद शाहजहांपुर में रोजा-बल्लिया से रामापुर वरकतपुर तक एक किमी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में है। (उपस्थित हैं)

तेरहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के कपितय ग्रामों बाढ़ की विभीषिका से बचाये जाने के लिये पिचिंग अथवा बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में है। (उपस्थित हैं)

चौदहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की-जनपद फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है। (उपस्थित हैं)

पन्द्रहवीं सूचना श्री अली युसुफ अली की-जनपद रामपुर की तहसील सलारपुर स्वार में वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (उपस्थित हैं)

सोलहवीं सूचना श्री राजेश अग्रवाल की-जनपद बरेली के पुराना शहर में जगतपुर पुलिस चौकी के निकट सरकारी चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं-श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, श्रीमती कृष्णा पासवान, डा0 अरूण कुमार, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री अजय मिश्र 'टेनी', श्री संजय कपूर, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री काली चरण सुमन, श्री राजनारायण बुधौलिया, श्री प्रदीप माथुर, श्री विजय कुमार पासवान, श्री रामलाल अकेला, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री राम चन्द्र यादव।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, कृपया मेरी सूचना स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

श्री भीम प्रसाद सोनकर जी नहीं हैं उनके स्थान पर श्री सतीश महाना की सूचना स्वीकृत की जाती है। श्री भगवती प्रसाद जी भी नहीं हैं उनके स्थान पर श्री राम चन्द्र यादव की सूचना स्वीकृत की जाती है।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

**वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की कतिपय सड़कों एवं जल निकासी हेतु नाले एवं नालियों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[मान्यवर, वाराणसी कैण्ट विधान सभा के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है। जर्जर सीवर अवस्था, नालों की नियमित सफाई न होने के कारण सारी गन्दगी सड़क पर बहती है, और पानी निकासी की उचित व्यवस्था के अभाव में सड़कें टूटने लगती हैं। लोग अपने घरों से निकल कर सड़क पर खड़े होने का जगह नहीं पाते अतः अपने दरवाजे के सामने सड़क ऊंचा कर देते हैं, जिससे सड़क के दोनों ओर ऊंचा हो जाता है और सड़क ही नाला बन जाता है।

अतः निवेदन है कि सरकार अपनी सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत कुछ खास सड़क जैसे काशी बालिका इण्टर कालेज शिपुरवा की सड़क नेवादा से सुन्दरपुर होते हुये नरिया तक की सड़क, सरायनन्दन के मंजुश्री स्कूल की सड़क के दोनों ओर फुटपाथ को जरा ऊंचा करके पैदल यात्रियों को आवागमन को सुरक्षित कर दें तथा फुटपाथ के नीचे जल निकासी हेतु नाला या नाली बना दिया जाय, जिससे सड़कें भी सुरक्षित हो जायं।

जनहित में इस अति महत्वपूर्ण व संवेदनशील विषय पर स्वच्छ नगर व सुगम यात्रा हेतु सड़क निर्माण का मानक व रूप बदलकर इस दिशा में सरकार साकार कदम उठाये इस हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

**उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का वरिष्ठता के आधार पर विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री उपेन्द्र तिवारी-

[महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना 1999 में की गयी। स्थापना के उपरान्त विभिन्न कार्य संपादन हेतु तृतीय श्रेणी के पदों पर संविदा के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी। नियुक्ति के पश्चात् लगभग 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवधि से कर्मचारी निष्ठा एवं ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं परन्तु इन्हें विनियमित न कर सीधी भर्ती से नियुक्ति की गयी जिसके फलस्वरूप लगभग 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी 11 कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है तथा इन कर्मचारियों की आयु सीमा भी शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गयी जिसके कारण इनकी कहीं भी सरकारी सेवा में नियुक्ति की संभावना समाप्त हो चुकी है।

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में शासन द्वारा 20 पद स्वीकृत किए गए थे जिन पर अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। संविदा कर्मचारी जो लगभग 12 वर्ष से कार्यरत हैं निरन्तर विश्वविद्यालय प्रशासन से स्वीकृत 20 पदों पर

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वरिष्ठता के आधार पर समायोजित कराने की माँग कर रहे हैं। शासन द्वारा पूर्व में अन्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया गया है।

अतः जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रकरण पर समुचित कार्यवाही करके वरिष्ठता के आधार पर संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण की माँग करता हूँ।]

**जनपद जौनपुर में जनवरी माह में पड़ी कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर तथा ओले-पानी से किसानों की फसल की हुई बर्बादी की क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्रीमती सीमा-

[महोदय,

तहसील मछलीशहर के सुजानगंज, मछलीशहर एवं मुंगराबादशहपुर जनपद जौनपुर के पान किसानों की पानी की फसल कोहरे व शीतलहर से पूर्णतया नष्ट हो गयी है। पान की फसल में पान के पत्ते की बेल में काले-काले धब्बे पड़कर सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी है। जनपद जौनपुर के पान की खेती करने वाले काश्तकारों की फसल नष्ट होने के कारण उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। मेरी मांग है कि जनपद जौनपुर में पान की फसल को आपदाग्रस्त घोषित करते हुए पान के फसल की हुई बर्बादी की क्षतिपूर्ति दिया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पान की खेती करने वाले किसानों को दैवीय आपदा से हुई बर्बादी की क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

**जनपद मेरठ के चार वार्डों को तहसील सरधना से बदल कर तहसील मेरठ सदर में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले-

[महोदय,

लगभग 27 वर्ष पूर्व नगर महापालिका मेरठ उच्चीकरण कर देहात की आबादी को जोड़कर नगर निगम मेरठ का दर्जा दिया गया जिसमें मेरठ नगर निगम का वार्ड नं0 16 का जटौली मोहल्ला तथा वार्ड नं0 39 डोरली, वार्ड नं0 4 सोफीपुर एवं वार्ड नं0 17 पल्लवपुरम् फेस प्रथम एवं द्वितीय नगर निगम का हिस्सा बनाये गये हैं। उपरोक्त क्षेत्र आज तक भी पूर्वानुसार सरधना तहसील जनपद मेरठ का हिस्सा है। जबकि 27 वर्ष बीत चुके हैं आज भी तहसील से संबंधित कार्यों के लिए नगर नियम में निवास करने वाले नागरिकों को 22 किमी0 दूर सरधना तहसील में जाना पड़ता है। उपरोक्त चारों वार्डों की तहसील सदर मेरठ होनी चाहिए।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त चारों वार्डों को सरधना तहसील से हटाकर मेरठ सदर तहसील में किये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण के कतिपय क्षेत्रों को थाना भावनपुर से हटाकर थाना मेडिकल से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भडाना-

[महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण में थाना भावनपुर से सम्बद्ध क्षेत्र शिव शक्ती विहार, भोपाल विहार, प्रताप नगर, उत्तराखण्ड कालोनी तथा मेडिकल कालेज के पीछे गढ़ रोड और काली नदी के बीच का क्षेत्र अव्यवहारिक रूप से थाना भावनपुर से सम्बन्ध है इस क्षेत्र की दूरी थाना भावनपुर से घूमकर जाने के कारण 15 से बीस किमी0 बैठती है जबकि उक्त समस्त क्षेत्र थाना मेडिकल की दीवार से बिल्कुल सटा हुआ है अर्थात् व्यवहारिक व भौगोलिक दुष्टि से शीघ्र पहुँच एवं कम दूरी थाना मेडिकल की पड़ती है। उपरोक्त क्षेत्र का थाना अत्यधिक दूरी भावनपुर में होने के कारण कोई घटना होने पर पुलिस तब पहुँचती है जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है इसे जनहित में कम दूरी पर स्थित मेडिकल थाना क्षेत्र से उपरोक्त क्षेत्रों को जोड़ा जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शिव शक्ती विहार, भोपाल विहार, प्रताप नगर, उत्तराखण्ड कालोनी तथा मेडिकल कालेज के पीछे गढ़ रोड और काली नदी के बीच का क्षेत्र को थाना भावनपुर से हटाकर थाना मेडिकल से सम्बद्ध किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

## विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया अन्तर्गत दोहरी घाट सहायक मुख्य नहर से निकलकर नरांव से गुजरने वाली नहर के सामने का भाग क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर,

मैं जनहित एवं कृषक हित के एक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत एक नहर जो कि दोहरी घाट सहायक मुख्य नहर से निकलकर ग्राम सभा नरांव से गुजरती है, वो नहर इतनी क्षतिग्रस्त है कि जब भी उसमें पानी छोड़ा जाता है तो ग्राम सभा नरांव के सामने के सैकड़ों एकड खेत में पानी भर जाता है जिससे किसानों को काफी नुकसान के साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सभा के सामने वाले हिस्से की नहर को कृषक हित में पक्की कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कृषकों के इस गम्भीर संकट को देखते हुए इस विषय पर कार्यवाही/ वक्तव्य की मांग करता हूं।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में सैदपुर सादत मार्ग पर ग्राम सभा हिरान्दपुर के सामने गंगा नदी पर बने पुल का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सुभाष पासी-

[महोदय,

आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 374 सैदपुर जनपद गाजीपुर में सैदपुर सादत मुख्य मार्ग पर ग्राम सभा हिरान्दपुर के सामने गांगा नदी के ऊपर बने पुल की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो चुकी है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस पुल का नवीनीकरण कराया जाय।

मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र के आखिरी छोर पर ग्राम सभा तेतारपुर पड़ता है। हमने आगे भी प्रस्तावित किया है कि तेतारपुर धौरहरा गोमती नदी के ऊपर नवनिर्माण हो जाने से विधान सभा का विकास होगा और ये पुल आपस में दो जिलों को जोड़ता है।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 वर्ष से अधूरे पड़े सैदपुर मारूखपुर गंगा नदी का पुल कार्य अतिशीघ्र सम्पन्न कराया जाय।

अतः इस लोक महत्व के गंभीर विषय को मान्यवर के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की पुरजोर मांग करता हूँ।]

**जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर के 94 राजस्व ग्रामों को सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये चार नवीन क्षेत्र पंचायतों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय,

ज्ञातव्य हो जनपद पीलीभीत के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व ग्राम पृथक कर सम्बद्ध किए गए हैं। जिसके कारण क्षेत्र पंचायत पूरनपुर में 94 गाँव सम्बद्ध हो गये हैं। क्षेत्र पंचायत पूरनपुर जनसंख्या की दृष्टिकोण से पूर्व से ही उ0 प्र0 की सबसे बड़ी क्षेत्र पंचायत है। नवीन 94 गाँव सम्बद्ध होने से विशालता परिलक्षित हो रही है। जनपद में छः क्षेत्र पंचायत तहसील बीसलपुर में विलसण्डा, बीसलपुर एवं बरखेड़ाकलां के नाम से तथा तहसील पीलीभीत में ललौरीखेड़ा अमरिया एवं मरोरी के नाम से है इन दोनों तहसीलों में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से एक-एक नवीन क्षेत्र पंचायत सृजित किए जाने की भी अपरिहार्यता है। इस प्रकार तहसील बीसलपुर में माधौपुर तहसील पीलीभीत में भमौरा और तहसील पूरनपुर में माधौटांडा एवं गजरौला नामक स्थलों पर चार नवीन क्षेत्र पंचायत सृजित किए जाने की आावश्यकता है तभी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अन्य क्षेत्र पंचायतों की भांति जनपद पीलीभीत की भी क्षेत्र पंचायतें गठित हो सकेंगी।

---

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस सूचना पर संदर्भ में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा की जाय तथा सम्बन्धित कार्यवाही कराने की भी मांग करता हूँ।]

## जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के नौगावां एवं परसिया आदि इलाकों में लगे लकड़ी के विद्युत खम्भों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे-

[मान्यवर कुशीनगर जनपद अन्तर्गत 329 विधान सभा क्षेत्र-खड्डा के नौगावां से सिसवनियां 12 किलोमीटर एवं परसिया से सिरसिया 14 किमी0 पर 11000 लाइन की विद्युत आपूर्ति लकड़ी के जर्जर पोल एवं जगह-जगह जोड़े गये पुराने तारों के माध्यम से हो रहा है। जिसके चलते प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में जनहानि होती रहती है। उक्त दोनों रूटों पर दर्जनों गाँव पड़ते हैं, जिससे किसान हमेशा दुर्घटना की आशंका से भयभीत रहते हैं। पिछले बजट सत्र के सदन में उक्त मुद्दा उठाने के साथ-साथ विद्युत कारपोरेशन अध्यक्ष से मिलकर उक्त दोनों रूटों के लकड़ी के जर्जर पोलों के बदले आर0सी0सी0 पोल एवं पुराने तारों को बदलकर नया तार विजनेश प्लान के माध्यम से बदलने का मांग मेरे द्वारा किया था। जिस पर विगत एक वर्ष में 185 आर0सी0सी0 पोल में से अधिशासी अभियन्ता गोरखपुर भण्डार द्वारा 87 पोल मिला है। बचे पोल एवं उक्त रूट पर नये तार एवं उपकरण के बिना दोनों परियोजनाओं पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका है, लकड़ी के जर्जर पोल, तार बदलकर उक्त दोनों मार्गों पर आर0सी0सी0 पोल एवं नये तार जनहित में लगाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

## जनपद शाहजहाँपुर में रोजा-बल्लिया के रामापुर बरकतपुर तक 1 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय,

शाहजहांपुर जनपद के ग्राम बल्लिया, ब्लाक भावलखेड़ा से रामापुर बरकतपुर की दूरी मात्र एक कि0मी0 है। वर्तमान में जो रास्ता उपलब्ध है उससे 7 कि0मी0 का चक्कर लगाकर ही जमका, निगौना होते हुए बल्लिया से रामापुर जाया जा सकता है इससे समय भी ज्यादा लगता है तथा दूरी भी ज्यादा तय करनी पड़ती है। किसानों की तथा ग्राम वासियों की पिछले कई वर्षों से यह मांग रही है कि रोजा-बल्लिया से रामापुर बरकतपुर तक यदि एक किमी0 सड़क लेपन स्तर तक बना दी जाय तो लगभग 10 हजार लोगों के आवागमन में प्रतिदिन सुविधा हो जायेगी। जनहित में यह मार्ग बनना अत्यन्त आवश्यक है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से उक्त मार्ग बनवाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के कतिपय ग्रामों में बाढ़ की विभीषिका से बचाये जाने के लिये पिचिंग अथवा बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अनीसुर्रहमान-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कांठ(मुरादाबाद) के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम गोपालपुर, बेगमपुर, मिश्रीपुर, भागीजोत व महमूद कलमी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वर्ष 2010 से लगातार रामगंगा नदी में बाढ़ आ रही है। तथा धन व जन की हानि हो रही है। प्रश्नगत ग्रामों के लोग त्राही-त्राही कर रहे हैं कई गरीब किसान भूखों मरने के कगार पर हैं। इसकी सूचना शासन को भी दी गई। परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त ग्रामों में पिचिंग व बंधा बनाया जाना नितांत आवश्यक है। उक्त गम्भीर स्थिति से मा0 मुख्य मंत्री एवं मा0 सिंचाई मंत्री को भी अवगत कराया जा चुका है। आने वाले बरसात के मौसम में बाढ़ के कारण जनता की परेशानी बढ़ने की पूरी सम्भावना है। तथा पिचिंग अथवा बंधा न बनाए जाने से जनता काफी आक्रोशित है।

अतः जनहित में मेरे क्षेत्र में रामगंगा नदी पर बसे ग्राम गोपालपुर, महमूद कलमी में पिचिंग व बंधा बनाए जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

**जनपद फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मनीष असीजा-

[महोदय,

फिरोजाबाद नगर पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में अपने कांच उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। वर्तमान में लगभग 7-8 लाख आबादी के इस नगर में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उचित गुणवत्ता के जल की बहुत कमी है।

वर्तमान में नगर में भू-गर्भ जल स्तर 220-240 फीट तक पहुंच चुका है एवं भू-गर्भ जल विभाग के सर्वक्षणों के अनुसार फिरोजाबाद विकास खण्ड अति दोहित श्रेणी में आता है तथा प्रदेश के उन 67 विकास खण्डों में से एक है जहां सबसे ज्यादा भू-गर्भ जल स्तर की गिरावट दर्ज की गयी है। जलस्तर की गिरावट के कारण जहां नगर में पुराने स्थापित नलकूपों का जलश्राव बहुत कम रह गया है। वहीं जमीन में 375 फीट गहराई के पश्चात् मिलने वाला जल बहुत अधिक खारा, फ्लोराइड एवं आर्सेनिक युक्त तथा टी0डी0एस0 मानकों से बहुत अधिक अशुद्धि वाला होने के कारण नगर में नयी बोरिंग भी सफल नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति के कारण सर्दी के मौसम में भी पेयजल समस्या के कारण आये दिन जाम, धरना प्रदर्शन तथा आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण नगर में आये दिन शांति एवं कानून-व्यवस्था के भंग होने की आशंका बनी रहती है।

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फिरोजाबाद में पेयजलापूर्ति के लिए वर्तमान में 18 ओवर हेड टैंक, 14 सी0डब्लू0आर0 एवं अधिकांश क्षेत्रों में सप्लाई पाइप लाइन बिछी होने के कारण बहुत बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आवश्यक धन, श्रम एवं समय की अधिक आवश्यकता नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए मेरा सुझाव है कि निचली गंगा नहर प्रणाली के झेड़ा झाल (रेगुलेटर) की भोगनीपुर ब्रांच से सतही जल (सरफेस वाटर) कराया जाय एवं इंटेकवेल, पम्पिंग प्लांट की सहायता से पाइपलाइनों के माध्यम से नगर फिरोजाबाद में पेयजलापूर्ति कराई जाये।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

## जनपद रामपुर की तहसील सलारपुर स्वार में वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अली युसुफ अली-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-रामपुर के तहसील सलारपुर स्वार में वन में खुलेआम अवैध कटान हो रही है, वन निगम को लकड़ी न पहुँचाकर दूसरे स्थानों पर बेंच दी जाती है। जिससे वन विभाग का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। बड़े पैमाने पर हो रही अवैध कटान होने के कारण क्षेत्रीय जनता को सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त अवैध कटान को रोकने के लिए जाँच कराकर उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

## जनपद बरेली के पुराना शहर में जगतपुर पुलिस चौकी के निकट सरकारी चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश अग्रवाल-

[महोदय,

बरेली के पुराना शहर में जगतपुर पुलिस चौकी के निकट सरकारी चिकित्सालय की स्थापना किया जाना जनहित में परम आवश्यक है।

पुराना शहर की आबादी में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ही समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हैं। सघन आबादी के दृष्टिगत स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। जगतपुर पुलिस चौकी के निकट पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जिस पर समस्त सुविधाओं से युक्त सरकारी चिकित्सालय की स्थापना की जा सकती है। इससे एक तरफ जहां रिक्त भूमि का सदुपयोग होगा वहीं जनता को स्वास्थ्य सुविधायें सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

अतः व्यापक लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा की कार्य-प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**कानपुर महानगर स्थित विश्व बैंक वर्र के सेक्टर जे0 एवं के0 में विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सतीश महाना-

[महोदय,

कानपुर महानगर स्थित विश्व बैंक बर्रा के सेक्टर जे एवं के में विकास प्राधिकरण द्वारा 1984 में साउथ सिटी में बर्रा विश्व बैंक योजना बसाई गयी थी। उस समय कानपुर विकास प्राधिकरण ने जिस प्रकार से सीवरेज सिस्टम बनाई कि वह प्रारम्भ से ही गलत थी और वर्तमान में सीवर लोड बढ़ने के साथ पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया है। मौजूदा समय में ज्यादातर सीवर लाइन चोंक है। सीवर का पानी बैंक फ्लो होकर गलियों एवं घरों में घुस रहा है जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से सेक्टर-जे एवं के में पुनः सीवर लाइन डालने की योजना बनाकर तत्काल कार्यवाही कराने की मांग करता हूँ।]

**जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र के रूदौली अन्तर्गत भेलसर बाबा बाजार इन्हौना मार्ग के विशेष मरम्मत तथा चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय,

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अंतर्गत भेलसर, रूदौली, बाबा बाजार, इन्हौना मार्ग लम्बाई 22 किमी0 एक अतिमहत्वपूर्ण व क्षेत्र की तरक्की विकास व अमेठी रायबरेली बाराबंकी व लखनऊ सहित कई जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। विगत 10 वर्षो से उक्त मार्ग पर किसी तरह का कोई मरम्मत आदि का कार्य नहीं किया गया है जिससे पूरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस मार्ग पर पड़ने वाली बाजारों क्रमशः भक्तनगर, बाबा बाजार, उमापुर सहित सभी बाजारों में जल भराव हो रहा है। अब तक इस मार्ग पर कई बड़ी दुर्घटनायें घटी है। जिसमें दर्जनों मौतें हुईं और सैकड़ों की संख्या में लोग गम्भीर अवस्था में घायल हुए। इस महत्वपूर्ण मार्ग के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा विगत 10 वर्षों से की जा रही है। परन्तु लोक निर्माण खण्ड द्वितीय की उदासीनता व लापरवाही के चलते उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। जनपद मुख्यालय पर मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण बैठते हैं। फिर भी इस मार्ग पर उच्चाधिकारियों द्वारा कभी दौरा नहीं किया गया और न ही इनके द्वारा कोई सुझाव/ आदेश लोक निर्माण खण्ड द्वितीय को दिया गया। परिणामस्वरूप क्षेत्रवासी मजबूर होकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में भयंकर जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भेलसर-बाबाबाजार-इन्हौना मार्ग के विशेष मरम्मत तथा चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## [12.17] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को नियम-300 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 सूचनायें प्राप्त हुयीं। पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में बजट प्राविधान होने के बावजूद प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सुनी जाएगी। दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर की प्रदेश सरकार द्वारा संत रविदास जयन्ती के सार्वजनिक अवकाश को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबध में है। इसका विधान सभा से या विधायिका के नियमावली से कोई संबंध नहीं है इसलिए यह नहीं सुना जाएगा। तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी माननीय विधायकों को जारी रेलवे कूपन से टिकट बनवाने पर वरिष्ठ नागरिकों की भांति वरिष्ठ विधायकों को भी किराये में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में है। इस संदर्भ में 20 जून, 2012 को दी गयी एतद्विषयक सूचना पर दिनांक 16 जुलाई, 2012 को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुयी बैठक में प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गयी। इसलिये उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यह नहीं सुनी जाएगी। चौथी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की विधान सभा में प्राप्त प्रश्नों का कोड निर्धारित किये जाने के संबंध में है। यह इसमें नहीं सुना जाता है। विधान सभा के प्रश्नों के बारे में आप विधान सभा में चर्चा नहीं करेंगे आपका कोई हो तो व्यवस्था के प्रश्न पर आप उठा सकते हैं। यह नहीं सुनी जाएगी।

## डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 के बजट में धन का प्राविधान होने के बावजूद प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था केन्द्र स्तर पर है। इस वर्ष भी आप बजट प्रस्तुत करेंगे। जो कार्यक्रम आप देंगे जो घोषणा आप करेंगे। उन योजनाओं में से कितनों को आपने लागू किया है। कितनों को अपनाया। आपने कितने कार्यक्रम घोषित किये थे उन पर कितना अमल हुआ। जब आप अपना नया बजट प्रस्तुत करते हैं तो यह जानकारी आनी चाहिए। 2012-13 का आपने बजट प्रस्तुत किया अब 2013-14 का बजट आपने प्रस्तुत किया। पहले हमें यह तो जानकारी हो जाती कि 2012-13 पर कुछ अमल हुआ या नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का बहुत प्रचार हो गया है। क्षेत्र में इसका बहुत अच्छा संदेश गया। लोगों ने हमसे मिलना शुरू किया कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में उनका गांव आ जाये। आपने जो प्राविधान किया था उसके हिसाब से लगभग 45 लाख रुपया एक गाँव के हिस्से में आना चाहिए था। मान्यवर, फरवरी समाप्ति की ओर है। मार्च का महीना बचेगा। आज तक किसी गांव में न तो काम शुरू हुआ न तो किसी जिले में पैसा गया। नया बजट आ गया। पहले आपने 720 करोड़ की योजना घोषित की थी। अबकी गांव की संख्या बढ़ा दी गयी प्राविधान कोई है नहीं।

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह स्थिति है। वर्तमान बजट का पेज नं0-5 : डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत लगभग 10000 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2013-14 में उक्त में से 2100 ग्रमों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाएगा। मान्यवर, पूर्व में जो योजना थी इसी योजना का इसमें उल्लेख किया गया था जहाँ 782 करोड़ रुपये का आपने प्राविधान किया था।

क्यों आपने घोषणा की थी, जब पैसा नहीं था। क्यों आपने यह लालच हमको दिया था या प्रदेश की जनता को दिया था कि आपके गांव का विकास होगा। आपके गांव में कम से कम 45 से लेकर 50 लाख रुपये लागत के काम होंगे। अब जितने भी प्रतिनिधि हैं मान्यवर, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष के हों, दबाव तो सीधा-सीधा उनके ऊपर रहता है और एक बात मान्यवर, आपके संज्ञान में डाल दूँ, मा0 मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, आपने सर्वे कराया गांव का, प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा सर्वे हुआ और गांवों में जा करके उन्होंने, शिक्षा की स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इन सब बातों पर बिन्दुवार उन्होंने नम्बर दिये और नम्बर देने के बाद में क्रमानुसार उन गांवों की सूची प्रस्तुत की गई, जब जिला योजना की बैठक हुई। मान्यवर, न जाने किस कारण से, क्यों आपने सर्वे कराया था, सर्वे कराया था तो निष्पक्षता के रूप में सर्वे कराया था कि कौन से गांव ज्यादा पिछड़े हुए हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनको विकास के लिए लिया जायेगा। सारी सूची को नजर अन्दाज कर दिया। अब चयनकर्ता हो गये, प्रभारी मंत्री, क्या यह रास्ता होगा विकास का। हम मिले मान्यवर, कई बार यहां भी बात उठाई गई कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जायेगा कि नहीं लिया जायेगा, कितना विश्वास में लिया गया उसके साक्षी तो हमारे 403 जनप्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, कितना उनको विश्वास में लेकर काम किया गया। न प्रशासनिक मशीनरी के सर्वे के अनुसार गांव लिये गये, न जनप्रतिनिधियों की सिफारिश के अनुसार गांव लिये गये। गांव लेने का आधार क्या रहा ? क्या यह आधार केवल राजनीतिक आधार पर लिये जायेंगे मान्यवर, फिर दूसरों की आलोचना करने का हमें अधिकार कहां रह गया। हम दूसरों को कहते हैं कि पक्षपात के आधार पर काम कर रहे हैं, जब हमारी भी सोच केवल और केवल पक्षपात के आधार पर रह गयी। कोई कह रहा है, कुछ नेता लोग कह रहे हैं जो नहीं आ सके विधान सभा में, मेरे गांव नहीं लिये गये, मैं चुनाव हार जाऊँगा। चुनाव तो पहले ही हार गये वह, अब आगे क्या होगा उनका। मान्यवर, इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा, प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा जो चयन किया गया, उसको नजर अन्दाज कर देना और तीसरी बात मान्यवर कि प्रभारी मंत्रियों ने जो कुछ भी किया होगा, वह तो अलग बात है, उसके लिए गांव में कोई कार्यक्रम न चलना, जिलों में पैसा न पहुँचना, नए बजट का प्रस्तुतीकरण कर देना और इस योजना को आगे बढ़ाने की बात करना मान्यवर, यह उचित नहीं है, औचित्य का प्रश्न इसीलिए मैंने बताया है और अब तो स्थिति यह आ गई मा0 नेता सदन इस पर ध्यान दे लें। नल की स्थिति यह है कि प्रभारी मंत्री तय करेगा कि कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा। उठ कर के गांव से विधायक तक आया था, विधायक से उठ करके अब वह मंत्री पर आ गया। जो उस जिले का रहने वाला भी नहीं है, क्षेत्र का रहने वाला भी नहीं है, उसको वहां की आवश्यकता का पता भी नहीं, वह प्रभारी मंत्री तय करेंगे, पता नहीं आखिर होने क्या जा रहा है।

मान्यवर, हम पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हैं मान्यवर, लेकिन मैं इसको सम्मान के साथ में कह सकता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में नल मिले, नल लगाये गये और बहुत हद तक जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर लगाये गये, एक अन्तिम वर्ष को छोड़ करके जब आपको इलेक्शन लड़ना था और हार कर यहां बैठना था। उस वर्ष को छोड़ करके मान्यवर, बाकी वर्षों में वास्तव में जनप्रतिनिधि की सिफारिश के आधार पर ही नल को लगाया गया। अब पता नहीं क्या हो गया, सरकार को। प्रभारी मंत्री तय करेंगे, नल भी कहां लगेंगे। अगर प्रभारी मंत्रियों का स्तर नलों पर आ गया मान्यवर, और घट कर कहां जायेगा, फिर टोटी पर आ जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, दो विषय मैंने रखे हैं और यह विषय मैंने कोई हल्के मन से नहीं रखे हैं, पूरी गम्भीरता के साथ दोनों विषय रखे हैं। नम्बर-एक अगर डा0 लोहिया के समाजवाद के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण है तो उस महान व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए कि उसके नाम पर चयन हो जाय और चयन करने के बाद वहां पर काम न हो। आपने डा0 अम्बेडकर के नाम से ग्राम विकास कराया और वास्तव में उन गांवों की शक्ल अलग नजर आती है जहां पर विकास हुआ है। क्या आप सोचे हैं यह कि डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर जो चयन होगा वह गांव खण्डहर की स्थिति में रहेंगे। हम क्या वहां पर बोर्ड लगा देंगे जा करके डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांव। मान्यवर, यह उचित नहीं है, पैसा आपके पास में है या नहीं है, यह तो आप जानें, लेकिन अगर आपने घोषणा की थी सोच समझकर घोषणा की थी और बहुत जिम्मेदारी के साथ में कहा था कि हमारे पास संसाधन हैं, संसाधनों के आधार पर ही हम इनका चयन करके घोषणा कर रहे हैं। तो मान्यवर, एक तो उस स्थिति में मेरी विनती है। मैं केवल सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। मान्यवर, मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि पैसा जिलों में भेज दिया जाए और जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के आधार पर उन गांवो का विकास किया जाए जिनको आप लोहिया ग्राम के अन्तर्गत चयनित करते हैं। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि अब इस बात को आगे न बढ़ायें कम से कम। नलों के लिए भी प्रभारी मंत्री इसको खत्म करें। ये सब जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, जनता का विश्वास ले करके आते हैं। कम से कम इनको इतना जिम्मेदार समझें कि सदुपयोग होगा, ठीक उपयोग होगा। प्रभारी मंत्री के माध्यम से उपयोग सम्भव ही नहीं होगा, सदुपयोग और दुरुपयोग की बात तो दूसरी है। मान्यवर, मैं औचित्य के रूप में यह प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि प्रदेश सरकार के मुखिया यहाँ पर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई समाधान हो।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 अध्यक्ष जी, क्योंकि नल लगाने का काम एक मजदूर की हैसियत से हमारा ही विभाग करता है और जब नल लगते हैं तो उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा नल लगें, अच्छी क्वालिटी के लगें और हमें भी काम मिले। नलों के लगने की पिछले कई सालों से अच्छी-खासी संख्या है और उनमें से बेहतर नल ऐसी जगह लग गये जिसका सदुपयोग कम हुआ। लोगों ने अपनी बाउण्ड्री वॉल्स के अन्दर लगा लिए। बड़े-बड़े मकान हैं, उनका सहन बड़ा है और अगर बाहर भी लगवा लिया तो फिर थोड़े दिन बाद दीवार तोड़कर अन्दर ले लिया। ऐसी

अनेकों बेशुमार मिसालें है और उन लगने वाली जगहों को इंगित भी हम ही सबने किया। चाहे हम विधान सभा में आने वाले हों, संसद में जाने वाले हों, प्रधान साहबान हों, जिला पंचायत के सदस्य हों या सार्वजनिक जीवन में राजनैतिक या सामाजिक काम करने वाले लोग हों मेरे ख्याल से यह कह देना काफी नहीं है कि इस सदन में बैठे हुए लोग ही जनप्रतिनिधि हैं। पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जो और व्यवस्थाएं है, उनमें काम करने वाले भी जनप्रतिनिधि हैं। वे भी गांव स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर यह जानते हैं कि कहाँ नल लगने की जरूरत है। अगर कहीं ऐसा है कि लगना चाहिए और नहीं लगा है। अगर उसकी पूरी सूची मिल जाए क्योंकि ये सूची तो जा चुकी है। आप उससे वाकिफ हैं और मेरे ख्याल से एकदम इस बात को खारिज कर देना भी इंसाफ की बात नहीं होगी कि प्रभारी मंत्री सही फैसला नहीं लेंगे। प्रभारी मंत्री भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। वो सरकार हो, हम हों, आप हों, आप कभी सरकार में आयेंगे तो आप होंगे, जब आप थे तब हों। प्रभारी मंत्री रहे हैं और इस वक्त भी हैं। आगे भी रहने की ही उम्मीद है। उन लोगों के जरिए जो नाम हैं और जो जगहें आयी हैं, उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, वो पूरे परीक्षण के बाद है। अगर कहीं कोई ऐसी जगह है, जहाँ नहीं लग सके हैं और जहाँ लगने की आवश्यकता है तो मैं पूरे सदन से चाहूँगा कि जिन मा0 सदस्यों को यह लगे कि कहाँ गलत लग रहा है उसे भी इंगित कर दें ताकि हम उसमें सख्ती कर सकें और आईन्दा गलत जगहों पर न लगे और कहाँ लगने की आवश्यकता है। अगर ऐसी जानकारी मिले तो फिर उस पर यकीनन विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 हुकुम सिंह जी को सुना। मा0 मंत्री जी, लोहिया ग्राम भी है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, अच्छा मैं तो आपकी बात से इन्कार करता ही नहीं हूँ। चाहे इसे आप राजनैतिक बात मानें, चाहे अराजनैतिक बात मानें।

(सदन में हँसी)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, लोहिया ग्राम के बारे में, धन के बारे में जो इनका प्रश्न था, उसके बारे में कुछ कहना है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, ये हमारे बड़े दाना दुश्मन हैं। ये नादानी से मोहब्बत करते हैं और दानाई से यहाँ बात करते हैं। हुकुम सिंह जी को खूब मालूम है कि बजट प्राविजन जब तक नहीं होगा और जितना होगा, नहीं होगा, मैं गलत कह गया। जितना होगा उसी के एतबार से मान्यवर काम होगा। सप्लीमेण्टरी बजट में भी इसका प्राविजन था। अब भी है तो बजट पास कर दीजिए, इसका खर्चा होगा। क्यूँ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आजम साहब का इतना एहतराम करता हूँ क्योंकि गलत तो ये कह ही नहीं सकते और सही कहना इन्होंने सीखा नहीं है।

(सदन में जोर हँसी)

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि वर्ष 2012-13 का बजट पारित हो गया, ग्रांट पास हो गयी और यह वायदा यहाँ पर किया गया कि तुरंत इसका पैसा रिलीज करके जिलों में भेज दिया जायेगा। वर्ष 2012-13 का सिर्फ एक महीना बचा है, वह तो पास हो चुका है पहले ही, मैं उसकी बात कह रहा हूँ जो पास हो चुका है। मान्यवर, अगले वाले की बात तो बाद में आएगी। अनुपूरक भी पास हो गया है, मूल बजट भी पास हो गया है, सारे के सारे पास होने के बाद में भी पैसा नहीं गया है, मैं वर्ष 2012-13 की बात कर रहा हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, पैसा पहुँच गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 हुकुम सिंह जी की बात सुनी, संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, मैं इसे अग्राहय करता हूँ और शेष पहले ही बता चुका हूँ कि नहीं सुनी जाएगी।

## [12.30] उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर प्रथम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

ससंदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

## [12.31 बजे] राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 6220/32–3–2012–109–2008 टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2012††

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा में राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-6220/32-3-2012-109-2008, टी0सी0 दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 को उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

**[12.31 बजे] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की नियम समिति (2012-2013) का द्वितीय प्रतिवेदन†**

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की नियम समिति (2012-2013) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

**[12.32 बजे] जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत आगरा जलेसर रोड से बाँधनू-रूपधनूं गढ़ी खंगर होते हुए आगरा जलेसर रोड को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री राम प्रकाश सिंह चौहान आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका**

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत आगरा-जलेसर रोड से बांधनू-रूपधनूँ गढ़ी। खंगर होते हुए आगरा जलेसर रोड को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री रामप्रकाश सिंह चौहान व श्री जुगराज सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वरा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

**जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर शहरी क्षेत्र स्थित इस्माइल नगर (मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र) का सम्पूर्ण विकास (सड़क, नाली, मार्ग प्रकाश) कराये जाने विषयक श्री सज्जन अली आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका**

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर शहरी क्षेत्र स्थित इस्लाम नगर (मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र) का सम्पूर्ण विकास (सड़क, नाली, मार्ग प्रकाश) कराये जाने विषयक श्री सज्जन अली व श्री निसार खां आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

**जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर कस्बा मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री श्याम दीक्षित आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका**

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में एत्मादपुर कस्बा मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री श्याम दीक्षित व श्री केशव निमेश निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

**जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के यमुनापार स्थित शहरी क्षेत्र में फाउन्ड्री नगर में राधा नगर से विद्या निकेतन होते हुए बीनापुरम्-गणेश नगर-संजीव नगर से शोभा होते हुए विद्यापुरम् तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र शर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका**

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत यमुनापार स्थित शहरी क्षेत्र में फाउन्ड्री नगर में राधा नगर से विद्या निकेतन होते हुए

बीनापुरम् गणेश नगर-संजीव नगर से शोभा नगर नगर होते हुए विद्यापुरम् तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र शर्मा व श्री भोले शंकर चौहान निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका हूँ।

**जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत नगला चतुरा एवं सिकन्दरपुर के किनारे यमुना नदी पर पुल का निर्णाण कराये जाने विषयक चौ0 हरी सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका**

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत नगला चतुरा एवं सिकन्दरपुर के किनारे यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक चौ0 हरी सिंह व चौ0 बल्देव सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

**जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र में मण्डी समिति (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2) से नगला बिहारी तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री समीम अहमद आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका**

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत यमुनापार स्थित शहरी क्षेत्र में मण्डी समिति (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2) से नगला बिहारी तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री समीम अहमद व श्री राजपत निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

**जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के यमुनापार स्थित शहरी क्षेत्र में कछपुरा मेहताब बाग तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरी मोहन आदि निवासीगण आगरा द्वारा हस्ताक्षारित याचिका**

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत यमुनापार स्थित शहरी क्षेत्र में कछपुरा मेहताब बाग तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरी मोहन व कुंवर पाल सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 8, 9, व 10 में कुछ नहीं है।

**12.34 बजे उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013†**

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

---

† दिनांक 4.4.2013के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

## [12.35 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 56 की सूचनाओं को लेता हूँ।

माननीय मौर्या जी इसमें आपकी भी सूचना है। उसमें घटना का तो विवरण है परन्तु घटना किस तारीख को हुई इसका उल्लेख नहीं है। मैं सूचनाओं को पढ़े दे रहा हूँ।

आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें प्रथम 2 सूचनाओं को श्लाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जाता है। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

| | | |
|---|---|---|
| पहली सूचना | श्री प्रमोद तिवारी की | कानपुर के कल्याणपुर में 3 दिन पूर्व कुछ चिकित्सकों एवं उनके सहायकों की गिरफ्तारी के क्रम में प्रदेश के कई अंचलों में असंवैधानिक रूप से जन्म के पूर्व भ्रूण लिंग की जांच और गर्भपात कराने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |
| दूसरी सूचना | श्री हुकुम सिंह,<br>श्री केशव प्रसाद मौर्य,<br>श्री सतीश महाना,<br>श्री सुरेश राणा,<br>श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,<br>श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,<br>श्री रामचन्द्र यादव<br>कु0 भारतेन्द्र सिंह तथा<br>श्री लोकेन्द्र सिंह की | प्रदेश एवं देश में दूध के भारी संकट को दृष्टिगत रखते हुये दुधारू पशुओं के कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |

| | | |
|---|---|---|
| तीसरी सूचना | डा0 धर्मपाल सिंह की | दिनांक 22.2.2013 को जनपद आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2 पर रात लगभग 9.30 बजे पुलिस बूथ के पास किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |
| चौथी सूचना | श्री उपेन्द्र तिवारी की | जनपद बलिया के फेफना विधान सभा के अन्तर्गत गड़वार थाना की खड़ीचा में दिनांक 25.2.2013 अजीत कुमार वर्मा की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |
| पांचवीं सूचना | श्री स्वामी प्रसाद मौर्य,<br>श्री राजबली जैसल,<br>श्री दीपक पटेल,<br>श्री सिनोद कुमार शाक्य,<br>श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,<br>श्री कालीचरन सुमन,<br>श्री जय प्रकाश निषाद,<br>श्रीमती रजनी तिवारी,<br>श्रीमती हेमलता चौधरी,<br>श्री राजेश त्रिपाठी,<br>श्री सन्त प्रसाद,<br>श्री बृजेश वर्मा तथा<br>श्री बब्बन की | जनपद इटावा के जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास के पिछले दरवाजे पर कोर्ट मैरिज हेतु आवेदन-पत्र देकर कचहरी परिसर से लौट रहे श्री अदनान कीर्ति मिश्रा की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |
| छठी सूचना | डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की | प्रदेश में समस्त महानगरों में आवास अधिनियमों की अवहेलना करने, अधोमानक एवं अवैधानिक कालोनियों के विस्तृत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः-

1. श्री सुरेश कुमार खन्ना,
2. श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव,

3. श्री संजय कपूर,

4. श्री उमाशंकर सिंह,

5. श्री प्रदीप माथुर,

6. श्री पंकज कुमार मलिक तथा

7. श्री अगयश राम सरन वर्मा।

श्री प्रमोद तिवारी

मान्यवर, यह एक मानवीय समस्या उत्पन्न हो रही हैं, हमारे समाज में। मान्यवर यह एक ऐसी समस्या बन रही कि अगर उसका समय रहते निदान नहीं ढूंढ़ा गया तो आने वाले समय में हर इन्सान को माँ-बहन-बेटी किसी को बुलाने में दिक्कत होगी। मान्यवर कानपुर में गिरफ्तारी हुई है। मैंने आपको अपनी सूचना में अस्पतालों के नाम और पूरा विवरण दिया है, जहाँ यह लिंग-परीक्षण का कार्य हो रहा था। मान्यवर, हर जिले में और हर जिला मुख्यालय पर ऐसे अल्ट्रा साउण्ड केन्द्र स्थापित हो गये हैं जहाँ उसके माध्यम से लिंग का निर्धारण हो रहा है, जन्म से पहले यह बता दिया जा रहा है कि बच्चा लड़का है या लड़की और यह एक पूरा रैकेट चल रहा है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज लिंग आधार पर जो यह बातें प्रकाश में आ रही हैं उससे लड़कियों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। मान्यवर, 2011 तक एक हजार पुरुष पर 918 लड़कियां थीं। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। इसके चलते आगे क्या होगा, आज गर्भ में ही बेटियों का गर्भपात कराया जा रहा है। अगर यह लिंग अनुपात प्रदेश का निरन्तर इसी तरह से घटता गया तो फिर शायद इस देश में सबसे कलंकपूर्ण अध्याय इस प्रदेश का बन जायेगा। कानून तो लागू है, कानून इस बात को प्रतिबंधित भी करता है, लेकिन सत्य तो यह है कि यह काम धड़ल्ले से प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश में चल रहा है मान्यवर, आज देश का इतिहास उठाकर देख लें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हों सब ने अपने क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो मैं चिन्तित होकर इस समाज की संरचना से चिन्तित होकर, एक दिन यह न आये कि हमारे समाज में माँ न रह जाय, बहन न रह जाय, बेटी न रह जाय और जिस दिन यह नहीं रह जायेगा उस दिन हम नहीं रह जायेंगे। तो मैं चाहता हूँ मान्यवर, सरकार से आग्रह करूँगा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रदेश में एक प्रभावी कार्यवाही करके इस तरह के चिन्हांकित करने के गोरखधन्धे को, काले धन्धे को, कलंकपूर्ण धन्धे को रोकने के लिए एक कार्यवाही की जाय, यही मेरा निवेदन है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी, नेता कांग्रेस ने जो विषय सदन के समक्ष रखा है यह नियमों में तो नहीं आता लेकिन मानवीय आधार पर इसकी जितनी चिन्ता की जाय, कम है और इस पर बहुत सख्त कार्यवाही और बहुत सख्त कानून की जरूरत है। उधर बैठते हुए भी और पिछली सरकार में जब आपने यह सवाल उठाये है चाहे बसपा की सरकार हो या उससे पहले हमारी सरकार हो, मेरा जवाब यही आया है और आज भी वही जबाब है कि आदिकाल में या जब जिसे हम अशिक्षित दौरे-जिहालत कहते हैं उस वक्त यकीनन ऐसा होता था कि डिलीवरी से पहले बस्ती के बाहर गड्ढ़ा

खोदकर रखा जाता था और अगर बेटी पैदा होती थी तो जिन्दा उसे उस गड्ढ़े में फेक दिया जाता था और उस पर मिट्टी डाल दी जाती थी यह उस जमाने की सभ्यता थी और मर्दानिगी समझी जाती थी कि बेटी को दफन कर दिया गड्ढ़े के अन्दर जिन्दा और बेटा बचा तो उसकी खुशियां मना ली। समाज बदला और बदलते-बदलते बेटियों को यहाँ तक मौका मिला कि वह चांद सितारों तक पहुंचने लगीं। मेरे ख्याल से वह असभ्य समाज के लोग कम गुनाहगार थे। आज हम जो देख रहे है या जो प्रश्न आपने रखा है वह शायद कम गुनाहगार थे बनिस्बत उनके जो गुनाहगार आज है। आज लोग सम्पन्न हैं, दौलत वाले हैं और यह काम किसी ढ़ाबे में नहीं होता, किसी गांव देहात के झोलाछाप डाक्टर के हाथों से नहीं होता बल्कि यह बड़े हास्पिटल, बड़े नर्सिग होम में होता है, बड़ी डिग्रियां लेने वाले डाक्टर इस बात को कर रहे है। सब आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है लिहाजा समाज के लिए यह लोग ज्यादा निन्दनीय हैं और काबिले शर्म है और सामाजिक स्तर पर दर-असल इनका बहिष्कार होना चाहिए। कानून तो होना ही चाहिए लेकिन ऐसे डाक्टर्स को जिनके बारे में जिनको यह मालूम है और ऐसे नर्सिंग होम्स को जिनके बारे में मालूम है कि वह इस तरह का काम करते हैं कम से कम समाज उनका बहिष्कार करें, उनके गम में शरीक न हों, उनको अपने शादी ब्याह में बुलायें नहीं, उनके शादी-ब्याह में न जायें ताकि उस बस्ती के लोगों को यह मालूम हो कि यह वह लोग है जो बेटियों के कातिल हैं। मैं पूरी संवेदना के साथ यह कहना चाहता हूँ कि जो भी कानून की कमजोरियां हैं चाहे वह भारत सरकार के स्तर पर हों, राज्य सरकार के स्तर पर हों उन कानूनी कमजोरियों को खत्म होना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसी इबरतनाक सजाएं मिलना चाहिए कि यह हिम्मत न कर सकें इस तरह की और हमारे यहाँ जाँच के सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, छापे लगना चाहिए इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए लेकिन चूँकि नियमों में नहीं आता है उसका तो मैं विरोध करता हूँ लेकिन आपका जो बिन्दु है उसका विरोध करने का सदन में शायद किसी की हिम्मत नहीं हो सकती।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं बिलकुल संतुष्ट हूँ। आपको नहीं लगता यह विषय ऐसा है जिस पर सदन चर्चा कर ले अगर आप उचित समझते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि अगर माननीय मंत्री जी सहमत हों तो एक घंटे की चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं। अब आपने पूरा तथ्य रख दिया, पकड़े गये डाक्टर उन्होंने कह दिया, कानून बनाने की बात कह दी। मैने तिवारी जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम 56 में नहीं आता है इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, यह जो नियम-56 की सूचना है तारीख तो नहीं है यह तो गलती हुई, लेकिन सूचना निश्चित है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए आपका नम्बर बाद में है, बैठिये। कल दे दीजिएगा। यह होना चाहिए था, आप जैसे नेता विरोधी दल का हस्ताक्षर हो और उसका मानक न पूरा हो, बताये न आप पढ़ते नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, घटना तो निश्चित है, 23 तारीख की है बहुत रीसेन्ट है।

श्री अध्यक्ष-

वह आपने नहीं दिया, अब कल दीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

घटना तो निश्चित है और 23 तारीख की है।

श्री अध्यक्ष-

आपने नहीं दिया, अब कल दे दीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। हमारी समस्त अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषकों के यहाँ-जहाँ और साधन है, वही सबसे महत्वपूर्ण आमदनी का सिलसिला खेती के बाद में पशुपालन और पशुपालन करके दूध का व्यवसाय करना है। मुझे सौभाग्य रहा इस विभाग को अपने पास रखने का। एक समय यह भी था कि उत्तर प्रदेश में एक लाख लीटर दूध प्रतिदिन मुरादाबाद से कलकत्ता जाता था, बम्बई जाता था, दिल्ली जाता था और हमें खुशी होती थी कि हमारे पशुपालकों को आमदनी का साधन मिल रहा है। आज स्थिति दुर्भाग्य से यह हो गयी है कि इतने लोग पशु कटान पर लग गये है और इतने साधन उसको उपलब्ध हो गये हैं कि कई-कई हजार, 50 हजार तक पशु रोजाना उत्तर प्रदेश में कट रहे है। मैने आंकड़े भी दिये, वधशालायें खुल गई, न भी खुले वधशाला, अगर किसी में 500 का परमिट है तो निश्चित रूप से वहाँ 5000 पशु काटे जा रहे हैं। मान्यवर, यह गाजियाबाद के पास का उदाहरण है जब वहाँ पशु कटते गये, कटते गये तो जो उनका मैला और खून था, उसके बहने से जब वहाँ की जमीन भी अनुपजाऊ हो गयी और इत्तिफाक से वह चार गाँव मुस्लिम समुदाय के थे और उनको चिन्ता यह हुयी कि इस तरह से यदि पशु कटते रहे तो उनके गुजर-बसर का साधन क्या रह जायेगा। उन्होंने अपनी पंचायत करके अधिकारियों से यह कहा कि इस पशु वध को रोको लेकिन जो माफिया इस काम में हैं, उनके लिये मजहब और धर्म का कोई हिसाब नहीं है, न कोई आधार है। वह तो केवल आमदनी चाहते हैं, चाहे उन्हें पशु काटना पड़े या कोई और काम करना पड़े। उन लोगों ने वहाँ पर आतंक फैलाया, दंगे कराये और 5 दिन लगे उन दंगों को नियंत्रित करने में। यह कोई मजहबी दंगे नहीं थे, बल्कि उन माफियाओं द्वारा कराये गये दंगे थे। मान्यवर, इस बारे में मैंने बहुत विस्तार से माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पर कार्यवाही भी कराई। लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश इस समस्या से ग्रसित है। मेरे पास में सारी सूचनायें यहाँ पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शायद ही कोई जनपद ऐसा न बचा हो, जहाँ से दुधारू पशुओं

की तस्करी न हो रही हो और कटान न हो रही हो। अगर इसी गति से पशु कटते रहे तो क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या होगा हमारी आगे आने वाली नस्लों का, दूध की कमी नहीं है क्योंकि दूध की तो वैकल्पिक व्यवस्था हो गयी, यूरिया से बनायेंगे, नकली दूध बनायेंगे उसमें ऐसे मसाले डाल देंगे कि चाहे जहर वह बन जाये, मिठाई जहर की बन जायें, खोया जहर की बन जाए बच्चों को जहर पीना पड़े, उसकी चिन्ता नहीं करेंगे। लेकिन मान्यवर, असली दूध मिलना तो कुछ दिनों के बाद में असंभव हो जायेगा, अगर इस कटान को न रोका गया। रोका कैसे जाये, क्योंकि उनके पास इतनी आधुनिक चीजें हो गयी जो इस काम में लगे हैं, मान्यवर, एक सिकविल नाम का इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन पशु को लगाते है, पशु बेहोश हो जाता है और बोल भी नहीं पाता। कभी-कभी यह होता था कि वह आवाज लगायेगा, बोलेगा लोगों को पता लग जायेगा, लोग गाड़ी घेर लेंगे, इसलिये अब पहले पकड़ते है और फिर इंजेक्शन लगाते हैं, पशु बेहोश हो जाता है, जहाँ ले जाना होता है, वहाँ ले जाते हैं। मान्यवर, आज स्थिति इतनी विकट हो गयी है कि मैं अपने दो-तीन जनपदों की बात कह सकता हूं सहारनपुर, बागपात, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गयी है कि कोई भी व्यक्ति रात में अपने पशुओं को बांधकर आराम से सो नहीं सकता। अगर सो गया तो पशु गायब और चाहे कितनी कीमती भैंस हो, कितनी कीमती गाय हो, एक लाख की हो, 90 हजार की हो, 80 हजार की हो, साफ हो जायेगी और 5 मिनट के अंदर उसका कोई चिन्ह भी नहीं मिलेगा, तुरन्त उसको जाकर काट देंगे। क्योंकि आधुनिक साधन हो गये, उन आधुनिक साधनों में काटने में एक मिनट लगता नहीं। इसके अलावा जो यह गैंग है, जो माफिया लोग है, जबरदस्ती खेतों में ले जाकर जानवर काटने हैं, माँस भरकर गाड़ियों में ले जाते हैं, उस माँस में बदबू हो जाती है लेकिन आजकल प्रोसेसिंग करके बाहर ले जाने की बात हम करते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है, कई देशों ने इस बात पर एतराज भी किया, लेकिन वह लोग बाज नहीं आ रहे। अब हो क्या, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार इससे विशेष अभियान चलाये, क्योंकि आज हमारा पुलिस का कर्मचारी या तो बेबस हो गया था फिर वह भी इसी धन्धे में लिप्त हो गया। आज जितने पशु पकड़े भी जाते हैं, लोग शिकायत भी करते हैं, मेरे पास में आकड़े हैं, मैं मंत्री जी के पास में भिजवा दूँगा पशुओं को जमानत पर दे देंगे थाने से ही और जमानत पर किनकों देंगे, जो उनके पाँच-सात गुर्गे थाने के क्षेत्र में पले हुए हैं। वह गुर्गे उन पशुओं को फिर जा करके कसाईखाने में, बूचड़खाने में दे देंगे, वह फिर काट दिये जायेंगे। मान्यवर, उस कमाई में पुलिस भी लिप्त हैं और वह लोग भी लिप्त है तो इसे रोकने का एक ही मान्यवर, तरीका है। अभी एक पुलिस के अधिकारी परसों अपनी पीड़ा बता रहे थे कि साहब आप हमेशा इसका विरोध करते हैं लेकिन स्थिति यह हो गई है कि यदि हम पकड़ कर ले भी आये तो न्यायपालिका अगले दिन ही उनको जमानत दे देती है और जमानत देने के बाद हम उनको ढूँढ़ भी नहीं पाते हैं कि वह पशु कहाँ गये, मान्यवर, व्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई जा रही है। सभी इस पर चिन्तित नहीं है, लोगों को पैसा चाहिए और पैसे के आधार पर सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं कह रहा था कि इसकी व्यवस्था क्या हो, मान्यवर, मेरे अनुसार व्यवस्था यह होनी चाहिए कि जो पुलिस की चौकी लगी हुई है वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए और जिस चौकी के क्षेत्र में अगर पशु कटान की शिकायत मिलती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

वहाँ के जो एस0ओ0 हैं, पुलिस के इंचार्ज हैं, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, पुलिस अधीक्षक की जिम्मेंदारी तय की जाए, एस0डी0एम0 की जिम्मेदारी तय की जाए और एक सर्वे इस बात का चलता रहे कि इस क्षेत्र में इस साल यदि पाँच हजार भैस भी तो अगले साल तक कम हो करके कितनी रह गई तब तो इस पर कुछ नियन्त्रण हो सकता है अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब दूध के लिए लोग तरसेंगे और शायद दूध भी हमें यूरोप से मँगाना पड़े। मान्यवर, गोंडा का किस्सा आपको पता है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मेरे पास सारी बातें हैं, सारे देश में हमारी जगहँसाई हुई कि अगर किसी अधिकारी ने रोकने को प्रयास किया तो उसको कीमत देनी पड़ी, उसको हटाया गया। अब कौन उसमें शामिल है कौन नहीं मैं सटीक वर्ड नहीं देना चाहता, यह जाँच का विषय है लेकिन अगर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे जिम्मेदार आदमी पशुओं की तस्करी करायेंगे, उन्हें नेपाल भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे तो पुलिस कहाँ रोक पायेगी। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय को अतिमहत्वपूर्ण समझते हुए निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाई सरकार की ओर से होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता, भारतीय जनता पार्टी मेरे व्यक्तिगत विचारों को भलीभांति जानते हैं और सरकार में भी मैं इस पर कितना बल देता रहता हूँ इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यह किसी भी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, यह आपने बिल्कुल ठीक कहा है और इन्तेहाँ तो यह है कि जो गरीब व्यक्ति है गोश्त का काम करने वाला और गरीब खाने वाला, मुसलमान, दलित पिछड़ा, जो महँगी सब्जी और मंहगी दालें नहीं खरीद सकते वह जिन्दा और मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं, यह बिल्कुल एक सच्चाई है। इन्तेहा होगी यदि मैं आपको एक ऐसी सी0डी0 दूँ जिसमें मरे हुए एक जानवर की खाल उतारकर एक साहब उसके गोश्त को उतारकर एक थैले में भर रहे हैं और फिर उसे दुकान पर लाकर बेच रहे हैं, पूरी उसकी एक सी0डी0 मेरे पास है। मान्यवर, इसके लिए थोड़ा सा हम खुद भी विचार करें कि हम कितना खुद गिर गये हैं। यह सवाल सरकारी तन्त्र, पुलिस सबसे जुड़ा होने के साथ साथ इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि हमारे अपने जमीर कहाँ हैं। मैं यहाँ देखने गया जहाँ जानवरों को रखा जाता है तो वहाँ मालूम हुआ कि जो दीवारों के साथ ग्रिल लगाई गई उसके अन्दर भाले बने हुए हैं धारदार नोक के, पशु उधर आये और झाँकने की कोशिश की भाला गर्दन में घुसा, जख्मी हो गया और फिर उसका क्या हुआ यह आप बता चुके हैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ जाकर मैंने उन तमाम भालों को खत्म कराया, उन पर पट्टियाँ लगवाई और ऐसी ही हम एक योजना तैयार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो इंसान जानवरों के साथ हमदर्द नहीं हो सकता वह इंसान के साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि वह बेजुबान हैं। जब यह कोशिश की हमने कि प्रदेश भर की तमाम गायों को हम यहाँ लाकर रखने का काम करें। जो लोग गायों को छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूध देने वाली नहीं रही अब अगर कसाई को देंगे तो पाप लगेगा, खुद काटेंगे तो पाप लगेगा लाइये पुण्य का काम यह करें कि उसे सड़क पर छोड़ आयें। अब वह आवारा फिर रही है और उसने फल वाले की टोकरी में मुँह डाल दिया तो वही जिसको हम छोड़ गये हैं, वह डंडा खा रही है, गाली खा रही है। तो व्यवस्था मैंने यह करनी चाही कि पूरे प्रदेश को लाकर यहाँ पर रखें और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हो

सकता है कि कुछ दिनों में हम उसे इतना बड़ा बना लें, इतना अच्छा बना लें कि सड़कों पर आवारा फिरने वाले जानवरों को, खासतौर से हम गायों को ला सकें। लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात मालूम हुई कि ऐसी गायों को जो काटने के लिए जा रही हों उन्हें पकड़कर अगर कहीं देना चाहें, चाहे वह सामाजिक संस्था हो या सरकारी संस्था हो तो उसे लेने से इंकार कर दिया जाता है और कोई उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं होता है। यह किसी सरकार से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। पुलिस में कहाँ के लोग आते हैं, हमारे आपके घरों के लोग आते हैं, वह ही इस धंधे में लिप्त होते हैं। तो मैं जाती तौर पर मान्यवर, अब कानून में उन्हें बहुत छूट मिली हुई है। कुछ जगहों पर जो शहरों के अंदर ऐसे कारखाने हैं उन पर तो मैने बहुत सख्ती कर रखी है। सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगवाना शुरू कर दिये हैं, उनकी जाँच भी शुरू कर दी है, जिलाधिकारियों से उनकी रिपोर्ट्स भी मँगाना शुरू कर दिये हैं, इस पर भी नजर है कि किस जानवर पर मुहर लगी है और किस पर नहीं लगी है, कौन अपने पैरों से उतर कर आया और कौन नहीं आया। लेकिन मान्यवर, हैदराबाद के आतंकवादी हमले में, जो टी0वी0 पर हमने सुना कि हमले से पहले सी0सी0टी0वी0 कैमरों के तार काट दिये गये अब सी0सी0टी0वी0 कैमरों से कितना सच और कितना झूठ आ रहा है यह भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत मुखालिफ हूँ इसलिए भी कि यह अमानवता का काम होने के साथ-साथ उस गरीब आदमी का बड़ा नुकसान है। जानवर बहुत महँगा हो गया है, जो गोश्त 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो मिलता था, आज वह 150 रुपये किलो मिलता है और गरीब आदमी उसे खरीद नहीं पा रहा है, मरा जानवर भी नहीं खरीद पा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लाइसेंस है 100-200 जानवरों का बहुत लिमिटेड लाइसेंस है लेकिन कटान कितना होता है वह शायद उस लाइसेंस से थोड़ा ज्यादा होता है। इसे यकीनन देखने की जरूरत है और देखा जा रहा है। मैं जो कुछ यहाँ कहता हूँ या माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहता हूँ, अपने साथियों से भी कहता हूँ वह उसको करने के लिए कहता हूँ। इस पर कोशिश हो रही है और कितनी हमें कामयाबी होगी। एक और निर्णय हुआ है जो शायद कल तक आपको मालूम होगा, मैं सदन में उसे नहीं कहना चाहता। जो लोग पोल्यूशन बोर्ड के माध्यम से इसमें अपना काम दिखा रहे थे उस पर मुख्य मंत्री जी ने कुछ फैसला लिया है। तो मान्यवर, इसमें कमी आनी चाहिए और मजा यह है, बड़ी अजीब बात है, आपको तो पता नहीं इस समस्या का, क्योंकि आपकी तरफ तो ये कटान के कारखाने हैं नहीं। हमारे यहाँ से बाइस-बाइस टायर ट्रक लदे हुए जाते हैं और हम देखते हैं क्योंकि हमारा दिल्ली बाई रोड जाना होता है तो हम देखते हैं। पूरब में कोई कारखाना नहीं है। मेरे पास सिफारिश के लिए आये कि साहब आपके यहाँ पुलिस रिपोर्ट नहीं लगा रही है, आपकी वजह से। हम पर यह इल्जाम है जबकि हमसे कोई मतलब नहीं है उसका तो मैंने उन्हें दावत दी कि आप पूरब में भी जाईये, वहाँ भी लगाईये कारखाने, वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है। मान्यवर, रामपुर से लेकर दो-तीन-चार जिले हैं बस उन्ही तक ये कारखाने हैं। बहरहाल परेशानी हैं लेकिन हुकुम सिंह जी पहले से ज्यादा अंकुश लगा है और ज्यादा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और जिस बारे में आप खासतौर से कहना चाहते हैं कि जो गलत तरह से जानवरों को ले जाया जाता है उसको भी रोका जा रहा है, बहुत मुकदमें पंजीकृत हो रहे हैं। जहाँ तक इंसाफ की बात है उसमें हम भी बेबस हैं और जहाँ से

इंसाफ मिल रहा है उसमें हम भी बेबस हैं और उन फैसलों को मान लेना हमारी भी मजबूरी है। कोशिश बराबर जारी है आपके सवाल से पूरी सहानुभूति है लेकिन क्योंकि नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसे आप माने या न मानें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने मा0 हुकुम सिंह जी को और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरे बिजनौर जिले में इसी सरकार के समय मे 850 जानवर काटे गये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बैठिये, मा0 हुकुम सिंह जी ने पूरी बात कह दी है। इस पर मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया कि हम इसको रोकने को प्रयत्न कर रहे है। आपके नेता ने भी सारी बातें कह दीं। अगली सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी इसी महीने की 22 तारीख को आगरा में किराना व्यापारी प्रकाश चन्द्र अग्रवाल जी और उनका भतीजा अपनी दुकान बन्द करके घर जा रहे थे एन0एच0बार्डर पर चौराहा है पुलिस बूथ के पास ही उनके ऊपर हमला हुआ और प्रकाश चन्द्र जी की वहीं पर हमले में मौत हो गई उनका भतीजा गम्भीर रूप से घायल हो गया माननीय अध्यक्ष जी आगरा में इस समय क्राइम प्रतिदिन रोज हो रहा है इसके पहले भी 6 सर्राफा व्यापारियों की हत्या की जा चुकी है और उनके अध्यक्ष अनन्त जी पिछले तीन महीने से जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं वेदान्ता में वह भर्ती हैं। अध्यक्ष जी इस समय आगरा क्राइम का हब बन चुका है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी निश्चित घटना पर बोलें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

उसी पर हम बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी तीन दिन बीत चुके हैं प्रकाश चन्द्र जी के हत्यारों तक अभी पुलिस नहीं पहुँच सकी है। मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि तुरन्त उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाय और आगरा में जो व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं सड़कों पर जाम लगा रहे हैं सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं धरना दे रहे है आगरा के व्यापारियों की सरकार द्वारा तुरन्त सुरक्षा की जाय। अध्यक्ष जी यह तत्कालिक घटना है 22 तारीख की घटना है यह महत्वपूर्ण है मैं आपके माध्यम से सरकार से इस पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह सूचना सही नहीं है कि अपराध बढ़े हैं क्योंकि अपराधियों का मनोबल बसपा सरकार में बहुत बढ़ गया था डकैतों का, कातिलों का, चोरों का, बलात्कारियों का बहुत मनोबल बढ़ा

हुआ था और अपराधियों की सरकार थी यह सिद्ध हो गया लोकायुक्त के निर्णयों से यह सिद्ध हुआ कि बसपा सरकार भूमाफियाओं की, लुटेंरों की, सरकार थी यह साबित हुआ जेल जाने वालों से कितने विधायक, कितने मंत्री, कितने सांसद जेल गए और आज भी है और लाइन लगी है आगे जाने वालों की अधिकारी जेल में हैं जिन्होंने हत्याएं की वह जेलों में हैं जो डाक्टर समझते है कि हार्डन क्रिमिनल जमानत तुड़वाकर जेल चला जाता है कि मैं यहाँ महफूज हूँ आपकी सरकार में तो जो डाक्टर जेल में थे उनकी जेल में हत्या करा दी आपने तो आपकी तो इतनी अपराधिक बुनियाद पर खड़ी सरकार थी इतना बल मिला है आपकी सरकार में अपराधियों को इतना बल मिला है कि उनका मनोबल तोड़ने में जाहिर है कि कुछ समय लगेगा। तो यह आपकी सूचना सही नहीं है कि अपराध बढ़े हैं आपकी सरकार में जो अपराध चरमसीमा पर थे और कमसिन बच्चियाँ बलात्कार करके थानों के बाहर लटका दी जाती थी इन अपराधों पर रोक लगी है जहाँ तक इस मामले का सवाल है इसे खासतौर से दिखवाएंगे और जहाँ कमी महसूस हो रही होगी उस कमी को भी पूरा करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं न इस पर भाषण करूँगा न बर्हिगमन करके जाऊँगा लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जिस तरह से अपने पापों पर परदा डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रश्न था उन हत्यारों की गिरफ्तारी हो जो व्यापारियों में आक्रोश है उनको तत्काल न्याय दिलाया जाय इस बात पर कुछ न कहकर यह पिछली तमाम बातों को कह गए जिसका यहाँ कहने का कोई मतलब नहीं है। यह इतने विद्वान हैं जो यहाँ भी रहे हैं और वहाँ भी रहे हैं यह सब जानते हैं लेकिन जानबूझकर उत्तर ने देने की कोशिश करते हैं हम आपसे केवल इतना ही चाहते है कि संसदीय कार्यमंत्री जी हम आज आपके भड़काने से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए इत्मिनान से जो प्रश्न 56 के अन्तर्गत प्रस्तुत हो रहे हैं उसकी गंभीरता को देखते हुए हम चाहेंगे कि उसका संज्ञान ले और तत्काल न्यायिक प्रक्रिया के लिए आश्वस्त करें हम आपसे यह चाहते हैं।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी वहाँ व्यापारी अपने आपको बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

पिछली बार भी आपका था और पिछली बार भी माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा गया था और मैंने आपके ही सवाल पर माननीय मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से कहा था उन्होंने कठोर कदम आगरा के लिये उठाये थे। आप संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, इतनी अच्छी बातें करेंगे नेता प्रतिपक्ष, यह तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा। इतनी अच्छी बातें करेंगे तो यह और अच्छे बनेंगें। ऐसी ही तो ख्वाहिश है बस हमारी। मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिये, माननीय सदस्य ने सरकार के ऊपर क्या टिप्पणी की है, कितना गुन्डाराज है, कितनी गुन्डागर्दी इस सरकार में बढ़ गई है। अगर यह न कहा हो तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँ। और अगर ऐसा कहा है, तो जब आप सरकार के बारे में कहेंगे तो

सरकार अपनी सफाई पेश करेगी। यह हमारी जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ हमारी ही बात नहीं अपनी भी बात सुननी चाहिए। उधर भी कान लगाना चाहिए कि वहाँ से क्या कहा जा रहा है। इसीलिये हमने बार-बार कहा है कि काटेंगे वही जो आप बोयेंगे। जो सवाल आप करेंगें उसका जवाब मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस प्रश्न को जरा गम्भीरता से दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, मैंने तो पहले ही कहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, कल शाम 7.00 बजे अजीत कुमार वर्मा पुत्र श्री त्रिलोकी वर्मा, मुन्ना वर्मा पुत्र वंशीधर वर्मा यह स्वर्णकार हैं और फेफना विधान सभा के अन्तर्गत गढ़वार थानान्तर्गत स्वर्ण आभूषण की दूकान थी और सात बजे अपनी दुकान बन्द करके घर जा रहे थे। एक मोटर साइकिल, जिस पर तीन लोग सवार थे पिस्टल लगाकर लूट की नीयत से लूट लिया जिसमें अजीत वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी दो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये जिसमें से रात को एक व्यक्ति को बी0एच0यू0 में भर्ती कराया गया है। दूसरा गम्भीर रूप से बलिया जिला अस्पताल में भर्ती है। आज से ठीक 3 महीने पहले वहीं पर एक लूट की घटना हुई थी जिसमें दो भाई.....।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष आज आप 1.20 के बाद बोलेंगे। जब जीरो आवर समाप्त हो जायेगा तो आप बजट भाषण पर बोलेंगे ना ? इसीलिये फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को बता दिया जायेगा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, कल तीन स्वर्णकारों के ऊपर लूट की नीयत से हमला किया गया जिसमें एक व्यक्ति मर गया और एक गम्भीर रूप से घायल को बी0एच0यू0 रेफर किया गया है। मान्यवर, तीन महीने पहले उसी गढ़वार थाना क्षेत्र में जिन स्वर्णकारों के साथ घटना हुई थी जिसमें एक आदमी मर गया था वैसी ही घटना बैरिया के अन्दर व्यवसाइयों के साथ हुई। मान्यवर, यह जो घटना कल घटी उसमें दो लोग मर गये। बी0एच0यू0 वाला भी मर गया। यह लोग माननीय मंत्री जी के क्षेत्र के रहने वाले हैं मगर उनकी दुकान हमारे विधान सभा क्षेत्र में गढ़वार के अंदर है। बैरिया में एक व्यवसायी को मार कर हत्या हुई, अभी कुछ दिनों पहले बहादुरगंज के अंदर दो व्यवसाइयों को लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया और गोली मारी उसी में वह दोनों लुटरों से लड़ गये, और मौके पर पिस्टल भी छीना और मुजरिम भी पकड़े गये। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अफसोस के साथ कहना

पड़ रहा है कि (गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ने उन दोनों नौजवानों को जो बनारस में लक्ष्मी हास्पिटल में एडमिट थे प्रशस्ति-पत्र भी 26 जनवरी को दे दिया) और पिस्टल के साथ मुजरिमों को पकड़ा भी गया था परन्तु न जाने किस कारण से उन मुजरिमों को छोड़कर पुलिस ने दूसरे लोगों को मुजरिम बना दिया और अभी पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर प्रशासन द्वारा अंकुश नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेंगे। और इस घटनाक्रम में माननीय अध्यक्ष जी मैं चाहूँगा कि इन दोनों मृतकों के लिये मैं मुआवजे की माँग करता हूँ। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश से माँग करता हूँ कि चूंकि दोनों मृतक माननीय मंत्री जी के क्षेत्र के और हमारे क्षेत्र के व्यवसायी हैं तो दोनों मृतकों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाय और जो घायल हैं उसको भी जितना अधिक से अधिक हो सके मुआवजा दिया जाय। बलिया में कानून व्यवस्था का राज कायम किया जाय और व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाय।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

माननीय सदस्य इसमें जानते हैं कि पुलिस की कार्यवाही बहुत तेज हुई, सख्त कार्यवाही हुई है क्योंकि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारे जाने की रपट है। बड़ी मदद हो जाती है उस वक्त जब कोई इशारा हो जाता है या तो नामजद मुल्जिम हो, अगर नामजद न हो तो परिवार के लोग कोई सुबहा बता सकें, किससे दुश्मनी है, कौन हो सकता है और कौन लोग देखे गए थे क्योंकि पुलिस को भी मदद की जरूरत होती है। इसमें किसी तरह से परिवार के लोगों ने किसी पर अपने शुबहे का इजहार नहीं किया। तो आपकी वह बात कि किसको पकड़ा, किसकों छोड़ दिया, किसको नामजद किया या तो एफ0आई0आर0 नामजद हो, या कोई शुबहा बताया जाए, इस तरह की कोई बात परिवार की तरफ से नहीं आई है। पुलिस अपनी जाँच के आधार पर असल मुल्जिमान तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। कार्यवाही हुई है इसमें पुलिस की उदासीनता जहां महसूस की सरकार ने, आपको मालूम भी है कि रामआसरे भारती को निलम्बित भी किया गया है इसमें और एडीशनल एस0पी0 इसमें जांच कर रहे हैं। कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी इसमें बहुत ही संवेदनशील मामला है बुरा है, जालिमाना है सरकार की वाकई इन बातों से छवि अच्छी नहीं होती है तो हम सरकार की छवि को खराब नहीं होने देंगे। बलिया में क्योंकि आप है आपकी खासतौर से तबज्जों रहती है उसका भी ख्याल रखा जाएगा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मुआवजे की बात नहीं आई।

श्री अध्यक्ष-

मुआवजा का आपने कहा था उसका जवाब नहीं दिया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं मुआवजे का जवाब दे दूँ। आप जरूर लिख दें मुआवजे के लिए, अगर यह ऐसे लोग होंगे कि इनको मुआवजे की जरूरत हो क्योंकि इस तरह के मामलों में आज तक किसी भी सरकार में

मुआवजा नहीं दिया है। मुआवजा हत्याओं के मामले में नहीं दिया है। मुआवजा जिन चीजों में मिलता है आप जानते हैं लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहें मा0 मुख्य मंत्री जी को तो यह बात उन तक पहुँचा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 तिवारी जी को सुना।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

थोड़ा सा हमारी और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी की बात में कन्फ्यूज़न हो गया। इसलिए मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूँगा। जो घटना घटित हुई है गड़वार थाने की, जिसमें रामआसरे भारती का नाम लिया इसमें कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। यह लूट की नीयत से घटनाक्रम किया गया है यह गिरोह अलग है जो मैने जिक्र किया है यह जहूराबाद के अन्तर्गत बहादुरगंज है जहां दो महीने पहले यह घटना घटित हुई थी, इसको आप दिखवा लीजिएगा। वहां दो व्यवसायियों ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा-भिड़ा और गोली खाई, मौके पर पिस्टल भी बरामद की गई। इसको आप दिखवा लीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बिल्कुल दिखवा लेंगे।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

पुलिस अधीक्षक ने दोनों नौजवानों को प्रशस्ति-पत्र भी दिया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

गड़वार थाना की बात मैंने इसलिए की क्योंकि पूरी रिपोर्ट गई है कि वह नामजद नहीं थी, कोई शुबहा भी नहीं किया। आपने जब सदन में उठा दिया है तो मैंने बार-बार यह बात कही है कि सरकार की तरफ से जब उत्तर आ जाता है तभी संज्ञान ले लिया जाता है। कार्यवाही तेज हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी का तो कल आएगा। डा0 राधा मोहन दास जी आपका अधिनियमों से संबंधित है आप संक्षेप में कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तिवारी जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना उसे अग्राह्य करता हूँ।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जो मैं कह रहा हूँ उससे सभी मा0 सदस्य जो महानगरों के होंगे उससे प्रभावित होंगे। पूरे महानगरों में चारों ओर भू-माफियाओं का जाल फैला हुआ है। कही 15 मकान का प्लाट काट दे रहा है, कही कोई 50 प्लाट का मकान काट दे रहा है। कोई 100 मकान का प्लाट काट दे रहा है। कही 6 फिट

की सड़क बना दी जा रही है, कही 8 फिट की सड़क बना दी जा रही है। कही जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। कहीं कोई बिजली की व्यवस्था नहीं की जा रही है। कोई जमीन के तीन फिट नीचे है कोई जमीन के दो फिट ऊपर है पूरे के पूरे महानगर, प्रदेश में जहां कही भी है वह अनियोजित जंगल की तरह विकसित होते जा रहे है। मान्यवर, मैं यह विषय इसीलिए यहां पर लेकर आया। हम लोगों ने ढेर सारे अधिनियम यहां पारित किए हैं। आपरेशन आफ दि बिल्डिंग ऐक्ट, 1958 में पारित हुआ था। आवास विकास अधिनियम 1965 में पारित किया। डेवलपमेन्ट प्लाट ऐक्ट, 1973 में पारित किया बिल्डिंग वायलॉज पास किया 2008-2009 में कम्पाउडिंग ऐक्ट बनाया 2009 में बड़े-बड़े विकास प्राधिकरण सारे महानगरों में बना दिए। हमारे गोरखपुर विकास प्राधिकरण का कार्यालय इतना बड़ा है जो शायद यहां के नगर विकास कार्यालय के आफिस का केन्द्रीय कार्यालय का न हो। आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं। बहुत बड़ी संख्या फौज उनको मिल गयी, ढेर सारे जे0ई मिल गए, ए0ई0 मिल गए, प्रबन्ध-तन्त्र मिल गया और ऐक्ट प्राविधानित करता है कि अगर किसी क्षेत्र को हमने विकास प्राधिकरण बना दिया या रेगुलेटेड एरिया बना दिया या उसको डेवलपमेण्ट एरिया बता दिया तो हम वहाँ एक मास्टर प्लान बनाते है, हम वहाँ एक जोनल डेवलपमेण्ट प्लान बनाते है और यह सुनिश्चित करने का दायित्व हमारा होता है कि जो मास्टर प्लान और जो डेवलपमेण्ट प्लान हमने बनाया है, उसके अतिरिक्त कोई निर्माण न होने पाए। कौन से मकान कितनी चौड़ाई में बनते है, क्या जल निकासी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था क्या-क्या कालोनाइजर के द्वारा की जानी है, यह सब परिभाषित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद, मैं विशेष रूप से गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, लागू तो सारे प्रदेशों पर है लेकिन हर महानगर की लगभग यही स्थिति है, यह प्राधिकरण के अधिकारी अपने-अपने महानगरों में क्या करते है, समझ में नहीं आता। अगर गोरखपुर का मैं उदाहरण दूँ, मुश्किल से 35-40 ऐसी कालोनियाँ होंगी, जो मानचित्र स्वीकार कराकर बनी होगी और कम से कम 500 से 800 ऐसी कालोनियाँ हैं जो अवैधानिक रूप से विकसित कर ली गयी है। इसी सदन में मैं यह सवाल ले कर आया था और सरकार की तरफ से उस पर जवाब दिया गया था, चूँकि वह अधिकारियों के द्वारा नीचे से आया हुआ जवाब होता है, उन्होंने कह दिया कि गोरखपुर के अन्दर कोई भी अवैधानिक कालोनी है ही नहीं। मान्यवर, आप भी गोरखपुर जाते होंगे और स्वयं भी देखा होगा। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो यह कालोनियाँ हैं, जहाँ पर नागरिक जाकर बसते है, वह अपना विकास चाहते है। विकास प्राधिकरण उनका विकास कराता नहीं है, क्योंकि वह अवैधानिक कालोनियाँ हैं। नगर निगम उनका विकास कराता नहीं है क्योंकि वह वैधानिक कालोनियाँ हैं। नगर निगम उनका विकास कराता नहीं है क्योंकि वह वैधानिक रूप से वह नगर निगम को हैण्डओवर नहीं हुई है और जब वह बिजली लगवाने के लिए जाते हैं तो बिजली विभाग कहता है कि या तो कालोनाइजर बिजली का पैसा जमा कराये या नगर निगम बिजली का पैसा दे दें या प्राधिकरण बिजली का पैसा दे दे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर इस व्यवस्था पर कभी रोक लगेगी? अगर हम नहीं रोक पा रहे है तो जितने ऐक्ट और अधिनियम हमने बनाये है, हमें उन पर विचार कर लेना चाहिए। यह ऐक्ट बनाये किस लिये गये है ? कहीं न कहीं यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिन भी प्राधिकरण में इतनी बड़ी संख्या में इस प्रकार से अवैधानिक

कालोनियाँ विकसित होती जा रही हैं, आज के इस युग में जब हम उपग्रह के सहारे एक-एक घर और गली को देख सकते हैं, एक-एक कालोनी और एक-एक सड़क को चिन्हित कर सकते हैं, आखिर कौन से वह कारण हैं, जिनके कारण हम इन अवैधानिक कालोनियों का विकास नहीं रोक पर रहे है ? आप नगर विकास मंत्री है, आप नगर की समस्याओं से अवगत होंगे, प्राधिकरण तो सीधे आपके नियंत्रण में नहीं आता, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इन अवैधानिक कालोनियों को नियन्त्रित करने के लिए किस प्रकार के प्राविधान कर रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, समस्या गंभीर भी है और बहुत बड़ी भी है। सबके अपने-अपने नियम हैं और एक दूसरे से टकराव भी हैं। जितनी मान्यवर, समस्या बड़े शहरों, नगर निगमों में है, उससे कम छोटे शहरों में भी नहीं है। अगर निगमों में आप जैसे लोग कहने वाले है, छोटे शहरों की जमीनें भी अब बहुत मँहगी हो गई है। नेशनल हाई-वे पर बसे हुए कई शहर हैं और जहाँ विकास के काम हो रहे है, वहाँ जमीनों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गयी है। समस्या है, मान्यवर, लेकिन इस पर बराबर काम होता रहता है, चाहे हमारा ही नगर निगम क्यों न हो, विकास प्राधिकरण क्यों न हो, जो-जो समस्याएँ आती जाती हैं, उन पर अंकुश लगाने की कोशिश होती है क्योंकि नियमों में नहीं आता इसलिए मैं तो इसकी मुखालिफत करूँगा ही, मगर आपने प्रश्न पर विचार होता रहा है, खास तौर से समाजवादी सरकार में काफी विचार हुआ है, इसे और दिखवा लेंगे। जो बेहतर बनाने की कोशिश और हो सकती है, उसकी हमेशा कोशिश रहती है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और बेहतर बनायेंगे। ऐसी तमाम कालोनियाँ हैं, अब लखनऊ में ही अवैध कालोनियाँ को वैध करार दिए जाने की पत्रावली न जाने कितनी बार आ चुकी है और मैं उसे वापस कर दे रहा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि अलावा उन्हें वैध किए, काम भी नहीं चलेगा और वह गिराई भी नहीं जा सकती है। वहाँ पानी भी हमने दिया है, सीवर लाइन भी हमने डाल दी हैं। बिजली के खम्भें लगाकर बिजली भी दे दी है। लेकिन कालोनियां तो अवैध हैं। उन्हें वैध करार न देने की सिर्फ मंशा यही है कि अगर मैं अभी उनकों हरी झण्डी दे दूंगा तो न जाने कितनी अवैध कालोनियां की बाढ़ आ जाएगी। अब कम से कम एक थोड़ा डर तो है कि कोई तो है जो रोके है। अब इनके यहां तो बिल्कुल पहिये में ग्रीस लगा दिया जाता है। अवैध को वैध करने में देर ही नहीं लगती थी। अब थोड़ा सा रोका है। तो हो सकता है कि इसके अच्छे नतीजे आयें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने डा0 राधाा मोहन दास अग्रवाल एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 मे नहीं आती है। इसको अग्राह्य किया जाता है।

**[1.20 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा**

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा प्रारम्भ होगी। पहले नेता विरोधी दल बोलेंगे उसके बाद माननीय दलीय नेता बोलना चाहेंगे। ठीक है। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, मा0 मुख्य मंत्री जी कहाँ है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मो0 आजम खाँ)-

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष शुरू करना चाहे तो करें। मा0 मुख्य मंत्री जी बस पहुंच रहे है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट वर्ष 2013-14 के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का मैंने विधिवत अध्ययन किया है। मान्यवर, बजट का आकार बहुत लम्बा-चौड़ा है। रुपये 221201.19 करोड़। और मान्यवर, प्राप्तियाँ हैं 215919.82 करोड़। प्राप्तियाँ और कुल खर्च में अंतर बढ़ा है। मान्यवर, यह निरंतर बढ़ता जा रहा है। और अभी जब मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विगत बजट प्रस्तुत किया गया था तो उस समय कुल खर्च था 2 लाख एक सौ दस दशमलव एक छः करोड़ और प्राप्तियाँ थीं एक लाख चौरानवें हजार तीन सौ सत्ताइस दशमलव 28 करोड़ यानी पिछली बार से भी इस बार व्यय और प्राप्तियों में अंतर बढ़ा और वहीं पर 2011-12 में जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो एक लाख उनहत्तर हजार चार सौ सोलह दशमलव तीन आठ करोड़ के सापेक्ष प्राप्तियाँ थीं एक लाख छाछठ हजार बारह दशमलव आठ छः करोड़। यानी उस समय कुल खर्च और प्राप्तियों में अंतर कम था लेकिन यह अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है और मान्यवर, आमदनी अठन्नी खर्च रुपया। जिस तरीके से कुल प्राविधानित व्यय और प्राप्तियों में अंतर बढ़ता जा रहा है यह प्रदेश के एक-एक व्यक्ति को कर्जदार बनाता जा रहा है। और नतीजा यह हुआ कि आज प्रदेश का तत्काल पैदा होने वाला बच्चा भी 15 हजार रूपये का कर्जदार है। जिस तरीके से कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिये कहीं न कहीं पहल करनी पड़ेगी। अन्यथा हम बड़ा लम्बा-चौड़ा बजट प्रस्तुत करके केवल यह वाहवाही लें कि हमारा बजट बहुत बड़ा है। लेकिन हम अपनी प्राप्तियों पर ध्यान नहीं देंगे हम अपनी आय पर ध्यान नहीं देंगे तो स्वाभाविक रूप से हम कहीं न कहीं प्रदेश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, इसी क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में समाजवादी सोंच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया है, लेकिन वह समाजवादी सोच क्या होगी, क्योंकि समाजवादी सोच में कभी-कभी बड़े-बड़े थैलीशाह भी आ जाते हैं, बड़े-बड़े हीरो-हीरोइन भी आ जाते हैं और इस समाजवादी सोच के रास्ते पर चलते हुए कभी-कभी हमारे बडे-बड़े नेताओं को बाहर भी जाना पड़ता है। तो इसलिए वह समाजवादी सोंच क्या, गांव, गरीब, मजदूर, किसान और समाज के अन्तिम छोर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होगी या इस देश के थैलीशाहों को आगे बढ़ाने की सरपरस्त होगी। तो समाजवाद आना चाहिए, लेकिन समाजवाद का वह रास्ता क्या है, कहीं वह भटकाव के रास्ते पर न जाने पाए इसके लिए भी सावधान रहने की जरूरत है और मान्यवर, समतामूलक समाज और समाजवाद में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है। हमारा भी यही दर्शन था, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी समाज के लोगों का स्वाभिमान, सम्मान, सत्ता-शासन में भागीदारी, न्याय यह सारी की सारी प्राथमिकतायें हमने सुनिश्चित की थी, लेकिन आज उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हमारी वहां प्राथमिकता थी, गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, अल्पसंख्यक, महिला आदि सभी पर आज इनके हितों पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। हां इतना जरूर है कि आगामी लोक सभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रलोभन द्वारा लोगों को फिर से

बहकाने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, हम सभी इन्सानियत के रास्ते पर आगे बढ़े। हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द स्थापित हो, समाज में भाईचारा बने, किसी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ न हो और किसी को घास-कूड़े की तरह जलाया न जाय, काटा न जाय, मारा न जाय, इसलिये इतने ही कम समय में बड़े पैमाने पर जो हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द बिगड़ा है, इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मा0 मंत्री जी ने कोई कार्ययोजना नहीं तैयार की। हमने इनके सभी बजट भाषण के एक-एक पृष्ठ का अध्ययन किया और मान्यवर, यहां तक ऐसे भी मौके आये, इस लोकतंत्र में सत्ता आती और जाती रहती है, बारी-बारी से हम सभी उसके कहीं न कहीं गवाह रहे हैं, लेकिन चार बार हमारी भी हुकूमत रही है और चारों बार की हुकूमत में एक बार भी कहीं पर भी दंगा-फसाद नहीं हुआ, आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ा और साथ ही साथ यहां तक कि ऐसा भी एक मौका आया जब पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चिन्ता थी कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जब मा0 उच्च न्यायालय की बाबरी मस्जिद, राम जन्म भूमि के प्रकरण पर निर्णय आया था, उस समय भी पुरे उत्तर प्रदेश में अमन-चैन, शान्ति व्यवस्था बनी रही। कहीं भी कोई भी अराजक तत्व सिर उठा करके इंसानियत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सका। मान्यवर, हमने यह दृष्टान्त पेश किया। इसी के साथ ही साथ, बजट का प्रारूप तो बहुत बड़ा लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी को इतना बड़ा बजट लाने की जरूरत क्या थी। जब ये पिछला बजट ही नहीं खर्च कर पाये तो इस बजट का लाने की जरूरत क्या थी। मान्यवर, 01 जून, 2012 को मा0 मुख्य मंत्री जी ने पिछला बजट प्रस्तुत किया था और अपने इस बजट भाषण में आपने यह चिन्ता जाहिर की है कि हमें कम समय मिला। 01 जून, 2012 को जब आपका पहला बजट पारित हुआ था तो क्या कभी आपने इसकी समीक्षा की कि आपके द्वारा पारित किया गया बजट का धन किसी भी विभाग को आवंटित नहीं हो पाया था। आपने तो मार्च के बजाय, दो महीना पिछाड़ दिया बजट प्रस्तुत करने में, उसमें आपकी कमी नहीं थी लेकिन बजट पारित होने के बाद अक्टूबर नवम्बर तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जब मैंने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखा, तब नवम्बर और दिसम्बर में धन बँटना शुरू हुआ तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं कार्य प्रभावित होगा। इसलिये मान्यवर, समय आपके पास कम नहीं था, 11 महीना बीता और 11 महीना तो बहुत बड़ा होता है। हमने तो एक बार साढ़े चार महीना सरकार चलाई है, एक बार 6 महीने की सरकार चलाई है। साढ़े चार और 6 महीने की सरकार में हमने अपनी नीतियों को जन-जन तक पहुँचाया, घर-घर तक पहुँचाया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 मिनट में बजट पास करके चले गये हैं आप। अरे क्या कहने आपके, आपका तो रिकार्ड है, आपका तो गिनीज बुक में रिकार्ड दर्ज हो गया। आपके कीर्तिमान को वो कोई पार कर नहीं सकता। इसके लिये तो आपको मुबाकरबाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी तो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि 15 मिनट में बजट पास कराया लेकिन मान्यवर, आप जहाँ पर बैठे हैं, आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, मा0 अध्यक्ष श्री वर्मा जी थे और मात्र 10 मिनट में बजट पारित हुआ था इसलिये हमने तो

आपसे 5 मिनट ज्यादा समय लिया, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। मान्यवर, हमने इसलिये इसको दृष्टान्त के रूप में दिया क्योंकि अगर काम करने की तमन्ना होती है तो साढ़े चार महीना, 6 महीने का समय काफी होता है। 11 महीना तो उसका दूना समय है, बहुत ज्यादा समय है इसलिये समय का बहाना बनाना, हम समझते हैं कि कहीं न कहीं अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक बहाना है। मान्यवर, 11 महीने बाद, इसमें कोई दो राय नहीं कि योजना अच्छी है। जो रिक्शा चालक है उनको बैटरीयुक्त रिक्शा देने की शुरूआत आपने की लेकिन कब, जब आपको लोकसभा चुनावों की आहट सुनाई पड़ी तब। 11 महीने में यह इनकी प्राथमिकता क्यों नहीं थी और वह भी मा0 मुख्य मंत्री जी आपने अपने बजट से.....

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आप सुझाव दे दें, इस स्कीम को खत्म कर दें। नेता प्रतिपक्ष यह सुझाव ले आये। हम विचार करेंगे और ताकि यह साबित हो सके कि रिक्शा चालकों की कितनी बड़ी दुश्मन है यह बहुजन समाज पार्टी, साबित हो सके। मैं कहता हूँ कि यह चुनाव के मद्देनजर ही सही। जाहिर है, हम सभी यहाँ राजनीति कर रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर ही फैसले लिये जाते हैं। जिन रिक्शा पुलर्स को रिक्शा मिली है, उसके खिलाफ है आप। जिन्हें मिल जायेगी आने वाले एक, डेढ़ या चार सालों में उनके विरोधी हैं आप तो कम से कम ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाना चाहिये कि जानवर की तरह इंसानी जिन्दगी गुजारने वालों को उसी पशु जिन्दगी के लिये, मजबूर रखने के लिये तत्पर है और बार-बार सदन में बैटरी चालित रिक्शों का विरोध करने वाली बहुजन समाज पार्टी यह चाहती है कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले लें। आप यह सुझाव रख दीजिए, हम विचार कर लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को इसमें बहुत ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि योजना अच्छी है, लेकिन 11 महीने आपने विलम्ब क्यों किया, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए पासा इधर पलट दिया, इसलिए मान्यवर, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, इसका मतलब है कि सुनकर भी कहीं-न-कहीं उसको लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरू में ही कहा, अच्छी है। 11 महीने पहले ही इसको शुरू हो जाना चाहिए था। यहाँ तक की बेरोजगारी भत्ता से भी पहले इस पर कार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन मान्यवर, अभी भी जो उन्हें बैटरीयुक्त रिक्शा दिया गया है वह बजट में प्राविधानित नहीं है, बल्कि जो नमूने के तौर पर बनाने वाले यहाँ पर दिए थे, अभी तो प्रयोग के रूप में दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन भी तत्काल होना चाहिए, समय से होना चाहिए, जिससे कि जो उससे लाभांन्वित होने वाले लोग हैं, उन्हें उसका लाभ जल्दी से मिल सके। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में खुद कहा कि ट्रायल के तौर पर, 11 महीने के बाद ट्रायल क्या अच्छा होता, जब बड़े पैमाने पर, जिस तरीके से, अन्य योजनाओं को मा0 मुख्य मंत्री जी, जगह-जगह जाकर बांटते हैं, उस योजना में यह भी शामिल होती, हमारे कहने का मतलब केवल यह था और साथ ही साथ 11 महीने का समय बीत गया यह मार्च आने वाला है, 15 मार्च को एक साल पूरा हो जायेगा, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सरकार बनाने में, वह नौजवान जो लैपटॉप, टैबलेट के नाम पर आँख मूँद करके

सरकार को बहुमत प्रदान किए थे, अभी उनका लैपटाप, टैबलेट दिखायी नहीं पड़ा। 11 मार्च आश्वासन दिया गया है। और इसलिए वह बटेगा, और जल्दी-जल्दी बटेगा, जैसे-जैसे लोक सभा चुनाव नजदीक आएंगे, जल्दी-जल्दी और बटेगा और हमें यह भी मालूम है कि समय कम नहीं था। मा0 मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट को इसलिए बचा के रखा है, जिससे कि आसन्न लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले उसका सदुपयोग किया जा सके। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये नादानी में ऐसा कर रहे हैं। इनकी नादानी में कहीं न कहीं चालाकी छिपी हुई है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कई रोज से परेशान था कि नेता प्रतिपक्ष जी का वजन कम हो रहा है। वल्लाह, या तो नेता प्रतिपक्ष डायटिंग कर रहे हैं या यह गम सताए जा रहा है कि होगा क्या, होगा क्या 200 करोड़ का प्राविधान पिछले बजट में था, 400 करोड़ का अब कर रहे हैं, 600 करोड़ रिक्शों के लिए, बैट्री चालित रिक्शे, लैपटॉप यह सब। मान्यवर, मुझे बड़ी हमदर्दी है, वाकई आप कम से कम एक गिलास अनार का जूस रोज पिए, वरना ये समाजवादी सरकार से जो रोज दुःख भरी खबरें आपको मिल रही हैं, इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। मेरी पूरी हमदर्दी है, आपके साथ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इतने ही वजन और इतने ही शरीर पर पूरे सत्तापक्ष को हिलाने के लिए पर्याप्त हूँ। (सदन में हँसी) इसलिए मान्यवर, योजनाएँ तो बहुतेरी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आज तक उन्हें कार्यस्वरूप में परिवर्तित नहीं किया जा सका है। मान्यवर, जहाँ तक यहीं बात बार-बार सत्तापक्ष के लोग कहते हैं कि हमें बदहाल उत्तर प्रदेश मिला, अव्यवस्थित उत्तर प्रदेश मिला, लेकिन आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2007 में जब हमें सरकार बनाने का मौका मिला था, उस समय विकास दर 5.2 था। मान्यवर, जब हमने सरकार छोड़ी थी तो विकास दर 8.4 प्रतिशत थी। इसलिए यह रोना कि हमने जर्जर हालत में उत्तर प्रदेश को छोड़ा था यह सही नहीं है। विकास दरों का यह अनुपात हमने बताने का काम किया है कि हमने निरन्तर उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बता देंगे कि 2012-13 की विकास दर क्या थी। हमने अपनी सरकार के दौरान विकास दर क्या पायी और जब सरकार छोड़ी तो विकास दर क्या थी यह प्रतिशत बताने का काम किया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश को एक नये विकास के रास्ते पर ले जाने कि लिए अग्रसर है लेकिन उसकी रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए मान्यवर आपका संज्ञान चाहा है। पेज-3 पर विभागवार और योजनावार कार्य बिन्दुओं में विभाजित कर प्रगति का सतत् अनुश्रवण किये जाने की प्रभावी व्यवस्था की गयी है यह बताया गया है। मान्यवर, अगर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी होती, तो यह बजट पारित होने के बाद पिछली बार छः महीने तक धन अवमुक्त नहीं हो पाया, वह जल्द ही अवमुक्त हो गया होता। मान्यवर, तमाम मदवार इस बजट को देखा है। लम्बी-चौड़ी बजट पुस्तिका है। उसमें से कुछ उदाहरण देना चाहेंगे। मान्यवर ग्राम विकास विभाग में आपने आवंटित किया है 5.087 करोड़ रुपये जबकि दो वर्ष पहले हमने इस पर

6133 करोड़ रुपये आवंटित किये थे यानी वह बजट जिसमें गांव का गरीब, मजदूर किसान, सीधे विकास से प्रभावित होता है, उसमें आपने कटौती की है। मनरेगा में आपने चार सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, जबकि दो साल पहले हमारी सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था। विकलांग कल्याण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 317 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है और विकलांगों के लिए विद्यालयों के लिए साढ़े पन्द्रह करोड़ का प्राविधान किया गया है। यह पेज 41 (इकतालीस) पर लिखा है। हमने 2011 में विकलांग कल्याण योजना में इनके 317 करोड़ रुपये के सापेक्ष 365 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था। भरण-पोषण और उन्नयन के लिए 259 करोड़ रुपये का प्राविधान दर्शित है। मान्यवर, यही नहीं हमने इनके उन्नयन के लिए, लखनऊ में शकुन्तला मिश्र के नाम पर एक विकलांग विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम किया था। इससे स्पष्ट हो जायेगा कि विकलांगों की हितैषी कौन है ? मान्यवर, यह बजट भाषण 2013-14 और बजट भाषण 2011-12 को आप देख लेंगे तो अपने आप इसका स्परूप स्पष्ट हो जायेगा। मान्यवर महिला एवं बाल विकास यहां पर भी सरकार ने कटौती की है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 2,712 करोड़ रुपये दिये गये हैं और अनुपूरक पोषाहार हेतु 2.50 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करने की बात कही गयी है। मान्यवर सबला योजना हेतु 320 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि इसके सापेक्ष हमने दो साल पहले महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु उनके उत्थान, विकास हेतु और समुचित देख-रेख करने के लिए बजट का प्राविधान किया गया था वह था 4761 करोड़ रुपये। मान्यवर, इसी तरह से महामाया गरीब बालिका आर्शिवाद शिक्षा योजना हेतु 360 करोड़ की योजना संचालित की गयी थी। मेडिसिन किट, प्री स्कूलिंग किट, वेतन, मानदेय, मशीन, साज-सज्जा, के लिए 2983 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। जबकि इन्होंने 2683 करोड़ का सबला योजना के लिए 109 करोड़ रुपये, निराश्रित महिलाओं एवं उनके बच्चों की शिक्षा-व्यवस्था के लिए 857 करोड़ रुपये यानी आपके बजट का कम से कम पांच गुना बड़ा है, यानी कम पैसे में ही ज्यादा आवंटित किया है। आपके बजट का स्वरूप बहुत बड़ा है, लेकिन आपने जो गरीब हैं, लाचार और पिछड़े हैं, विकलांग हैं उनके लिए खर्चों में कटौती की है। मान्यवर, यही नहीं विशेष रूप से प्रदेश में जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए समय-समय पर सरकार एक अभियान चलाती है। पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड के लिए इस बजट पुस्तिका में पूर्वान्चल हेतु 291 करोड़ और बुन्देलखण्ड के लिए 109 करोड़ जब कि मान्यवर, हमने इसके अतिरिक्त जब हमारी सरकार थी 2011-12 में, हमने पूर्वान्चल के लिए 291 करोड़, बुन्देलखण्ड के लिए 109 करोड़ इसके अतिरिक्त मृदा जल संरक्षण, प्राकृतिक संशोधनों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 62 करोड़, मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्राविधिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय तथा बांदा में इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज की स्थापना की उसी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वान्चल में हमने आजमगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज और अम्बेडकर नगर में इंजीनियरिंग कालेज तथा एलोपैथिक मेडिकल कालेज की शुभारम्भ करने की व्यवस्था की। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, सिंचाई विभाग में जिसके माननीय मंत्री माननीय मुख्य मंत्री जी के चचा जी हैं, वहाँ भी कटौती हुई 7061 करोड़ और जबकि मान्यवर, दो साल पहले बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है हमने किया था

5451 करोड़, उन्नयन और अन्य निर्माण के लिए 190 करोड़ और नलकूप परियोजना के लिए 296 करोड़ यानि सब मिला लिया जाय तो उन्नीस बीस सब बराबर है, 2 साल बाद भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं है सीधे इससे किसान जुड़ा हआ है क्योंकि सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिससे किसानों के खेतों को पानी पहुँचाने के लिए नहर की सफाई और साथ ही साथ नये नहरों का निर्माण, बंधियां कट जाती हैं कभी-कभी लोग नहर काट देते हैं उसका सुप्रबन्धन और टेल तक पानी पहुँचाने के लिए जो सरकार को अपनी सजगता दिखानी चाहिए थी उसमें भी कहीं न कहीं कमी है। मान्यवर, हमने बहुत जरूरतमंद विभाग है केवल मैं उनका ही हवाला दूँगा सबका नहीं दूँगा। बेसिक शिक्षा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुल बजट प्राविधानित किया 2001- 21520 करोड़ ओर मान्यवर, दो साल के अन्तर पर इसको और ज्यादा लाना चाहिए क्योंकि आज बहुत आवश्यकता है। विशेष रूप से विद्यालयों के शिक्षणेन्नयन के लिए आज बड़े पैमाने पर अध्यापकों का अभाव है, अभियान चलाया गया था, कुछ भर्तियां हुई भी, कुछ लम्बित हैं लेकिन उसकी पहल पर जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। हमने प्राविधान किया था 5451 करोड़, उन्नयन और अन्य निर्माण के लिए 190 करोड़, बेसिक शिक्षा में 19 हजार 86 करोड़ और साथ ही साथ हमने मान्यवर, मध्याह्न भोजन में 1607 करोड़ और इसके साथ ही साथ हमने 50 हजार नये प्राथमिक विद्यालय बनवाये और उसके सापेक्ष आपने लक्ष्य रखा है मात्र 2311 का। हमने 1500 नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कराई और आपने लक्ष्य रखा है मात्र 313 का। इसी तरीके से मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में मैं यह लाना चाहूँगा कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिये आधा दर्जन बार एडवर्टिजमेंट हुआ, 5-5 बार माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश भी आया और जो आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में गाँव के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनके बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में चले जाते हैं, जिला मुख्यालय के शहरों में चले जाते हैं, और सक्षम है तो लखनऊ और इलाहाबाद में भेज देते हैं और उससे भी ज्यादा सक्षम हैं तो दून स्कूल में चले जाते हैं लेकिन किसान, मजदूर, गाँव-गरीब के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। इसलिये उसमें अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिये उसमें अध्यापकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिये लेकिन इसके लिये कोई मजबूत इच्छाशक्ति इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिखाई है। हम समझते हैं कि यह गाँव के गरीबों के लिये खिलवाड़ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने माध्यमिक शिक्षा के लिये यद्यपि कि 10,367 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रावधानित की है और सूचना संचार के लिये 98 करोड़, लेकिन इसकी तुलना में हम दो साल पहले बहुत ज्यादा दे चुके हैं, यानि हमने 2011-12 में 6846 करोड़ का प्रावधान किया था, 148 माडल स्कूल के लिये 13 करोड़ अलग दिया था। आडिटोरियम और सैनिक स्कूल के लिये 13 करोड़ अलग दिया था। माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिये 94 करोड़ अलग दिया था, बालिका छात्रावास के लिये 85 करोड़ अलग दिया था और सूचना प्राद्यौगिकी के लिये आपके 98 के सापेक्ष हमने 108 करोड़ दिया था। यानि विशेष रूप से जिसमें ग्रामांचल के लोग सीधे जुड़े हों, जहाँ पर गाँव और गरीब जुड़ा हो, जहाँ प्राथमिकता देनी चाहिये, वहाँ, कहीं न कहीं कोताही की गयी और मान्यवर, उच्च शिक्षा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तार और प्रोत्साहन की बात तो स्वीकारी कि हम करेंगे लेकिन विस्तार और प्रोत्साहन के लिये एक

भी पैसे का बजट में प्रावधान नहीं किया। जबकि मान्यवर, हमने उच्च शिक्षा के लिये अलग से 2146 करोड़ की व्यवस्था की थी, बजट प्रावधान किया था और साथ ही साथ उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना कर उच्च शिक्षा में एक कीर्तिमान स्थापित किया था, मान्यवर, आज जो हालात हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उसकी गवाह बन चुकी है। अभी गन्ने के सवाल पर एक दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे बीच में कुछ नोकझोंक भी हुयी थी और उसी के दूसरे दिन गन्ना के ही सवाल पर बलरामपुर के किसानों ने घटतौली के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनआन्दोलन किया और यह सरकार के संज्ञान में भी होगा, इसमें एफ0आई0आर0 भी हुयी। इसलिये समय-समय पर जब हम विपक्ष के लोग जनहित के मुद्दों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो इसलिये करते हैं कि सरकार उसको गम्भीरता से लें और इस प्रकार की यदि कहीं न कही कोताही है, शिकायत आ रही है या कोई समस्या है तो उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित कराने का काम करें, अगर सरकार नहीं करेगी तो जनता सड़क पर आयेगी और बलरामपुर उसका एक नमूना है इसी लिये मान्यवर, अभी कल, हम जो पिछली बातों को यहाँ पर कह चुके हैं उसको हम नहीं कहेंगे। मान्यवर, अभी कल की बात है नेता भाजपा श्री हुकुम सिंह जी पशु तस्करी पर बात कर रहे थे और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी इस पर चिन्ता जताई लेकिन मान्यवर, अभी कल कुशीनगर में तीन ट्रक पशु तस्करी को रोकने के लिए तीन पुलिसकर्मी आगे आये और पशु तस्करी करने वाले लोगों ने उन पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की वह पुलिसकर्मी किसी तरह से बच-बचाकर निकले। यानी कि आज अराजक तत्व और कानून तोड़ने वालों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि कानून के रखवालों की जान पर आफत बन गई है। यह कल की घटना है और मान्यवर, यही नहीं बजट इसका भी दूना हम कर दें लेकिन मान्यवर, काम दिखाई देना चाहिए। मान्यवर, सरकार बनने के इस 11 महीने में एक कटी चवन्नी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में नहीं गई। अभी जब यह दूसरा बजट आने की बात आई तो जल्दी-जल्दी में एक-एक लाख रुपए ग्राम पंचायतों को दिया गया।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, सभी पैसे भेज दिये गये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अच्छा ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब दें दिये तो धन्यवाद लेकिन 11 महीने में यह नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ जिलों पर अपनी मेहरबानियाँ बरसायी हैं, होना भी चाहिए अपने लोगों पर मेहरबानी करनी चाहिए, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के यहाँ भी मेहरबान हुए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आपके यहाँ भी तो फूलाई ओवर बन रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उसमें दो बातें हैं एक तो राजनीतिक रूप से कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए है और दूसरा राजनीतिक प्रदूषण के चलते हैं तो मान्यवर, कुछ कार्य तो राजनीतिक प्रदूषण के चलते किया

जा रहा है और कुछ राजनीतिज्ञों को उपकृत करने के लिए किया जा रहा है लेकिन उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नही करूँगा ''काहे नौ मन तेल होगा और काहे राधा नाचेगी'' वहाँ जहाँ पर बनना है वहाँ रक्षा मंत्रालय का भी विभाग है और रेल का भी विभाग है तो काहे सारी शर्तें पूरी होगी और काहे वह बनेगा इसलिए इस पर हम बाद में विचार करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि नीयत अच्छी नही हैं और नीयत अच्छी होती तो माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अगर आप सुझाव दें कि जितना जितना उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा है उस पर बनाये देते हैं और रेल की छोड़ देते हैं, जब परमीशन आयेगी, तब बन जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी तो मैं अकेले आपकी नीति पर उँगली उठा रहा हूँ उसके बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उँगली उठाने लगेंगे। इसलिए मान्यवर, आज विशेष रूप से विकास के कार्य किसी भी रूप में हों वह स्वागत के योग्य है। हमने इसी विकास के क्रम में आगरा, मथुरा, वृन्दावन, कानपुर अयोध्या, फैजाबाद, वाराणसी आदि में विशेष आर्थिक पैकेज दे करके उनमें सर्वांगीण विकास की पहल की थी । मान्यवर, आज विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण के पृष्ठ 12 पर आगरा समिट की बात की गई है। उद्देश्य कुछ भी रहा होगा, उद्देश्य रहा होगा कि व्यापारी आयें, नये-नये कारखाने स्थापित हों बेरोजगारों को काम मिले लेकिन अभी इसी 19 तारीख को जब हम लोग हाउस में थे तो उस दिन मान्यवर, नोएडा गाजियाबाद में बन्द के नाम पर जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई, हजारों करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। हम समझते हैं आगरा समिट उस दिन का कार्यक्रम पानी फेर दिया। कोई भी उद्यमी, उद्योगपति या व्यापारी अपने पैसों को स्वाहा करने के लिए यहाँ नहीं आयेगा क्योंकि यदि काई भी यहाँ पर करोड़ों रुपये का पूंजी निवेश करेगा तो चाहेगा कि यह सुरक्षित रहे और साथ ही साथ पूंजी निवेश द्वारा स्थाापित हमारा उद्योग फले फूले। लेकिन अगर उसे आशंका होगी कि कब जला दिया जायेगा, कब इसे खाक कर दिया जायेगा, कब लूट के शिकार बना दिये जायेंगे, कब गोली का शिकार बना दिये जायेंगे, तो हम समझते है कि जो मा0 मुख्य मंत्री जी की अपनी धारणा रही वह पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि यदि सही मन से आप चाहते हैं कि यहाँ पर उद्योग स्थापित हो, पूँजीनिवेश करने के लिए बड़े-बड़े उद्योगपति यहाँ पर आयें तो उसके लिए हमको वातावरण तैयार करना होगा, कानून व्यवस्था की, सुरक्षा की और साथ ही साथ उनको सारी सुविधायें मुहैया कराने की। अगर हम इनमें कहीं न कहीं कोई कोताही कर गये तो एक नहीं हजार आगरा समिट हो जाए, उससे बात बनने वाली नहीं है।

मा0 अध्यक्ष जी, आज भी और प्रायः सबसे महत्वपूर्ण और सबके लिए उपयोगी, चाहे शहर हो या गाँव हो, किसान हो या व्यापारी हो, बिजली सबके लिए लिए आवश्यक है। बिजली जैसे मुद्दे पर रोज तमाम नियमों के अन्तर्गत, सूचनाओं के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी बातें यहाँ पर रखते हैं और कोई प्रभावी कार्यवाही करने के बजाय सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर टालने की कोशिश करती है। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में तीन हजार मेगावाट बिजली अतिरिक्त उत्पादित करके दिया था। मान्यवर, हमारी योजनायें तो कई रहीं जिसमें वर्ष 2011 में

1200 मेगावाट का उत्पादन हुआ अनपरा सी से, 2012 में 250 मेगावाट का उत्पादन हआ हरदुआगंज से और 200 मेगावाट की बढ़ोत्तरी की गयी ओबरा से कुल 3000 मेगावाट बिजली हमने अपनी सरकार के दरम्यान अतिरिक्त उत्पादित किया था और साथ ही साथ मान्यवर, कुल दस परियोजनायें स्वीकृत करवायी गयी थी जिसमें तीन ने बिजली देना शुरू कर दिया था शेष लंबित हैं जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी को आगे देखना है और उससे बिजली उत्पादन शीघ्र सुनिश्चित कराना है। इसलिए मान्यवर, आज बिजली केवल बहस का मुद्दा नहीं रह गया है। बिजली उपभोक्ताओं की प्राथमिकता हो गयी है, किसान ट्यूबबेल चलाता है, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ शाम सुबह बिजली के प्रकाश में पढ़ते हैं। गाँव और शहर दोनों जगह आज इसकी प्राथमिकतायें बढ़ गयी हैं इसलिए अब वक्त केवल नुक्ता चीनी का नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप बिजली उत्पादन हम कैसे सुनिश्चित कर सके इसको तय करना है। यही नहीं इसके अतिरिक्त हमने 2700 मेगावाट बिजली कमी को दूर करने के लिए फेस-1 प्रक्रिया के तहत क्रय करने का अनुबन्ध किया था सरकार अगर उस अनुबन्ध को आगे बढ़ाती तो आज जो बिजली के लिए मारा-मारी है और जगह जगह बिजली के मुद्दे पर लोग सरकार को कोसते हैं हम समझते हैं कि उस स्थिति से बच सकते थे मान्यवर अभी मैंने केवल इतना पूछा था माननीय ऊर्जा मंत्री के रूप में माननीय सिंचाई मंत्री जी उत्तर दे रहे थे आज वह नहीं है हमने केवल इतना ही कहा था जब उन्होंने ही कहा था कि हमने गर्मी के महीने में अतिरिक्त बिजली लेने की व्यवस्था की तो हमने केवल इतना पूछा था कि आखिर मई जून में आपने कितनी बिजली लिया था उत्तर नहीं आ पाया इसलिए क्योंकि यह लेते ही नहीं हैं। या तो पैदा कीजिए या लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने आज आपको यहाँ पर बैठाया है तो हाथ पर हाथ रख कर तमाशा देखने के लिए नहीं बैठाया है। बल्कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि बिजली नहीं है तो खरीदिए और यदि पैदा कर सकते हैं तो पैदा करने के लिए अभियान चलाइए। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपने बजट भाषण में तमाम प्राथमिकताएं गिनाई हैं हम उसको दोहराना नहीं चाहते हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हम झुनझुना बजाकर कब तक बच्चों को नौजवानों को गुमराह करते रहेंगे। और इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि योजनाए कितनी भी अच्छी हों अगर क्रियान्वयन सही नहीं है तो जो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं उसका ऋणात्मक लाभ होगा धनात्मक लाभ तो नहीं होगा। पृष्ठ-23 पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानून व्यवस्था के विषय पर कहा है कि अपराध कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित हैं। हम समझते हैं कि मुख्य मंत्री जी अगर अपने सीने पर हाथ रखकर पूछेंगे तो शायद जो उन्होंने कहा है उसका ठीक उल्टा आयेगा। कानून का राज कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है यह अच्छी बात है कानून का राज कायम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कानून व्यवस्था क्या है इस पर विस्तार से जिस दिन सामान्य प्रशासन का बजट रखेंगे उस दिन चर्चा करेंगे लेकिन नमूने के तौर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से अराजक तत्व अपराधी बेखौफ हुए हैं माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद इटावा में ही इसी 23 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद इटावा में अदनान की हत्या कर दी गई कहां की गई कलेक्ट्रेट के सामने एस0पी0,एस0एस0पी के बंगले के पीछे दिन दहाड़े वह अपने विवाह के लिए आवेदन-पत्र देने गया था और मान्यवर, उसकी हत्या कर दी।

जब माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद में दिनदहाड़े हत्या हो रही है तो अपराधी के हौसले कितने बुलन्द हैं यह अपने आप स्पस्ट हो जाता है हमें कहने की जरूरत नहीं है। मान्यवर जब से माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा तब से लेकर आज तक इतने कम समय में मान्यवर इसी लखनऊ में नाका थाने में सरार्फ के यहां एक करोड़ का आभूषण 20 तारीख को लूटा गया। 21 फरवरी 2013 को आलमबाग स्थित मुथूट फाइनेन्स कम्पनी के यहां से 6 करोड़ रुपये का सोना लूटा गया। इसी 21 तारीख को गोरखपुर में पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइन्स स्थित ए0टी0एम0 को काटकर 12 लाख रुपये की लूट हुई। इसी 22 तारीख को बाराबंकी के पी0एन0बी0 नाका परिसर से 34 लाख रुपये की लूट हुई। इसी 25 तारीख को चौक सर्राफा बाजार से बी0के0 ज्वैलर्स के यहां सवा किलो सोना की लूट हुई और इसी 22 तारीख को थाना जानी मेरठ इलाहाबाद बैंक से 5 करोड़ की लूट हुईं नोयडा इलैक्ट्रानिक से 50 लाख रूपये की लूट हुई। इसी 22 तारीख को जनपद मऊ के काशी गोमती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से 22 लाख रूपये की लूट हुई। 21 फरवरी 2013 को कानपुर देहात में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री से तीस लाख की लूट हुई और मान्यवर, यह इतने कम समय में यानि 4-5 दिन के अन्दर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर व्यवसाइयों के लूट की घटना हुई। बैंक के लूट की घटना हुई। सर्राफा के यहां लुट की घटना हुई। आज न तो व्यापारी सुरक्षित हैं, और न आम लोग सुरक्षित हैं। और यहां तक कि आम जनता जो यह समझती है कि हम बैंक में पैसा रखेंगे तो वहां हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, वह भी सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, आज इसी तरीके से जो घटनाएं हुई वह इस बात को बताती हैं जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त है। जब इससे भी चुप्पी पा जाते हैं तो कहते कि पिछली सरकार में ऐसा हो रहा था। पिछली सरकार में जो हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश उसका गवाह है। हमारी सरकार में किसी ने भी कानून तोड़ा तो कानून ने उसके खिलाफ काम किया। कानून ने काम किया। हमारी सरकार के दौरान कोई मंत्री ने भी अगर कानून को तोड़ने की कोशिश की तो वह जेल में गये। कोई विधायक और कोई सासंद ने अगर कानून को हाथ में लिया तो जेल की सलाखों में गया और मान्यवर, यहां तक कि संगठन का कोई पदाधिकारी अगर सरकार का रूतबा गांठकर कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही हुईं अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को देय नहीं किया गया कि अपने को बचाओं और दूसरे को जेल भिजवाओं। हमारे यहां जिसने भी कानून को तोड़ा बिना किसी भेदभाव के, चाहे हमारी सरकार पक्ष का रहा हो या विपक्ष का रहा हो, जिसने भी कानून को तोड़ा उसको अपराधी मानकर के हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की। हमने किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं किया। लेकिन मान्यवर, आज हालात बद से बदतर है। यह 2014 में 2014 के लोक सभा चुनाव के परिणाम के बाद आपकी शेखी अपने आप निकल जायेगी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जितना पाप पर चादर डालिये। 2014 के लोक सभा चुनाव के बाद जनता वह चादर उठा देगी। आप जितना भी ढांकने की कोशिश करे नहीं कर पायेंगे। आपको तो, हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम इन सारी कमियों को इंगित कर रहे हैं कि समय रहते आप सावधान हो जाओ, उस पर अंकुश लगाओ, जिससे कि लोक सभा चुनाव के बाद मुँह दिखाने लायक रहो। (शोर) मैं चाहता हूँ मेरा उत्तरदायित्व यही है। आज हम विपक्ष में हैं और विरोधी दल

की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी यही है कि जहाँ कहीं अगर कमियां हैं तो हम इंगित करें और सही सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उसका संज्ञान लें और समय रहते उसमें प्रभावी कार्यवाही करें और समस्याओं का निदान करें। आगे हमे इस बात को कहने का मौका न मिले।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल आप कितना समय और लेंगे। 55 मिनट हो गये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अरे आप कहें तो अभी मैं बैठ जाऊँ, समय की क्या बात है। उस दिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुनना चाहता था लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय किया कि हम लोग उसके पहले यहां से चले जाएं। उस दिन मा0 मुख्य मंत्री जी के भाषण में संसदीय कार्य मंत्री जी बाधक बने हैं। इसलिए मैं समय-समय पर मुख्य मंत्री जी से कहता हूँ कि चचाओं से होशियार रहें। जब तक चाचा भारी रहेंगे भतीजा कहीं न कहीं कमजोर पड़ता चला जायेगा। चाचाओं का सम्मान तो रखिए लेकिन चाचा को इतना भारी मत कीजिए कि आपको निगल जाएं। इसलिए मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अभी तो मात्र दो चार दिन के अन्दर हाउस में जब हम लोग बैठे हैं.....

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

चाची के बारे में क्या राय है।

(हँसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जब चाचा का ख्याल मा0 मुख्य मंत्री जी रखते हैं तो जाहिर है कि अच्छा भतीजा चाची का ख्याल ज्यादा रखेगा। उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है तो माननीय अध्यक्ष जी...(शोर)

वह फूलाई ओवर न बना है न बनेगा। अगर बनेगा भी तो पहले विक्रमादित्य मार्ग पर बनेगा। मा0 अध्यक्ष जी अभी कल की घटना है, कानपुर में शतचण्डी स्कूल के प्रबन्धक को लोगों ने जिन्दा दफन कर दिया और कल ही की प्रतापगढ़ की घटना है 25 तारीख को पट्टी कोतवाली में ग्राम रेड़ीगारापुर में रमापति की बेटियां बहू पत्नी को वहां पर जे0सी0बी0 मशीन से गड्ढ़ा खोदकर जबरिया उनको दफनानें की कोशिश की गई। चूँकी उसमें कही न कही ऐसे दबंग लोगों का रिश्ता सत्तापक्ष से था। बीचबचाव करने के लिए अधिकारी मौके पर तो पहुँचे लेकिन मान्यवर, अधिकारी कानूनी कार्यवाही से बचते रहे और खुल्लमखुल्ला कहते रहे कि मामला सत्तापक्ष का है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में इसलिए ला रहा हूँ कि वह इसका संज्ञान लेंगे। मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हस्तक्षेप किया और ऐमिटी विश्वविद्यालय में जिस टीचर को तमाचा मारा जिस लड़के ने वह जेल गया आपके हस्तक्षेप के बावजूद कानूनी कार्यवाही करने में.....

(शोर)

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता-

नेता विरोधी दल, यह आरोप नितान्त गलत है कि उसने शिक्षका को थप्पड़ मारा। यह नितान्त गलत है यह भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी और प्रमोद तिवारी जी ने आपके यहाँ जाकर गलत तरीके से और पूरे प्रदेश में पेश किया है। इस प्रकार से उसकी सदन में निन्दा नहीं हो सकती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम तो चाहते है कि ऐसा न हो, वह निर्दोष हो, अच्छी बात हमे उस पर कहना नहीं है। मान्यवर, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि छोटी से छोटी बात को मुख्य मंत्री जी को गम्भीरता से लेना चाहिए और वह भी हम कहीं न कहीं मोरौव्वत करेंगे। हम चाहते हैं कि निर्दोष को सजा न मिले लेकिन अगर दोषी है, कानून की नजर में वह मुलाजिम है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए आज बड़े पैमाने पर जो इस तरह से कानून राज पर सवालिया निशान लग रहा है, यह चिन्तीय विषय हैं। समय रहते इस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को आगे आना चाहिए। आपकी बजट पुस्तिका में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मान्यवर, यह बजट पुस्तिका केवल घोषणाओं का झुनझुना है।

(सदन में हँसी गूँजी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

केवल घोषणाओं का झुनझुना है, तथ्य से परे है, जमीनी हकीकत से दूर है और साथ ही साथ प्रदेश के गांव, गरीब की अनदेखी की गयी है और विकास को अमलीजामा देने के लिए कोई त्वरित कार्य योजना नहीं है। इसलिए मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण की मैं [xxx] करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जो मैंने सुझाव रखें है, उनका संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, धन्यवाद, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, बजट भाषण की [x x x] की नहीं की जाती है, उसका विरोध किया जाता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर [x x x] नहीं विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

[x x x] शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा पेश वर्ष 2013-2014 के बजट की सामान्य चर्चा पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए, धन्यवाद। मान्यवर मैने बड़े ध्यान से इस अभिभाषण को भी पढ़ा और माननीय नेता विरोधी दल का सारगर्भित भाषण भी सुना। मान्यवर,

---

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जिस समय बजट पर चर्चा होती है, बजट प्रदेश सरकार की नीतियों का, प्रदेश की सरकार की मंशा का एक आइना होता है और उस आइने में जो कुछ निकल कर आता है, उसका परिणाम प्रदेश की जनता को मिले, यह स्वाभाविक रूप से सभी की सोच होती है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जैसे वरिष्ठ नेता, जिनके लिए हमेशा आदरभाव रहा है और आज भी है, जब वह इंटरवेंशन में खड़े होकर यह बात कहेंगे कि स्वाभाविक रूप से हम राजनीतिक दल है, हम वोट को ध्यान में रखकर बजट बनाते है, मान्यवर, इस बात से खराब कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। मान्यवर, जिस समय सरकारें बनती है, उसके पहले स्वाभाविक रूप से हम राजनीतिक दल के नजरिये से काम करते है, लेकिन जिस समय सरकार बन जायेगी। उस समय अगर वोट को ध्यान में रखकर बजट बनाया जायेगा तो प्रदेश का कदाचित भला होने वाला नहीं है। प्रदेश के विकास के हित में ध्यान में रखकर अगर आप बजट बनायेंगे तो प्रदेश का भला होगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अगर वोट शब्द कहा हो तो जो सजा आप कहें।

श्री सतीश महाना-

नहीं मैं सजा देने लायक भी नहीं हूँ। मंशा भी नहीं है। मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एक सिक्के की तरह से होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उस सिक्के के हिस्से होते है। हम किसी एक को भी माइनस करने के बाद सरकार चाला लें यह कदाचित सम्भव नहीं है। मैंने इस बात को भी कहा था कि जितने भी माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं सबकी योग्यता एक है और स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षायें भी सभी से एक प्रकार की होती हैं। सत्तापक्ष के मा0 विधायकों से अगर इस बात की अपेक्षा होती है कि आप सरकार में रहकर काम करवा रहे हैं तो हमसे भी अपेक्षा होती है कि आप सरकार से लड़कर काम करावाइये। मान्यवर, यह जो पैसे के खर्च की बात है यह जो लगभग दो लाख बीस हजार करोड़ के लगभग बजट पेश किया गया है मान्यवर, उसमें बहुत सारी योजनायें हैं। मैं उनके आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। क्योंकि उसके बारे में कम्परेटिव एनालिसस बड़ी विस्तार से यहाँ पर चर्चा में हुआ है। मान्यवर, क्या यह सही है कि जो वित्तीय वर्ष अब मार्च में खत्म हो रहा है उस वित्तीय वर्ष के लिए जो स्वीकृत धनराशि थी उसमें से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा का खर्चा नहीं हुआ है। मान्यवर, हम न्याय तब करते हैं जब हम अपने आपको उस सीट पर बैठकर देखें कि हम क्या करते हैं। आज से लगभग एक वर्ष पूर्व जिस समय यहाँ पर बैठे हुए मित्र जब यहाँ भाषण दिया करते थे आज उस प्रकार की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस बात में स्वयं चिंतन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, पिछले पांच वर्ष तक सरकार थी और वह सरकार पांच वर्ष तक उससे पूर्व की पांच वर्ष की सरकार की आलोचना करती रही। जब भी वह विधान सभा में आती थी उसके बिना उसकी कोई बात पूरी नहीं होती थी और वह पूरे पांच वर्ष चला। कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उसी बात की पुनरावृत्ति पिछले एक वर्ष से देखने को मिल रही है मेरा निवेदन है कि उसकी एक समय सीमा तय कर लें कि हम इतने समय तक विपक्ष की या पिछले पांच वर्षो के कार्यकाल की आलोचना करेंगे उसके बाद हम अपना भी काम करके देंगे। मैंने कहा था कि नई सरकार से बहुत सारी अपेक्षायें हैं। नौजवान मुख्य

मंत्री का एक विजन हो। स्वाभाविक रूप से अपेक्षायें उससें होती हैं जिससें कोई उम्मीद हों। लेकिन हमें इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि हमें जितनी अपेक्षायें थीं उसमें एक वर्ष में हम कितने खरे उतरे हैं। उस समय यह भाषण दिया गया था कि नये-नये आये हैं आज कुछ कहने की स्थित में नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी के द्वारा यदि कोई गाइडलाइन दी जाये उनके द्वारा कोई रोड मैप तैयार किया जाये तो पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस रोडमैप के अनुसार उसको पूरा करे। वह एक वर्ष के अन्दर देखने को नहीं मिला। यह नहीं कहा जा सकता कि एक वर्ष बीत गया, दो साल बीत गया तो पांच साल की तो सरकार होती है। कितना समय चाहिए अपना परिणाम देने में।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए)

आज मान्यवर गरीब आदमी, क्या इस बात के लिए सरकार विश्वास के साथ कह सकती है की बी0पी0एल0 श्रेणी के नीचे रहने वाले लोग, जिस स्तर पर पाँच वर्ष पूर्व रहा करते थे, क्या आज उनके उस स्तर में कोई बढ़ोत्तरी हुई है। उनके रहन-सहन में, उनकी सुविधाओं में, उनके द्वारा दी गई सरकारी योजनाओं में, इस प्रकार से मान्यवर, सबसें गरीब आदमी जो समाज की पंक्ति में सबसे आखिरी व्यक्ति हैं, अगर उसके स्तर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, तो सरकार की प्रशंसा हम किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, उन गरीब आदमियों के बारें में सोचिए और उनके बारे में सोचनें के लिए पूरा का पूरा रोड मैप ऊपर से नीचे तक समग्र रूप में एक साथ देखना पड़ेगा एक स्थान के ऊपर निगाह टिकाने के पश्चात हम एक साथ सबका विकास कर लें, पूरें प्रदेश का विकास हो जाय, यह सम्भव नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं मान्यवर जैसा मैने कहा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने उन आंकड़ों को दिया कि पहले क्या था, एक कम्परेटिवली एनालिसिस किया था। मान्यवर, ला एण्ड आर्डर की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी भी सरकार में यदि आम जनमानस सुरक्षित नहीं है तो सरकार के रहने न रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मान्यवर क्राइम के अलग-अलग प्रकार हो गये हैं और मैं अगर इस बात को कहूँ कि बहुत सारे कुछ टेलीवीजन्स क्राइम करने की पाठशाला हो गये हैं जो वह सीरियल्स दिखाते हैं, इस बात में कोई दो राय नही है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सहमत होंगे, शाम के समय जो दिखाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि इतने बजे से इतने बजे तक, पिछले अपराधी से यह चूक हो गयी थी, जरा ध्यान से देखिये ताकि अपराधी को यह पता चल जाय ताकि आगे से इसमें चूक करने की गुन्जाइश हम न रखें, पाठशाला हो गई है क्राइम करने की। तो अगर वह हो गये हैं तो हमको भी तो अपडेट अपने को करना पड़ेगा। हमको अपने तंत्र को मजबूती के साथ अपडेट करना पड़ेगा। मान्यवर, अभी मैं बजट भाषण देख रहा था, हो सकता है जिस वक्त विस्तृत चर्चा हो सामान्य प्रशासन के ऊपर, उस समय उसकी बात आये। आज आवश्यकता है, इनको अपडेट करने की और पुलिस प्रशासन को अत्याधुनिक सुविधायें देने की। सी0सी0टी0वी कैमरे के माध्यम से, अधिक से अधिक स्थानों के ऊपर कैसे उनको लगाया जा सकता है, जी0पी0एस0 सिस्टम को हम कितना मजबूत कर सकते हैं, साइबर क्राइम अब बढ़ता हुआ क्राइम है और केवल यह लोकलाइज नहीं है, इण्टरनेशनल स्तर के ऊपर, हम यहां पर बैठे हुए हैं, इण्टरनेशनल स्तर के ऊपर हमारा सिक्योरिटी कोड हैक कर लिया जाता है। उस स्तर के ऊपर भी मान्यवर, आपका नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन हम उसको कितना प्रभावी ढंग से देख सकते हैं, हमारे

बजट में स्वाभाविक रूप से उसका प्राविजन होना चाहिए। जो अभी तक मुझे इस बजट में नहीं दिखा। जब तक ला एण्ड आर्डर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आप उसमें साधन नहीं देंगे, संसाधन मुहैय्या नहीं करायेंगे, तब तक हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हमारा वर्तमान तंत्र उस पर काबू पाने में सफल होगा। इस सिस्टम को मान्यवर, बड़ी गम्भीरता के साथ देखना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज की बात ले लें, मैं एक-एक बिन्दु के ऊपर बहुत विस्तार से नहीं जाऊँगा। मान्यवर, एनएचआरएम घोटाला जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, भारत सरकार के द्वारा दिये गये धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ, उसके ऊपर जाँच हो रही है। जाँच में जो भी कार्यवाही होगी जो भी लोग दोषी होंगे, उसमें जायेंगे, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी उसमें अगर कुछ अस्पताल बने थे, अगर उसमें कुछ योजनाएं सड़क के ऊपर आयी थीं तो उन योजनाओं को क्योंकि वह पिछली सरकार के द्वारा चालू की गई थी, इसलिए उनको वहीं पर रोक देना अनुचित होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जनता का पैसा जनता के उपयोग के लिए लाया जाना चाहिये। बहुत सारे ऐसे हास्पिटल होंगे, एक हास्पिटल को मैं जानता हूँ, मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर था, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्चा किया गया होगा, लेकिन उसमें सुविधायें नहीं हैं। पैसा जनता का था, पैसा किसी सरकार का नहीं था, किसी राजनीतिक दल का नहीं था। सरकारें जो पैसा खर्च करती हैं, वह कहीं उनके पट्टे में लिख कर नहीं आता है, पैसा जनता के द्वारा गाढ़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में दिया जाता है, पैसा उसके माध्यम से आता है। वह ऐसी इमारतें, वह ऐसे हास्पिटल्स, वह ऐसी व्यवस्थायें जो खड़ी थीं, उनको मान्यवर, सुदृढ़ करने की, उनको सुचारु रूप से चलाने की आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बजट का एलोकेशन उतना पैसा आपके पास लिमिटेड है, लेकिन आपकी प्राथमिकतायें तो कम से कम तय होनी चाहिए।

वे प्राथमिकतायें आप कैसे तय करोगे कि हम उसको छोड़ देना चाहते हैं क्या मैं अभी कहा था कि सरकार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कल कोई बैठा था, आज कोई बैठा है, कल कोई बैठा होगा। सरकार अगर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तो सरकारी पैसा, जनता का पैसा है। इस बात को ध्यान में रख कर हमें काम करना चाहिये। एम्बुलेंस उस समय खड़ी थी, उस समय एम्बुलेंस के ऊपर कुछ दूसरा नाम लिख दिया गया था। अब उस एम्बुलेंस पर से वह नाम मिटा करके दूसरा नाम लिख दिया गया है बस। केवल नाम में फर्क है, पेण्टिंग में फर्क है, बाकी काम वही है। पैसा तो जनता का ही है। केन्द्र सरकार से पैसा आया तो केन्द्र सरकार भी जनता का ही पैसा दे रही है, वहाँ पर प्रधानमंत्री या कोई और अपने पास से नहीं दे रहा है। आप कहते हो कि केन्द्र सरकार का है, वे कहते हैं कि प्रदेश सरकार का है। कहाँ से लाये हो पैसा, आप बार बार कहते हो कि केन्द्र सरकार से पैसा आया है। मान्यवर, इस बात के लिए वो सारा का सारा साधन जिसका दुरुपयोग हो रहा था, आप उसका सदुपयोग करें। आपने अपने बजट एलोकेशन में कहा कि मेडिकल कालेज कानपुर में न्यूरोलॉजी के लिये 2 करोड़ रुपये दे रहे हैं। मेरा मा0 मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि 2 करोड़ रुपये से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेण्ट नहीं बनेगा, उसकी बिल्डिंग ही नहीं बन पायेगी इसके लिये मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि उसके लिये जितना पैसा आवश्यक है, मैं यह नहीं चाहता कि 100 य 200 योजनाओं के लिये पैसा दें। अब 10 के लिये दें, 20 के लिये दें लेकिन पैसा

फ्रूटफुल हो सही जगह पर लगे, सही जगह पर उसका उपयोग हो सके। पैसा लग जाने के बाद हमने 10 योजनायें चालू कर दीं। अगर 10 योजनाओं में 100 रुपया खर्च होना है तो हमने उसको बाँट दिया। हम उन योजनाओं को चिह्नित करें, जो हमारी प्राथमिकताओं में हैं, जो जनहित में हैं, हम उनको पूरा करने के लिये बजट एलोकेशन करें। मैंने कहा कि हमारी प्राइऑरिटीज क्या होनी चाहिये, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये। दवा नहीं मिल रही है वहाँ पर, सच है मान्यवर। आप कहेंगे तो आपके पास प्रमाण होंगे, आप सरकार है। मैं कभी-कभी डॉक्टर्स को कहता हूँ, इंजीनियर्स को कहता हूँ कि आप सही बात सरकार को बताओ, उनको डर लगता है कि अगर हम सही बात बतायेंगे तो हमारे खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी, क्यों हो जायेगी। सही बात बतायेंगे नहीं, सरकार एलोकेशन नहीं करेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिये जो पैसा जहाँ पर जाना आवश्यक हो, उस पैसे को दीजिये। कम से कम आम गरीब आदमी को दवाई मिल सके। मान्यवर, इस बात के लिये आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, आपने इण्डस्ट्रीज की बात कही, आगरा समिट की बात कही लेकिन कोई एक समिट कर लेने से, कुछ बड़े-बड़े इण्डस्ट्रिलिस्ट को बुलाकर, उनको बिठा देने से, उनकी फोटो अपने साथ खिंचा लेने से, अखबार में देने से विकास नहीं होगा। मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूँ कि आज से 5 वर्ष पहले भी एक विकास परिषद् के नाम से बहुत बड़े, देश के नामी गिरामी लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उनके साथ फोटो खिंचाई गयी थीं लेकिन परिणाम शून्य। आपने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा ली। खुद अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं बनेंगे। आपने कहा कि हमने 28565 स्मॉल इण्डस्ट्रीज एक साल में लगा दी। 28565 नम्बर देखा तो मुझको भी बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश में ऐसा माहौल की 28000 स्मॉल इण्डस्ट्रीज लग गयीं और उसमें लिखा कि 2170 करोड़ रुपये का निवेश आ गया। यह भी अच्छा लगा भी 2170 करोड़ रुपये का निवेश आ गया और 28000 इण्डस्ट्रीज आपने लगा दी तो मैंने भी कहा कि लाओ इसे ठीक तरीके से पढ़ें और ठीक से पढ़ने का प्रयास किया तो पेज नम्बर 10 के ऊपर लिखा हुआ है, पेज नम्बर 12 और 33 पर की साढ़े सात लाख रुपया प्रति इण्डस्ट्रीज पर खर्च होगा। मान्यवर, आज कल साढ़े सात लाख रुपये में तीन कमरे नहीं बनते हैं और इण्डस्ट्रीज का विकास कर दिया। 28000 इण्डस्ट्रीज आ गयीं। साढ़े सात लाख रुपये एक के हिस्से में नहीं आते हैं, आपका विकास हो गया। मान्यवर, क्या ये क्राइटेरिया होगा विकास का। आंकड़े इक्ट्ठे करके, आंकड़ों के माध्यम से हम अपना बजट पेश कर दें तो क्या यही क्राइटेरिया होगा विकास का। अरे, जिस समय 2 लाख 20, 21 हजार करोड़ का बजट होगा, 20 करोड़ लोगों की, जनमानस की अपेक्षायें होंगी तो बजट पैसे से देखने में तो बड़ा लगेगा ही लगेगा। आपने लिख दिया कि हमने 400 करोड़ रुपया गन्ने के लिये दिया। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 5 लाख ऐसे गन्ना कमेटियों/गन्ना समितियों के हैं। 400 करोड़ रुपये मान्यवर, आपने दिया, 500 रुपया प्रति गन्ना किसान के हिस्से में आता है। 500 रुपये, ये आपके बज्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आपने उसमें लिखा है। अपनी तरफ से मैं कोई भी बात प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, 500 रुपये। मान्यवर, आपने किसान के ऋण माफी की बात की। आपने उसके ऊपर बंदिशें लगा दी कि जिसने प्राइवेट बैंक से कर्जा लिया हो उसका कर्जा माफ नहीं होगा, दूसरे किसानों का कर्जा माफ

होगा, उसमें से भी आपने बंदिश लगा दी कि जिन्होंने 10 प्रतिशत जमा किया हुआ है, उनका माफ होगा। कितने लोग उस श्रेणी में आएंगे, जरा उसका भी अनालिसिस कर लीजिए। उसमें ज्यादा है तो अच्छी बात है, ज्यादा लोगों को लाभ मिले। मैं बधाई भी दूँगा अगर उसमें ज्यादा लोगों को लाभ हो रहा है तो। मेरा काम है आपको बताना, मेरी जानकारी अगर आप ले रहे हो तो वह स्वागत योग्य है, लेकिन क्या उससे सारे के सारे जो आपने कहे थे। हम कहते हैं कि हमने जो अपने इलेक्शन मैनीफैस्टो में कहा था उसे पूरा कर दिया है या उसे पूरा करा हुआ मानते हैं क्या ? पूरा हो गया, कुछ बाकी नहीं रह गया है करने के लिए। पूरा कर दिया, कर दिया तो बाकी क्या गरज है, इसी को पूरा करना कहते हैं। गरीब आदमी को पीने के लिए पानी नहीं है। हैण्डपम्प के ऊपर सवेरे चर्चा हो रही थी कि कौन लगाएगा, किसके कहने पर लगायेगा, मा0 प्रभारी मंत्री जी के कहने पर लगाया जायेगा, विधायकों के कहने पर लगाया जायेगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि और भी प्रतिनिधि होते हैं, उनके कहने पर लगाया जायेगा, जब होगा तब लगाया जायेगा ना। है ही नहीं, कहीं हो तो बताइये। पिछले बजट भाषण में था, लिखा हुआ था, 41000 लगेंगे। इसमें नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है तो बता दें, मैं नहीं पढ़ पाया, सॉरी। हैण्डपम्प भी गायब हैं बजट में, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, सबसे छोटी आवश्यकता है हैण्डपम्प, पीने का पानी भी नहीं दे पाए। मैं सच कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जिस समय 5 साल पूरे होने के बाद यह सरकार आई थी, तो बिना आपसे पूछे हमने कहा था कि यह सरकार नई आई है, अब हैण्डपम्प मिलेंगे। किसी के विश्वास के ऊपर हमने वायदा कर दिया था, वह विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है, मा0 मुख्य मंत्री जी, उस विश्वास को बनाने का काम आप इस बजट में करें, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कहा था, बाकी सब लोगों ने कहा था कि नहीं कहा था, मैं नहीं बोलूँगा, क्योकि मैं बोलूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि हमें मिल रहे हैं, हमने नहीं कहा था। मैंने कहा था। मैंने कहा आज तक मिलता आया है, इन 5 सालों को छोड़कर, जब हैण्डपम्प की व्यवस्था शुरू हुई, आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, उस समय मुख्य मंत्री थे, उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी हुए। लगातार मिलता रहा है।

श्री प्रदीप माथुर-

कांग्रेस में मिले ?

श्री सतीश महाना-

मेरे आने से पहले कांग्रेस की सरकार कभी रही होगी, सन् 1991 से पहले से, भूल गया हूँ मैं, कुछ हुआ होगा, वह मुझे नहीं मालूम। मुझे पता नहीं कि 1991 से पहले क्या था, मैं तो 91 से हूँ, इसीलिए तब से हमें मालूम है। मान्यवर, मैंने कहा था कि 5 साल नहीं मिला, अबकी जरूर मिलेगा। कभी-कभी हम लोग जाते हैं, चुनाव प्रचार में तो लोग हमारे नाम के ऊपर मन्नत मांग लेते हैं कि आप जीतोगे तो हम लोग इतने किलो के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। राजनीति में सरकारें आती हैं, जाती हैं, स्वाभाविक रूप से हम भी प्रयास करते हैं कि हमारी सरकार आए, लेकिन जो जनता का विश्वास होता है, वह स्वीकार होना चाहिए लेकिन उस विश्वास के ऊपर अगर एक हैण्डपम्प भी

नहीं है तो विश्वास कितना बड़ा कर सकते थे और कितना छोटा आप उसको कर लें, यह अपने आपको सोचने दें।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें। अब आप का समय हो गया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा समय जब आप कहेंगे तभी समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, अर्बन डेवलेपमेंट के बारे में बात हुई, आप इन्फ्रास्टेक्चर देना चाहते हैं, अवस्थापना सुविधाएँ देना चाहते हैं। आप बिजली नहीं देंगे, सड़क नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे आप चाहेंगे कि इन्डस्ट्री हमारे पास आ जाए, कहां से आ जाएगी। मूलभूत सुविधा अवस्थापना सुविधा के नाम पर सारे के सारे भाषण हो जाते हैं। अवस्थापना के नाम पर सारे-के-सारे बजट पर चर्चा हो जाती हैं, लेकिन अवस्थापना मद में शहरों में किसी प्रकार का कोई विकास हुआ हो यह कहीं नजर नहीं आता है। बहुत सारी चीजें पैसे से नहीं, बहुत सारी चीजें योजना से ठीक करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा समय निकाल कर उसकी तरफ देख लीजिए।

मान्यवर, आप समय निकालें उसकी तरफ देखें, शहरों का भी विकास हो जायेगा। शहरों में भी लोग रहते हैं। नाले के किनारें लोग अपना जीवन-यापन करने के लिए रहते हैं। आप भी भावनात्मक रूप से उनके लिए चितिंत होंगे। लेकिन उसके परिणाम दिखाई देने चाहिए। सरकारों की इसके प्रति जिम्मेदारी है और उसके परिणाम दिखाई दें। मान्यवर, दुग्ध विकास की बात कहता हूँ। लखनऊ में आपने एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया वह आप पराग को न देकर शायद अमूल को देना चाहते हैं आपको बधाई है। अमूल भी बड़ा दुग्ध फेडरेशन है। लेकिन आप इस तरह से दूध तो गुजरात से ही लायेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में और भी दुग्ध प्लांट लगे हुए हैं उनकी दशाओं की तरफ आप देखेंगे। मान्यवर, आपने कानपुर में जो पराग का प्लांट लगा है उसके उन्नयन के लिए घोषणा की है। लेकिन अभी तक उस पर पैसा नहीं मिला है हम निवेदन करते हैं कि आप उस पर कार्यवाही करायें। पैसा उसको दिलवायें। मान्यवर, बिजली आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी सदन में चर्चा के दौरान बिजली उत्पादन को बढ़ाने की बात उठी थी। मान्यवर, इकत्तीस परियोजनायें आपके पास है, एक पर भी काम समय से नहीं हो रहा है। रिलायन्स का जो प्रोजेक्ट जो दादरी में लगना था, वह अध्याय बन्द हो गया है। हम चाहते हैं कि इकत्तीस में से दस को आप प्राथमिकता पर ले लें। इक्तीस को आप एक साथ ले रहे हैं। आप उसमें से दस या पांच को पहले ले लें और उसको जल्दी पूरा करायें। मान्यवर, मेरे पास इन योजनाओं के पूरे डिटेल हैं। आपको जिन परियोजनाओं में लगता है कि अस्सी से पचासी प्रतिशत वर्क पूरा हो गया है तो आप उनको प्राथमिकता के आधार पर लेकर पूरा कराएं ताकि कुछ तो फायदा मिलने लगे। मान्यवर, पर्यावरण के बारे में कहना चाहूंगा कि गंगा यमुना की सफाई के लिए आपने कहा आज गंगा साफ है। मेरा निवेदन है कि आगे भी साफ बनी रहे तो अच्छा होगा। मान्यवर, यह सही है कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि टेनरी वाले हमारे मित्र हैं, वह एक उद्योग है और उसमें हजारों मजदूर कार्यरत हैं। उनको प्रदूषण के नाम पर बन्द कर देना कोई समाधान नहीं है। आप उनके प्राइमरी ट्रीटमेंन्ट प्लाण्ट को कैसे ठीक

करा सकते हैं उसमें कैसे पैसा लगा सकते हैं। उसके बारे में आप सोचें। जो पानी का दूषित प्रवाह है वहां पर उसको कैसे ठीक करा सकते हैं। इसके बारे में सोचें। मान्यवर, 500 एम0एल0डी0 136 एम0एल0डी0 का वह प्लाण्ट है और वह भी सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो आप उसको चलवाने का काम करें। जो उनकी दिक्कते हैं वह दूर करायें।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

आप उनसे कहिए, आप उनके व्यक्तिगत मित्र हैं कि प्लाण्ट को चलाएं। पिछली सरकार में हमने दबाव डालकर, प्लाण्ट लगवाया था, लेकिन वह उसे चलाते नहीं हैं क्योंकि उसमें खर्चा आता है। आप उनसे बैठकर बात करिए, समझाइये और प्लाण्ट को चलवाइए। आज एक बूंद गंगा में पानी नहीं जा रहा है उनका।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपके संज्ञान में है उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट है जल निगम के द्वारा जिसके आप माननीय मंत्री है और चेयरमैन हैं उसकी आप थोड़ी सी चिन्ता करेंगे, वह ठीक तरीके से चलेगा तो कुछ न कुछ उसका लाभ होगा।

मान्यवर, एक सुझाव है यह पेज नं0 47 पर आपने लिखा है, बहुत सही लिखा है स्टाम्प शुल्क से 2013-2014 में आपको 10 हजार 555 करोड़ रुपया आया, 17 प्रतिशत वृद्धि का आपको पहले से अनुमान है। आने का रास्ता तो मान्यवर, मालूम है, स्टाम्प ड्यूटी एक बहुत बड़ा राजस्व है और केवल ड्यूटी के नाते राजस्व नहीं है जितने भी अभिलेख होते हैं। सारे के सारे इम्पार्टेन्ट अभिलेख होते हैं। मैं आपको शपथ पूर्वक यह बात कहने को तैयार हूँ कि उन अभिलेखों को रखने के लिए कोई भी सही स्थान नहीं है। पुराने अभिलेखों के ऊपर दीमक लग रही है अगर किसी रजिस्ट्री आफिस में चले जायें क्योंकि कानपुर में जाने का अवसर मिला है वहां पर जो सब रजिस्टार है उसके दफ्तर में, खिड़की में, ऊपर छज्जे में सब जगह दीमक है। मैंने माननीय स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री जी से उसी समय फोन करके निवेदन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने वित्त को लिखा था उन्होंने मना कर दिया अब आप मुख्य मंत्री जी को कह दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस स्टाम्प से आपको 10 हजार 500 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है उन रजिस्टार आफिस में रजिस्ट्री आफिस का, कम से कम उन डाक्यूमेंट्स को रखने के लिए जितना भी आवश्यक धनराशि है उसको प्रायरिटी पर दें ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में है और डिपार्टमेन्ट के इंटरेस्ट में भी है। उसको आप दें जरूर ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, मैंने अपनी बात विस्तार से, मैंने कहा था एक-एक बात को और लम्बा चौड़ा बनाकर कहता तो उसको कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, सब डिपार्टमेन्ट के ऊपर चर्चा हुई, अभी सब सम्मानित सदस्य उसके ऊपर बोलेंगे। मान्यवर, मैंने जो कहा था हैण्डपम्प इसके ऊपर जरूर विचार करें, सड़कें विधायकों के द्वारा चिन्हित स्थानों पर बनायी जाती थीं उसके ऊपर जरूर विचार करें, कुछ गांव में विद्युतीकरण है, होगा तो जमीन के ऊपर उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के बाहर अगर कोई प्रस्ताव दे तो उसको मत मानियेगा लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई अपनी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर देता है तो उसको जरूर लीजिएगा, उस गांव का विद्युतीकरण करा दें। हर चीज के दाम बढ़

गये हैं, मंहगाई सर चढ़कर बोल रही है। क्षेत्रीय विकास निधि, अब पूरा नहीं पड़ती जनता की अपेक्षाओं के प्रति उस ओर भी ध्यान देंगे। इतनी बात कहकर जो बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यह सारी बातें इसमें जिक्र नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा प्रस्तुत 2013-14 के बजट भाषण पर मै अपना विरोध प्रकट करता हूं। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुरजोर कोशिश करी एक आइना दिखाने की, एक विजन दिखाने का, एक यह दिखाने का कि उनके मैनिफिस्टो में जितनी भी बातें थीं वह पूरी करने जा रहे हैं। मान्यवर, 2012-13 का जो बजट था वह तो मैनिफिस्टों बजट था और उसकी बातें भी पूरी नहीं हो पाई और आधे से ज्यादा पैसा भी आप बजट में नहीं खर्च कर पाये और 2013-14 का बजट आपने प्रस्तुत कर दिया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी बजट पिछली बार रखे गये उनके मदों में आपने राशि बढ़ाकर उन्हें प्रस्तुत किया। इतना विशाल बजट प्रस्तुत किया 2 लाख 21 हजार 201.19 करोड़ का जिसमें कि आपने राजस्व राजकोषीय घाटा 23913.29 करोड़ का दिखाया लोक लेखा से समायोजन और समेकित निधि से समायोजन करने से काम चलने वाला नहीं है। जो आय और प्राप्तियां हैं और जो व्यय है उसमें कैसे सामंजस्य हो यह देखने की बातें हैं। सबसें बड़ा मुद्दा यही है कि राजकोषीय घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है तो हम अपने व्यय को कैसे कंट्रोल करें, इक्सपेंडीचर को कैसे कंट्रोल करें और उसके साथ-साथ प्रदेश के प्रगति के आयामों को कैसे देखें यह बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि हमने देखा है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो उधर वालों पर आरोप लगाते हैं, जब ये सत्ता में होते हैं तो आप पर आरोप लगाते हैं यह बराबर हम देखते चले आये हैं और इससे पिसती है आम जनता, पिसते हैं आम लोग जिनको वह सब सुविधाएं मुहैय्या नहीं हो पाती हैं।

( इस समय 2 बजकर 57 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, आपने ज्यादा ध्यान दिया कृषि के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, अल्पसंख्यक कल्याण के ऊपर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आपने आगरा से लखनऊ जाने के लिए ग्रीनफील्ड प्लेन एक्सप्रेस हाई-वे की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर घोषणा की, लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा की, पर इन सबके लिए कुछ न कुछ तो अपने बजट में प्रावधान करते। क्योंकि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में अगर आप मेट्रो की बात करेंगे तो मेट्रो आज बनने वाली नहीं है, इसमें पांच साल लगेंगे, थोड़ा इसको इंगित कर देते कि किस तरह से आप पैसे का प्रोविजन करेंगे, फंड फ्लो कहां से आयेगा, कैश फ्लो कहां जायेगा, किस तरह से इसकी व्यवस्था होगी और क्या टाइमबाउन्ड प्रोग्राम होगा इस मेट्रो का। इसी तरह आगरा से लखनऊ तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाई-वे की जो बात है, उसके बारे में भी आप जिक्र करते कि कितना टाइम स्पैन होगा। ऐसा न हो कि जब हम बजट प्रस्तुत करते है और टाइम स्पैन जब बहुत बढ़ जाता है तो किसी भी प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ जाती है। आप एक टाइमबाउन्ड सीमा के अन्दर उसके लिये कहते कि हम 5 साल में मेट्रों ला कर देंगे, उसका बजट एक टेन्टेटिव चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हो, चाहे वह बजट के माध्यम से हो, चाहे कोई भी सोर्सेस आप इकट्ठे कर रहे हों, उसका ब्रेकअप देकर बताते, परिचर्चा करते तो

एक अच्छी बात होती। जिस तरह से पिछली सरकार में यमुना एक्सप्रेस-वे बना, उसकी कीमतें कहां से कहां बढ़ गयीं लेकिन एक अच्छी चीज बनी। अच्छा हुआ कि आपने भी उसे लखनऊ तक बढ़ाया इस तरह के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत हमने एक प्रश्न के जवाब में पूछा था। मान्यवर, आपको अपना अवस्थापना विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी चुस्त-दुरुस्त करना होगा। क्योंकि मैं बार-बार आपको आगाह करता हूँ क्योंकि आप विजन रखते हैं और आप चाहते हैं कुछ करना। अभी आगरा समिट हुयी और आगरा समिट में आपने विदेशी निवेशकों को बुलाया, बातचीत की। आपके पूर्ववर्ती सरकार में जब नेता जी मुख्य मंत्री थे तो भी आपकी एक विकास परिषद् बनी थी और वह टाइम टू टाइम मॉनीटर करती रहती थी हम चाहते हैं कि आप भी ऐसी विकास परिषद् को फिर से रिवाइव करें, जिससे कि जो कुछ भी आगरा समिट में हुआ, उस आगरा समिट की बातें मॉनीटर हों और सबसे बड़ी बात, जो सभी लोग कहते आये हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट आनी चाहिये। जो भी आप बजट में करते हैं, पिछले साल के बजट में क्या हुआ, उद्यम हुआ, उसकी एक्शन टेकेन रिपोर्ट जब तक आप नहीं लायेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बजट पास कर देंगे, डिपार्टमेंन्टल बजट चले जायेंगे, फिर उसका अनुपालन ग्रासरूट पर कैसे हो रहा है, क्या आम आदमी के लिये वह पैसा लग पा रहा हैं कि नहीं, यह देखने की बात है। आपकी टेन्डरिंग की व्यवस्था नीचे देखिये, नीचे वही हाल है जो पिछली सरकारों में होता था। आप पी0डब्लू0डी0 विभाग में देख लीजिये, आप और विभागों में देख लीजिये, केन्दीय परियोजनाओं का पैसा हमारे बड़े भाई आजम खाँ साहब सामने बैठे हैं, इनसे कितनी बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि केन्द्र सरकार पैसा देने को तैयार बैठी है, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनीवल मिशन के लिये, पर आपके अफसरों के पास टाइम नहीं है। डी0पी0आर0 भेजने के लिये टाइम नहीं है। उससे हम सभी सफर कर रहे हैं, हम भी तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हमें भी चिन्ता है कि केन्द्र सरकार से जो पैसा आ रहा है, वह ढंग से लगेगा कि नहीं लगेगा। आप जाकर देखिये, ग्रासरूट लेविल पर वहाँ कितना पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है पैसा। मैं अब आना चाहता हूँ गन्ने के मामले में आपने 400 करोड़ का प्राविधान रखा, आपने कहा कि हमने पिछले बजट में 18 हजार करोड़ किया अबकी बजट में हमने 21 हजार करोड़ किया, 3000 करोड़ का ज्यादा प्रावधान किया गया और आप आउटस्टैन्डिंग देखिये 4 हजार करोड़ का और जो 400 करोड़ आपने रखा है, वह मुझे लगता है कि कम्पनसेट करने के लिये रखा है यह पैसा कम है।

इसी तरह आप ऊर्जा पर जाइये, बड़े सपने हैं, आप बिना ऊर्जा के तो प्रदेश चला ही नहीं सकते, न उस निवेश को आमंत्रित कर सकते हैं, न किसी इंटरप्रेन्योर को बुला सकते हैं, न किसी उद्यमी को बुला सकते है, जब तक बिजली नहीं है तब तक कुछ नहीं हैं। आपका विजन है, सोच है, और आप कुछ करना चाहते हैं। 11,732 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग के लिये, यह बहुत ही कम है। यदि आपने दिया कि हम इन 31 परियोजनाओं को चलवायेंगे जैसा कि अभी महाना जी ठीक कह रहे थे तो उसमें से 4-5 स्पेसीफाई कर लीजिये, कि इनको ठीक करना है, आप एक नये प्रोजेक्ट की घोषणा भी करते। आप कोयला इम्पोर्ट करने की पालिसी लायें जो 8-9 परियोजनायें चल रही हैं, आपने पिछले सत्र में इम्पोर्ट करने की परमीशन दी उन 8-9 परियोजनाओं को खोल देने के लिये

किया। आप थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं, गैस बेस्ड आपकी योजना रिलायंस की स्क्रैप आफ हो गयी या हस्ब बेस्ड योजना, क्योंकि आपके यहाँ धान बहुत होता है, 100-100 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट आपके यहाँ लग सकते हैं, धान की भूसी पर आधारित हस्ब हमारे मथुरा में लगा हुआ है छाता में। हम आपसे कहेंगे कि जो आपका इलाका है मैनपुरी, इटावा जहाँ धान ज्यादा होता है, इस तरह की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आप इनवाइट कीजिए। ऊर्जा के मामले में आपका विजन नजर नहीं आता कि किस तरह से आप कन्ट्रोल करेंगे पावर को, किस तरह से बिजली लायेंगे और यदि आपने बिजली की व्यवस्था नहीं की तो समझ लीजिए कि आपका आगरा समिट भी बेकार, आपकी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी बेकार, आपके और मुद्दे भी बेकार। आपने उद्योगों की बात की, आप दोनों उद्योगों को देखिये, आपने भारी उद्योगों का वर्णन इस किताब में नहीं किया है, कहीं भी भारी उद्योग का वर्णन नहीं है। आपने लघु उद्योगों की बात की, मान्यवर, अगर आज आप देखें जिला उद्योग के डी0आई0सी0 सिंगल विन्डो सिस्टम की बात करते हैं, जिला उद्योग केन्द्रों का क्या हाल है। सारे दफ्तर बन्द रहते हैं, एक जी0एम0 रहता है, जो सिक यूनिट वाले वन टाइम सेटलमेंट के लिए आते हैं उनसे व्यवस्था लेता है, बैंकों को रिकमण्ड कर देता है और वह यूनिट चले न चले लोगों को सब्सिडी की जरूरत होती है लोग सब्सिडी ले जाते हैं, आप सभी इण्डस्ट्रियल एरिया में देख लीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी आपसे गुजारिश है आप दो तरह की नीतियाँ अख्तियार कीजिए एक तो एक्जिस्टिंग इण्डस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में है, उनका क्या हाल है। जो आपकी छोटी इकाई स्मॉल स्कल इण्डस्ट्रीज, मीडियम इण्डस्ट्रीज और हैवी इण्डस्ट्रीज, सारी की सारी इण्डस्ट्रीज आप देखिये कि कितनी इण्डस्ट्रीज रूग्ण पड़ी हैं सिक पड़ी हैं उनकी लाइनिंग कराइये ढंग से, उनको सेपरेट कीजिए, उनको रिहबलिटेट करने की बात कीजिए, उनको वन टाइम सैटलमेंट कराइये, यदि आप इण्डस्ट्रिलाइजेशन की आवाज उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मथुरा के इण्डस्ट्रियल एरिया का पुरसाहाल है, माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, आपने फ्रीहोल्ड की बात और कर दी है ऐसा करने से वह इण्डस्ट्री, इण्डस्ट्री नहीं रहेगी लोग वहाँ आवास बना लेंगे और शोरूम खोल लेंगे, स्कूल खोल लेंगे। आज इण्डस्ट्रियल एरिया की हालत बहुत खराब है मुख्य मंत्री जी, आप इस बात के लिए अलग से आफीसर्स बैठाइये और कहिये कि इण्डस्ट्रियल एरिया, जो उत्तर प्रदेश के यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ने या जो नोएडा ने, ग्रेटर नोएडा ने इण्डस्ट्रियल एरिया बनाये, उसमें से कितनी इकाइयाँ जिन्दा हैं। तमाम दायें बायें हो जाते हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति पब्लिक इश्यूज उठा करके दायें बायें हो जाते हैं और वह फैक्ट्री चलती नहीं हैं इसलिए हमें देखना होगा कि क्या स्टेटस है उन फैक्ट्रीज का, उसको मॉनीटरिंग करने के लिए लगाइये। मान्यवर, इसी से रिलेटेड कानून-व्यवस्था का मामला है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। हम सब अपने गिरेवान में झांक कर देखें कि प्रदेश की स्थिति क्या है, मैं इस समय पार्टी लाइन पर नहीं लाना चाह रहा हूँ कि पार्टी लाइन पर हम आपको आरोपित करें और आप हमें आरोपित करें, यह कहे कि पहले कानून-व्यवस्था अच्छी थी और आप कहें कि हमारे समय मे कानून-व्यवस्था अच्छी थी। कानून-व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। कल आपकी ही पार्टी के नेता को गाजियाबाद में गोलियों से भून दिया जाता है। तमाम लोगों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है जब एक माहौल आप बनायेंगे, कानून-व्यवस्था में कड़ा रुख अख्तियार करेंगे तभी स्थिति सुधर पायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, आपने कहा कि तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, यह असंसदीय है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसे निकाल दीजिए, हो सकता है कि बोल गये होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत हो निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री प्रदीप माथुर-

मैं तो सुझाव दे रहा हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी को। मान्यवर, जहाँ तक पर्यावरण का मामला है, अब आप पर्यावरण विभाग को देखिये। पर्यावरण विभाग में यह हालत है कि जो आपका प्रदूषण नियंन्त्रण बोर्ड है, उसके अधिकारी पर्यावरण की चिन्ता नहीं करते हैं बल्कि उसके अधिकारी चिन्ता करते हैं कि फैक्ट्रियों से वसूली कैसे हो। नदियों में जो उत्सर्जन गन्दा जा रहा है, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट क्यों चलते हैं। नगर पालिका और नगर निगम सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं चलाया करते हैं वह तो कागजी कार्यवाही पूरी कर देते हैं। एक नीति आपको बनानी पड़ेगी कि जितने नाले हम लोग एस0टी0पी0 या सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के माध्यम से साफ करके नदियों में डालते हैं, मेरा कहना है कि रिवर्स गियर शुरू कीजिए उन नालों को नदियों में मत जाने दीजिए, उसको शहर के दूर किसी इलाके में ले जाइये उसे ट्रीट कराइये और उस पानी को नहरों में डालकर खेतों को दीजिए तब तो आपका पर्यावरण का मामला, नदियों की सुरक्षा का मामला, नदियों में शुद्ध जल का मामला चल पायेगा। वरना तो आज बची और उन्होंने सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट बंद किया सीधे नालों का फ्ला वहाँ जाने लगा। इसको आपको सोचना पड़ेगा। एक बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। गंगा और यमुना तो आस्था से जुड़ी हुई नदियाँ हैं। गंगा के लिए 70 करोड़ का गंगा रिवर बेसिन अर्थारिटी के पैसे से आपने किया है, इसी तरह से यमुना का भी करिये। (मा0 आज़म खाँ साहब अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि आप हमारे मित्र होते हुए भी आप ऐसे सुझाव देंगे।)

सुझाव नहीं, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ आप मानें या न माने यह आपकी मर्जी। आप कहाँ मानते हैं, आप तो अपनी बात ही रखते हैं बड़े भाई। मान्यवर, जहाँ तक सवाल लोक निर्माण विभाग का है, लोक निर्माण विभाग में आपने बजट के एलोकेशन्स किये हैं आप सड़कों की स्थितियाँ देखिये। गत एक साल में कोई सड़क गड्ढ़ामुक्त नहीं हुई हैं। आप लोगों की सड़कें बन गयी होंगी लेकिन इधर बैठे हुए माननीय सदस्यों के क्षेत्रों की कोई भी सड़क नहीं बनी, किसी की भी सड़क गड्ढ़ामुक्त नहीं हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी, हम नेता जी को याद करते हैं वह सबको एक दृष्टि से देखते थे, 07 कि0मी0 सड़क देते थे, विद्युतीकरण के लिए 05 गाँव देते थे, हैण्डपम्प देते थे और यहाँ बैठे हुये लोग सब नेता जी के नाम पर तालियाँ बजाते थे। हमें आपसे भी उम्मीद है क्योंकि अभी हमने आशा नहीं छोड़ी है। हमें पता है कि फाइनल राउण्ड में आप भी अपने पिता जी के पद-चिन्हों पर चलेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कुछ तो ऊपर वाले से डरिये, कुछ तो डरिये। यह समझ लीजिए कि अगर आपने ऐसी बातें करीं तो सूडा, डूडा का सब आपका रोक लूँगा। हम तो मित्र समझकर आपको सबसे ज्यादा देते हैं और आप भरी महफिल में हमारी इज्जत का कचरा कर रहे हैं। (हंसी)

श्री प्रदीप माथुर-

हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टाइल से कह रहे हैं, लखनऊ की अदा से कह रहे हैं। हम तो सब बातें उसी तरीके से कह रहे हैं कोई रामपुरिया चाकू की धार की तरह से नहीं कह रहे हैं। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, ये यूनिवर्सिटी में सीनियर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार की तमाम परियोजनाओं का इस्तेमाल आप करते हैं, आप कहीं केन्द्र की योजनाओं का नाम तो ले लिया करिये। आपने राजीव गाँधी विद्युतीकरण का मामला अपने एकाउण्ट में ले लिया। 3453 करोड़ रुपये का प्राविधान, 3,854 ग्राम और 30670 मजरे इनका विद्युतीकरण करायेंगे, कहीं नाम नहीं है राजीव गाँधी विद्युतीकरण मिशन का। इसी तरह से पी0एम0जी0एस0वाई0 का कहीं नाम नहीं लोक निर्माण विभाग में नही हैं। आपने एन0आर0एच0एम0 में 988 एम्बुलेन्सेज पहले इस सरकार ने अपना नाम लिखा, दो तीन महीने लगे, पता लगा कि समाजवादी स्वास्थ्य मिशन के नाम से लांच हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ बैठे हुए 29 लोग, इन लोगों को भी बुला लिया कीजिए जब भी केन्द्र सरकार की किसी योजना की लांचिग हुआ करे। आप अपनी तुलना इन लोगों से कराते रहे जिनके यहाँ नक्कारखाने में तूती की आवाज हुई थी। क्यों अपनी स्टैम्पिंग ब0स0पा0 के रूप में करा रहे हैं। आपको केन्द्र सरकार की परियोजनाओं पर कहना चाहिए कि यह केन्द्र सरकार की योजना है, इतना सहयोग है तो हम केन्द्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। इसको कहने में आपका क्या जा रहा है ? अरे भाई, खाये भी और गुर्राये भी। (हंसी) (डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कहा कि अब तो जवाब देना पड़ेगा।) मुख्य मंत्री जी, अच्छा होता पूर्वान्चल की बातें बहुत होती हैं। यहाँ पूर्वान्चल के तमाम विधायक बैठे हुए हैं, 291 करोड़ का प्राविधान किया गया है, यह पैसा बहुत कम है इसी तरह से बुन्देलखण्ड के लिए, बुन्देलखण्ड-बुन्देलखण्ड पूरे भारतवर्ष में हंगामा कटा हुआ है। बुन्देलखण्ड के ऊपर। केन्द्र सरकार ने उसके लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया पर आपने कुल 109 करोड़ रुपये दिया। इसका प्राविजन भी आपको करना चाहिए था। इसी तरह से मैं एक-दो बातें और कहना चाहूँगा। पर्यटन के लिए मुझे उम्मीद थी आप बात करेंगे। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मथुरा और आगरा के बीच में एक्सप्रेस हाई-वे पर एयरपोर्ट बनाने की बात करेंगे। आपने बजट में इसका कहीं भी प्राविधान नहीं किया। हमने सोचा था कि आप उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे हवाई अड्डे बनाने की बात करेंगे उसका कहीं जिक्र नहीं है। माननीय नगर विकास मंत्री जी बहुत विदेश गए हैं हम लोग भी गए यू0के0, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में छोटे-छोटे हवाई अड्डे होते हैं। आप पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं लेकिन जब छोटे-छोटे हवाई अड्डों का सृजन ही नहीं होगा तो पर्यटक कहाँ से आएंगे। इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग का बजट बहुत कम है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पर मथुरा, काशी, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल हैं उसके लिए अच्छा बड़ा पैकेज देते

उत्तराखण्ड जाने के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इस पर एक बड़ा बजट होना चाहिए था उस बजट की बहुत बड़ी कमी रही। इसी तरह से स्पोर्ट की बात करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ चाहूँगा 177 करोड़ रुपये आपने स्पोर्ट्स के लिए रखे हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरी तरफ भी तवज्जों देने दें। प्रदेश में कितने स्टेडियम हैं लेकिन 90 प्रतिशत स्टेडियम में भैंसें चरती हैं। भैंसें कौन चराता है मैं यह नहीं बोलूँगा यह लोग लड़ाई लगवाने के चक्कर में हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, कहीं न कहीं बैल भी होगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ। आपको यदि स्पोर्टस को आगे बढ़ाना है तो उन स्टेडियम को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर चलवाएं। हमने मथुरा, आगरा के लिए आपको आफर दिलवा रहे हैं। एक रेडियन कम्पनी वाले आपके पास आने वाले हैं वह 12 महीने खेल करवाएंगे और आपके स्टेडियम बराबर लाइव रहेंगे, जिन्दा रहेंगे और आपके जो गांव के खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलेगा। आम बच्चे खेलने आएंगे अभी आपके स्टेडियम रूग्ण पड़े हुए हैं वहाँ कुछ नहीं होता है दीवारें गिर चुकी हैं, पवेलियन है नहीं यदि स्वीमिंग पूल है तो उसमें दूर-दूर तक पानी नहीं है आपके कुश्ती के स्टेडियम में कुछ नहीं हो रहा है। आपने प्रोवीजन कर दिया कि जो ओलम्पिक में मेडल लेकर आएगा उसको इतने पैसे दे देंगे एस्ट्रोटर्फ का यह बनवा देंगे लेकिन आपके जो एक्जिस्टिंग स्टेडियम हैं उनके सम्बन्ध में खेलकूद के बारे में पालिसी लानी पड़ेगी। उन स्टेडियम को जिन्दा कराने के लिए व्यापक परिवर्तन करने पड़ेंगे। नीति बनानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मैं उच्च शिक्षा की बात करना चाहूँगा। मैं अभी 15 मिनट लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

जब उच्च शिक्षा आए उस समय अपनी बात रखें। जितना समय आपको आवंटित है वह हो चुका है।

श्री प्रदीप माथुर-

उच्च शिक्षा बड़ा गम्भीर मामला है और स्थिति यह है कि मैं कई बार विश्वविद्यालयों में एक्जीक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर रहा मैंने देखा कि उच्च शिक्षा के मामले में यूनीवर्सिटीज का बुरा हाल है आपके रजिस्ट्रार और आपके फाइनेन्स आफीसर होते हैं वह किसी मर्ज की दवा नहीं होते। उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता स्टैण्डर्ड आफ एजूकेशन बिल्कुल नीचे चली गई है और नकलों का अम्बार लगा हुआ है उच्च शिक्षा के मामले में आपको गंभीर होने की जरूरत है। स्थिति यह हो गयी है कि

आपके कालेजों में लोग बी0ए0एम0ए0 करने जाते हैं प्राइवेट यूनीवर्सिटी में लोग जा रहे हैं। आपको उच्च शिक्षा में बढ़ावा देना है तो इस पर गम्भीर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रावीजन करने पड़ेंगे विश्वविद्यालयों की वर्किंग पर आपको रिपोर्ट मांगनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर मिल जाते हैं कुछ नहीं होता है। स्टैण्डर्ड आफ हायर एजूकेशन बिल्कुल नीचे जा रहा है। इसी तरह से चिकित्सा के बारे में जब आप बात करेंगे चिकित्सा शिक्षा के बारे में अभी मैंने बजट में पढ़ा कि आप पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में तीमारदारों के रहने के लिए कोई प्राविजन कर रहे हैं। पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में डाक्टर तो आते नहीं हैं दवाइयाँ हैं नहीं तीमारदारों के लिए रहने का अर्थ है कि अवांछनीय तत्वों को रहने के लिए और जगह बनवा दीजिए। हास्पिटल जहाँ पर दवाएँ नहीं होती हैं।

इसी तरह के प्राविजन करने का। देखने में तो बहुत अच्छी है। चूँकि न तो डाक्टर है, न दवाएं हैं न पेशेंट हैं। तीमारदारों के रहने का मतलब है कि इस इलाके के दबंग लोगों के रहने के लिये आप एक्मोडेशन दे रहे हैं । मान्यवर, यह देखने में तो बहुत अच्छी परन्तु घाव बहुत करने वाली है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। अभी आपको फिर बोलने को मिलेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सोच है, करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। आवास विकास विभागों के बारे में बात करना चाहूंगा मानयवर, आपने अवस्थापना के लिये ढाई सौ करोड़ रुपये दिये। डेवलेपमेंट एथॉरिटीज की स्थिति यह है कि इनकी अपनी खुद नियमावली नहीं है। यह बोर्ड की बैठकों से संचालित होती हैं। अवस्थापना से जो पैसा एलाट होता है वह भी ऊपर के फोनों से होता है। विधायकों की कहीं वहां गिनती नहीं है इन विकास प्रधिकारणों में। इसलिये वहां के रूल्स एण्ड रेग्युलेशन बनवाइये उन डेवलेपमेंट एथॉरिटीज के लिये। डेवलेपमेंट एथॉरिटीज सेल्फ सस्टेनिंग एथॉरिटीज होती हैं। उसमें 403 विधायकों का हस्तक्षेप भी करवाइये वरना वहां कोई सुनने वाला नहीं। वहां के वी0सीज अपने आप में आटोक्रेटिक संस्था होती है वह किसी की नहीं सुनते। इसलिये विकास प्राधिकरणों के लिये भी आपको विशेष नजर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि उनका मामला बहुत गम्भीर होता है। आज सुबह जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा कि तमाम इस तरह की मशरूम ग्रोथ हो रही हैं कालोनीज की नगरों में जिनके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं है। और तमाम व्यवस्थाओं से वो गवर्न होते हैं परन्तु खेतों में कालोनी कट जाती हैं, उनके लिये न ड्रेनेज होता है, न बिजली के खम्भे होते हैं, न सड़कें होती हैं और वह लोग हमारे प्रदेश में वहां रहने वाले लोग सिसक-सिसक कर जी रहे होते हैं। अच्छा होता यदि आपने इस बजट में कुछ प्राविजन किया होता कि अनप्रूव्ड कालोनी को हम रेग्यूलराइज करेंगे और कुछ कंडीशन्स के साथ करेंगे जिससे उस कालोनी में रहने वाले लोग एक आम आदमी की जो जरूरत हैं वह उनको मुहैया करा सकते और लगता कि आप आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, अब हो गया, समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं इस उम्मीद के साथ कि 2013-14 में जो भी इस पुलिन्दे में आपकी सरकार ने बातें करी हैं, इसमें कुछ होगा और मुख्य मंत्री जी का मैं इसलिये समर्थन करता हूं क्योंकि यह सोच रखते हैं बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विजन के साथ, एक सोच के साथ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट, इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट, पावर जनरेशन, कानून व्यवस्था, नगरीय विकास और शिक्षा, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो एक स्टेट के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, किसानों के लिये, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब चूँकि आप लोगों का हनीमून पीरियड खत्म। अब आप मैदान में उतरे हैं इन सब व्यवस्थाओं को लेकर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे और यह तब ही होगा जब मुख्य मंत्री जी को फ्री-हैंड से काम करने देंगे। फ्री-हैण्ड से आप काम करने नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसी बात का मैं विरोध करता हूँ और मुख्य मंत्री के बजट भाषण का वैसे मैं तारीफ करते हुए, वैसे तो मैं विरोध करता हूँ, उम्मीद करता हूं कि इस मामले को आप आगे ले जायेंगे और प्रदेश आगे बढ़ेगा।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी और नेता काँग्रेस ने बड़ी गहनता से अध्ययन करने के बाद विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, चाहे वह हैवी उद्योग थे, लघु उद्योग थे, चाहे स्टेम्प, चाहे मनोरंजन के काम थे, बड़े अध्ययन के बाद उस पर अपने विचार रखे। आपने मुझे समय दिया, मैं भी आपके माध्यम से सरकार को अपने विचार देना चाहता हूँ। जब पहली बार यह सरकार बनी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में तो प्रदेश के किसान देख रहे थे कि कुछ करिश्मा होगा लेकिन यह सरकार लैपटॉप और टैबलेट, इसी के चक्कर में उलझ के रह गई । इसी का गाना गाते-गाते इनको 11 महीने हो गये। न तो लैपटॉप बँटे न टैबलेट बँटे न कोई काम हुआ। अभी इन सब की बात सुनने के बाद, मैने भी कुछ इस किताब को पढ़ने की कोशिश की। सिंचाई विभाग में केवल 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया बजट में, सिंचाई पूरे उत्तर प्रदेश में, 20 परसेन्ट सिंचाई नलकूप और रजवाहों से होती है। 80 परसेन्ट सिंचाई प्राइवेट ट्यूबवेलों और इंजनों से होती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि यह किसानों की सरकार है। मा0 मुलायम सिंह यादव जी के हृदय में चौधरी चरण सिंह की रूह बसती है। (मेजें थपथपाई गईं) इस सरकार से किसानों को पूरी आशा है 80 परसेन्ट किसान प्रदेश का आस लगाए बैठा है जिस तरह से 20 परसेन्ट किसानों को छूट दी है सिंचाई पर, अगर यह सरकार मेरे सुझाव पर किसानों का बिल माफ कर दे, तो सरकार की जय-जयकार हो जायेगी। आप लैपटॉप और टैबलेट से ऊपर उठिए। यह किसानों की सरकार है पूरा प्रदेश का किसान आपकी ओर देख रहा है। अभी बजट में प्राविधान नहीं किया है। मान्यवर, नार्मल कनेक्शन, सब विधायक जानते हैं जो देहात से ताल्लुक रखते हैं, इतनी पेन्डेंसी है, उसका बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि नार्मल

कनेक्शनों के लिए इस बजट में प्राविधान किया जाए। तीन परसेन्ट इन्ट्रेस्ट पर किसानों को कर्ज दे रहे हैं अभी सरकार ने घोषणा की बड़ा अच्छा लगा। अरे, दे कहाँ रहे हो। एन0एस0एस0ए0, जो मरी पड़ी हैं उन पर दे रहे हो, आप सब जानते हो कि 90 प्रतिशत सोसायटियां फेल हैं वहाँ कर्ज का कोई काम ही नही हो रहा है। उसमें तीन परसेन्ट की सुविधा दे रहे हो। अगर आपको किसानों को सहयोग ही देना है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों पर, या के0सी0सी0, जिससे किसान ऋण लेता है और प्रदेश का 90 परसेन्ट किसान के0सी0सी0 से ऋण लेता है। अगर आप उसमें तीन परसेन्ट की सुविधा किसानों को देंगे अच्छा लगेगा। मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि सरकार इस पर विचार करे। किसानों के ऋण के माफ होने की बात आई बहुत अच्छा लगा, जय-जयकार हुई। मालूम पड़ा कि भूमि विकास बैंक का ही केवल कर्जा मॉफ होना है। ऐसा भूमि विकास बैंक जो बैठा हुआ है, डूबा हुआ है, उसमें से मेरे ख्याल से जब हम छोटे थे, जब कुछ लोग इंजन का ऋण लेने जाते थे, कुओं का ऋण लेने जाते थे, उसको मान्यवर आप भी जानते होंगे, आप भी उस समय होंगे लेकिन अब मान्यवर, लगभग 35-40 सालों से तो मैंने किसी किसान को वहां से ऋण लेते हुए देखा ही नहीं है। कोई ऋण वहां से नहीं लेता है तो अगर आप किसानों के वाकई हितैषी हैं तो 50 हजार का कर्जा माफ, के0सी0सी0 पर, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जहाँ से किसान ऋण लेता है उस पर भी सहयोग देने का काम करें। अभी चीनी मिलों की बात आई बड़ा हल्ला हो रहा था चीनी मिलों का। चार सौ करोड़ का प्राविधान रखा है, चार हजार करोड़ का ऑलरेडी कर्जा जनवरी तक किसानों पर हो गया इसे भी आप थोड़ा सा बढावें। मान्यवर, दुधारू पशुओं के बारें में सुझाव है अभी मा0 सदस्य हमारे चर्चा कर चुके हैं बेहिसाब कट्टी हो रही हैं। पशुओं की चोरी नहीं डकैती हो रही है। इस सरकार में रोकी नही जा सकती है। अभी 13 ट्रक पिछले समय में, मैंने अपने हाथ से पकड़े है। मैंने वहाँ के डी0आई0जी0 और एस0एस0पी0 को अवगत कराया। मात्र हल्की सी कार्यवाही करके एक-एक हजार रुपये जुर्माना करके उनको छोड़ दिया गया। उन सबको जब छोड़ दिया गया तो ट्रक वाले कह रहे थे कि हम सबके लिए तो यह बहुत आसान रास्ता हो गया। एक-एक हजार से पाँच-पाँच हजार की वसूली तो पुलिस वाले खुद ही कर रहे थे। अब एक हजार देकर छूटने का प्राविधान हो गया है। तो यह बेहिसाब बे-रोकटोक चल रहा है तो इस पर रोक लगाई जाए। जब तक कट्टी नहीं रोकी जाएगी दुधारू भैंस इस प्रदेश में नाम के लिए भी रहेंगी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी के ही हाथ का यह काम नहीं है, यह हमारे कांग्रेस वाले वरिष्ठ नेता बैठे हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा कि जो एक्सपोर्ट का काम है, मांस के एक्सपोर्ट का काम है, देश की सरकार उसे रोके, आप उसका प्रस्ताव दें, तभी प्रदेश में दुधारू पशु जीवित रह सकते हैं, वरना दुधारू पशुओं का सफाया हो जायेगा, दूध नाम की चीज नहीं मिलेगी। अभी नलकूपों की बात आई। नलकूपों के बारें में मैं ज्यादा अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन इस सम्बंध में मेरा सुझाव है कि प्रयोग के रूप में सौर ऊर्जा से यह सरकार डिमान्ट्रेशन के रूप में पूरे प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में एक-एक नलकूप सौर ऊर्जा से चला करके दिखाए, जिससे इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो और सरकार उस पर अनुदान दे, तब बहुत से लोग ऐसे नलकूप लगाने के लिये तैयार हो जायेंगे और आपकी ऊर्जा भी बचेगी। राम मनोहर लोहिया ग्रामों की बात आई, 287 करोड़ का

प्राविधान रखा गया है। यह बहुत कम है। एक ग्राम के हिस्से में लगभग 12 लाख आता है। मेरा सुझ है कि इसकी धनराशि बढ़ाई जाए और जिस गांव को आप टेकअप कर रहे हैं, उसकी एक भी गली शेष न रहे, वरना आप पर भी वही आरोप लगेगा, जैसा इन पर लग रहा था कि एक जाति का जहाँ मोहल्ला खत्म होता था, उसके बाद काम बन्द। आप पर तो अभी यह आरोप नहीं लगा है लेकिन यह आरोप न लगे कि एक मोहल्ले का काम करा दिया, दूसरे मोहल्ले की गली रह गयी। मेरा अनुरोध है कि जिस गांव को आप टेकअप करें, उसे पूरी तरह सेचुरेट करें। एक वही झंझट पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड का, हम पश्चिम के लोग कहाँ जायें उनका भी तो कुछ करेंगे वह सबसे ज्यादा गेंहूँ पैदा करें, सबसे ज्यादा ईंख पैदा करें, सबसे ज्यादा धान पैदा करें और सबसे ज्यादा काम करें लेकिन सुविधा के नाम पर कोई सहयोग ं मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें। अभी एक बजट आया कृषि का, माननीय मुलायम सिंह जी के हृदय में चौधरी चरण सिंह जी की रूह बास करती है, वह सोचते हैं कि किसानों का कैसे भला किया जाय। उनकी जब पहली बार सरकार बनी थी, हम देख रहे थे, पहला आदेश आया था, माननीय मुलायम सिंह जी का कि इस प्रदेश में मेरी सरकार आने के बाद कोई गलत हरिजन एक्ट नहीं लगेगा, यह शब्द बोला था, मुलायम सिंह जी ने और उस शब्द का यह प्रभाव था तो मैं इस सरकार से यह उम्मीद करता हूं उस दिन मैं इजाजत लेकर चला गया था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, जुगाड़ों के सम्बन्ध में कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से आप अन्य वाहनों का इन्श्योरेन्स करते हैं, जुगाड़ों का भी इन्श्योरेन्स कर लें, अगर किसी से एक्सीडेण्ट में कोई क्षति होती है, तो सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करे। इस सम्बन्ध में आपका आदेश जाना चाहिए। माननीय राजनाथ सिंह जी बड़े गर्व से हर भाषण में एक ही उपलब्धि गिनाते रहते हैं कि हमने जुगाड़ मुक्त की तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक आदेश आपका जाए, नियम-कानून क्या है, आप जानें, आपका काम जाने लेकिन जुगाड़ चलनी चाहिए। जुगाड़, जुगाड़ से चलनी चाहिए। अभी आपने घोषणा की थी कि प्रदेश के 9 मण्डलों में विश्वविद्यालय खोले जायेंगे। उसमें हमारा अलीगढ़ भी था। मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने अलीगढ़ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की कि आपने वहां पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कहा है। उसके लिए अलीगढ़ की जनता आपको धन्यवाद दे रही है, मैं भी अलीगढ़ की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को, क्योंकि यह वहीं की युनिवर्सिटी से पढ़े-लिखे हैं। इसमें मेरा एक सुझाव था कि इसमें आपने जो धनराशि रखी है वह बहुत कम है उसको बढ़ायें। यह बहुत सफल युनिवर्सिटी रहेगी। यह दिल्ली के पास है। लोगों को अच्छा लगेगा। एक मेरा और सुझाव है। शिक्षा के क्षेत्र में मा0 प्रमोद तिवारी जी, डा0 अग्रवाल साहब और नेता प्रतिपक्ष मौर्या जी जैसे बहुत से विद्वान हैं। यह सब लोग रोज की बातें पढ़ते हैं, यह लाईब्रेरी अटेंड करते हैं मैं तो कभी पढ़ता नहीं हूँ। मैं तो रेल में बस में और खेती किसानी में और आप लोगों की बात जो समझ-समझाकर बात कह रहा हूँ केवल वह बात है। मैं ज्यादा नियम-उपनियम में नहीं जाता। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मा0 अध्यक्ष जी आप विद्वान हैं पीठ पर बैठे हैं आपमें भी चौधरी चरण सिंह जी रूह है। देखिये जितने भी बेसिक प्राइमरी पाठशाला है। मैने अलीगढ़ का रिकार्ड मंगाया लोगों में अब

बच्चों को वहाँ पढ़ाने की रुचि नहीं रह गयी है। क्योंकि वहाँ कुछ पढ़ाई ही नहीं हो रही है। इसमें हम सब दोषी हैं। पूरा समाज दोषी है। वहाँ के प्रधान से पूछता हूँ कि क्या तूने कभी एब्सेंट लगायी है तो वह कहता है कि साहब मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। मेरी बात मास्टर नहीं मान रहा है। वहाँ का प्रधान यह भाषा बोलता है। जबकि स्कूल को देखने की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं देख पाता है। मेरा सुझाव है कि उन बेसिक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के कुछ बोनस मार्क्स बना दिये जायें, उनके अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया बना दी जाये तो यह जो शहर के लोग बैठे हैं, अग्रवाल साहब, तो मेरा दावा है कि यह भी अपने बच्चों को बेसिक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि उनको अतिरिक्त मार्क्स मिल जायेंगे और प्रोत्साहन मिलेगा। तो मेरा कहना है कि समान शिक्षा का एक कानून हो और गाँव देहात के स्कूलों के लिए आप प्रोत्साहन दें। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। मा0 कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि पर्याप्त खादों के भण्डार है। मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूँ लेकिन वह कार्यवाही में न लिखा जाये। मैने ट्रेन में यह कहा कि न तो लैपटॉप का असर पड़ने वाला है न टैबलेट का असर पड़ने वाला है न और काम का असर पड़ रहा है। मा0 मुलायम सिंह जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वह जो आप 17 जातियों का ड्रामा कर रहे हो एक तो यह काम हो जाये और एक किसान का कर्जा माफ कर दो तो बेड़ा पार है। (हँसी) अगर आपने किसानों का बिजली का बिल माफ कर दिया और किसानों को दो-तीन समस्या आ रही है आपने खाद के रेट ही इतने कर दिये हैं कि उस रेट पर किसान खाद कैसे खरीदेगा। तुम्हारे गोदाम परमानेंट भरे पड़े रहेंगे कोई नहीं खरीदेगा। आप इसमें सहयोग करें। मान्यवर, इतने मवेशी आपके नील गाय, सुअर, बंदर किसानों के खेतों को उजाड़ रहे हैं। गाँवों में झगड़ा हो रहा है, कई फौजदारियाँ हो रही हैं। तारकशी का काम करायें।

खेतों के बाड़ लगवाइये, सुरक्षा कराइये और इस वक्त किसान इतना दुःखी है कि कोई खेतों की सुरक्षा नहीं हो रही है, यह प्राविधान नहीं है। चौधरी साहब ने जैसे ही सरकार बनी थी, एक आदेश किया था, अब हर किसान, हर गांव का आदमी नहर की पटरी पर और ट्यूबवेल की पटरी पर चलने के लिए फ्री है, ताली बज गई। जरा से ही निर्णय पर उस वक्त कितनी तालियां बजीं चौधरी साहब की, किसान गदगद हो गया कि चौधरी साहब ने हमको इजाजत दे दी। ट्यूबवेल की सड़क पर चलेंगे अब हम, नहर की पटरी हमारे लिए फ्री हो गई। उससे, अब में बड़ा अन्तर हो गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, यह सब नहर की पटरियां पक्की हो जाएं और यह जितनी भी सर्विस रोडें है सब पक्की करा दें सरकार की जय जयकार होगी। दूसरा मेरा सुझाव है जितने भी नहरों के पास आज गांव हैं, सबमें सीपेज हो गया है, माठ ब्रान्च मेरे ही क्षेत्र में होकर जाती है, बुलन्दशहर होकर जाती है, आगे मथुरा तक जाती है। मथुरा के विधायक भी बैठे हैं, इन्हें भी जानकारी है, जितने भी नहर के आस-पास के गांव हैं, सबकी जमीन ऊसर होती जा रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि जहां सीपेज हो रहा है और नहर भर्त में चल रही है, भर्त समझ रहे है आप, यानी ऊपर चल रही है तो उन खेतों की सुरक्षा के लिए आप नहरों के किनारों को पक्का करा दें। यानी लाईनिंग को नहरों की पटरियों को आप पक्का करायें। तो निश्चित रूप से आपकी सरकार, किसानों की सरकार मानी जायेगी और धरती पुत्र चौधरी मुलायम

सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार मानी जायेगी। यह लैपटाप और टैबलेट बालकों के खेल तमाशे हैं, इनसे कोई खास अन्तर नहीं पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ जो कार्यवाही में रखने लायक चीज हो, उसको रख लेना और जो वैसी हो, उसको निकाल देना।

श्री अध्यक्ष-

सत्ता पक्ष का कोई मा0 सदस्य या मा0 मंत्री बोलना चाहे, तो वह अपनी बात रख सकता है।

ग्राम्य विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मा0 अध्यक्ष महोदय, मौर्या जी ऐसा बोल रहे थे कि जैसे किसी जन सभा में बोल रहे हों। जन सभा में बोलने में और यहां पर बोलने में यह फर्क होता है। जन सभा में चाहे जो जनता के बीच में बात कहिये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब सदन के बीच में बोला जाय, तो उसकी कुछ मर्यादायें होती हैं, तर्क होते हैं और उसके कुछ प्रमाण होते हैं। मौर्या जी, अभी ला एण्ड आर्डर की, कानून व्यवस्था की बात हुई और बात मैं बाद में रखूँगा, लेकिन जब आपकी सरकार थी, मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। हमारे जिले में जितने एम0एल0ए0 थे, एम0पी0 थे, मिनिस्टर थे, सब आपके थे, केवल एक को छोड़ करके। एक दलित लड़की थी, इण्टर मीडिएट में पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद अपने घर आ रही थी। हमारे यहाँ एक गौर थाना है, वहाँ के दरोगा ने एक पुलिस से उसको पकड़वा करके पूरी रात भर अपने यहां रखा। वह अनूसूचित जाति की लड़की थी, चमार बिरादरी की और दूसरे दिन उसको उसके घर पहुँचा दिया करीब दो-तीन किमी0 की दूरी थी और उस लड़की ने दिन में फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया।

इस केस को 6 महीने तक बचाये रखा। आपके विधायक, आपके एम0पी0 सब संरक्षण दे रहे थे और दलित की बात कौन सुनने वाला है। दलित की हिम्मत नहीं थी कि जो आपके एम0एल0ए0, बड़े ताकतवर लोग थे उनके खिलाफ बोल सके और फिर जिसको जिले का कप्तान बचा रहा हो और सत्ता बचा रही हो, कौन उस पर आवाज उठा सकता है। समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने इस पर आवाज उठायी। हम लोग एक हफ्ते धरने पर बैठे रहे। धरने पर बैठने के बाद जब मैं भाषण कर रहा था और पूरा जिला जब गरम हो गया। दलितों की भी टोलियाँ आने लगीं तो मुझे अफसोस हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के दलित नेताओं ने कहा, ये तो आवारा लड़की थी इसके साथ ऐसा ही होना चाहिये था। मैंने अपनी बात रखी कि अगर आवारा ही थी तो किसी थानाध्यक्ष को अपने घर में उसे रात भर रखने का क्या अधिकार था। आवारा थी ये कह देना, ये बड़ी बात नहीं होती है। किसी पर लांक्षन लगा देना ठीक नहीं है, किस तरह की थी उससे कोई मतलब नहीं था लेकिन थानाध्यक्ष को उसे पूरी रात अपने कमरे में रखने का क्या अधिकार है और क्या कारण था कि जब उसे दो घण्टे बाद घर पहुँचाया गया तो उसने आत्महत्या कर ली। हम लोग वहाँ से यहाँ आना चाहते थे साइकिल यात्रा करके, उस समय मा0 शिवपाल सिंह यादव जी, जो उस समय नेता विरोधी दल थे, इनसे कहा गया। इन्होंने राज्यपाल जी से बात की और तब राज्यपाल जी से बात करने के बाद वहाँ मजिस्टेरियल इन्क्वारी हुयीं। मा0 मौर्य जी, हमने वह घटना देखी है। आज हमारे राज में यह नहीं हो रहा है। इंसान का हाथ सड़क पर नहीं काटा जा रहा है। हमारी कानून व्यवस्था जितना आप हमला

करते हो, उतना खराब है नहीं हाँ। हमको जितना हमला करना चाहिये था, हम हमला नहीं कर पाये और उसका कारण था कि आप लोग हम लोगों पर गुण्डा ऐक्ट लगवाते थे, फर्जी [ x x x ] उत्पीड़न लगवाते थे। हमारे ऊपर गैंग्स्टर ऐक्ट हमारे बस्ती जिले में कम से कम एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर गैंग्स्टर लगा है। वे गैंग्स्टर के लायक नहीं थे, आपकी ये कानून व्यवस्था थी ?

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, अभी असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया गया है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री राम करन आर्य-

मैं समझ गया हूँ, जहाँ मुझसे त्रुटि हुयी है। आप एस0सी0, एस0टी0 ऐक्ट की बात कर रहे हो। मान्यवर, एस0सी0, एस0टी0 ऐक्ट लगाया गया। उस लड़की के सवाल पर नहीं लगाया गया लेकिन अगर कोई अपराधी किसी को फँसाना चाहता तो उसके खिलाफ लग जाता था और मौर्य जी जैसे लोग उसकी वकालत करते थे। हम दलित समाज के हैं इसलिये हमने उसकी अन्तिम लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ता हूँ। वोट कम मिलता है वह बात अलग है लेकिन पूरा जिला और पूरा मण्डल मेरे ही पास आता है। आप केवल वोट ले लेते हो,इनकी बात नहीं करते हो। आज भी दलित आपसे ज्यादा अकेला जीत के पास आता होगा, पारस के पास आता होगा, अरूणा कोरी के पास जाता होगा। आज भी जो समाजवादी पार्टी में दलित नेता हैं, जो जीत के यहां आये है। आज भी सर्वाधिक दलित उन्हीं के पास आता है और उन्हीं के यहां उनको सम्मान मिलता है। हमारी सरकार का बजट बहुत अच्छा है। सभी लोगों ने तारीफ की। आदरणीय प्रदीप माथुर जी ने तो इतनी तारीफ कर दी और अन्त में डर गये कि कहीं हमारा शहर का मामला बिगड़ ना जाये और कम बोला जाये क्योंकि जितनी प्रशंसा करेंगे मा0 नगर विकास मंत्री जी की उतना ही ज्यादा बजट जायेगा। एक कला होती है या तो मंत्री की चापलूसी करो या विरोध करो तो जिनकी बात पवित्र होती है वही अपनी बात ठीक से रखते हैं। सबसे अच्छी बात अभी चाचा ने कही कि भाई आपको तो आना ही है और सही बात उन्होंने कही क्योंकि हमारी किसानों की पार्टी है, हमारी गरीबों और पिछड़ो की पार्टी है। हम लोगों को तो दोबारा आना है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कभी वापस नहीं आना है। आप लोग केवल बात करते रहिये। हमारा जो इस साल 2013-14 का बजट व्यय है दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रुपये है। मान्यवर, राजकोषीय घाटा 23,913.29 करोड़ रुपये का है और 10.5 प्रतिशत की बजट में वृद्धि हुयी है। मान्यवर, हमारी किसानों की पार्टी है और यही कारण है कि हम लोगों ने गन्ना भुगतान के लिये 21 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। और इतना ही नहीं हमने घोषणा की थी हम 4 प्रतिशत पर किसानों को ऋण देंगे, लेकिन हम किसानों की पार्टी, किसानों की हितैषी होने के नाते हमने मान्यवर, एक परसेन्ट घटाकर अब हम 3 परसेन्ट पर किसानों को ऋण दे रहे हैं यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी देन है, 3 परसेन्ट पर ऋण और मान्यवर, बीमा दुर्घटना में

---

नोट :-[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हमारा जो मकसद था, जब हम पिछली बार थे, तो हम लोगों ने 1 लाख किया था। इस साल हम इसे 5 लाख कर रहे हैं और बीमा दुर्घटना पर मान्यवर, 375 करोड़ रुपया रखा है। जिसको भी साँप काटेगा, बिच्छू काटेगा, जो जल से मर जाएगा, तूफान से मर जाएगा, किसी भी तरह से, तो यह किसानों के लिए हम लोगों ने बीमा किया है। मान्यवर, हम लोगों ने इस बार मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है और यह 41 जिलों में हैं, जिसमें 5 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में है। यह आज तक पिछली सरकार नहीं कर पायी। इनके दिमाग में ही नहीं है कि पिछड़ों के लिए करना है या मुस्लमानों के लिए करना है, या दलितों के लिए करना है। ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बस ये केवल दलितों के वोट को माँस की तरह बेच कर अपनी तिजोरी ये लोग भरते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम लोगो ने दो कमरे का मकान बनवाने का काम किया है, जिनकी सालाना 36000/- हजार से कम आय है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सब लोग जब गांव में जाते होंगे तो बी0पी0एल0 वाले तो मिल जाते होंगे, उनसे भी वसूलते थे ये लोग, लेकिन जो ब0पी0एल0 में नहीं हैं, जिनका छप्पर पड़ा हुआ है, वहीं पर बकरी बांधी जाती है, वहीं उनका खाना बनता है, उसी में कमरा है, उसी में पतोहू भी रहती है, उसी में बेटा भी रहता है, नाती पढ़ता है, वह आज भी झोपड़े की स्थिति गाँव में है, इसलिए हम लोगों ने दो कमरे के आवास की इस साल बात की है। मान्यवर, इसी तरीके से हम उसी क्रम में गाँवों का विकास कैसे हो, 10000/- गाँवों को हमने चयन किया है लोहिया समग्र गाँव विकास के नाम पर, और वह एक पक्षीय नहीं है, सम्पूर्ण विकास की बात हो रही है। इसलिए 10000/- गाँवों का 5 साल के अन्दर विकास हम लोग करने वाले हैं। मान्यवर, हमने नदियों पर पुल बनवाने का काम किया है। हमने महल नहीं बनवाया है, हमने अपने स्मारक नहीं बनवाएँ हैं। मान्यवर, गंगा नदी पर 12 पुल और इसके बाद यमुना नदी पर 13 पुल और 259 पुल हमारे प्रगति पर हैं। यह हमारे विकास का सूचक हैं अभी लोग बात कर रहे थे, न जाने यह बजट पढ़े हो। बजट नही पढ़ रहे हैं, हमने कह दिया, अपनी-अलग अलग बात कह रहे हैं कि यह कमी है, वह कमी है, लेकिन हमारी यह बात भी देखनी चाहिए थी, मान्यवर, प्रत्येक जिलों को हम फोर लेन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। आज जब हम जाते हैं बाराबंकी से गोंडा, आपके जरवल रोड पर तो हिम्मत नहीं होती है किसी की जाने की। जो मैं 6 घंटे में बस्ती से लखनऊ आता था, आज 3 घंटे से कम ही समय लगता है और हम पहुँच जाते हैं आपके लखनऊ में। जरवल ऐसे बन जायेगा, बहराइच का विकास हो जायेगा तो शायद हम लोगों के लिए आसान हो जायेगा और हमारा इलाका विकसित हो जायेगा। तो हमने तो काम किया, हमने विकास का काम किया, चार लेन का और पूरे प्रदेश में हमारा 5 साल के अन्दर, कोई जिला नहीं रहेगा, जो चार लेन से हम नही जोड़ देंगे। मान्यवर, बहुत मैं खुश हूं मा0 अध्यक्ष महोदय, आप ही के दबाव में सही मा0 नेता जी की, मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा हो गयी, आप अपनी तरफ ले गये हैं विश्वविद्यालय। हम लोग बहुत खुश है। हमारी बचपन की इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ूँ, छात्रावास में रहूँ और इसके बाद छात्र संघ का चुनाव लड़ू विश्वविद्यालय में, गरीबी के कारण मैं इलाहाबाद नहीं जा पाया। मैं केवल बस्ती में रह गया, डिग्री कालेज में, क्योंकि उतनी दूरी की, इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी, मेरा विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना नहीं पूरा हो पाया। जय प्रकाश जी, आप तो यूनिवर्सिटी के पढ़े हो, तमाम सारे लोग हैं, विश्वविद्यालय की एक अलग दुनियां होती है। वहाँ एक इगो होता है,

कोई कहता है कि मैं अलीगेरियन हूँ कोई कहता है कि मैं इलाहाबादी हूँ, कोई बी0एच0यू0 का कहता है, कोई जे0एन0यू0 का कहता है। शिक्षा की जो उच्चतम स्थिति होती है, उन संस्थाओं में पढ़ता है। उनके अन्दर एक अलग स्वाभिमान और अहंकार होता है। मैं विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाया, हो सकता है कि मेरा बेटा और मेरा नाती, आपकी कृपा से और मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा से, दो तीन वर्षों में विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगेंगे। मान्यवर, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मान्यवर, इलाहाबाद में इसी तरह का राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बन रहा है। अलीगढ़ में एक खेल विश्वविद्यालय खुल रहा है। आप लोगों को इसकी तारीफ करनी चाहिए। यह नयी तरीके से खुल रही है। इसी तरीके से जो विकलांगजन हैं जिनका इस दुनियां में कोई नहीं होता है ये इंसान लोग वैसाखी पर या ठेले पर चलते हैं इनके उत्थान और कल्याण के लिए 317 करोड़ रु0 का प्राविधान किया है इनके पोषण के लिए इनके रहने के लिए व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, निराश्रित विधवाओं और असहाय औरतों के लिए वृद्धा आश्रम बनाने की बात है इसी तरह से मछुवारा समुदाय के लोगों को रहने के लिए मकान यह सरकार देने जा रही है। मान्यवर, पूर्वांचल के लिए ऐसा नही है कि इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है। इसमें 291 करोड़ रु0 दिया गया है। बुंदेलखंड के लिए 109 करोड़ रु0 दिये हैं और तीन हजार नये नलकूप लगेंगे इस तरह से कुल 8 हजार नलकूपों की व्यवस्था की जा रही है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत कम से कम ढाई हजार इकाइयां स्थापित की जा रही हैं और उसमें कम से कम साठ हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। छात्राओं के लिए यह सरकार दो सौ छात्रावास बनाने जा रही है। हमारी सरकार विकास करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि केवल लूटने वाली सरकार है। पिछली सरकार जो थी वह लूटने वाली सरकार थी। खेल जगत में हमारी सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एक नई जगह बना रही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जो फर्स्ट आयेंगे उनको एक करोड़ रु0 दिये जायेंगे और सेकेन्ड आयेंगे उनको 50 लाख रु0 और जो थर्ड आयेंगे उनको पच्चीस लाख रु0 यह सरकार इनाम के तौर पर देगी। इस तरह से हमारी यह सरकार चहुंमुखी विकास करने वाली सरकार है इसके बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेजों की थपथपाहट।

श्री सुरेश कुमा खन्ना-

मान्यवर, वर्ष 2013-2014 के बजट अनुमानों हो रही सदन में सामान्य चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह बजट भाषण बावन पृष्ठ का है परन्तु कई बिन्दुओं पर पूरी तरह से मौन है। मान्यवर, आज प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी में हम कितने ही संसाधन बढ़ा लें लेकिन जिस अनुपात में आबादी बढ़ी है, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है, उसके लिए सारे के सारे संसाधन छोटे और बौने ही मालूम पड़ते हैं। मान्यवर, बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं यह बजट पूरी तरह से मौन हैं। मान्यवर, औद्यौगीकरण को बढ़ाने के लिए और उनको सुविधायें देने के लिए जो प्रयास किये गये हैं वह अधूरे हैं। विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं बजट में वह अधूरे है। जो महगांई बढ़ रही है उसको रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उस पर बजट मौन हैं। बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए यह बजट नगण्य है। अवस्थापना सुविधाओं के लिए जो नगरों में बढ़ाने की बात है उसमें सरकार के प्रयास नगण्य हैं । मान्यवर, नगरों में विकास के लिए पड़े अधूरे

कामों को पूरा करने के लिए इस बजट में कोई बात नहीं की गयी है। मान्यवर, बी0पी0एल0 परिवारों की सुविधाओं के नाम पर यह बजट मौन है। मान्यवर, इस बजट भाषण के पृष्ठ तीन पर एक पैराग्राफ लिखा गया है- **''उत्तर प्रदेश विकास के एक नये मार्ग पर अग्रसर है। विकास को ठोस और समयबद्ध कार्यक्रमों की जमीन पर उतारा जा रहा है। एक ऐसी जमीन पर जो प्रदेश के हर क्षेत्र, हर वर्ग समुदाय और आखिरी आदमी की खुशहाली से जुड़ी है।''** मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रदेश में एक करोड़ छः लाख उन्यासी हजार बी0पी0एल0 परिवार के लोग हैं । इसमें से 40 प्रतिशत कार्ड धारक फर्जी हैं, अपात्र हैं, जिनके कार्ड बन गये हैं। मान्यवर, मैं शासन का 04 अक्टूबर, 2008 का शासनादेश लाया हूँ तब मान्यवर यहां पर बी0एस0पी0 की सरकार सत्ता में थी उस समय एक सर्वे के लिए बात हुई थी, 05 नवम्बर, 2007 को एक आदेश इस बात का हुआ था कि जो बी0पी0एल0 कार्ड बने हुए हैं, उनका फिर से सर्वे करा लिए जाए। (इस समय 3 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, किसी कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप यह शासनादेश नहीं जारी हुआ, यह स्वमोटो शासनादेश जारी हुआ और जो सर्वे कराया जा रहा था जो उसका किसी तरह से पुनरीक्षण कराया जा रहा था उसके ऊपर ब्रेक लग गया और 4 अक्तूबर, 2008 में यह व्यवस्था दे दी गयी कि फिर से बीपीएल परिवारों का सर्वे नहीं कराया जायेगा। उसके बाद कोई प्रयास उस बी0पी0एल0 सूची को ठीक कराने का नहीं हुआ। परिणाम क्या है उसका कि बीपीएल सूची ं ऊपर इंदिरा आवास निर्धारित है, हमारे लोगों का इलाज उसके ऊपर निर्धारित है और साठ साला पेंशन जिसमें केन्द्र सरकार का 66 प्रतिशत हिस्सा है वह भी मान्यवर, उसी को दिया जाता है जिसके पास बी0पी0एल0 कार्ड होता है। जिन लोगों के पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं है वह इस व्यवस्था से वंचित है। इंदिरा आवास से भी वंचित है और साठ साला पेंशन से भी वंचित है। मेरा मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बी0पी0एल0 सूची जो 2002 की बनी है उसका फिर से सर्वे कराया जाय और उसमें से अपात्रों को हटाकर पात्र लोग शामिल किये जायें। साथ ही साथ यह सरकार एक प्रस्ताव पास करके, पूरा सदन का प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजे कि बी0पी0एल0 की संख्या इस प्रदेश में ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा बी0पी0एल0 कार्ड इस प्रदेश में बनवाये जायें ताकि जो समाज की आखिरी सीढ़ी पर बैठे हुए लोग हैं उनको उसका फायदा मिल सके। दूसरी बात मान्यवर, बिजली की है। हमसे पूर्व वक्ताओं ने भी इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला लेकिन मैं हाउस का समय बरबाद न करके केवल स्पेसिफिक बात कहना चाहता हूँ। इस बजट में पेज नं0 28 पर विद्युत के आधुनिकीकरण कार्यों के लिए 1070 करोड़ रुपये की केवल व्यवस्था की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादक परियोजनाओं की क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण, बाकी तो स्टेब्लिशमेन्ट दूसरे खर्चे हैं मान्यवर। लेकिन जहाँ तक आधुनिकीकरण विस्तार का सवाल है केवल 1070 करोड़ रुपये की व्यवस्था उस पर की गयी है। मान्यवर, सरकार की तरफ बैठे हुए लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि आज हमारी मांग से विद्युत उत्पादन 6000 मेगावाट कम है। पीक आवर्स में यह मांग बढ़कर 12 हजार मेगावाट हो जाती है और 1070 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था इस बात को सिद्ध करती है कि सरकार विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत गम्भीर नहीं है क्योंकि इसका कोई

परिणाम आने वाला नहीं है। जिस प्रदेश को 6 हजार मेगावाट की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो यह ऊँट के मुंह में जीरा साबित होगा। मान्यवर, मंहगाई को रोकने के लिए बजट में कोई प्रयास नहीं किया गया डीजल पर 17.23 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है। भारत सरकार ने यह अपेक्षा की थी जब गैस के सिलेण्डर के ऊपर कटौती की गयी तब भारत सरकार ने यह अपेक्षा की थी कि राज्य अपने साधनों से, अपने श्रोतों से 3-3 सिलेण्डर सभी लोगों को देने की व्यवस्था करें। सरकार ने उसमें भी सहयोग नहीं किया। डीजल के ऊपर आज भी इस विधान सभा में सवाल आया था कि हम कृषि के ऊपर, हम डीजल पर न तो सब्सिडी दे रहे हैं और न ही डीजल के रेट पर किसी प्रकार के करों में कटौती करने जा रहे हैं। मान्यवर, ईंट का रेट प्रति हजार मिट्टी का खनन रुकने से ईंट का रेट 3500 से 7000 पहुँच गया, सीमेन्ट की एक बोरी पर 50 रुपये बढ़ गये और सरिया के दाम भी बढ़ गये आदमी के रोजी रोटी कमाने के बाद उसकी एक ही इच्छा होती है कि उसके सर पर एक छत हो जाय। यह मंहगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास इस सरकार का इस बजट में दिखाई नहीं पड़ता है। कोई ऐसा सन्टेंस, कोई ऐसा जुमला इस बजट में नहीं दिखाई पड़ता जिससे यह पता चलता हो कि सरकार इस मंहगाई को कम करने में गम्भीर है और इस दिशा में कोई प्रयास किया हो, मान्यवर, सड़क और पुल की बात आई। पिछले वर्ष 2012-13 में हमने 6600 करोड़ रुपये सड़क और पुल के लिये दिये थे हमने विधान सभा में सवाल लगाया, उधर मंत्री जी ने कहा था कि 20-20 किमी0 सड़कें गढ्डामुक्त हो जायेंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में, किस जनपद में, कहाँ-कहाँ 20-20 किमी0 सड़कें गढ्डामुक्त हुयी। हम अपने क्षेत्र की ज्यादा जानते हैं मान्यवर, हमने जब 3-4 सड़कों का सवाल लगाया, मात्र दो-दो किमी0 की सड़कें है, उसमें केवल माँग यह थी कि केवल मरम्मत करा दी जाये या गढ्डामुक्त करा दी जाये तो जवाब यह आया कि इसका काम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब गड्ढ़ामुक्त नहीं हो सकती, तो नई सड़क तो हमारे लिये सपना है। हर शहर की आबादी बढ़ रही है। शहर में जाम लग रहे हैं, वाहन बढ़े, आबादी बढ़ी लेकिन उससे निपटने का मान्यवर, कोई प्रयास नहीं हुआ। हर शहर में आवश्यकता है एक रिंग रोड की और शाहजहाँपुर में भी आवश्यकता है एक रिंग रोड की। 1.68 करोड़ रुपये का प्रस्ताव जिला योजना के माध्यम से शाहजहाँपुर का आपके पास आया है, विभाग के पास आया है लेकिन जिला योजना को अभी तक कोई पैसा मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक रिलीज नहीं किया गया। मैंने नियम-300 के तहत भी इस मामले को उठाया था तब भी सरकार का ध्यान संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से आकर्षित किया गया था लेकिन अभी तक कोई पैसा वहाँ नहीं पहुँचा। जहाँ तक औद्योगीकरण का सवाल है, मान्यवर, औद्योगीकरण के लिये कोई माहौल इस प्रदेश में तैयार नहीं है। अभी नई औद्योगिक नीति आई, इस सिलसिले में माननीय राधा मोहन जी ने एक सवाल उठाया था, मान्यवर, किसी प्रकार की कोई सब्सिडी उद्योग के लिए नहीं निर्धारित की गयी, यह चिन्ता का विषय है। एक तरफ यह चाहा जाता है और समिट होता है प्रदेश में बड़े पैमाने पर, आगरा में समिट हुआ और बहुत से लोगों को बुलाया गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ। प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या से तब तक निजात नहीं मिल सकती, जब तक इस प्रदेश में उद्योग न आये और उद्योग तब तक नहीं आयेंगे जब तक उनको किसी न किसी प्रकार से सब्सिडी या छूट सरकार के माध्यम से नहीं मिलेगी, उनको सुविधा नहीं मिलेगी। जब तक कानून व्यवस्था की

स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक नये उद्योग नहीं आयेंगे। जहाँ तक मान्यवर, कानून और व्यवस्था का सवाल है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, यह सरकार जब आई, समाचार पत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर इस बात का छपना शुरू हो गया कि मुकदमें वापस होंगे, किसके मुकदमें वापस होंगे, बनारस के बम ब्लास्ट कांड के मुकदमें वापस होंगे। लखनऊ के, गोरखपुर के, फैजाबाद के, मान्यवर, मुकदमें वापस करने की खबर से ऐसा लगा कि जैसे अपराधियों के लिये 15 अगस्त आ गया हो। स्वतंत्रता दिवस अपराधियों के लिये उसी दिन आ गया, जिस दिन सरकार की तरफ से यह बयान आया कि मुकदमें वापस होंगे। मान्यवर, हाईकोर्ट ने टिप्पणी क्या की, 31 अक्टूबर का एक नोटीफिकेशन लखनऊ बेन्च में एक पी0आई0एल0 के माध्यम से प्रस्तुत हुआ, उसमें 2006 में बनारस बम ब्लास्ट में जिसमें 25 लोग मारे गये थे, उसका मुकदमा वापस करने की बात जब माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस के सामने आई तो उन्होंने टिप्पणी क्या की, यह मैं आपके सम्मुख आपकी अनुमति से रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज आप मुकदमा वापस करने के लिये कह रहे हैं, यह उनके अपने शब्द थे 'टूडे यू आर सीकिंग विदड्राल आफ दि केसेस, विल यू गिव देम पदमविभूषण'। मान्यवर, यह अपने आप में चिन्ता की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इतने-इतने गंभीर आरोपी के मुकदमें वापस होने की बात जब आई तो मान्यवर, उन्होंने कहा कि इनके आज मुकदमें वापस करवा लो और कल इनको ले जाकर पद्मविभूषण दे देना। मान्यवर, हम ज्यादा कानून व्यवस्था के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन यह अपने आप में एक संकेत है कि माननीय उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी इस सरकार के माथे पर एक बदनुमा दाग है, जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की। न्यायालय किसी भी तरीके से यह नहीं चाहते, उन आई0ओ0एस0 (तफ्तीश अधिकारी) का क्या होगा, थाने वालों का क्या होगा, जिन्होंने मुलजिमों को पकड़-पकड़ कर बंद किया, जिन्होंने चार्जशीट दाखिल की, वह कहाँ जायेंगे, वह क्या करेंगे। कल को वह गंभीर अपराधी, जो बम ब्लास्ट में फसे हैं, वह निकलकर सबसे पहले किसके ऊपर हमला करेंगे, वह सबसे पहले उन लोगों पर हमला करेंगे, जिन्होंने उनके ऊपर चार्जशीट लगाई या उनको पकड़कर बंद किया। मान्यवर, इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो सरकार की प्राथमिकता में किसान हैं, जो आज माननीय मुख्य मंत्री है, यह जब केवल समाजवादी पार्टी के संसद थे पडरौना की मीटिंग में खुलेआम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि किसान मित्र योजना, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बन्द की है, उससे 50 हजार से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए उसको हम फिर चालू करेंगे, उसको फिर बहाल करेंगे। हमने विधान सभा में सवाल लगाया, अभी तक किसान मित्र योजना की बहाली की कोई बात नहीं है, रोजगार से जुड़ी हुई बात है, सरकार की प्राथमिकता में आता है, इसलिए हम जरूर चाहते हैं कि किसान मित्र योजना वापस की जाय। मान्यवर, दो तीन बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूगाँ। सिंचाई के सम्बंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेंडिंग ट्यूबवेल के निजी कनेक्शन हैं, एक एक जनपद में एक एक हजार कनेक्शन पेंडिंग हैं, हमारे जनपद में लगभग नौ सौ कनेक्शन पेंडिंग होंगे, मान्यवर, यह कई वर्षों के पेंडिंग हैं। जब उसके लिए हम प्राइटी माँगते हैं तो वह कहते हैं कि आउट ऑफ टर्न नहीं दिया जायेगा। आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा, एक तरफ सिंचाई सरकार की प्राथमिकता है, जो संसाधन है उस पर दो सौ करोड़ रुपया सरकार ने वहन किया है कि हमने नहरों की सफाई कराई है। मान्यवर, सरकार कहती है कि

सिंचाई सुविधा हम मुफ्त देंगे और दूसरी तरफ निजी नलकूपों के कनेक्शन को रोकना, मान्यवर, यह विरोधाभासी है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि निजी नलकूपों के कनेक्शन जरूर दिये जाएं। मान्यवर, जहाँ तक बेसिक शिक्षा एजूकेशन का सवाल है आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं, टीचर है, खाना है, कपड़ा है लेकिन मान्यवर, पढ़ाई नहीं है शिक्षा की गुणवत्ता शून्य हो गयी, कोई भी वी0आई0पी0 या थोड़ा सा भी जो फाइनेन्शियली मजबूत है वह अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना नही चाहता, जो जरा भी सक्षम है वह गाँव से शहर आकर अलग से अपनी फैमिली रखकर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है लेकिन गाँव के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहा है। मान्यवर, तो फिर इस प्रकार से पैसा खर्च करने का मतलब क्या है, सरकार को इस बात को सोचना चाहिए केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने से प्रदेश की जनता का भला होने वाला नही है। हम आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि राम गोविन्द चौधरी जैसे व्यक्ति जिनको मैं 25 साल से देख रहा हूँ विधान सभा में, जो रिंग मास्टर और की मास्टर कहलाते थे जब विपक्ष में बैठते थे आज उनके ऊपर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व है। बजट में पढ़ा 32 हजार करोड़ रुपये शिक्षा के लिए दिये गये और नतीजा क्या है, कम्पेटेटिव एग्जाम के लिए जो बेसिक एजूकेशन ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है, क्या वह पर्याप्त है मान्यवर, थोड़ा कहें तो बहुत समझियगा, किसी भी हालत में वह पर्याप्त नही है, किसी भी हालत में कम्पटीशन के लिए यह शिक्षा उपयोगी नहीं है, मान्यवर, मैं शाहजहाँपुर से आता हूँ, यह सरकार न्याय की बहुत बात करती है, शाहजहाँपुर उन जनपदों में है जहाँ का व्यक्ति लखनऊ पास करके इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है। हम मांग करते हैं कि सरकार एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजे कि सम्पूर्ण रूहेलखण्ड बजाय इलाहाबाद के लखनऊ बेंच से जोड़ दिया जाए, उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ बेंच कर दिया जाए क्योंकि यहाँ से एक दिन में वापसी भी हो सकती है और खर्चा भी कम होगा। मान्यवर, जब हम सस्ते न्याय की बात करते हैं, जब हम हर स्तर पर न्याय की बात करते हैं, हम घोषणा करते हैं तो कहीं न कहीं वह प्रदर्शित होनी चाहिए, कहीं न कहीं एक्शन होना चाहिए, उनके आचरण में यह होना चाहिए कि हम सस्ता न्याय देना चाहते हैं। आप कुछ न करें केवल एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेज दें कि रूहेलखण्ड का क्षेत्राधिकार इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ बेंच कर दिया जाए, मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता-

खन्ना साहब, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बस एक बात कह कर मैं अपनी बात को कहकर समाप्त कर दूँगा। मान्यवर, पर्यटन की बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूँगा। केरल जैसा छोटा राज्य जहाँ सौ-सौ, एक सौ बीस करोड़ का बजट पाँच-पाँच छः-छः साल पहले था। जब हम सोचते हैं कि हम लोगों को कैसे आकर्षित करें, लोगों को क्या दिखायें तो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पर्यटन का बजट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं, मथुरा है, अयोध्या है, बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। अगर हम बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे और बजट को नहीं बढ़ायेंगे तो मान्यवर, हम कल्पना नहीं कर सकते कि बाहर के लोग यहाँ पर

आयेंगे। एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूँगा। वर्षों से पुवांया चीनी मिल बंद है और कई बार इसको चालू कराने के बारे में कहा गया कि विचार किया जायेगा। मान्यवर, सहकारी चीनी मिल है। पिछली सरकार ने इस बात की संभावना का भी पता लगाया था कि इसको कैसे बेचा जा सकता है। पुवांया वह क्षेत्र है जो गेहूँ और धान के पैदावार क्षेत्र में 1977 से उत्तर प्रदेश की एक नम्बर की तहसील रही है। आज वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर गन्ना होता है, वहाँ की चीनी मिल बंद है। हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि वहाँ की चीनी मिल चालू कराया जाय। मैं बजट प्रस्तावों का विरोध करता हूँ। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

सत्तारूढ़ दल से कोई मा0 सदस्य बोलना चाहेगा?

(सत्तापक्ष से किसी माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

(भा0ज0पा0 के श्री अजय मिश्र 'टेनी' व ब0स0पा0 के श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज के खड़े होने पर)

श्री अजय मिश्र 'टेनी' -

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट ...

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप आसन ग्रहण करिये। माननीय सदस्य ब0स0पा0 को अनुमति दी जाती है।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जो बजट हम लोगों के सामने पेश किया गया, 21 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट है। हम लोगों ने बड़ी गम्भीरता से बजट को पढ़ा है। इसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गयी है मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि 21 हजार करोड़ के बजट में मात्र 109 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था बुन्देलखण्ड के लिए रखी गयी है बुन्देलखण्ड जैसा पिछड़ा क्षेत्र, जिसमें झाँसी तथा चित्रकूट मण्डल, दो मण्डल हैं तथा 07 जनपदों से मिलकर बुन्देलखण्ड बना हुआ है। मैं चित्रकूट मण्डल से आता हूँ, मेरी महोबा विधान सभा क्षेत्र है। उस विधान सभा क्षेत्र महोबा से हूँ जिसको 11 फरवरी, 1995 में सरकार के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव के द्वारा गठित की गयी थी। चित्रकूट मण्डल का सबसे पिछड़ा जनपद महोबा है, उसके लिए बजट में एक रुपये की व्यवस्था नहीं की गयी। मैं तो पूरे बुन्देलखण्ड की बात करता हूँ। 109 करोड़ रुपये के बजट में आज वहाँ बेरोजगारी की समस्या है, सिंचाई, पेयजल, सड़कों, पुलों की समस्या है। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की कमी है, इन्जीनियरिंग कॉलेज नही है। इसमें आप क्या व्यवस्था कर देंगे। बुन्देलखण्ड के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं की गयी, उसकी कोई चर्चा नहीं की गयी। इतने पिछड़े क्षेत्र में वहाँ आज भी टैंकरों से पीने के लिए पानी भेजा जाता है। पानी की टंकियों की कमी है, पाइप लाइनों की कमी है। मैं

चाहूँगा कि बजट में कोई व्यवस्था की जाए। सिंचाई की समस्या सब जानते है। बुन्देलखण्ड सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर सिंचाई के संसाधनों की व्यापक कमी है। जो भी नहरें है, कोई बारहमासी नहर नहीं है, नहरों में पानी नहीं आता। कभी टेल तक पानी किसी ने देखा नहीं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वहाँ पर जल संरक्षण की व्यवस्था करेंगे, चेक डैमों की व्यवस्था करेंगें, ट्यूबवेल के लिए व्यवस्था करेंगें। महोदय वहाँ उसकी भारी कमी है। वहाँ बूँद-बूँद के लिए किसान तरस रहा है। बुन्देलखण्ड तो वैसे ही पिछड़ा क्षेत्र था, वहाँ पर अभी दैवी आपदा के कारण वहाँ के किसानों के ऊपर एक भारी आफत आयी। जनवरी माह में पहले पाला से फसल खराब हो गयी, फरवरी माह में 14-15-16 फरवरी के दौरान जो भारी वर्षा हुई उससे व्यापक तबाही हुई और अभी 23 तारीख को शनिवार की बात है मसूर और मटर की फसल की कटाई भी हो गयी थी, चने में फूल आ गया था, गेहूँ की फसल तैयार खड़ी थी भारी बारिस और ओलावृष्टि के कारण वहाँ पर पूरी बर्बादी हो गयी। उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैंने पिछले सप्ताह में नियम-51 में मामला उठाया था, मैंने बताया था कि वहाँ दैवी आपदा के कारण बर्बादी हुई है और 80 प्रतिशत फसल का नुकसान हो गया था जो रिपोर्ट तैयार हुई, जो मुझे जानकारी दी गयी, उसमें कहा गया कि मात्र 15 प्रतिशत का नुकसान दिखाया गया है। गलत सर्वे हो रहा है। वहाँ का लेखपाल गलत आंकलन कर रहा है मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में जो दैवी आपदा से बरबादी हुई है भारी बरबादी हुई है आज के अखबार उठाकर आप देख लीजिए लेकिन दुःख की बात है कि सरकार के लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ का आंकलन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं वहाँ का किसान भूखों मरने की नौबत में आ गया है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था की बात हमारे नेता मौर्या साहब ने विस्तार से कही है सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। इसको कहने से कोई संकोच नहीं है। बुन्देलखण्ड जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है वहाँ कानून व्यवस्था की कैसी धज्जियाँ उड़ाई जाती रही है मैं बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में वहाँ पर जो बड़े-बड़े डकैत थे उनका सफाया किया गया और भारी शांति आई थी लेकिन सरकार जाते ही आज बुन्देलखण्ड में अपराध बढ़े हुए हैं वहाँ लूट, हत्या राहजनी की अनेक घटनाएं हो रही हैं बड़ी-बड़ी घटनाएं हो गई लूट हो गई किसी का खुलासा नहीं हुआ। रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था के मामले में बुन्देलखण्ड के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय। वहाँ पर शांति व्यवस्था जो पिछली सरकार ने बनाई थी उसको कायम करने के उपाय किए जाएं, रही बात उद्योग की तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग पलायन कर गए आज घरों में ताले पड़े हैं बुन्देलखण्ड के किसी गांव का सर्वे करा लीजिए 80 प्रतिशत घरों में ताले पड़े हैं। रोजगार की तलाश में लोग दिल्ली, इटावा, दूसरे प्रदेशों में गए है। तो उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। मैं जिस विधान सभा महोबा से आता हूँ वहाँ पत्थर उद्योग, मूर्ति उद्योग, पीतल उद्योग, पान उद्योग हैं। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपाय नहीं किए। यह उद्योग भी पूरी तरह से चौपट हो गएं वहाँ का पान का किसान जो है वह इस ओलावृष्टि से पूरी तरह से बरबाद हो गया है। उसमें भी ध्यान दिया जाय। जो खनिज उद्योग है उस पर भारी अवैध वसूली की जाती है जो पत्थर व्यापारी है वह उत्पीड़न से परेशान है चाहे आर0टी0ओ0 का

उत्पीड़न हो चाहे खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न हो उस कारण वह उद्योग भी चौपट हो गया है। उन उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार ध्यान दें। पर्यटन विकास के बारे में कहना चाहूँगा कि बुन्देलखण्ड में पर्यटन की अनेक संभावनाएं है अगर सरकार गम्भीर होकर संवेदना दिखाए तो पर्यटन की अनेक संभावनाएं है जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बुन्देलखण्ड का चाहे झांसी हो, चित्रकूट हो पर्यटन के लिए इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई अयोध्या, मथुरा, वृंदावन की बातें आई लेकिन दुःख की बात है कि बुन्देलखण्ड जो प्राचीन गाथाओं से भरा पड़ा है इतिहास से भरा पड़ा है उसके बारे में सरकार ने विचार नहीं कियां महोदय मैं महोबा और चरखारी जहाँ से माननीया उमा भारती निर्वाचित हुई मेरे ही जनपद के अन्तर्गत चरखारी विधान सभा आती है। महोबा जनपद के लिए जिला प्रशासन ने 90 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर पर्यटन विकास के लिए भेजा था वह सरकार में लम्बित है इस बजट में उस प्रस्ताव की कोई चर्चा नहीं की गई महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जो 90 करोड़ का प्रस्ताव हमारे पर्यटन विकास के लिए आया हुआ है उसको रिलीज करने की जरूर कृपा की जाय। साथ ही सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड के लिए झांसी का इतिहास आप जानते हैं वहाँ पर रानी लक्ष्मी बाई जी की कर्मभूमि रही है। चित्रकूट के बारे में आप जानते हैं कि धार्मिक आधार पर चित्रकूट का विकास होना चाहिए। भगवान राम का वनवास स्थल रहा है बजट में उसकी व्यवस्था नहीं की गई साथ ही साथ चाहे कालपी हो, उरई हो महोबा हो चरखारी हो।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

पर्यटन विकास की मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। साथ ही बुन्देलखण्ड की सिंचाई, सड़कें और पुलों की समस्याएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री रामपाल यादव-

अधिष्ठाता महोदय आपने हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट उत्तर प्रदेश की विधान सभा में प्रस्तुत किया है चाहे इधर के बैठे लोग हों या उधर के बैठे लोग हों सभी लोग जानते हैं उस बजट की प्रसंशा भारत सरकार के योजना आयोग के उपाध्यक्ष माननीय अहलूवालिया साहब ने उसी दिन उत्तर प्रदेश में आकर की थी। यह हमारे लिए ही नहीं हमारे प्रदेश वासियों के लिए सबसे गर्व की बात है। जो बजट हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी तारीफ हमारी विधान सभा ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश द्वारा ही नहीं भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा की गई है मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भी प्राविधान बजट में किये हैं उसमें किसी भी क्षेत्र को अछूता छोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया है। चाहे किसान हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बेरोजगार हों हर क्षेत्र में काम करने की व्यवस्था की है। हर क्षेत्र में बजट का प्राविधान करने का काम किया है। मान्यवर, हमारे विद्वान साथी विपक्ष के लोग बहुत हो हल्ला कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर। मान्यवर, आप भी इसी सदन के सदस्य हैं, बहुत से हमारे साथी बैठे हैं। जो

कानून व्यवस्था हमको विरासत में मिली थी उसमें हमने बहुत काफी सुधार किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं किसी के साथ बदले की भावना से कोई काम नहीं किया है। यहाँ पर अभी फर्जी मुकदमें वापस करने की बात माननीय खन्ना जी कह रहे थे। बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित सदस्य हैं। हमारी सरकार ने कहा था कि जिन लोगों पर फर्जी या राजनीतिक षडयंत्र के तहत फर्जी मुकदमें लिखे गये हैं उनको वापस लिया जायेगा और उस पर कार्यवाही भी चल रही है। उस पर माननीय विद्वान साथी ने माननीय उच्च न्यायालय का उदाहरण देकर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। मान्यवर, आप सब लोग जानते हैं कि इनका भी एक प्रदेश है जिसको आप प्रधानमंत्री पेश करने जा रहे हैं। उनके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, यह आप सबको पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, सारा हाउस जानता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आलोचना होनी चाहिए और आलोचना तथ्यात्मक होनी चाहिए। विपक्ष इसीलिये है, लेकिन केवल आलोचना के लिये आलोचना नहीं होनी चाहिए। जो काम मान्यवर, हमारी सरकार से, हम लोगों से खराब हो रहे हैं उसके लिये सुझाव देना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए लेकिन अगर अच्छे काम हो रहे हैं तो मान्यवर, उसकी तारीफ भी होनी चाजिए। हमारे विद्वान मौर्या जी, सामने बैठे हैं, यह नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्मानित नेता है। लेकिन आज तक केवल विरोध के लिये विरोध करते हैं। विरोध के लिये, कोई मुद्दा नहीं है। और जब कोई मुद्दा विरोध का नहीं होता है तो ज्यादा तेज आवाज में दबाने का प्रयास करते हैं और हम लोग तो हमेशा डरते हैं क्योंकि यह नेता प्रतिपक्ष भी हैं इनके पूरे सहयोग की जरूरत भी रहती हैं लेकिन उनकी आवाज से हम लोग डरते भी हैं, दबते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। लेकिन कभी कोई तथ्यात्मक बात भी आनी चाहिए। इनके विचार से नहीं दबते हम इनकी आवाज से दब जाते हैं। हम लोग सम्मान से दबते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह अपने आप में पूरे तरीके से पूर्ण बजट है। हर समाज, हर वर्ग के लिये प्रस्तुत बजट है। किसानों के लिये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछली बार खाद के लिये लाइनें लगती थी पिछली सरकार में। आज कहीं भी खाद के लिये लाइन नहीं लगती है पूरे प्रदेश में। गन्ने के भी रेट बढ़ाये गये हैं। जो रेट पाँच साल में घटाये गये थे वह बढ़ाकर पूरे किये गये हैं। नौजवानों और महिलाओं के लिये हम लोग कम्बल और साड़ी देने की बात करते हैं तो हमारे साथी उसका मखौला उड़ाते हैं। कहते हैं कि दो साड़ियों में क्या होगा? दो कम्बल में क्या होगा ? तो यह तो वही बात रही कि आपने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं तो उसकी कीमत नहीं जानते हैं। जिसके घर में एक साड़ी नहीं है। अगर उसके लिए दो साड़ी की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है जिसके यहाँ एक कम्बल जाड़े में नहीं है उसके लिए अगर हम दो कम्बल की व्यवस्था कर रहे हैं उसमें हमारी सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह तो वही कहावत हुई-

**'जिसके पांव न पड़ी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।'**

पिछली सरकार में एक उद्योग सबसे ज्यादा फला-फूला था। हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। सभी लोग वरिष्ठ है जो उद्योग पिछली सरकार में फला-फूला था वह उद्योग हमारी सरकार में नहीं चल पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री रामपाल यादव-

जो उद्योग पिछली सरकार में फला-फूला था उसका नाम मैं बता ही दूँ वह था भ्रष्टाचार का उद्योग। मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन जो उद्योग आपकी सरकार का था उसका परिणाम आप देख रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपने क्षेत्र के बारे में अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारा विसवां विधान सभा क्षेत्र एक नगर है। वहां इस समय बड़ी लाइन की ट्रेनें निकली हुई हैं। जो इस समय सबसे ज्यादा मालगाड़ी का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। बुढ़वल से लेकर सहजानपुर तक, वहां ओवरब्रिज के लिए आपके मायम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ। वहां फैक्ट्रियां भी लगी हुई है और घण्टों जाम लगता है। श्रीमन् यह नियमावली है कि 6 घंटे से ज्यादा अगर ट्रेनें कहीं रूकती है तो वहां पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भारत सरकार को यह प्रस्ताव भिजवा दें। क्योंकि ओवरब्रिज बनवाने का काम भारत सरकार का है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

सत्यदेव पचौरी जी बोलें।

एक मा0 सदस्य-

आपसे हम कई बार कह चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आपके दल ने जो लिस्ट भेजी है हम उसी क्रम से बुला रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चूँकि यह आपके आदेश पर खड़े हुए थे और बैठ गए थे इसलिए इनके बाद इनको अनुमति दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

इनके बाद अनुमति दे देंगे।

श्री सत्यदेव पचौरी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे 2013-14 के बजट अनुमानों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट के आकार को देखकर लगता है कि बहुत महत्वाकांक्षी है। कहीं न कहीं इस बजट में 2014 लोक सभा के चुनाव की झलक साफ दिखाई दे रही है कि वह इसके माध्यम से सबको खुश करना चाहते हैं। उन्होंने इस बजट में जनेश्वर मिश्र के नाम से योजना चलाई है। डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम से योजना चलाई है। और अपने पिता जी के नाम से भी रिक्शा चालकों के लिए एक योजना प्रारम्भ की है। पिता जी का जो सपना था उसको प्रारम्भ किया है।

(किसके पिताजी के नाम पर की आवाजें)

श्री सत्यदेव पचौरी-

मान्यवर, रामपुर को भी उन्होंने विशेष रूप से 186 करोड़ की सहायता का बजट में प्राविधान किया। लखनऊ को भी उन्होंने मेट्रो रेल और फ्लाईओवर के माध्यम से कुछ योजनायें देने का प्रयत्न किया है। लेकिन कानपुर महानगर, हमें लगता है कि मा0 मुख्य मंत्री जी भूल गए।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री सत्यदेव पचौरी-

मान्यवर, मुझे एक वाकिया याद है, माननीय मुलायम सिंह जी जब हम लोग कानपुर महानगर के लिए योजनएँ माँगने आते थे तो कहते थे कि कानपुर ने हमको दिया क्या है आज तो उन्हें कानपुर ने सब कुछ दे दिया, 3-3 विधायक दे दिये लेकिन लगता है कि कानपुर के बारे में उनकी नाराजगी आज भी बरकरार है। आज भी उनका गुस्सा ठण्डा नहीं हुआ है। इसीलिए कानपुर के लिए कोई भी योजना नहीं है और इतना ही नहीं, मान्यवर, कानुपर पनकी पावर हाउस जो 260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता था, आज बन्दी के कगार पर है। वहाँ पर सारे इन्फ्रास्टक्चर हैं पानी है, जमीन है, स्टाफ है और रेलवे लाइन की सुविधा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कैसे वहाँ पर नई युनिट लगायी जाए और विद्युत का उत्पादन हो। आज प्रदेश को विद्युत की बहुत आवश्यकता है। इस ओर इस सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। पूँजीपतियों को जमीन दी जा रही है कि विद्युत उत्पादन करिए, लेकिन दसों साल बाद वह भाग जाते है। योजनाएँ चालू नहीं होती हैं, धरातल पर नहीं आती हैं और जब विद्युत उत्पादन ं होगा तो बड़े-बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में क्यों आयेंगे कानून व्यवस्था की स्थिति वैसे ही खराब है। लॉ एण्ड आर्डर की पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले की स्थिति खराब है। इस सरकार की कानून व्यवस्था को ठीक करने में कोई रुचि नहीं है और कह रहे हैं कि आगरे में बड़ी उद्योग समिट हो रही है, बड़े-बड़े उद्योगपति आयेंगे। ऐसे उद्योगपति नहीं आने वाले हैं। जब अच्छा माहौल मिलता है, तब उद्योगपति जाते है। उद्योगपति जा रहे है, गुजरात, उद्योगपति जा रहे है, बिहार, उद्योगपति जा रहे है छत्तीसगढ़ में। यहाँ न इन्फ्रास्टक्चर है, न बिजली है, न कानून व्यवस्था है और न अधिकारियों का रवैया है। मान्यवर, कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्यौगिक नगर है सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा राजस्व कानपुर महानगर, उत्तर प्रदेश को देता है, केन्द्र को देता है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विद्युत कटौती कानुपर महानगर में है। कानुपर की उपेक्षा हो रही है। इनकी सरकार थी, तब भी हो रही थी और अब भी हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम कानुपर के लिए सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपया देंगे लेकिन एक पैसा नहीं दिया गया, केवल घोषणा रही। मान्यवर, केवल यही नहीं, आज उत्तर प्रदेश में जी सफाईकर्मी हैं, नगर निगमों में नगरपालिकाओं में, टाउन एरिया में, वहाँ सबसे अधिक कमी है। सफाई की समुचित व्यवस्थाएँ नहीं हैं और जो संविदा पर कर्मचारी रखे गए हैं, उनका नियमितीकरण करने का भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछली सरकार ने भी नहीं दिया था, इन्होंने भी नहीं दिया। आज भर्ती की कोई नई व्यवस्था शुरू नहीं की गयी है। जिससे सफाई की समुचित व्यवस्था हो सके। अभी सुबह चर्चा में भाग लेते हुए मा0 महाना जी ने कहा था

कि पिछले बजट में मुख्य मंत्री जी ने 40 हजार नये और 41 हजार रि-बोर हैण्पमपों का बजट में प्रविधान किया था। कानुपर की जिला योजना में भी 3000 हैण्डपम्प की व्यवस्था की थी। न तो जिला योजना के एक भी हैण्डपम्प लगे न उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में जो प्रस्तावित हैण्डपम्प थे वह लगे। जब ऐसा बजट है कि घोषणायें होनी हैं उसका अमल नहीं होना है, क्रियान्वयन नहीं होना है तो यह तो सिर्फ बजट के हवाई किले हैं। यह लोगों को दिखाने और भ्रमित करने के लिए है। मान्यवर, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बजट में अल्पसंख्यकों के नाम से योजना प्रारम्भ करने की बात की गयी है। एक तो कहा कि उनके कब्रिस्तान बनाने के लिए 300 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। दूसरा यह कहा गया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें कक्षा 6-12 तक की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी तीसरा कहा गया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर उनकी सी0सी0 सड़कें, नालियाँ, खड़ंजा पेयजल और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अगर हम बजट में इस प्रकार से धर्म के आधार पर व्यवस्थायें करेंगे तो समाज बटेगा। हमें समाज में जहाँ आवश्यक है उस क्षेत्र में करना चाहिए। लेकिन मजहब, धर्म के आधार पर कोई भी व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। कानपुर मलिन बस्ती के लिए न तो पेयजल की व्यवस्था है न सड़कों की व्यवस्था है इसी प्रकार के श्रमिक कालोनियों के रख-रखाव के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिए मान्यवर, मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2013-14 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ। अभी इससे पूर्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, नेता विरोधी दल, नेता लोकदल ने, नेता कांग्रेस ने बहुत तथ्यात्मक तरीके से इस बजट की कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। इस बजट में बहुत सारे भावनामक तथ्यों को और कुछ ऐसे तथ्यों को जिनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आने वाला है मिलाजुलाकर एक लोकलुभावन बजट पेश किया गया है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। पहले पन्ने पर ही डा0 राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुष को याद करते हुए बैट्री से चलाने वाले रिक्शे की योजना को बहुत जोरशोर से प्रचारित किया गया है। डा0 राम मनोहर लोहिया जी का चरित्र जिसने पढ़ा तो उनका उद्देश्य यह नहीं था। उनका उद्देश्य था कि जो रिक्शा चला रहे है उनको कोई बेहतर रोजगार मिलना चाहिए। वह रिक्शे पर इसलिए नहीं बैठते थे कि वह इसको अभिशाप मानते थे कि इसके द्वारा रोटी कमाई जाये। इससे बेहतर होता कि इनके लिए रिक्शे के बजाये कोई बेहतर रोजगार उपलब्ध कराते और रिक्शा चालकों को ऐसे रोजगार देते जिससे उनको रिक्शा चलाने से मुक्ति मिलती। दूसरी बात यह कि मेट्रो ट्रेन का हल्ला 19 तारीख से ही हैं 7 दिन से लगातार अखबारों में मेट्रों ट्रेन के बारे में छप रहा है। लेकिन आज तक इसके लिए न तो कोई बजट है न तो कोई योजना है केवल चुनावी लाभ लेने के लिए यहाँ के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चालू होने वाली है। ऐसे ही बहुत सारी जो पहले बजट में योजनायें आयी थी कि किसान ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता, लेपटाप आदि। उनके बारे में तो बहुत कुछ लोगों को पता चल ही गया है। आगरा समिट की भी बात जो की जाय, ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगांल में जब वह समिट कराने से मना कर दिया तो उत्तर प्रदेश को यह अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश के पास एक मौका था कि वह इस मौके को भुना सकता था, लेकिन तत्काल ही नोएडा में ऐसी घटना हो गई, जिसने व्यवसाइयों को डरा दिया और यहां पर कोई भी ऐसे लोग, जो

यहां पर इन्वेस्टमेण्ट करना चाहते थे, जब तक ठीक ठाक वातावरण नहीं बनेगा तब तक यहां आने वाले नहीं है। कानून व्यवस्था के विषय में बहुत कुछ कहा गया। इससे पहले जो सरकार थी और आज भी वास्तविकता यह है कि कानून व्यवस्था प्रदेश की ठीक नहीं है। यह निश्चित है लेकिन जब पक्ष और विपक्ष में बातें होती है तो लोग अपने तर्कों के द्वारा जहाँ विरोधी पक्ष के लोग कानून व्यवस्था को खराब से खराब साबित करने का प्रयास करते है और पक्ष में जो बैठे हुए लोग है, सरकार के वह लोग यह प्रयास करते है कि नहीं नहीं कानून व्यवस्था ठीक है। अगर यह कानून व्यवस्था ठीक है तो वास्तव में अगर इस कानून व्यवस्था को हम ठीक मानते है तो हमारा चरित्र भी कहीं न कहीं परिलक्षित होता है कि ऐसी कानून व्यवस्था को हम लोग कैसे ठीक मान रहे हैं जहां पर लगातार डकैतियां हो रहीं है, बैंक लूटे जा रहे हैं हत्यायें हो रही है, यह वास्तविकता है और वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। किसानों की बात इस सरकार में कही गयी थी, मेरा यह कहना है कि पिछला जो अनुभव हमारा गेहूँ की खरीद में रहा है, उसमें किसानों का बड़ा नुकसान हुआ था, अबकी बार कम से कम ध्यान रख कर के गेहूँ खरीद ठीक की जाय, क्योंकि गेहूँ खरीद का उदाहरण धान की खरीद में नहीं लिया गया, जिसका आज यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी तक धान का जो लक्ष्य खरीद का उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा था, उसका पचास प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ और धान की खरीद 28 फरवरी को बन्द होने जा रही है। केवल एक दिन बचा है और हम 50 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुँचे हैं। किसानों के पास अभी भी बहुत धान लगा हुआ है। मान्यवर, पहले मैं भावनात्मक मुद्दों को ही ले रहा हूँ और मा0 अधिष्ठाता के माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ,एक यश भारती पुरस्कार यह सरकार दे रही है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ साथ ही साथ मैं जनपद लखीमपुर का निघासन विधान सभा से चुना गया हूँ, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस विधान सभा के सदस्य भी रहे, आदरणीय बंशीधर मिश्र, इस देश के राष्ट्रकवि रहे थे, आप लोगों ने भी सुना है 125वीं की जयंती के अवसर पर जब मा0 नारायण दत्त तिवारी जी यहां पर आये थे जो उन्होंने एक गीत गाया था ''कदम से कदम बढ़ाये जा, खुशी के गीत गाये जा'' यह गीत पण्डित बंशीधर मिश्र का ही लिखा हुआ है और जब गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा करते थे तो उस समय भी वह जो गीत गाते थे ''उठ जाग। मुसाफिर जोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है'' वह भी गीत पण्डित बंशीधर शुक्ल जी के द्वारा ही लिखा गया था जो लखीमपुर जनपद के हैं। मेरा यह अनुरोध है कि मरणोपरान्त उनको यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया जाय, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ मैं अपने जिले के विषय में भी कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे जिले में पीने का पानी बहुत खराब है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं के लिए कहा तो योजनाएं हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी रोक आ जा रही है, जिसके कारण सारी योजनाएं प्रभावित हो रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बजट के माध्यम से उनके लिए धन आवंटित किया जाय, योजनाएं बन चुकी है और वहां पर लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, इसकी सारी व्यवस्थायें की जायं। दूसरा एक विषय हमारे यहां का है, एक पंचपेड़ी घाट का पुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, दस साल से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह पुल बिलरांया-पनवारी राज मार्ग पर पड़ता है और इस पुल के बन जाने से कम से कम लखीमपुर जनपद का बीस किमी0 का रास्ता कम हो जाता है और उससे जो कृषि भूमि प्रभावित होती है, वह लगभग तीस हजार एकड़ भूमि है, तीस हजार एकड़ जमीन उससे बचेगी और लोगों को आवागमन में भी सुविधा मिलेगी और

तीस हजार एकड़ से लगभग 15 करोड़ रुपया प्रति वर्ष लखीमपुर जनपद के किसानों को लाभ प्राप्त होगा, ऐसा उसमें प्राविधान है। दूसरी बात, नेपाल की सीमा से लगे हुए सात जिलों के लिए जो प्राविधान इस बजट में किया गया है, उसमें लखीमपुर जनपद को भी चूंकि हमारी सीमा बहुत बड़ी है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा लखीमपुर जनपद को दिया जाय, जिससे हमारे यहां पर ठीक ढंग से कार्य हो सके। मान्यवर, बस दो बातें कह कर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, एक जो बहुत आवश्यक बात है, वह यह है कि हमारे यहाँ का पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं। दुधवा नेशनल पार्क हमारे यहाँ है, उसके साथ.साथ तुलसीकृत रामायण की हस्तलिखित पाण्डुलिपि भी लखीमपुर जनपद में उपलब्ध है। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ देवी-देवताओं के साथ.साथ पाण्डवों के निवास का भी वर्णन वहाँ पर मिलता है इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि पर्यटन के नक्शे पर लखीमपुर जनपद को विशेष स्थान दिया जाये। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हैं। हमारे यहाँ जो भी महाविद्यालय है, उनको कानपुर विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है। कानपुर हमारे यहाँ से 310 किलोमीटर पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि लखीमपुर जनपद में भी विश्वविद्यालय खोला जाये, इसकी व्यवस्था की जाये और जब तक वहाँ विश्वविद्यालय नहीं खोला जाता है तब तक कानपुर विश्वविद्यालय की जगह पर लखनऊ विश्वविद्यालय से लखीमपुर जिले को जोड़ने का काम किया जाये। ये मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत सारे गाँव ऐसे है जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

वहाँ पर विद्युतीकरण किया जाये। गो-हत्या के विषय में भी बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर भी प्रभावी कदम उठाये जायें, रोक लगायी जाये। आपने मुझे अवसर दिया। आपका बहुत.बहुत धन्यवाद लेकिन मैं इस बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और सारी चीजों को जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिये, भले के लिये इसमें जोड़ करके इस बजट में लायी जायें, तब ही यह बजट सार्थक होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सत्यदेव पचौरी जी है क्या। मा0 सत्यदेव पचौरी जी हैं क्या हाउस में, नहीं है। उन्होंने एक मा0 नेता जी के पिता जी के नाम पर योजना चलाने की बात कही है। अगर हों तो अपना स्पष्टीकरण दे दें। अन्यथा पीठ से यह बात कही जा रही है कि उनके इस वाक्य, अगर हो तो इसको निकाल दिया जाये।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका अभारी हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह बड़ा अच्छा अवसर है कि हम जैसे छोटे और नये विधायकों को सुनने के लिये नेता प्रतिपक्ष बैठ जाते हैं लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी की जब बारी आती है तो नेता प्रतिपक्ष यहाँ से चले जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा, लगता तो यही है कि मान्यवर, कि ये गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। जैसे आये, वार किया

और तुरन्त भाग गये जबकि राजनीति में तो वैचारिक लड़ाई होती है, उसमें जितनी आप कहें, उससे ज्यादा सुनने का माद्दा रखना चाहिये। इसे ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे कान हाथी की तरह बड़े होने चाहिये। अर्थात् हमें कम बोलना चाहिये और ज्यादा सुनना चाहिये। नेता प्रतिपक्ष, से ये आग्रह है। हमे भी यह अवसर है कि आप जैसे बड़े नेताओं को सुनने का अवसर मिलता है तो जिस तन्मयता से हम लोग आपकी बात सुनने हैं, उसी तन्मयता से हमारे युवा हृदय सम्राट मुख्य मंत्री जी की बात सुनने का काम आप करेंगे। मान्यवर, साथ ही जो हमारी सरकार ने तमाम जनहितकारी योजनायें शुरू की हैं और उस पर अमल भी हो रहा है, यह अपने आपमें बहुत ही शानदार है। पूरा बजट ही अपने आप में जनकल्याणकारी और किसानों के हितों का बजट है। खासतौर से जो लैपटाप, टैबलेट और रिक्शा आदि की बात हो रही है। उसमें जो विलम्ब की बात आ रही है। इस पर मैं बड़े आग्रह से कहना चाहूँगा कि इन सबके लिये बाकायदा हमारी पिछली सरकार में जो कुछ हुआ, उससे सबक लेते हुये हमारी सरकार बहुत ध्यान से, बहुत ही पारदर्शी ढंग से इनका टेण्डर कर रही है और हो सकता है इन सब की टेण्डर और प्रक्रिया में विलम्ब हो लेकिन हमारी सरकार की मंशा में और कार्यों में कहीं पर विलम्ब नहीं है। साथ ही कानून व्यवस्था पर बात अमूमन उठायी जाती है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी पिछली पाँच साला सरकार ने कानून व्यवस्था का केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। कि किस तरह से आप कानून-व्यवस्था लागू करते थे। मेरे बड़े भाई जो कौशाम्बी से तीन बार से सांसद हैं, शैलेन्द्र कुमार जी, और मेरे पिता स्व0 धर्मवीर जी, जो 1967 से यहाँ की विधान सभा में रहे हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे और केन्द्र में नेता रहे, मंत्री भी रहे। ये 40-50 साल का हमारा, तीन पीढ़ी का परिवार है, आज तक एक मक्खी, मारने तक का हमारे ऊपर मुकदमा नहीं है, लेकिन आप की सरकार में मेरे बड़े भाई सांसद जी के ऊपर कट्टा लेकर के दौड़कर मारने का, अपहरण का और तमाम तरीके के फर्जी मुकदमें लगाए गये। हमारा पूरा परिवार खून के आँसू रो रहा था। बुधौलिया जी बैठे हैं, जानते हैं सांसद रहे हैं उनके साथ, किस तरह के विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी सरकार में दो महीने ऐसे शरीफ व्यक्ति को आपने जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया है, तो यह एक बानगी है कि आप कानून. व्यवस्था किस तरह लागू कर रहे थे।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, प्रतापगढ़ वीरों की धरती है और जो नया परिसीमन हुआ, जब तक कौशाम्बी अलग संसदीय क्षेत्र था, तब तक तो अलग बात थी, लेकिन प्रतापगढ़ चूँकि वीरों की धरती है और जब आपके बड़े भाई साहब परिसीमन में इधर आ गए, तो प्रतापगढ़ का कुछ न कुछ तो प्रसाद उनको मिलना ही था।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे पिता स्व0 धर्मवीर जी का पूरा राजनीतिक जीवन और जो संस्कार उन्होंने हमें दिया है और मुझे गर्व है अपने बड़े भाई शैलेन्द्र कुमार जी पर, हम लोग बहुत ही साफ और स्वच्छ राजनीति करते हैं, लेकिन जो सबक बी0एस0पी0 ने दिया है, वह सबक कभी भूलाने वाला नहीं है और उस समय मेरी माँ ने भी बी0एस0पी0 सरकार को बददुआँ दी थी।

(तभी ये बैठ गए है वहाँ जाकर, यह शब्द आए सत्ता पक्ष की तरफ से)

श्री सत्यवीर मुन्ना-

अब जो भी हो ये अपने कार्यों से विपक्ष में बेठे हैं, लेकिन यह सब के लिए मैं कहना चाहूँगा, चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, कभी राजनीतिक रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि बेगुनाहों को न फसाया जाए। आपकी अगर विरोध की राजनीति है आपको अगर किसी को बंद ही करना है, तो कम से कम उसमें पता कर लेना चाहिए था कि एक शरीफ आदमी था, उसको तो कम से कम छोड़ देना चाहिए था। तो मैं यह आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ, जो हमारी सरकार में नहीं है। हमारी सरकार में सदन पूरी तरह अच्छे से चलता है। हम सुनते है कि 10-15 मिनट में आप लोग बजट पास कर देते थे, लेकिन हमारी सरकार में बजट पर समय दिया जाता है, विस्तृत चर्चा होती है। मा0 मुख्य मंत्री जी पर्याप्त समय देते हैं और इसी कारण ऐसे नेताओं में मा0 मौर्या जी है, मा0 हुकुम सिंह जी हैं, और महाना जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं और हमारे मा0 आजम साहब और तमाम बड़े नेताओं को सुनने का, समझने का और कुछ सीखने का अवसर प्रदान होता है और जो आप लोग सुझाव देते हैं, भले ही बजट का विरोध करते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बड़े ही मूल्यवान सुझाव होते हैं अभी नेता लोकदल ने भी बड़े ही अच्छे, मूल्यवान सुझाव दिए, उन सब सुझावों को भी हमारी सरकार देर-सवेर लागू करेगी और ऐसी आशा की जाती है कि जो हमारा लक्ष्य 2014 है वह पूर्ण होगा। हालांकि अभी यह बात आई कि चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पर सरकारें काम करती है। वस्तुतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के यह मूल्य होते है, आप इसे चाहे सरकार चलाने का तरीका कहिए चाहे उसे अगले किसी भी चुनाव से जोड़ने की बात कहिए। अगर आप लोक सभा चुनाव नहीं गिनाएंगे तो भारत या उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है, किसी को भी आप गिना सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारी सरकार की पूरी तरह विकास करने की नीति है, यह बजट बहुत ही शानदार है और जहां तक राजकोषीय घाटे की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि जो राष्ट्रीय मानक होता है, जो आर्थिक मानक होता है, वह तीन प्रतिशत तक होता है। इस बजट का राजकोषीय घाटा भी 2.97 प्रतिशत है, जो कि आर्थिक मानक के अन्दर ही है। इसको भी हमारी सरकार आगे कम करने का कार्य करेगी। मान्यवर, रिक्शा चालक योजना जो है उसके बारे में सारा सदन हमारे नेता को धन्यवाद दे चुका है और नेता प्रतिपक्ष जी आपने खुद ही इस योजना को बहुत ही बढ़िया बताया है, तो यह सब हमारी सरकार के कार्य है और आगे भी ऐसी ही जनहितकारी योजनाएँ बहुत सी हैं। जो लागू होगी। मान्यवर एक दो बातें और है, नहरों की बात है। मैं बताना चाहूँगा कि इतनी शानदार नहरों की सफाई मैंने पिछले 10 साल 15 साल में, जब से मुझे ध्यान है राजनीतिक जीवन में इतनी अच्छी नहरों की सफाई कभी नही हुई। बड़ा सौभाग्य है हमारे सिंचाई मंत्री जी आ गए है, मैं आपके माध्यम से इनको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम हमारे सोरांव विधान सभा में नहरों की बहुत ही अच्छी सफाई हुई है।

(इस प्रकार 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सौरांव में उमरन ताल ड्रेन की सफाई की बात है। अधिष्ठाता महोदय, आपके रानीगंज क्षेत्र से होकर मेरे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हमारे यहां उमरन ताल ड्रेन की सफाई बहुत आवश्यक है। इस उमरन तालड्रेन के साइफन टूट गये है और इसमें सिल्ट की सफाई कराना अति आवश्यक है। मान्यवर, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हमारे यहां आज कुंभ में स्नान

के लिए आये थे और उन्होंने स्नान किया। कल कुंभ का अंतिम बड़ा स्नान था बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आये थे। आज हमारे नेता जी इलाहाबाद आये स्नान के लिए अब औपचारिक रूप से मेले का समापन हो रहा है। मैं सर्वप्रथम श्रद्धाजंलि देना चाहूँगा जिनकी वहां कुंभ में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना में मृत्यु हो गयी थी। साथ ही महाकुंभ मेले के सफल एवं शानदार संचालन के लिए मैं अपनी सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। वह विश्वस्तरीय मेला था, उसके सफल संचालन के लिए मैं बारम्बार बधाई देना चाहता हूँ अपनी सरकार को। मान्यवर, आज हमारा प्रदेश माननीय युवा मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में तकनीकी और जमीनी रूप से भी विकास कर रहा है। साथ ही चाहे वह गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की बात हो और चाहें सेटेलाईट इमेजरी की स्थापना की बात हो सरकार उसमें अपने कदम आगे बढ़ायेगी ऐसी आशा है। मान्यवर, इस बजट में कर राजस्व में वृद्धि के उपायों की बात भी हमारी सरकार ने कही है। मान्यवर, मैं अपनी सरकार के इन सभी कार्यों का पूरा जोर समर्थन करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यबाद।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यबाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे पार्टी के नेता ने इस बजट पर अपने विचार रखे हैं। अन्य नेताओं ने भी अपनी बाते रखी है। मान्यवर, मैं पूर्वांचल की धरती से आता हूँ और विशेष रूप से बलिया जनपद से आता हूँ। मान्यवर, जो यह बजट है और जो पिछली बार का बजट था दोनों को आप देख लें उसमें बलिया और गाजीपुर की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है कहीं विकास का कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, बलिया जनपद उत्तर प्रदेश का वह जनपद है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का ऐसा जनपद है, जब अंग्रेजों के खिलाफ चूं करने से लोग डरते थे, उस समय हमारे यहां के मंगल पाण्डेय ने मेरठ छावनी में अपने सेनापति को ही गोलियों से छलनी छलनी कर दिया था। वह बलिया की भूमि को ही श्रेय जाता है। दूसरा इतिहास यह है कि पूरा हिन्दुस्तान 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश का वह जनपद था जिसमें 19 अगस्त, सन् 1942 को ही भारत का तिरंगा फहरा दिया गया था। लेकिन इन सारे इतिहास के बावजूद आज भी उपेक्षित है। बलिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र जी की धरती है किसान पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी की धरती है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 65 साल बाद भी आज वह बलिया विकास से वंचित है और इस बजट में भी उपेक्षित है। चाहे सड़कों का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हो, बलिया आज भी उपेक्षित है। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी इस बजट में बलिया की घोर उपेक्षा की जा रही है। यह सरकार उस तरफ ध्यान दें। मान्यवर मैं फेफना विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है खराब सड़कें वहां इतनी हैं यदि कोई गर्भवती महिला को प्रिगनेन्सी के दौरान पीड़ा हो जाय, और उसको हास्पिटल ले जाया जाय, या तो वह महिला रास्ते में ही दम तोड़ देगी या उसकी रास्ते में ही डिलीवरी हो जायेगी। तो आप सड़कों की वहाँ व्यवस्था करायें। उत्तर प्रदेश के विकास में बलिया को अधिक शेयर मिलना चाहिए क्योंकि आजादी की लड़ाई में उसका बड़ा योगदान रहा है और आज वह बलिया उपेक्षित है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार हमारे यहां के नहरों

में 16 साल के बाद अच्छी सफाई व्यवस्था हुई है। सत्ता पक्ष की ओर से मेंजों की थपथपाहट मान्यवर, मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय सिंचाई मंत्री जी जब इस कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि किसी भी मंत्री या विधायक के घर के व्यक्ति को ठेकेदारी नहीं दी जायेगी क्योंकि ऐसे व्यक्ति के काम करने से काम की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, कार्य मानकानुसार नहीं होते।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाढ़ के नाम पर बाढ़ खण्ड में एक लाख रुपये से ऊपर के काम को वर्कआर्डर के रूप में देने का अधिकार नहीं है, टेण्डर होता है लेकिन बलिया जनपद में दो करोड़ बीस लाख रुपये का फर्जी वर्कआर्डर में नायलान की बोरियों के लिये फर्जी भुगतान किया गया है और किसी न किसी मंत्री विधायक के परिजनों के नाम पर किया गया है इसकी जाँच होनी चाहिए यह मैं सदन से माँग करता हूँ। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय बाढ़ और सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो बलिया में बाढ़ के नाम पर जितना पैसा गया है अगर उस पैसे से ही बाढ़ का टीला बना दिया गया होता तो बलिया में बाढ़ रुक गया होता। चाहे जिस पार्टी की सरकार रही होगी लेकिन निश्चित रूप से उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग हुआ है इस बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, 24 घंटे बिजली कई जनपदों को मिल रही है लखनऊ को मिलती है, इटावा को मिलती है, मैनपुरी को मिलती है, रामपुर को मिलती है मैं कहना चाहता हूँ कि 24 घन्टे बिजली पाने का हक अगर किसी को है तो वह बलिया जनपद को है इसलिए कि वह पूर्व प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र का क्षेत्र है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का क्षेत्र है, चित्तू पाण्डेय का है, मंगल पाण्डेय का है और बलिया की क्रान्तिकारी धरती का है इसलिए मैं बलिया जनपद को 24 घन्टा बिजली दिये जाने की मांग करता हूँ। बलिया जनपद को 24 घन्टा बिजली मुहैया कराई जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, जनेश्वर जी के नाम पर योजनायें चलाई गयीं, पार्क लखनऊ में भी बनाया गया, इलाहाबाद में बनाया गया मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ लेकिन मैं इस सदन से कहना चाहता हूँ और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूँ कि छोटे लोहिया के नाम पर जनेश्वर जी की ख्याति रही है और छोटे लोहिया वह कहे जाते थे समाजवादी के पोषक थे। वह बलिया की धरती के ही सपूत थे और बलिया में उनके नाम पर कुछ नहीं बना। स्व0 चन्द्र शेखर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट शहीद स्मारक और जे0पी0 ट्रस्ट का काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है उसमें किसी का ध्यान नहीं है। आज बलिया का पानी आर्सेनिक का मात्रा से युक्त है वहाँ पर शुद्ध जल हेतु हैण्ड पम्प की जरूरत है। मान्यवर, हैण्ड पम्प की जिस गरीब बस्ती में जरूरत है वह वहां नहीं लग रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी आज भी जांच करा दिया जाय तो बलिया के ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जिनके अहाते में दर्जनों की संख्या में हैण्डपम्प निकल जायेंगे। हम चाहते है और मांग करते हैं कि बलिया के कौन जनप्रतिनिधि है जिनके घर में आज भी दर्जनों सरकारी हैण्डपम्प लगे हुए है जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। सदन में नाम बताना ठीक नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी बलिया में गये हुए थे चुनाव के

दरम्यान, तो उन्होंने ट्रामा सेन्टर खोलने की घोषणा की थी कि बलिया में ट्रामा सेन्टर खोला जायेगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी बलिया जनपद में सीटी स्कैन करने की मशीन तक नहीं है, डिजिटल एक्स-रे नहीं है और किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा केन्द्र नहीं है। कल भी 3 नौजवानों को गोली मारी गयी। एक आनस्पाट मर गया एक BHU के लिए रिफर कराया गया जो मेडिकल रिसर्च सेन्टर में गया था वह जाते जाते दम तोड़ दिया। अगर सब सुविधायुक्त बलिया जनपद में हास्पिटल होता तो हमारे समझ से यह दुर्गति नहीं होती। मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के वायदों को जो वह वायदा करके गये हैं, ट्रामा सेन्टर और बड़े हास्पिटल खोलने की बात उन्होंने किया था। आज पूरा हिन्दोस्तान जो दिल्ली गैंगरेप की घटना घटित हुई थी उसमें पूरा हिन्दोस्तान ही नहीं पूरा विश्व आन्दोलित था मैं चाहता हूँ कि डाक्टरी जगत से वह लड़की जुड़ी हुई थी जिसके साथ वह धटना हुई वह हमारे क्षेत्र की थी, अगर ट्रामा सेन्टर खुले या कोई बड़ा अस्पताल खुले तो उसके नाम पर बलिया जनपद में खोल दिया जाय यह मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करना चाहता हूं। ऋण माफी के मामले पर मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी, 1650 करोड़ रुपये की व्यवस्था किसान ऋण माफी योजना में की गयी है जिसमें लगभग 8 लाख किसान कर्जमुक्त होंगे। हम आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में केवल 8 लाख ही किसान हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिये। इसलिये चाहे बिजली से हो, चाहे जो अन्य बैंकों के भी कर्जदार हों, उनको भी कर्ज से मुक्त किया जाये। इस तरह माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि बलिया की स्थिति को देखते हुये माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी आप मौजूद हैं, आज सरकारी ट्यूबवेलों की स्थिति यह है कि अभी अपने विधान सभा में मैंने पता कराया है तो आधे से अधिक ट्यूबवेल खराब पड़े हुये हैं, जबकि ट्यूबवेल और नहर ही सिंचाई का माध्यम है या अपने प्राइवेट ट्यूबवेल सिंचाई का साधन है। बिजली मिल नहीं पाती है और ट्रांसफारमर फुँक जाते हैं और वर्तमान में ट्रांसफारमर जलने की जो स्थिति हैं, उसमें किसान दोहरा मानदंड झेल रहा है। इधर ट्रांसफारमर लगता है और दो दिन बाद ही फुँक जाता हैं और जलने की वजह से उसके किराया भाड़ा का नुकसान भी उसे हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी एजेन्सियाँ ट्रासफारमर बना रही हैं, उन पर नियंत्रण किया जाये, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट सामान लगाया जा रहा है और इस वजह से ट्रांसफारमर जल जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी ट्यूबवेलों को ठीक कराया जाये और नहरें ठीक हो गयी हैं लेकिन सड़क की स्थिति बहुत खराब है। कई बार मैंने सवाल लगाया, लिखकर सरकार की तरफ से आ जा रहा है कि धन के अभाव में कार्य करा पाना संभव नहीं है। जब उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने तोहफे के रूप में बलिया के दो-दो मंत्री बनाये और एक विशेष रूप से बना दिये तो हमको भी प्रसन्नता हुयी। हमने भी कहा कि जीत हार तो लगा रहता है मान लीजिये कि हम जीते थे और वह हार गये थे, जब मंत्री बनाया गया तो मुझे भी प्रसन्नता हुयी कि 403 की विधान सभा में 402 की तस्वीर अलग है और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विकास हो जायेगा, एक मंत्री तो है और हम भी हैं। दोनों लोग मिलकर विकास करेंगे लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यही 20 साल का विकास था कि डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। तो इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी से माँग करता हूँ कि मैंने सोचा था कि मुख्य मंत्री जी ने तोहफा तो बहुत बढ़िया दिया कि मंत्री जी और हम

दोनों एक ही क्षेत्र के है और विकास की गंगा बहा देंगे लेकिन स्थिति यह है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यह आम का पेड़ हैं तो उधर से अंड़गा लग जाता है कि नहीं यह तो नीम का पेड़ है। मैं चाहता हूँ कि इससे निजात मिले और आपका आशीर्वाद मिले। अगर फेफना विधान सभा क्षेत्र की जनता का यह गुनाह है कि मुझे विधायक बना दिया और इसी गुनाह पर हमें जो सजा देना हो, दे दिया जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता को कोई सजा न मिले, यह इस सदन से मैं मांग करता हूँ। एक चीज और मैं माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ कि बहुत आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमें हटाये जा रहे हैं और हमारे अन्य राजनैतिक नेताओं और विधायकों के ऊपर से मुकदमें हटाये जा रहे है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर अभी 4 मुकदमें 5 साल जो पुराने थे और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश को खंगाल लिये जाये अगर इंडीविजुवल केस हमारा किसी एक से अगर होगा तो आज भी मैं अपने आपको राजनीति से वापस करने को तैयार हूँ। जो भी मुकदमें होंगे वह या तो विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन, रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा लगाये गये होंगे, किसी का एक्सीडेंट हुआ, लोग चक्का जाम किये, मैं मुआवजा दिलाने के लिये गया हूँ, चक्का जाम किया हूँ, इस तरीके के 5 साल पुराने 4 मुकदमें चार्जशीट हमारे ऊपर लगाकर कोर्ट में भेजे गये हैं, सम्मन आया हुआ है लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन आकर इस कलाई में हथकड़ी पहनायेंगे। हमें कलाई में हथकड़ी पहना दिया जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरी वजह से मेरे क्षेत्र की जनता को परेशान न किया जाये, प्रताड़ित न किया जाये क्योंकि बलिया जनपद में चन्द्रशेखर जी जैसे लोग चुनाव हारे लेकिन कभी प्रतिशोध की भावना से उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन कार्यकर्ता हमारे प्रताड़ित न हों, आपकी पीठ से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। इंसाफ और न्याय मिले और जनता का उद्धार हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। बहुत-बहुत धन्यवाद।

## [5.10 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब 5 बजकर 10 मिनट हो गया है। आज दिनांक 26-02-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

| | | |
|---|---|---|
| पहली सूचना | श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की | जौनपुर के चन्दवक थाना क्षेत्र के सतमेसरा गांव स्थित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 21-2-2013 को छात्राओं को नशीला पदार्थ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |
| दूसरी सूचना | श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की | विधान सभा क्षेत्र बबीना (झाँसी) में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| तीसरी सूचना | डा0 पूर्णमासी देहाती की | जनपद कुशीनगर स्थित छितौनी चीनी मिल में किये गये घोटालों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल उच्च स्तरीय जाँच कराकर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |
| चौथी सूचना | श्री राजेश अग्रवाल की | उ0प्र0 की अग्रहरि, दोसर, अयोध्यावासी, केसरवानी, बरनवाल, ओमर, गुलहरे, पोरवाल, कमलापुरी, सन्मानी आदि जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कि जाने हेतु आयोग में लम्बित प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई किये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |
| पांचवी सूचना | श्री सुरेश कुमार खन्ना की | जनपद शाहजहाँपुर के जिला चिकित्सालय को 300 शैय्यायुक्त संचालित करने तथा डा0 एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ-साथ दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |
| छठी सूचना | श्री लोकेश दीक्षित<br>श्री शमशेर बहादुर 'शेरू भइया'<br>श्री बृजेश वर्मा,<br>श्री दीपक पटेल,<br>श्री राजबली जैसल,<br>श्री चौधरी गजेन्द्र सिंह तथा<br>श्री रोशन लाल वर्मा की | श्री रामचन्द्र प्रजापति निवासी पंचावा, के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली मैनपुरी, जनपद मैनपुरी की 17 वर्षीय पुत्री कु0 ज्योति को कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपहरण किये जाने के उपरान्त मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |
| सातवीं सूचना | श्री उमाशंकर सिंह की | विधान सभा रसड़ा (बलिया) स्थित ग्राम मुण्डेरा में बने सब-स्टेशन को चालू करवाने एवं जाम सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |
| आठवीं सूचना | पं0 अमरपाल शर्मा की | गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से वसुन्धरा सेक्टर 6 में आदर्श पार्क की पाँच एकड़ भूमि को लीज पर दिये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| नवीं सूचना | श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की | मेरठ नगर निगम द्वारा सफाई की समुचित व्यवस्था न किए जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |
| दसवीं सूचना | श्री जय प्रकाश निषाद की | जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार में क्षेत्रीय ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को बिना विद्युत की सप्लाई किए बड़े पैमाने पर अवैध विद्युत बिल भेजकर वसूली किए जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। |

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं-

1-श्री रामलाल अकेला,

2-श्री दिलनवाज खां,

3-श्री विजय बहादुर यादव,

4-श्री विजय कुमार पासवान,

5-श्री संजय कपूर,

6-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

7-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

8-श्री प्रमोद तिवारी,

9-श्री अली यूसुफ अली,

10-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

11-श्री अनीसुर्रहमान,

12-श्री पंकज मलिक,

13-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,

14-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

15-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

16-श्री विजय कुमार दुबे,

17-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

18-श्री राधेश्याम जायसवाल,

19-श्रीमती कृष्णा पासवान,

20-श्री काली चरन सुमन,

21-श्री जगराम पासवान,

22-श्री प्रदीप माथुर,

23-श्री हुकुम सिंह,

24-श्री सतीश महाना,

25-साध्वी निरंजन ज्योति,

26-श्री रविन्द्र भड़ाना,

27-श्री बब्बन सिंह चौहान,

28-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

29-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

30-श्री धर्मपाल सिंह तथा

31-श्री रामचन्द्र यादव।

**बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि, तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकासीय बिजली गिरने से हुए नुकसान के सम्बंध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य**

लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[फरवरी माह में अचानक मौसम परिवर्तन के कारण सम्पूर्ण प्रदेश के साथ ही विशेषकर बुन्देलखण्ड जैसे गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवायें चलने के कारण अरहर, मसूर, चना, मटर, अलसी, राई जैसे दलहनी/तिलहनी फसलों के अलावा गेहूँ तथा गन्ने की फसलों को भी व्यापक नुकसान पहुँचा है। इसके पूर्व पाला पड़ने से भी काफी क्षति फसलों को हो चुकी थी। विधान सभा क्षेत्र महोबा में भी फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है। मैंने स्वयं क्षेत्र का भ्रमण कर देखा है कि फसलों को 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक नुकसान पहुँचा है लेकिन प्रशासन

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्पूर्ण घटनाओं से काफी उदासीन है। राजस्व कर्मी तथा लेखपाल आदि किसानों की फसलों की क्षति का सही आँकलन नहीं कर रहे है जिससे क्षेत्रीय किसानों में काफी जनाक्रोश व्याप्त है। इसी दौरान जनपद महोबा में फसलों की बरबादी के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से भी जनहानि, पशुहानि तथा मकानों के गिरने की भी शिकायतें हैं। किसानों की क्षति का मुआवजा किसानों की माँग के अनुसार अविलम्ब दिये जाने तथा आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान की भी क्षतिपूर्ति पीड़ित जनों को प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2-इस सम्बन्ध में जनपदवार स्थिति निम्नवत् है :-

1-जनपद झांसी की चार तहसीलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के कारण फसलों का नुकसान 10 से 30 प्रतिशत आँकलित किया गया है। तहसील मोठ में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है जिसका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के उपरान्त अनुमानित क्षति आँकलित करके किसानों को आपदा निधि से धनराशि वितरित की जायेगी। आकाशीय बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है और न ही कोई मकान गिरने का प्रकरण संज्ञान में आया है। आठ बड़े पशुओं की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई है। पशुपालकों को आपदा राहत निधि से नियमानुसार सहायता वितरित की जा चुकी है।

2-जनपद ललितपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 1819 कृषकों की फसलों का नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हुआ है जिनको राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता हेतु रु0 82,15,728/- की सहायता प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी। आकाशीय बिजली गिरने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके निकटतम वारिस को रु0 1,50,000-1,50,000/- की अनुग्रह राशि वितरित करा दी गई है। उक्त के अतिरिक्त 16 दुधारू पशुओं की मृत्यु हुई है जिनके स्वामियों को कुल रु0 1,20,400/- की अनुग्रह राशि वितरित करा दी गई है।

3-जनपद जालौन के तहसील कालपी एवं उरई के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की फसलों की क्षति 50 प्रतिशत हुई है जिन्हें कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा रुपया 65,98,977/- की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध दिनांक 21-02-2013 को किया गया है जिसे शीघ्र स्वीकृत कर दिया जायेगा। शेष तहसीलों में 5 से 10 प्रतिशत तक की फसलों को क्षति हुई है। तहसील जालौन में एक कच्चा मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर रू0 1900/- की सहायता प्रदान की गई है। जनपद में आकाशीय विद्युत से कोई जनहानि/पशुहानि नहीं हुई है।

4-जनपद महोबा के केवल तहसील महोबा के चौदह गाँवों में तथा तहसील कुलपहाड़ के 50 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है। किसानों को कृषि निवेश अनुदान दिये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 21-02-2013 को रु0 94,81,873/- रुपये की माँग की गयी है जिसे स्वीकृत कर दिया जायेगा। आकाशीय विद्युत से एक गाय व एक बछिया की मृत्यु हुई है। कोई जनहानि नहीं हुई है।

5-जनपद बाँदा में ओलावृष्टि जैसी स्थिति नहीं रही है। वर्षा के कारण किसानों की फसलों को मात्र 20 से 30 प्रतिशत की आंशिक क्षति हुई है जिसे दैवी आपदा मद से सहायता दिये जाने का प्रावधान नहीं हैं। केवल तहसील नरैनी में पाले से 15,742 लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल

50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई है इस हेतु रु0 1,54,37,667/- को कृषि निवेश अनुदान मद में धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 21-02-2013 को किया गया है जिसे स्वीकृत कर दिया जायेगा। आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिसके वारिस को रू0 1,50,000/- का अनुदान उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त दो बैल तथा एक भैंस की मृत्यु हुई है जिसके मालिकों को नियमानुसार सहायता/अनुदान वितरित किया जा चुका है।

6-जनपद हमीरपुर में मसूर, मटर, चना एवं सरसों की फसल को आंशिक नुकसान हुआ है। शेष फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आकाशीय विद्युत से एक बैल की मुत्यृ हुई है जिससे रु0 10,000/- की राहत सहायता अनुमन्य करायी जा रही है तथा एक पड़िया की भी मृत्यु हुई है जिसकी जाँचोपरान्त राहत सहायता अनुमन्य करायी जायेगी। कोई जन-धन की हानि नहीं हुई है।

7-जनपद चित्रकूट में भारी बारिश से फसलों को कोई विशेष क्षति नहीं हुई है, पाला पड़ने के कारण अरहर एवं सरसों की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है जिसका जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। आकाशीय विद्युत से एक जनहानि हुई है जिसे रू0 1,50,000/- की सहायता प्रदान की जा चुकी है दो पशु हानि हुई है जिसे सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। जनपद में ओलावृष्टि नहीं हुई है।

3-शासनादेश दिनांक 21-02-2013 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय का निर्देश दिया गया है कि शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर दैवी आपदा के सापेक्ष किसानों की फसलों की क्षति का आँकलन कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक दिनांक 16-01-2012 के अनुसार सहायता राशि प्रदान करने की कार्यवाही करें तथा इसकी सूचना शासन को प्रतिदिन प्रेषित की जाय। उपरोक्त से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किसानों को भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों के फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान के सम्बन्ध में सहायता प्रदान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।]

**जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत अमवाँ ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि में की गई अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार ''लल्लू'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य**

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

श्री अजय कुमार ''लल्लू'', मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत अमवां, ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन, नरवाजोत एवं ए0पी0 तटबंध के लिए धनराशि केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, किन्तु सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण कार्य में घोर अनियमितता की गई और कार्य मानक के अनुरूप पूर्ण नहीं कराया गया व फर्जी तौर पर धनराशि का बन्दरबांट किया गया तथा समस्या का समाधान नहीं किया गया। प्रकरण की निष्पक्ष रूप से सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र दिनांक 07-01-2013 द्वारा संस्तुति की गई थी, किन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई और न ही दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

2-श्री अजय कुमार 'लल्लू', मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई उपर्युक्त सूचना में की गई मांग के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र दिनांक 07-01-2013 में उल्लेख किया गया है कि मा0 विधायक तमकुहीराज, श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2007 से अब तक अमवा, ए0पी0 तटबंध का एक्सटेंशन, नरवाजोत एवं ए0पी0 तटबंध हेतु उपलब्ध धन को व्यय करने में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा घोर अनियमितता की गई है। मा0 विधायक के जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र दिनांक 03-01-2013 में प्रकरण में हुई अनियमितताओं और नये कार्यों को कराने में हो रही देरी के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जनहित में सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने का अनुरोध किया गया है :-

(1) वर्ष 2007 से अब तक प्रदेश एवं केन्दीय सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ तथा उसे किस मद में कितना खर्च किया गया।

(2) उपरोक्त बन्धों पर किन-किन ठेकेदारों द्वारा काम कराया गया है तथा किसके-किसके नाम से अनुबंध किया गया है तथा उन्हें कितना भुगतान किया गया है।

(3) उक्त सभी बन्धों पर अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम से भी भुगतान कराया गया है।

(4) शासन से प्राप्त धन का दुरूपयोग एवं बन्दरबांट किया गया है।

(5) अधिशासी अभियन्ता द्वारा कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी द्वारा नए कार्यों हेतु धन नहीं दिया जा रहा है जबकि जिलाधिकारी के समक्ष हुई फोन वार्ता में यह बात गलत साबित हुआ।

जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा सिंचाई विभाग को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 07-01-2013 में मा0 विधायक के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं में से बिन्दु-5 के बारे में अवगत कराया है कि मा0 विधायक द्वारा जो कथन किया गया है, वह पूर्णतः सही है और उनके संज्ञान में भी यह आया है कि श्री बी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड कुशीनगर द्वारा उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कथन किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने का निर्णय शासन स्तर से ही लिया जाए।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकरण में मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई विभाग, गोरखपुर के पत्र दिनांक 23-02-2013 द्वारा यह आख्या उपलब्ध कराई गई है कि प्रश्नगत तटबंधों पर कराए गए सभी कार्य नियमानुसार अनुबंध गठित कर ठेकेदारों से कराए गए हैं। विषयगत तटबंधों पर कराए गए कार्यों के मापी की निर्धारित चेकिंग की गई है तथा बोल्डर मापी की चेकिंग 02 अधिशासी अभियन्ताओं की समिति द्वारा शत-प्रतिशत की गई है। यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2011-12 तक प्रत्येक वर्ष खण्ड के कार्यों का निरीक्षण प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (टी0ए0सी0), सिंचाई सचिव शाखा द्वारा किया गया है और सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं अंकित की गई है, जिससे स्पष्ट है कि कराए गए कार्यों को संतोषजनक पाया गया और विषयगत तटबंधों पर कराए गए कार्यों में कोई तकनीकी अथवा वित्तीय कमी नहीं पाई हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि श्री अजय कुमार 'लल्लू', मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 03-01-2013 में उल्लिखित बिन्दु सं0 3 व 4 से सम्बन्धित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, तात्पर्य यह है कि उक्त बंधों पर अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम से भुगतान कराने व प्राप्त धन का दुरुपयोग व बन्दरबाँट किए जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में न आने की आस्था दी गई है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि बाढ़ खण्ड, कुशीनगर को जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा आपदा राहत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

इस प्रकार जिलाधिकारी, कुशीनगर एवं मुख्य अभियन्ता (गण्डक) से प्राप्त आख्या के सम्यक् परीक्षणोपरान्त कतिपय तथ्य विरोधाभाषी पाए गए हैं और मा0 विधायक द्वारा इंगित अनियमितताओं की गम्भीरता के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच किसी विशेष जांच ऐजेन्सी यथा सी0बी0सी0आई0डी0 से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराए जाने हेतु गृह विभाग को विभागीय संस्तुति भेज दी गई है और सी0बी0सी0आई0डी0 से जांचोपरान्त जांच संस्तुति के अनुसार नियमानुसार यथोचित कार्यवाही कराई जाएगी।]

## जनपद सीतापुर स्थित दुलारी देवी राधेश्याम डिग्री कालेज बरई जलालपुर की मान्यता सम्बन्धी पत्रावली शासन में काफी दिनों से लम्बित होने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री राधेश्याम जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना देते हैं और सुनने के लिए उपस्थित नहीं रहते है इसलिए माननीय मंत्री जी इनकी सूचना को न पढ़े इसको नहीं लिया जायेगा।

## जनपद कुशीनगर की खड्डा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आई0पी0एल0 शुगर मिल द्वारा कमजोर किसानों की पर्ची रोक कर गन्ना माफियाओं को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लिखित किया गया है कि.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य वृद्धि का लाभ आज बिचौलियों एवं मिल प्रबन्धन समिति एवं स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते किसानों को न मिलकर इन बिचौलियों के हाथ लग चुका है। जनपद कुशीनगर की खड्डा विधान सभा के अन्तर्गत आई0पी0एल0 शुगर मिल द्वारा कमजोर किसानों का पर्ची रोक कर गन्ना माफियाओं को दिया जा रहा है, जिससे आई0पी0एल0 क्षेत्र के अन्तर्गत 1-बंजारी पट्टी, 2-लखुआ बंजारी पट्टी से जाने वाले मार्ग पर बगीचे के पास 3. पकड़ी चौराहे के पास 4. तुर्कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से बड़ी गंडक नहर जाने वाले मार्ग पर निजी क्रय केन्द्रों पर आम किसान अपने गन्ने को 200 रुपये प्रति कुन्तल पर बेचने को मजबूर है। गन्ना माफिया इसी गन्ने को आई0पी0एल0 शुगर मिल में 280 रुपये प्रति कुन्तल पर बेच देते हैं। बिचौलियों, मिल प्रबन्धन एवं स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते किसानों की गाढ़ी कमाई का बंदरबाट खुले रूप से निजी क्रय केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। बार-बार जिले पर शिकायत करने के बावजूद गन्ना अधिकारियों द्वारा सिर्फ जांच की खानापूर्ति किया जा रहा है। आई0पी0एल0 मिल पर घटतौली की एवं आई0पी0एल0 क्षेत्र अन्तर्गत निजी क्रय केन्द्रों पर रोक लगाने के साथ गन्ना खरीदारों के विरुद्ध कार्यवाही अति आवश्यक है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि चीनी मिल खड्डा द्वारा नियमों के अन्तर्गत किसानों के गन्ने का सट्टा किया गया है तथा निर्मित कलेन्डर के पक्ष एवं कालम के अनुसार सप्लाई टिकट (पर्ची) का निर्गमन कर किसानों को समिति के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है। जो किसान पात्र है, उन्हें कलेन्डर के अनुसार पर्ची जारी की जा रही है।

बंजारीपट्टी, बंजारीपट्टी से लखुआ जाने वाली मार्ग पर बगीचे के पास, पकड़ी चौराहे के पास तथा तुर्कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से बड़ी गंडक नहर जाने वाले मार्ग तथा खड्डा चीनी मिल परिक्षेत्र में अवैध गन्ना खरीद का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। क्षेत्रीय अधिकारियों एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर के स्तर से संबंधित उप जिलाधिकारी एवं गन्ना विभाग के अधिकारियों का एक संयुक्त जांच दल गठित किया गया है जिनके द्वारा मिल क्षेत्र में गन्ने की खरीद नियन्त्रित करने, अवैध गन्ना खरीद एवं तौल में शुद्धता व पादर्शिता आदि के संबंध में औचक निरीक्षण किये जा रहे हैं। वास्तविक किसान अपने गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल में कर सके इसके लिए नियमित रूप से जांच करायी जा रही है। घटतौली के संबंध में गठित जांच दल द्वारा प्रभावी अनुश्रवण कर निरन्तर जांच की जा रही

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। चीनी मिल खड्डा क्षेत्र में यद्यपि किसी प्रकार की अवैध गन्ना खरीद एवं घटतौली का मामला प्रकाश में नहीं आया है तथापि उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए विशेष दल भेजकर जांच करायी जा रही है।

विभाग गन्ना कृषकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है तथा समस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।]

श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, जो दिखाये थे कि बंजारीपट्टी, बंजारीपट्टी से लखुआ जाने वाले मार्ग पर बगीचे के पास पकड़ी चौराहा, तुर्कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आज भी इस समय भी निजी क्रय केन्द्र द्वारा गन्ना खरीद बिक्री हो रही है। आप जाँच करा लीजिए अगर हम गलत कह रहे हो तो जो चाहे हमें दण्ड दीजिए लेकिन मान्यवर, अगर मिल के अधिकारियों द्वारा यह काम हो रहा है तो उन्हें दण्ड मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसको आप दिखवा लीजिए, कभी-कभी किसान भी जल्दी के कारण स्वयं ही प्राईवेट को बेच देते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। मैंने मंत्री जी से कह दिया है वह इसे दिखवा लेंगे।

**जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम तिराह में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)**

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय कपूर जी हैं ? श्री संजय कपूर जी उपस्थित नहीं हैं इसलिए मा0 मंत्री जी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

**जनपद वाराणसी स्थित बी0एच0यू0 हास्पिटल में हिमोफीलिया रोगियों की प्राण रक्षक दवा (फैक्टर 8 व 9) न उपलब्ध कराये जाने से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)**

श्री अध्यक्ष-

श्री श्यामदेव राय चौधरी जी भी नहीं है, आगे बढ़िये।

**जनपद हमीरपुर के थाना सिसोलर के ग्राम गठा में दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य।**

लोक निर्माण सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 20-02-2013 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया था कि जनपद हमीरपुर के अंतर्गत थाना सिसोलर के ग्राम गढ़ा में दिनांक 19-02-2013 को दिन में 12 बजे पूर्व प्रधान।

ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[जागेश्वर निषाद की दो पोतियां गांव के पास ही खेत में खेल रही थीं। उसी गांव के 19 वर्षीय लड़के ने बहला फुसला कर 08 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अरहर के खेत में ले गया और उसकी 04 वर्ष की बहन के सामने ही रेप किया और बेहोसी की हालत में छोड़कर भाग गया। इसकी रिपोर्ट थाना-सिसोलर में दर्ज करायी गयी, परन्तु पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करायी गयी और न ही मेडिकल कराया गया।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर से प्राप्त जाँच आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण में मु0अ0सं0-33/13 धारा 376 भादंवि पंजीकृत किया गया है। इस घटना की सूचना दिनांक 19-02-13 को अपराह्न 07.45 बजे प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण थानाध्यक्ष, सिसोलर द्वारा किया गया। पीड़िता 06 वर्ष की बच्ची है, जिसका मेडिकल करा लिया गया है। अभियुक्त शिवसहाय पुत्र बच्ची सिंह निवासी-ग्राम-गढ़ा, थाना-सिसोलर, जनपद-हमीरपुर को दिनांक 24-02-13 समय 07.30 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही शेष नहीं हैं।]

## बरेली महानगर घोषित होने के उपरान्त भी बिजली, पानी, सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजेश अग्रवाल जी है ? अभी श्री अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए थे, इस समय उपस्थित नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़िये।

## बहराइच स्थित जरवल रोड से नेपालगंज रोड सड़क पर पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं ? श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी नहीं है इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## पीलीभीत स्थित पंचायत विलसण्डा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री अगयश राम सरन वर्मा जी है, यह तो सूचना देते समय और जवाब लेते समय, दोनों समय रहते है। मंत्री जी अब मद संख्या-25 पढ़िये।

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

श्री अगयश राम सरन वर्मा, माननीय सदस्य, विधान सभा दिनांक 20-02-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद पीलीभीत की असेवित क्षेत्र पंचायत विलसण्डा हेतु एक आदर्श राजकीय महाविद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिनिधानित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है जिसकी स्थल चयन प्रक्रिया लम्बित है।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पढ़ा हुआ मान लिया जाता है (वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[स्थल चयन अधिकारिताओं को सूझाव दिया गया है कि तीन विशेषताओं युक्त स्थल चयन किया जाय। प्रथमतः छात्र छात्राओं एवं प्रवक्ताओं के आने जाने की सुगमता रहे, द्वितीय सभी सुरक्षित रहने चाहिए एवं तृतीय प्रवक्ताओं के लिए आवासीय अपेक्षित परिवेश होना चाहिए। इस दृष्टि से नगर क्षेत्र विलसण्डा (क्षेत्र पंचायत विलसण्डा का केन्द्रीय स्थल) में ही स्थित गाँधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज विलसण्डा की प्रबन्ध समिति ने अपनी तीन एकड़ भूमि निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित किया है तथा स्थानान्तरण हेतु सशपथ प्रतिबद्धता की है। परन्तु ज्ञात हुआ है कि गाँव ओड़ाझार में स्थल चयन करने हेतु राजनीति से ग्रसित होकर हठधर्मिता की जा रही है जो कि उपरोक्त विशेषताओं रहित विहीन स्थल है। ज्ञात हो कि यह गाँव ओड़ाझार की आतंकवाद के युग में आतंकवाद का उद्गम के रूप में पहचान रही है। यदि उक्त महाविद्यालय हेतु राजस्व गाँव ओड़ाझार में ही स्थल चयन किया गया तो निश्चित ही कथित विद्यालय बन्द होना स्वाभाविक होगा। इसलिए नगर विलसण्डा में ही कथित विद्यालय के लिए स्थल चयन किया जाय अन्यथा उपरोक्त विशेषताओं के अभाव में स्थल चयन अधिकारिताओं का दायित्व सुनिश्चित कर दिया जाय। मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग की गयी है।

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकलन नामांकन दर वाले 36 जनपदों में नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। उक्त 36 जनपदों में

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना हेतु समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों से 1.000 हे0 निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त 36 जनपदों में जनपद-पीलीभीत भी सम्मिलित है। जनपद पीलीभीत में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना हेतु स्थल चयन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली, जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत तथा प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत द्वारा छः स्थानों यथा ग्राम गहोनिया, मझगवां, ओड़ाझार, मरौरी, करेली एवं जादोपुर नाथा का निरीक्षण कर उक्त स्थलों में से किसी एक स्थान पर प्रस्तावित राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, पीलीभीत को उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा ग्राम ओड़ाझार में पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय के समीप में गाटा संख्या 163/2 क्षेत्रफल 1.574 में से 1.00 हेक्टेयर निःशुल्क भूमि नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना हेतु चिन्हित की गयी है जो कि विलसण्डा से लगभग पाँच किलोमीटर दूरी पर है तथा मरौरी-ओड़ाझार मार्ग पर स्थित है। उक्त चिन्हित भूमि पर स्थापित होने वाले महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को निर्माण एजेन्सी नामित किया जा चुका है एवं निर्माण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया आगणन परीक्षण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग को संदर्भित है।

अतः जनपद पीलीभीत की असेवित क्षेत्र पंचायत विलसण्डा के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्थल चयन में किसी भी प्रकार की हठधर्मिता नहीं हुई है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते है, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 26 फरवरी, 2013

**प्रदीप कुमार दुबे,**

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

**नत्थी 'क'**

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ-56 पर)

श्री जय प्रकाश निषाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के प्रथम मंगलवार के लिए पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या 56 के संबंध में सूची

**संलग्नक-अ**

| क्र0 सं0 | फेज | विकास खण्ड का नाम | पैकेज संख्या | मार्ग का नाम | लम्बाई (किमी) | कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि | स्वीकृत लागत (रु0 में) | व्यय (रु0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | ब्रह्मपुर | UP 3101 | नई बाजार बोहाबार मार्ग से नदुआ ज्ञानपुर संपर्क मार्ग | 1.400 | 30.11.03 | 3040935.00 | 3040935.00 |
| 2 | II | ब्रह्मपुर | UP 3103A | नई बाजार बोहाबार मार्ग का शेष भाग | 1.100 | 31.03.04 | 2321966.00 | 2321966.00 |
| 3 | II | ब्रह्मपुर | UP 3103A | झंगहा राजधानी मटियारा से सिलहटा मुण्डेरा संपर्क मार्ग | 2.500 | 31.03.04 | 5734039.00 | 5734039.00 |
| 4 | II | ब्रह्मपुर | UP 3103A | जमरू करौता से ठकुराई मुण्डेरा संपर्क मार्ग | 2.950 | 31.03.04 | 10711446.00 | 10711446.00 |
| 5 | II | सरदारनगर | UP 3103B | रामपुर बुजुर्ग संपर्क मार्ग | 0.560 | 31.10.03 | 1100508.00 | 1100508.00 |
| 6 | II | ब्रह्मपुर | UP 3104A | नई बाजार बोहाबार से नरेन्द्रपुर नौबारी संपर्क मार्ग | 1.000 | 30.11.03 | 2247182.00 | 2247182.00 |
| 7 | II | सरदारनगर | UP 3104A | छवैला संपर्क मार्ग | 2.000 | 30.11.03 | 4114276.00 | 4114276.00 |
| 8 | II | ब्रह्मपुर | UP 3104A | महुअरकोल संपर्क मार्ग | 1.543 | 30.11.03 | 3584937.00 | 3584937.00 |
| 9 | II | ब्रह्मपुर | UP 3104A | झंगहा बरही बोहाबार मार्ग से विशुनपुर संपर्क मार्ग | 1.400 | 30.11.03 | 3633592.00 | 3635592.00 |
| 10 | II | सरदारनगर | UP 3104C | सुरसरदेउर संपर्क मार्ग | 1.500 | 31.03.05 | 3184525.00 | 3184525.00 |
| | | | | **योग** | **16.953** | | **39673406.00** | **39673406.00** |
| 11 | III | ब्रह्मपुर | UP 3105 | कपरफोड़वा बौठा से गोपालापुर संपर्क मार्ग | 1.100 | 31.12.05 | 3333690.00 | 3333690.00 |

| क्र0 सं0 | फेज | विकास खण्ड का नाम | पैकेज संख्या | मार्ग का नाम | लम्बाई (किमी) | कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि | स्वीकृत लागत (रु0 में) | व्यय (रु0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | III | ब्रह्मपुर | UP 3105 | चौरीचौरा चकिया हरैया मार्ग से पचदेउरी सेखुआना टोला संपर्क मार्ग | 0.750 | 31.12.05 | 1971195.00 | 1971195.00 |
| 13 | III | ब्रह्मपुर | UP 3105 | अमारी से बौठा सिहोरवा संपर्क मार्ग | 2.875 | 31.12.05 | 9362704.00 | 9362704.00 |
| 14 | III | ब्रह्मपुर | UP 3105 | गोवडौर धुन्नी से सरार मझगॉवा संपर्क मार्ग | 1.700 | 31.12.05 | 4667196.00 | 4667196.00 |
| 15 | III | ब्रह्मपुर | UP 3105 | नई बाजार राधेपट्टी मार्ग से फैलहा टोला संपर्क मार्ग | 1.500 | 31.12.05 | 3096072.00 | 3096072.00 |
| 16 | III | ब्रह्मपुर | UP 3105 | कपरफोड़वा से रानापार संपर्क मार्ग | 0.850 | 31.12.05 | 2310119.00 | 2310119.00 |
| 17 | III | ब्रह्मपुर | UP 3105 | मलोनी बन्धा से बिनहा टोला (बरबसपुर) संपर्क मार्ग | 1.900 | 31.12.05 | 6552822.00 | 6552822.00 |
| | | | | **योग** | **10.675** | | **31293798.00** | **31293798.00** |
| 18 | IV | ब्रह्मपुर | UP 3111 | जमरू से जद्दूपुर संपर्क मार्ग | 1.196 | 7-June-2008 | 3704880.00 | 3704880.00 |
| 19 | IV | ब्रह्मपुर | UP 3111 | धुन्नी से पुरनहा संपर्क मार्ग | 0.580 | 7-June-2008 | 2539240.00 | 2539240.00 |
| 20 | IV | ब्रह्मपुर | UP 3111 | डुमरैला से दुलरहा संपर्क मार्ग | 1.682 | 7-June-2008 | 4367535.00 | 4367535.00 |
| 21 | IV | सरदारनगर | UP 3111 | जोधपुर संपर्क मार्ग से सरदारनगर रेलवे स्टेशन टोला संपर्क मार्ग | 2.425 | 7-June-2008 | 7766371.00 | 7766371.00 |
| 22 | IV | सरदारनगर | UP 3111 | रामपुर रकबा मार्ग से लोनिया टोला संपर्क मार्ग | 1.680 | 7-June-2008 | 4741487.00 | 4741487.00 |
| | | | | **योग** | **7.563** | | **23119513.00** | **23119513.00** |
| 23 | V | ब्रह्मपुर | UP 3120 | नई बाजार से बोहाबार संपर्क मार्ग | 0.925 | 31-Jul-2009 | 3197495.00 | 3197495.00 |

| क्र0 सं0 | फेज | विकास खण्ड का नाम | पैकेज संख्या | मार्ग का नाम | लम्बाई (किमी) | कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि | स्वीकृत लागत (रु0 में) | व्यय (रु0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | V | ब्रह्मपुर | UP 3120 | नउआवारी पलिया धूस मीठावेल सिंहपुर कन्धौली संपर्क मार्ग | 3.000 | 31-Jul-2009 | 10570200.00 | 10570200.00 |
| 25 | V | ब्रह्मपुर | UP 3120 | झंगहा राजधानी (छावनी) मार्ग से घटुलीघाट संपर्क मार्ग | 2.850 | 31-Jul-2009 | 9025770.00 | 9025770.00 |
| 26 | V | ब्रह्मपुर | UP 3120 | मीठावेल हरैया सिंहपुर मार्ग से झिरझिरवा संपर्क मार्ग | 2.025 | 31-Jul-2009 | 6008050.00 | 6008050.00 |
| 27 | V | सरदारनगर | UP 3122 | विशुनपुर बाबू (गवनार) से मौनहा (गवनार) संपर्क मार्ग | 2.245 | 25-Jul-2009 | 5714619.00 | 5714619.00 |
| 28 | V | सरदारनगर | UP 3122 | जगदीशपुर सरेया मार्ग से बैकुण्ठपुर संपर्क मार्ग | 1.050 | 25-Jul-2009 | 2228227.00 | 2228227.00 |
| 29 | V | सरदारनगर | UP 3122 | रामनगर (चौरी) से सबुनी (चोरी) संपर्क मार्ग | 2.150 | 25-Jul-2009 | 6052759.00 | 6052759.00 |
| | | | | **योग** | **14.245** | | **42797120.00** | **42797120.00** |
| 30 | VII | खोराबार एवं ब्रह्मपुर | UP 3157 | झंगहा से राजधानी मार्ग | 8.100 | 9-Jun-2010 | 31099601.00 | 31099601.00 |
| 31 | VII | सरदारनगर | UP 3162 | फुटहवा से रामपुर रकबा मार्ग | 5.650 | 24-Jun-2010 | 21889109.00 | 21889109.00 |
| 32 | VII | ब्रह्मपुर | UP 3163 | इटौवा गोबडौर (जद्दूपुर) धुन्नी से टमटा मार्ग | 4.890 | 24-Jul-2010 | 19302346.00 | 19302346.00 |
| 33 | VII | सरदारनगर | UP 3166 | जगदीशपुर (1.00) से सरैया (8.50) मार्ग | 8.600 | 9-Jun-2010 | 33071758.00 | 33071758.00 |
| | | | | **योग** | **27.240** | | **105362814.00** | **105362814.00** |

निर्माणाधीन कार्य फेज-9 विश्व बैंक पोषित

| | | | | | | अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | IX | ब्रह्मपुर | UP 3184 | इटौवा महुअरकोल से शिकारगढ़ संपर्क मार्ग | 2.000 | 28-08-2013 | 9041440.11 | जी0एस0बी0 स्तर तक कार्य पूर्ण / जी-2 स्तर कार्य प्रगति में |
| | | | | **Total** | **2.000** | | **9041440.11** | |

नये कार्य फेज-10

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | X | सरदारनगर | UP 3199 | चौरी चौरा चकिया- बैजूडीहा से मीठावेल मार्ग | 2.000 | टेण्डरिंग की प्रक्रिया में |
| 36 | X | ब्रह्मपुर | UP 3199 | चौरी चौरा चकिया- बैजूडीहा से मीठावेल मार्ग | 11.000 | |
| | | | | **Total** | **13.000** | |

# नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ-60पर)

## ऐसे विद्यालयों की सूची जहां पर मात्र 01 शिक्षक कार्यरत हैं

## वि0खं0-ईसानगर

| क्रम-संख्या | प्रा0 विद्यालय का नाम | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ईसानगर | 1 | 0 | 1 |
| 2 | बालूपुरवा | 1 | 0 | 1 |
| 3 | लाघपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 4 | बंशीपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 5 | चिन्ता पुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 6 | गनेशपुर | 0 | 1 | 1 |
| 7 | लौकाही ईसानगर | 0 | 1 | 1 |
| 8 | चमारनपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 9 | कबिरहा | 0 | 1 | 1 |
| 10 | भेड़हिया | 0 | 1 | 1 |
| 11 | कैरातीपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 12 | ठुँठवा | 0 | 1 | 1 |
| 13 | ओझापुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 14 | रूद्रपुर | 0 | 1 | 1 |
| 15 | टेड़ियाबड़ी | 0 | 1 | 1 |
| 16 | नारीबेहड़ | 0 | 1 | 1 |
| 17 | गौरा | 1 | 0 | 1 |
| 18 | डुण्डकी | 0 | 1 | 1 |
| 19 | चन्द्रासाखुर्द | 0 | 1 | 1 |
| 20 | बदालीपुर | 0 | 1 | 1 |
| 21 | मोचनापुर | 0 | 1 | 1 |
| 22 | सधुवापुर | 0 | 1 | 1 |
| 23 | मिर्जापुर | 1 | 0 | 1 |
| 24 | बेलागढ़ी | 0 | 1 | 1 |
| 25 | कुम्हारनपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 26 | छत्रबंगला | 0 | 1 | 1 |
| 27 | वनटुकरा | 0 | 1 | 1 |
| 28 | सिंगावर | 0 | 1 | 1 |
| 29 | त्रिकौलिया | 1 | 0 | 1 |
| 30 | शंकरपुर | 0 | 1 | 1 |
| 31 | चमारनपुरवा | 0 | 1 | 1 |

| क्रम-संख्या | प्रा0 विद्यालय का नाम | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
|---|---|---|---|---|
| 32 | बेल्तुआ | 0 | 1 | 1 |
| 33 | बरारी | 0 | 1 | 1 |
| 34 | जालिमनगर | 0 | 1 | 1 |
| 35 | गौरिया | 0 | 1 | 1 |
| 36 | गोडियनपुरवा (बरारी) | 0 | 1 | 1 |
| 37 | सरपतहा | 0 | 1 | 1 |
| 38 | सुल्तानापुर | 1 | 0 | 1 |
| 39 | पकरिया | 0 | 1 | 1 |
| 40 | जेठरा | 1 | 0 | 1 |
| 41 | समैसा | 0 | 1 | 1 |
| 42 | चौंरा | 0 | 1 | 1 |
| 43 | दिलावलपुर | 1 | 0 | 1 |
| 44 | लालपुर | 0 | 1 | 1 |
| 45 | सरावल | 0 | 1 | 1 |
| 46 | पोखरा | 1 | 0 | 1 |
| 47 | मिलिक | 0 | 1 | 1 |
| 48 | मांझा सुमाली | 0 | 1 | 1 |
| 49 | बेनीपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 50 | मिश्रगांव | 0 | 1 | 1 |
| 51 | गौढ़ी | 0 | 1 | 1 |
| 52 | सिकटिहा I | 0 | 1 | 1 |
| 53 | सिकटिहा II | 0 | 1 | 1 |
| 54 | कंजड़पुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 55 | गोपालापुर | 0 | 1 | 1 |
| 56 | हसनपुरकटौली I | 1 | 0 | 1 |
| 57 | हसनपुरकटौली II | 0 | 1 | 1 |
| 58 | अवस्थीपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 59 | मितौला | 1 | 0 | 1 |
| 60 | शेखपुर | 1 | 0 | 1 |
| 61 | बेती सहदेव | 0 | 1 | 1 |
| 62 | सण्डौरा खुर्द | 1 | 0 | 1 |
| 63 | डेबर | 1 | 0 | 1 |
| 64 | गंगान | 0 | 1 | 1 |
| 65 | लाखुन-। | 0 | 1 | 1 |
| 66 | घोसियनपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 67 | फत्तेपुर | 1 | 0 | 1 |

| क्रम-संख्या | प्रा0 विद्यालय का नाम | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
|---|---|---|---|---|
| 68 | लखपेड़ा | 0 | 1 | 1 |
| 69 | अटहा | 0 | 1 | 1 |
| 70 | मन्दूरा | 0 | 1 | 1 |
| 71 | राजापुर | 1 | 0 | 1 |
| 72 | अहिरनपुरवा | 0 | 1 | 1 |
| 73 | जगदीशपुर | 0 | 1 | 1 |
| 74 | रमनगरा | 1 | 0 | 1 |
| 75 | सुरजनपुर | 0 | 1 | 1 |
| 76 | मिंदनियां | 0 | 1 | 1 |
| 77 | खमरिया पं0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | बसहिया | 0 | 1 | 1 |
| 79 | अल्लीपुर | 0 | 1 | 1 |
| 80 | मड़वा | 0 | 1 | 1 |
| 81 | आपापुरी | 1 | 0 | 1 |
| 82 | ऐरा | 1 | 0 | 1 |
| 83 | जसवन्तनगर | 0 | 1 | 1 |
| 84 | लुधौनी | 0 | 1 | 1 |
| 85 | शेखनापुर | 0 | 1 | 1 |
| 86 | भैसहिया | 0 | 1 | 1 |
| 87 | सर्मदासाई | 0 | 1 | 1 |

**ऐसे विद्यालयों की सूची जहां पर मात्र 01 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं**

**वि0ख0-ईसानगर**

| क्रम-संख्या | प्रा0 विद्यालय का नाम | प्र0अ0 | स0अ0 | योग | शि0 मि0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फिरोजाबाद | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | खनवापुर | 0 | 0 | 0 | 1 |

**एकल अध्यापकीय विद्यालयों की सूची विकास खण्ड-मोहम्मदी**

| क्रम-संख्या | प्रा0 विद्यालय का नाम | शिक्षक संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
| 1 | बसखेड़ा | 0 | 1 | 1 |
| 2 | गंगापुर | 1 | 0 | 1 |
| 3 | कोरिगवां | 1 | 0 | 1 |
| 4 | इटौआ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | बहादुरपुर | 0 | 1 | 1 |
| 6 | छेड़ीपुर | 1 | 0 | 1 |

| क्रम-संख्या | प्रा0 विद्यालय का नाम | शिक्षक संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
| 7 | शिवपुरी | 1 | 0 | 1 |
| 8 | नन्दापुर | 0 | 1 | 1 |
| 9 | दिस्तापुर | 0 | 1 | 1 |
| 10 | करौंदा | 1 | 0 | 1 |
| 11 | पड़रिया | 1 | 0 | 1 |
| 12 | बरखेरा | 1 | 0 | 1 |
| 13 | शंकरपुर | 0 | 1 | 1 |
| 14 | पड़री | 0 | 1 | 1 |
| 15 | हिम्मतपुर | 1 | 0 | 1 |
| 16 | पोखनापुर | 0 | 1 | 1 |
| 17 | रेहरिया | 1 | 0 | 1 |
| 18 | जरिया | 1 | 0 | 1 |
| 19 | अकबराबाद | 1 | 0 | 1 |
| 20 | पलिया | 0 | 1 | 1 |
| 21 | शाहपुर राजा | 1 | 0 | 1 |
| 22 | दरियाबाद | 1 | 0 | 1 |
| 23 | मोहम्मदी सराय | 1 | 0 | 1 |
| 24 | भंगेली | 1 | 0 | 1 |
| 25 | खजुहा | 1 | 0 | 1 |
| 26 | मियांपुर कालोनी | 1 | 0 | 1 |
| 27 | नयागाँव | 1 | 0 | 1 |
| 28 | सिसोरा निकूमपुर | 1 | 0 | 1 |
| 29 | बिलन्दपुर | 0 | 1 | 1 |
| 30 | बेला तुरसिया | 1 | 0 | 1 |
| 31 | बौंआ | 1 | 0 | 1 |
| 32 | छतिया सरैंया | 0 | 1 | 1 |
| 33 | धमौला | 1 | 0 | 1 |
| 34 | विचपरी | 1 | 0 | 1 |
| 35 | मढ़ैया सुआताली | 1 | 0 | 1 |
| 36 | शंकरपुर राजा | 1 | 0 | 1 |
| 37 | सहदेवा | 1 | 0 | 1 |
| 38 | ढकिया भाऊ | 1 | 0 | 1 |
| 39 | हथेला वाजिदपुर | 0 | 1 | 1 |
| 40 | पटना | 1 | 0 | 1 |
| 41 | गारबपुर | 1 | 0 | 1 |

| क्रम-संख्या | प्रा0 विद्यालय का नाम | शिक्षक संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
| 42 | खेतहरा | 1 | 0 | 1 |
| 43 | मगरेना | 1 | 0 | 1 |
| 44 | सिसियर | 1 | 0 | 1 |
| 45 | हरनरायनपुर | 1 | 0 | 1 |
| 46 | कुइयां नदारपुर | 1 | 0 | 1 |
| 47 | कमलापुर | 1 | 0 | 1 |
| 48 | कौड़ेली | 1 | 0 | 1 |
| 49 | गोकन | 1 | 0 | 1 |
| 50 | तेन्दुआ कजां | 0 | 1 | 1 |
| 51 | रछेला वाजिदपुर | 1 | 0 | 1 |
| 52 | बुझारी | 1 | 0 | 1 |
| 53 | कुवंरपुर | 1 | 0 | 1 |
| 54 | सहिजना | 1 | 0 | 1 |
| 55 | मोहम्मदपुर कला | 1 | 0 | 1 |
| 56 | बौधी कला | 1 | 0 | 1 |
| 57 | कंधरापुर | 0 | 1 | 1 |
| 58 | बेहटी अफगान | 1 | 0 | 1 |
| 59 | नेवली | 1 | 0 | 1 |
| 60 | खन्देवरा | 1 | 0 | 1 |
| 61 | हरनाजाट | 1 | 0 | 1 |
| 62 | बगंरठी | 1 | 0 | 1 |
| 63 | बौधी खुर्द | 1 | 0 | 1 |
| 64 | हरिहरपुर 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | गौरिया | 1 | 0 | 1 |
| 66 | बिजौली सहसपुर | 1 | 0 | 1 |
| 67 | पालचक | 1 | 0 | 1 |
| 68 | बेला परछिया | 0 | 1 | 1 |
| 69 | बलभिया | 0 | 1 | 1 |
| 70 | भोगियापुर | 1 | 0 | 1 |
| 71 | सर्वांगपर | 1 | 0 | 1 |
| 72 | शाहपुर जागीर | 1 | 0 | 1 |
| 73 | दुल्हापुर चौबे | 1 | 0 | 1 |
| 74 | पाल | 1 | 0 | 1 |
| 75 | पकरिया | 1 | 0 | 1 |
| 76 | रामपुर मिश्र | 1 | 0 | 1 |

| क्रम-संख्या | प्रा0 विद्यालय का नाम | शिक्षक संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
| 77 | जैती | 1 | 0 | 1 |
| 78 | बिसमासी | 1 | 0 | 1 |
| 79 | झाराखेमपुर 2 अलीनगर | 0 | 1 | 1 |
| 80 | हरिहरापुर | 1 | 0 | 1 |
| 81 | दिलावरपुर | 1 | 0 | 1 |
| 82 | गुलौली | 1 | 0 | 1 |
| 83 | बौधनियां | 1 | 0 | 1 |
| 84 | कुम्हरौआ | 0 | 1 | 1 |
| 85 | झाराखेमपुर 1 बरा | 0 | 1 | 1 |
| 86 | रायपुर खुर्द | 1 | 0 | 1 |
| 87 | बसविरवा | 0 | 1 | 1 |
| 88 | हरिहरपुर 2 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | भानपुर वनवारी | 1 | 0 | 1 |
| 90 | कैमहरा | 1 | 0 | 1 |

**ऐसे विद्यालयों की सूची जहां पर मात्र एक शिक्षा मित्र कार्यरत है विकास खण्ड-मोहम्मदी**

| क्रम संख्या | प्रा0वि0 का नाम | शिक्षक संख्या | | | शिक्षा मित्र संख्या | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 अन्य | योग | पुरुष | महिला | |
| 1 | मौठी खेड़ा | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | परवरिश नगर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | गस्तीपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | रामपुर मदारी | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | चठिया | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | वन्जरिया | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | भूड़ाकला | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | टी0टी0 गोकन | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | भगनापुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | अग्बुआपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | रामनगर कला | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | बढ़वारी मांग | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | बढवारी ऊधो | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | रामनगर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**एकल अध्यापकीय विद्यालयों की सूची विकास खण्ड-पसगवां**

| क्रम-संख्या | विद्यालय का नाम | कार्यरत शिक्षक | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
| 1 | प्रा0वि0 बनकागांव | 1 | 0 | 1 |
| 2 | प्रा0वि0 रहीमपुर | 0 | 1 | 1 |
| 3 | प्रा0वि0 कठिघरा | 0 | 1 | 1 |
| 4 | प्रा0वि0 नरायनपुर | 1 | 0 | 1 |
| 5 | प्रा0वि0 रतनपुर | 1 | 0 | 1 |
| 6 | प्रा0वि0 करमुलिया | 1 | 0 | 1 |
| 7 | प्रा0वि0 कन्जा | 1 | 0 | 1 |
| 8 | प्रा0वि0 बरनैया | 1 | 0 | 1 |
| 9 | प्रा0वि0 डुडौलिया | 1 | 0 | 1 |
| 10 | प्रा0वि0 बरखेरा | 1 | 0 | 1 |
| 11 | प्रा0वि0 मोहदियापुर | 1 | 0 | 1 |
| 12 | प्रा0वि0 कोटरा | 1 | 0 | 1 |
| 13 | प्रा0वि0 उचौलिया | 1 | 0 | 1 |
| 14 | प्रा0वि0 रामपुर ग्रण्ट | 1 | 0 | 1 |
| 15 | प्रा0वि0 किशुनपुरजमुनी | 1 | 0 | 1 |
| 16 | प्रा0वि0 हरिहरपुर बजरिया | 1 | 0 | 1 |
| 17 | प्रा0वि0 पिपरोलामर्दन | 0 | 1 | 1 |
| 18 | प्रा0वि0 सुखबसा | 1 | 0 | 1 |
| 19 | प्रा0वि0 पाण्डेवारी | 1 | 0 | 1 |
| 20 | प्रा0वि0 एकघरा | 1 | 0 | 1 |
| 21 | प्रा0वि0 कमालपुर गंगासिंह | 1 | 0 | 1 |
| 22 | प्रा0वि0 ढंढेन | 1 | 0 | 1 |
| 23 | प्रा0वि0 नेवादा | 1 | 0 | 1 |
| 24 | प्रा0वि0 सोनोरिया | 1 | 0 | 1 |
| 25 | प्रा0वि0 मोहउदीनपुर | 0 | 1 | 1 |
| 26 | प्रा0वि0 सेण्डा | 1 | 0 | 1 |
| 27 | प्रा0वि0 सोनौरा | 1 | 0 | 1 |
| 28 | प्रा0वि0 सोनौवा | 1 | 0 | 1 |
| 29 | प्रा0वि0 लखनौरिया | 1 | 0 | 1 |
| 30 | प्रा0वि0 उकरमुहा | 1 | 0 | 1 |
| 31 | प्रा0वि0 पनई | 1 | 0 | 1 |

| क्रम-संख्या | विद्यालय का नाम | कार्यरत शिक्षक | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
| 32 | प्रा0वि0 जलालपुर | 1 | 0 | 1 |
| 33 | प्रा0वि0 किशुनपुर | 1 | 0 | 1 |
| 34 | प्रा0वि0 जसमढ़ी | 1 | 0 | 1 |
| 35 | प्रा0वि0 कुतुबापुर | 0 | 1 | 1 |
| 36 | प्रा0वि0 नरदी | 1 | 0 | 1 |
| 37 | प्रा0वि0 अजबापुर | 1 | 0 | 1 |
| 38 | प्रा0वि0 नयागांव किशोरी | 1 | 0 | 1 |
| 39 | प्रा0वि0 रामपुर रामदास | 1 | 0 | 1 |
| 40 | प्रा0वि0 पिपरोलाकुंवर पुर | 1 | 0 | 1 |
| 41 | प्रा0वि0 गोविन्दापुर | 1 | 0 | 1 |
| 42 | प्रा0वि0 सल्लिया | 1 | 0 | 1 |
| 43 | प्रा0वि0 बददापुर | 1 | 0 | 1 |
| 44 | प्रा0वि0 उदयपुर | 0 | 1 | 1 |
| 45 | प्रा0वि0 बरखेरियाजाट | 1 | 0 | 1 |
| 46 | प्रा0वि0 अल्लीपुर | 1 | 0 | 1 |
| 47 | प्रा0वि0 बरबर | 0 | 1 | 1 |
| 48 | प्रा0वि0 गलरइ | 1 | 0 | 1 |
| 49 | प्रा0वि0 भौनापुर | 1 | 0 | 1 |
| 50 | प्रा0वि0 काशीपुर | 1 | 0 | 1 |
| 51 | प्रा0वि0 कठिघरा | 1 | 0 | 1 |
| 52 | प्रा0वि0 बरैंची | 0 | 1 | 1 |
| 53 | प्रा0वि0 मुउियाअहवन | 1 | 0 | 1 |
| 54 | प्रा0वि0 दोहक | 1 | 0 | 1 |
| 55 | प्रा0वि0 नरायनपुर मछेछा | 1 | 0 | 1 |
| 56 | प्रा0वि0 कोटामुगल | 1 | 0 | 1 |
| 57 | प्रा0वि0 किरियारा | 1 | 0 | 1 |
| 58 | प्रा0वि0 किरियारी | 1 | 0 | 1 |
| 59 | प्रा0वि0 बचगांवा | 0 | 1 | 1 |
| 60 | प्रा0वि0 सोहक | 1 | 0 | 1 |
| 61 | प्रा0वि0 मानाखेडा | 1 | 0 | 1 |
| 62 | प्रा0वि0 कलवारी | 1 | 0 | 1 |
| 63 | प्रा0वि0 मोहम्मदपुरताजपुर | 1 | 0 | 1 |

| क्रम-संख्या | विद्यालय का नाम | कार्यरत शिक्षक | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
| 64 | प्रा0वि0 गौनियाआलम | 1 | 0 | 1 |
| 65 | प्रा0वि0 गोहनियासुखई | 1 | 0 | 1 |
| 66 | प्रा0वि0 मैंगलगंज | 1 | 0 | 1 |
| 67 | प्रा0वि0 खखरा | 1 | 0 | 1 |
| 68 | प्रा0वि0 नई बस्ती खखरा | 1 | 0 | 1 |
| 69 | प्रा0वि0 लटठौनापुरवा | 1 | 0 | 1 |
| 70 | प्रा0वि0 लिद्यियाई | 1 | 0 | 1 |
| 71 | प्रा0वि0 गुरुदेवखेड़ा | 1 | 0 | 1 |
| 72 | प्रा0वि0 धर्माखेड़ा | 1 | 0 | 1 |
| 73 | प्रा0वि0 लालपुर | 1 | 0 | 1 |
| 74 | प्रा0वि0 जम0 कढिले | 1 | 0 | 1 |
| 75 | प्रा0वि0 बेहडा जोरावर | 1 | 0 | 1 |
| 76 | प्रा0वि0 चौखडिया | 0 | 1 | 1 |
| 77 | प्रा0वि0 भुडा | 1 | 0 | 1 |
| 78 | प्रा0वि0 सरौनिया | 1 | 0 | 1 |
| 79 | प्रा0वि0 मुडियाचूडामणि | 1 | 0 | 1 |
| 80 | प्रा0वि0 कल्लुआ | 1 | 0 | 1 |
| 81 | प्रा0वि0 मिलावा | 1 | 0 | 1 |
| 82 | प्रा0वि0 मुल्लापुर | 1 | 0 | 1 |
| 83 | प्रा0वि0 मुबारकपुर | 1 | 0 | 1 |
| 84 | प्रा0वि0 भानपुर | 1 | 0 | 1 |
| 85 | प्रा0वि0 मोहम्मदपुर | 0 | 1 | 1 |
| 86 | प्रा0वि0 अभयपुर | 1 | 0 | 1 |
| 87 | प्रा0वि0 जमिरहा | 1 | 0 | 1 |
| 88 | प्रा0वि0 बसन्तापुर | 0 | 1 | 1 |
| 89 | प्रा0वि0 मडवा | 1 | 0 | 1 |
| 90 | प्रा0वि0 महदूदा | 1 | 0 | 1 |
| 91 | प्रा0वि0 गनेशापुर | 1 | 0 | 1 |
| 92 | प्रा0वि0 मकसूदपुर | 1 | 0 | 1 |
| 93 | प्रा0वि0 घाघपुर | 1 | 0 | 1 |
| 94 | प्रा0वि0 भोगीपुरमनी | 0 | 1 | 1 |
| 95 | प्रा0वि0 नकटी | 1 | 0 | 1 |

| क्रम-संख्या | विद्यालय का नाम | कार्यरत शिक्षक | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग |
| 96 | प्रा0वि0 दरियाबाद | 1 | 0 | 1 |
| 97 | प्रा0वि0 दुल्हापुर कर्म | 1 | 0 | 1 |
| 98 | प्रा0वि0 औरंगाबाद | 1 | 0 | 1 |
| 99 | प्रा0वि0 खुटीबुजुर्ग | 1 | 0 | 1 |
| 100 | प्रा0वि0 सपहा | 0 | 1 | 1 |
| 101 | प्रा0वि0 ढखियादेवी | 1 | 0 | 1 |
| 102 | प्रा0वि0 दिस्तापुर | 1 | 0 | 1 |
| 103 | प्रा0वि0 बाइकुआं | 1 | 0 | 1 |
| 104 | प्रा0वि0 पिपरीअजीज | 1 | 0 | 1 |
| 105 | प्रा0वि0 रहजनिया | 1 | 0 | 1 |
| 106 | प्रा0वि0 जमुनियारना | 1 | 0 | 1 |
| 107 | प्रा0वि0 हैरमखेडा | 1 | 0 | 1 |
| 108 | प्रा0वि0 चपरतला | 1 | 0 | 1 |
| 109 | प्रा0वि0 ढ़खौरा | 1 | 0 | 1 |
| 110 | प्रा0वि0 कोटरी | 1 | 0 | 1 |
| 111 | प्रा0वि0 जहाननगर | 1 | 0 | 1 |
| 112 | प्रा0वि0 बहादुर नगर | 1 | 0 | 1 |
| 113 | प्रा0वि0 अब्बासपुर | 1 | 0 | 1 |
| 114 | प्रा0वि0 डण्डोरा | 1 | 0 | 1 |
| 115 | प्रा0वि0 सेमराघाट | 1 | 0 | 1 |
| 116 | प्रा0वि0 खूटीखुर्द | 1 | 0 | 1 |
| 117 | प्रा0वि0 भीषमदेवता | 1 | 0 | 1 |
| 118 | प्रा0वि0 हेमपरटाण्डा | 1 | 0 | 1 |
| 119 | प्रा0वि0 सदरपुर | 1 | 0 | 1 |

**ऐसे विद्यालयों की सूची जहां पर मात्र एक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं विकास खण्ड-परगवां**

| क्रम संख्या | विद्यायलय का नाम | कार्यरत शिक्षक | | | कुल कार्यरत शिक्षामित्र | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग | पुरुष | महिला | |
| 1 | प्रा0वि0 पिपरहाग्रण्ट | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | प्रा0वि0 पसगवां | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | प्रा0वि0 रामापुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | प्रा0वि0 मुकद्दरपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | प्रा0वि0 फतियापुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| क्रम संख्या | विद्यायलय का नाम | कार्यरत शिक्षक | | | कुल कार्यरत शिक्षामित्र | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्र0अ0 | स0अ0 | योग | पुरुष | महिला | |
| 6 | प्रा0वि0 इटारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | प्रा0वि0 गेन्दनापुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | प्रा0वि0 बरगदिया | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

पी0एस0यू0पी0-एल0 32 विधान सभा (67)-06-06-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।